रजिस्ट्री सं. डीएल(एन)-04/0007/2003--05

REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 49] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 4—दिसम्बर 10, 2010 (अग्रहायण 13, 1932)

No. 49] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 4—DECEMBER 10, 2010 (AGRAHAYANA 13, 1932)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

पृष्ठ सं.

भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गईं विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं 1579

भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गईं सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं 1105

भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं 5

भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गईं सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं 2225

भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम ..... *

भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ ..... *

भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट ..... *

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं) ..... *

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं ..... *

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं) ..... *

भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश ..... *

भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गईं अधिसूचनाएं 3411

भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गईं पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस *

भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गईं अधिसूचनाएं ..... *

भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गईं अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं 9121

भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस 1753

भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक ..... *

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1579
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1105
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	5
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	2225
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	3411
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART III—SECTION 3 Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	9121
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	1753
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I — खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गईं विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 अगस्त 2010

सं. 121-प्रेज/2010--राष्ट्रपति, निम्नलिखित कार्मिकों को उनके अति असाधारण साहसपूर्ण कार्यों के लिए "अशोक चक्र" प्रदान करने का अनुमोदन करती हैं :--

एम आर-08609 मेजर लाएशराम ज्योतिन सिंह, सेना चिकित्सा कोर/भारतीय दूतावास, काबुल (मरणोपरांत)

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 26 फरवरी, 2010)

मेजर लाएशराम को भारतीय चिकित्सा मिशन दल के भाग के रूप में काबुल में तैनात किया गया था। 26 फरवरी, 2010 को 0630 बजे एक पहरायुक्त आवासीय परिसर जिसमें छह सेना चिकित्सा अफसर, चार अर्ध चिकित्सा कार्मिक तथा दो अन्य सेना अफसर रह रहे थे, पर पूरी तरह से हथियारों से लैस आतंकवादी आत्मघाती बममार ने आक्रमण कर दिया। एक आत्मघाती वाहनजनित कामचलाऊ विस्फोटक यंत्र का विस्फोट करने के बाद जिसके परिणामस्वरूप सुरक्षा बल के तीन कार्मिकों की मृत्यु हो गई, अत्यधिक हथियारों से लैस एक आत्मघाती बममार आतंकवादी ने बचे हुए व्यक्तियों को मारने के लिए परिसर में प्रवेश किया। आतंकवादी कलाश्नीकोव से गोलियों की बौछार करते हुए कमरों में गया और उसने हथगोले फेंके। इस संघर्ष में पांच बेहथियार अफसरों ने एक कमरे में आश्रय लिया जिसकी छत पर हथगोलों तथा गोलीबारी से आक्रमण हो रहा था तथा यह आक्रमण गुसलखाने तक फैल गया जहां पर पांच अफसरों ने पनाह ले रखी थी। पांच अफसरों की चिल्लाहट सुनकर मेजर लाएशराम ज्योतिन सिंह कमरे के मलबे से रेंगकर बाहर निकला। मेजर सिंह खाली हाथों हथियारबंद आतंकवादी पर टूट पड़े तथा उसको दबोच लिया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जल रहे कमरे में घिर गए अफसरों पर वह हथगोलों तथा बंदूकों से सीधा आक्रमण नहीं कर सके। उन्होंने हथियारबंद आतंकवादी को दबोचे रखा तथा उसे आगे नहीं जाने दिया। बाद में आतंकवादी ने घबराकर अपनी आत्मघाती पेटी को उड़ा दिया जिसके परिणामस्वरूप आतंकवादी की तुरंत मौत हो गई तथा मेजर सिंह शहीद हो गए। मेजर लाएशराम ज्योतिन सिंह ने अपने साथियों के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया।

इस प्रकार, मेजर लाएशराम ज्योतिन सिंह ने एक आत्मघाती बममार आतंकवादी के समक्ष अनुकरणीय साहस, धैर्य तथा निस्वार्थता और वीरता का प्रदर्शन करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 122-प्रेज/2010--राष्ट्रपति, निम्नलिखित कार्मिकों को उनके असाधारण साहसपूर्ण कार्यों के लिए "कीर्ति चक्र" प्रदान करने का अनुमोदन करती हैं :--

1. श्री विनोद कुमार चौबे, पुलिस अधीक्षक, राजनंदगांव, छत्तीसगढ़ (मरणोपरांत)

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 12 जुलाई, 2009)

12 जुलाई, 2009 को सुबह 7.00 बजे श्री विनोद कुमार चौबे, पुलिस अधीक्षक, राजनंदगांव को संदेश मिला कि नक्सलियों ने जिला राजनंदगांव के पुलिस थाना मानपुर की बाहरी पोस्ट मदनवाड़ा पर आक्रमण कर दिया है तथा दो पुलिस वालों को मार गिराया है। घटना के गंभीर परिणामों को भांपते हुए श्री चौबे तथा आई जी पी अपने-अपने मुख्यालों से घटनास्थल की तरफ दौड़े। रास्ते में ही श्री चौबे के कारवां पर नक्सलियों ने घात लगाकर आक्रमण कर दिया। तथापि, उन्होंने आगे बढ़ना जारी रखा तथा थाना मानपुर के एएसआई को अतिरिक्त बल के साथ सुरंगरोधी वाहन में आने का अनुदेश दिया। नक्सलियों ने सड़क पर नए सिरे से बाधाएं खड़ी कर दी थीं। श्री चौबे ने बाधाओं को साफ किया तथा बहादुरी से घटनास्थल पर पहुंचे जहां पर भयंकर लड़ाई चल रही थी। पुलिस के बारूदी सुरंगरोधी वाहन पर गोलियों तथा बमों से आक्रमण किया गया। आई जी पी के दल तथा एस पी के दल द्वारा सही समय पर बीच में आ जाने की वजह से भयंकर लड़ाई में फंसे पुलिसकर्मी बच गए। एक सिविलियन परिवहन बस जो घात में प्रवेश कर गई थी को भी सुरक्षित बचा लिया।

लगभग 300 नक्सली गोलीबारी करते हुए जंगल से बाहर आए। कई पेड़ों पर चढ़ गए तथा पुलिस दल पर निर्बाध रूप से हथगोले फेंकने लगे। तथापि, श्री चौबे के नेतृत्व में पुलिस दल फौलादी इरादे से डटा रहा तथा नक्सलियों के संख्या में अधिक होने तथा उच्च स्थल पर होने के फायदे के बावजूद वे आक्रमण में डटे रहे तथा अपने आदमियों को बचाने के समन्वित प्रयास में भयंकर गोलीबारी करते रहे जबकि पीछे से और पुलिस आती दिखाई नहीं दे रही थी। इस साहसिक तथा अप्रत्याशित प्रतिआक्रमण से नक्सलियों में अनिश्चतता एवं सनसनी फैल गई तथा वे बड़ी चट्टानों के पीछे भागने के लिए मजबूर हो गए। श्री चौबे दृढ़ निश्चय तथा अदम्य साहस से एक नायक की तरह लड़े। बराबर चल रही गोलीबारी में वह गंभीर रूप से घायल हो गए तथा उन्होंने अंततः कर्त्तव्य की वेदी पर अपना सर्वोच्च बलिदान दिया।

श्री विनोद कुमार चौबे ने नेतृत्व तथा बहादुरी के असाधारण गुण का प्रदर्शन किया तथा नक्सलियों के भयंकर आक्रमण से अपने आदमियों को बचाने के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया।

2. आईसी-70151 कैप्टन दविन्द्र सिंह जस, प्रथम बटालियन पैराच्यूट रेजिमेंट (विशेष बल) (मरणोपरांत)

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 23 फरवरी, 2010)

कैप्टन दविन्द्र सिंह जस जम्मू-कश्मीर के सोपोर जिले के एक गांव में एक ऑपरेशन के दौरान एल्फा टीम के सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे।

23 फरवरी, 2010 को कैप्टन दविन्द्र सिंह जस आतंकवादियों के होने की सूचना प्राप्त होने पर एक सतर्कतापूर्वक योजना बनाने के बाद गांव में एक भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र में अवस्थित आगे बढ़े। लक्षित क्षेत्र की ओर आगे बढ़ते समय उनके अग्रणी स्क्वाड पर कई दिशाओं से अंधाधुंध गोलीबारी हो गई जिससे उनके स्क्वाड के सदस्य घायल हो गए। व्यक्तिगत सुरक्षा की बिल्कुल भी परवाह किए बिना उन्होंने घायलों में से एक व्यक्ति को सुरक्षित बचाया। तत्पश्चात्, अफसर रेंगकर आगे बढ़े तथा दूसरे साथी को बचाया, तथापि, वह गोलियों के घावों से बुरी तरह जख्मी हो गए। घावों के प्रति बेपरवाह रहते हुए उन्होंने आतंकवादियों से लड़ाई जारी रखी तथा एक आतंकवादी के निकट आ गए। अपने घावों के कारण वीरगति को प्राप्त होने से पहले उन्होंने गुत्थम-गुत्था की भयंकर भिडंत में एक आतंकवादी को मार गिराया।

कैप्टन दविन्द्र सिंह जस ने असाधारण वीरता, प्रेरक नेतृत्व, अनुकरणीय साहस का प्रदर्शन किया तथा भारतीय सेना की सर्वोत्तम परम्पराओं के अनुरूप मातृ भूमि के लिए लड़ते हुए सर्वोच्च बलिदान कर दिया।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 123-प्रेज/2010--राष्ट्रपति, निम्नलिखित कार्मिकों को उनके वीरतापूर्ण कार्यों के लिए "शौर्य चक्र-बार" प्रदान करने का अनुमोदन करती हैं :--

1. एसएस-39651 मेजर अजय सिंह, शौर्य चक्र, 11 वीं बटालियन, मराठा लाइट इन्फैंट्री

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 31 अगस्त, 2009)

आतंकवादियों की हरकत के बारे में संपुष्ट आसूचना मिलने पर जिसमें एक व्यवसायी का अपहरण कर लिया गया था, 31 अगस्त, 2009 को 0300 बजे असम के जिला कोकरझार के जनरल एरिया में मेजर अजय सिंह के नेतृत्व में एक तलाशी ऑपरेशन शुरू किया गया। गुप्त रूप से विस्मय बनाते हुए दल तीन संदिग्ध घरों के पास पहुंचा जो गांव के एकदम उत्तरी किनारे पर थे। जब पार्टी आगे बढ़ रही थी तभी बिल्कुल नजदीक से उस पर भारी गोलीबारी हो गई। मेजर अजय सिंह ने गोलीबारी का तुरंत जवाब दिया तथा आड़ लेने के लिए अपनी टीम को आदेश दिया। घर से अचानक दो आतंकवादी बाहर निकले तथा गोलीबारी जारी रखी। मेजर अजय सिंह ने स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए तलाशी पार्टी का पुनर्गठन किया तथा रेंगकर घर के निकट पहुंचे। अदम्य साहस तथा दृढ़ निश्चय का प्रदर्शन करते हुए गोलीबारी को झेलते हुए यह अफसर घर की दिशा में तेजी से कूद पड़े तथा पेड़ों के झुंड में छिपे पहले आतंकवादी को मार गिराया। तत्पश्चात्, मेजर अजय रेंगते रहे तथा दूसरे आतंकवादी के और अधिक निकट गए तथा सही मौके पर दूसरे आतंकवादी पर बहुत नजदीक से अचूक गोलीबारी करके उसका सफाया कर दिया।

मेजर अजय सिंह ने आतंकवादियों से लड़ते हुए असाधारण दर्जे की वीरता, चतुर नेतृत्व, अत्यधिक परिश्रम तथा अनुकरणीय कर्त्तव्यपरायणता का प्रदर्शन किया।

2. आईसी-58637 मेजर थोंगम जोतेन सिंह, शौर्य चक्र, 21 वीं बटालियन, पैराच्यूट रेजिमेंट (विशेष बल)

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 03 अक्तूबर, 2009)

01 अक्तूबर, 2009 को जब मणिपुर तमांगलोंग जिले के एक गांव में आतंकवादी आवाजाही की सूचना मिली तब मेजर थोंगम जोतेन सिंह ने निगरानी/घात लगाने के लिए डेल्टा असाल्ट टीम बनाई।

03 अक्तूबर, 2009 को 1815 बजे आतंकवादियों को घेरा गया। संपार्श्विक नुकसान से बचने के लिए आतंकवादियों को मौखिक रूप से ललकारा गया। आतंकवादियों ने वाहनों से अंधाधुंध गोलीबारी कर दी जिससे बिना आड़ के हमारे सैनिक बुरी तरह घिर गए। मामले की नज़ाकत को भांपते हुए मेजर थोंगम तेजी से एक पक्के घर की तरफ खुले में आए जिससे आतंकवादियों ने उन पर गोलीबारी की और इस कारण हमारे सैनिकों को उचित जीवनरक्षक आड़ मिल गई। वह शीघ्रता से घर की छत पर चढ़े तथा दोनों वाहनों के वात कवचों/पहियों को गोलियों से छलनी कर दिया तथा एक आतंकवादी को मार गिराया। इससे मजबूर होकर आतंकवादी भाग खड़े हुए। एक भागते हुए आतंकवादी ने यूएमजी से उन पर गोली चला दी। उन्होंने धैर्यपूर्वक गोलियों का सामना किया तथा उस आतंकवादी को मार गिराया। तत्पश्चात्, स्थिति को तुरंत भांपते हुए उन्होंने अंधेरे में भाग रहे आतंकवादियों को रोकने के लिए अम्बुश पार्टियों को सूचित किया जिसके परिणामस्वरूप और दो आतंकवादियों का सफाया हो गया। सैनिकों की खोजबीन से तीन आतंकवादी गिरफ्तार हुए।

मेजर थोंगम जोतेन सिंह ने विकट युद्ध परिस्थितियों में असाधारण बहादुरी, अनुकरणीय नेतृत्व तथा अचूक सूझबूझ का प्रदर्शन किया।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 124-प्रेज/2010--राष्ट्रपति, निम्नलिखित कार्मिकों को उनके वीरतापूर्ण कार्यों के लिए "शौर्य चक्र" प्रदान करने का अनुमोदन करती हैं :--

1. कमाण्डर नितीन आनन्दराव यादव, (03965-के)

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 22 मई, 2009)

कमाण्डर नितीन आनन्दराव यादव को एक तलाश तथा शेडो मिशन के लिए 22 मई, 2009 को सह-पायलट तथा सुरक्षा पायलट के रूप में तैनात किया गया था। मानसून पूर्व बादलों से घिरे हुए आकाश में 12,000 फुट की ऊंचाई पर समुद्र में 270 नॉटिकल मील पर 1245 बजे विमान की विद्युत प्रणाली पूरी तरह ठप्प हो गई। यह एक ऐसी स्थिति थी जिसका सामना भारत और रूस दोनों देशों में आईएल 38 विमान प्रचालन के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। इस स्थिति में ऊंचाई, गति, इंजन आरपीएम तथा टीजीटी के संकेतों को छोड़कर सभी उपस्कर और उपकरण विफल हो गये थे। इसके अलावा, तेल रेडियेटर शटर बंद स्थिति में ठहर गए थे जिसके परिणामस्वरूप कम ऊंचाई पर लम्बे समय तक उड़ते रहने की अवस्था में सभी इंजनों में आग लग जाने की आसन्न संभावना थी।

अपने गहन अनुभव से अफसर ने स्थिति को संभाला तथा विमान और चालक दल की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए प्रथम पायलट को

दिशा-निर्देश देकर सतत मार्ग निर्देशन और उड़ान जानकारी देकर इस निर्णायक घड़ी में एक सितारे की भूमिका अदा की।

संकट के समय इस अफसर ने उच्च दर्जे की परिपक्वता, धैर्य तथा आसन्न खतरे के समय समाधान करने की शक्ति का प्रदर्शन किया। इस अफसर की तुरंत की गई स्टीक कार्रवाई और सही सलाह से न केवल एक बड़ी दुर्घटना टल गई बल्कि चालक दल के सभी आठ कर्मी तथा करोड़ों रूपए का विमान सुरक्षित बच गए।

कमाण्डर नितीन आनन्दराव यादव ने आसन्न संकट के समक्ष अनुकरणीय साहस, विशिष्ट व्यवसायिकता, उत्कृष्ट नेतृत्व तथा अत्यधिक दृढ़ प्रतिज्ञा का प्रदर्शन किया।

2. 15619321 गाड्र्समैन कृष्ण कुमार, ब्रिगेड ऑफ दि गाड्र्स/21 राष्ट्रीय राईफल (मरणोपरांत)

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 03 जुलाई, 2009)

02 जुलाई, 2009 को गाड्र्समैन कृष्ण कुमार ऑपरेशन दल में स्काउट के रूप में शामिल थे जिसे स्टाप लगाने का कार्य सौंपा जाना था। अपने स्थान से उन्होंने संदिग्ध गतिविधि को देखा तथा अपनी टीम को पूर्व चेतावनी दी ताकि होने वाली अंधाधुंध गोलीबारी से जीवन बच सके। जमीन पर रेंगते हुए वह सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचे तथा आतंकवादी को घायल कर दिया जिसे बाद में ऑपरेशन टीम द्वारा मार गिराया गया। 03 जुलाई 2009 को उन्होंने स्वेच्छा से जम्मू-कश्मीर में एक जंगल में खास तलाशी में भाग लेना चाहा। घने जंगल में उनके दो साथियों पर नजदीक से अचानक गोलीबारी हो गई जिससे दोनों घायल हो गए। व्यक्तिगत घाव तथा जीवन की परवाह किए बिना वह अपने घायल साथी को सुरक्षित बचा लेने के लिए जंगल में पांच मीटर तक रेंगकर गए। भारी गोलीबारी की लड़ाई में उन्होंने आतंकवादी को मार गिराया परंतु स्वयं गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में वह सुरक्षित स्थान पर ले जाते वक्त अपने घावों के कारण वीरगति को प्राप्त हो गए।

गाड्र्समैन कृष्ण कुमार ने आतंकवादियों के साथ लड़ाई में भव्य पहलशक्ति, अदम्य साहस और चौकन्नेपन का प्रदर्शन किया।

3. आईसी-68043 कैप्टन अमित कुमार सिंह, सेना मेडल, 2 बटालियन बिहार रेजिमेंट

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 19 जुलाई, 2009)

19 जुलाई, 2009 को असम-अरुणाचल प्रदेश सीमा पर 03 हथियारबंद आतंकवादियों की हलचल होने की विश्वस्त सूचना मिली थी। अत्यधिक सूझ-बूझ का प्रदर्शन करते हुए अचूक योजना के साथ कैप्टन अमित कुमार सिंह ने असम के लखीमपुर जिले में अस्थायी पनाहगार में बनाए गए जाल में आतंकवादियों को फंसाया। ज्योंही टीम ने पनाहगार को घेरा आतंकवादियों ने नजदीक से उन पर गोली चला दी। फौलादी इरादों का प्रदर्शन करते हुए कैप्टन अमित, पनाहगार में कूद गए तथा गोलियों की बौछार में एक आतंकवादी के पास गए और उस पर टूट पड़े तथा भयंकर भिड़ंत में अकेले ही उसे मार गिराया।

खतरे को भांपते हुए एक अन्य आतंकवादी पास के जंगल से अफसर पर गोलीबारी करते हुए बाहर आया। निर्भीक रहते हुए अपने साथी के साथ कैप्टन अमित ने अंधेरे में लगभग 500 मीटर तक आतंकवादी का पीछा किया। वह आतंकवादी के निकट पहुंचे तथा आतंकवादी की पिस्तौल के बैरल पर निशाना रखते हुए उसे उलझाए रखा। गुत्थमगुत्था की भयंकर लड़ाई में उन्होंने आतंकवादी को मार गिराया।

कैप्टन अमित कुमार सिंह ने अदम्य साहस, अडिग बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए कर्त्तव्यपरायणता से बढ़कर अकेले ही दो आतंकवादियों का सफाया कर दिया।

4. जेसी-560161 नायब सूबेदार शिव पूजन शर्मा, 2 बटालियन बिहार रेजिमेंट

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 01 अगस्त, 2009)

नायब सूबेदार शिव पूजन शर्मा असम के धेमाजी जिले में 01 अगस्त, 2009 को आतंकवादियों को पकड़ने के लिए चलाए गए एक ऑपरेशन में शामिल थे। ज्योंही शत्रु प्रदेश में घेरे को सख्त किया गया, गांव की तरफ आते दो संदिग्ध आतंकवादी देखे गए। ललकारे जाने पर, उन्होंने भागते हुए अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। तीव्र कार्रवाई करते हुए अपने साथी के साथ नायब सूबेदार शर्मा ने भाग रहे आतंकवादियों पर गोलीबारी की। अदम्य साहस तथा अत्यधिक बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने एक आतंकवादी का पीछा किया तथा सघन गोलीबारी के बावजूद उसको मार गिराया।

इस बीच, दूसरे आतंकवादी ने पास के जंगल में बच निकलने का प्रयास किया। नायब सूबेदार शर्मा ने लगभग 400 मीटर तक आतंकवादी की पीछा किया तथा उसको काबू कर लिया। इस कार्य के दौरान उन्हें पेट पर बंधी गोलीरोधी जैकेट पर एक पिस्तौल की गोली लगी। उन्होंने व्यक्तिगत सुरक्षा की बिल्कुल भी परवाह न करके ललकारते हुए बिल्कुल नजदीक से दूसरे आतंकवादी को मार गिराया।

नायब सूबेदार शिव पूजन शर्मा ने आतंकवादियों के विरुद्ध लड़ाई में साहसिक पहल शक्ति, असाधारण वीरता का अदम्य साहस का प्रदर्शन किया।

5. जेसी-2300474 नायब सूबेदार रंगा बहादुर यादव, 23 असम राईफल

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 12 अगस्त, 2009)

12 अगस्त, 2009 को नायब सूबेदार रंगा बहादुर यादव के नेतृत्व में मणिपुर के उखरूल जिले में सड़क खोलने के कार्य के लिए एक टुकड़ी को तैनात किया गया था। आरंभिक दो पिकेट लगाने के बाद अंतिम पिकेट लगाने के लिए वह सड़क मोड़ की ओर बढ़े। अंतिम पिकेट लगाने के लिए आगे बढ़ते समय इस स्काऊट ने सड़क की दूसरी तरफ युद्ध पोशाक में कुछ हथियारबंद व्यक्तियों की गतिविधियां देखी। ललकारे जाने पर दल पर स्वचालित हथियारों से भारी गोलीबारी हो गई। नायब सूबेदार रंगा बहादुर यादव ने सूझबूझ का परिचय देते हुए तुरंत गोलीबारी का जवाब दिया और अपनी पार्टी के साथ आक्रमण कर दिया। इस अप्रत्याशित भारी गोलीबारी से डरकर आतंकवादियों ने घटनास्थल से भागना शुरू कर दिया। नायब सूबेदार यादव ने आतंकवादियों का पीछा किया तथा उन पर लगातार गोलीबार जारी रखी। उन्होंने फिर घेरा डाला तथा क्षेत्र की तलाशी लेकर एक आतंकवादी का शव बरामद किया।

नायब सूबेदार रंगा बहादुर यादव ने आतंकवादियों के समक्ष लड़ाई में कर्त्तव्यपरायणता से बढ़कर अद्वितीय बहादुरी और प्रेरणादायक नेतृत्व का प्रदर्शन किया।

6. आईसी-69150 कैप्टन सुनील नारंग, 4 बटालियन सिख लाइट इन्फैंट्री

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 27 अगस्त, 2009)

कैप्टन सुनील नारंग ने 26 अगस्त, 2009 की रात में असम के बक्सा जिले के एक गांव में घेरा डालने और तलाशी अभियान को अंजाम देने के लिए भली-भांति सोच-समझ कर एक व्यापक योजना तैयार की। संदेहास्पद मकान के पास तलाशी दल अभी पहुंचने वाला ही था कि आतंकवादी गोलीबारी करते हुए तेजी से बाहर निकले और उत्तर दिशा की ओर भागे। कैप्टन सुनील नारंग जिन्होंने गांव के उत्तर में चौकियां जमा रखी थी, ने कुछ हरकत देखी। उन्होंने युक्ति लगा कर उन्हें संदेहास्पद जगह पर घेर लिया और चौकियों को निर्देश दिया कि वे चारों ओर से घेरा डाल लें और इस प्रकार आतंकवादियों को चुनौती दी।

चुनौती दिए जाने पर भाग रहे आतंकवादियों ने अंधाधुंध स्वचालित फायर शुरू कर दी। अफसर ने स्वेच्छा से आतंकियों का पीछा करने का खतरनाक काम अपने हाथ में लिया। जब आतंकवादी नहीं रुके तो अफसर ने उन पर गोली दाग दी। एक आतंकी घायल हो गया किंतु अपना पीछा छुड़ाने के लिए जब तक वह हथगोला फेंकता अफसर ने उसे गोलियों की बौछार से मौत की नींद सुला दिया। इस बीच, दूसरा आतंकवादी जिसने आड़ ले रखी थी अंधाधुंध फायरिंग करने लगा। अपने साथी की गोलीबारी की आड़ में अफसर घुटने के बल गया और उसकी जगह ले ली। अदम्य साहस का परिचय देते हुए उसने आतंकवादी पर धावा बोल दिया और उसका सफाया कर दिया।

कैप्टन सुनील नारंग ने आतंकवादियों के साथ लड़ाई में उच्चतम कोटि के अनुकरणीय साहस, नेतृत्व और बहादुरी का प्रदर्शन किया।

7. एसएस-42657 लेफ्टिनेंट नवीन निरोला, 4 बटालियन कुमाऊं रेजिमेंट

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 29 अगस्त, 2009)

लेफ्टिनेंट नवीन निरोला ने सूझबूझ के साथ योजना बनाने के बाद एक कारगर खुफिया नेटवर्क की स्थापना की और असम के कामरूप जिले के सामान्य क्षेत्र में आतंकवादियों की आवाजाही के बारे में सूचना एकत्र की।

अफसर ने तलाश करने वाली पार्टी का स्वयं नेतृत्व किया और उस स्थान पर जा पहुंचा जहां आतंकवादी छुपे हुए थे। 29 अगस्त, 2009 को लगभग 0345 बजे तलाशी अभियान दल भारी गोलीबारी की चपेट में आ गया। अफसर ने तत्परता दिखाते हुए बड़ी सूझबूझ से आतंकवादियों पर अचूक गोलीबारी शुरू कर दी और उन्हें जंगल में छिपने के लिए मजबूर कर दिया। घने जंगल से होकर वह चुपके-चुपके आतंकवादियों तक पहुंच गया। इस बहादुरी भरे कारनामे से आतंकवादियों के होश उड़ गए और उन्होंने अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए भागने की कोशिश की। अफसर ने भारी गोलीबारी के बीच स्वयं को बचाते हुए अदम्य साहय का परिचय दिया और आतंकवादियों पर धावा बोल दिया तथा उनमें से एक को मार गिराया। इसके बाद दूसरे आतंकवादी को पकड़ने के लिए जो अंधाधुंध गोलीबारी कर रहा था तथा जिसने हथगोला भी फेंकने का प्रयास किया, अफसर ने अपनी टुकड़ी का जोश बढ़ाया और उनके साथ मिलकर काम किया। लेफ्टिनेंट नवीन निरोला ने आतंकी कार्रवाई से विचलित हुए बगैर भारी गोलीबारी करके अपनी स्थिति को दुरुस्त किया और उत्कृष्ट वीरता का प्रदर्शन करते हुए धावा बोला और लगभग 0445 बजे काफी करीब जाकर दूसरे आतंकवादी का भी सफाया कर दिया।

लेफ्टिनेंट नवीन निरोला ने आतंकवादियों से लड़ते हुए अदम्य साहस, उत्कृष्ट वीरता और अनुकरणीय नेतृत्व का प्रदर्शन किया।

8. 4366857 लांस नायक नेंगमाईथेम राजेश सिंह, 21 पैराच्यूट रेजिमेंट (विशेष बल)

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 03 अक्तूबर, 2009)

लांस नायक नेंगमाईथेम राजेश सिंह डी आक्रमण दल के भाग के रूप में, विशेष खुफिया सूचना के आधार पर मणिपुर के तमेंगलोंग जिले में एक गांव के पास टोह तथा घात लगाकर हमला करने की स्थिति संभाले हुए थे।

03 अक्तूबर, 2009 को 1900 बजे दल के बैक-अप/संचार दल ने एक गांव के पास आतंकवादियों का पता लगाया और गोलीबारी में दो को मार गिराया। बाकी आतंकवादी अंधेरे में भाग निकले। आस-पास आतंकवादियों के छिपे होने के कारण रात्रि गश्त के दौरान स्वाभाविक रूप से अंतर्ग्रस्त खतरे को भांपकर लांस नायक सिंह अग्रणी स्काऊट बनने के लिए तत्काल स्वेच्छा से बढ़कर आगे आए। उन्होंने तत्काल अपने स्क्वाड का नेतृत्व किया और बिना किसी बड़ी अप्रिय घटना के वे घने जंगल से होकर काली अंधेरी रात में उस गांव में पहुंच गए। 2015 बजे स्क्वाड ने संभावित घात लगाकर हमले की संभावित जगह पर मुकाबला किया। बिना किसी हिचक के लांस नायक एन. के. सिंह आतंकवादियों के स्थान का पता करने के लिए घुटने के बल आगे बढ़े। अंतिम क्षण तक हिम्मत रखते हुए जब तक कि आतंकवादियों की हरकत की पुष्टि नहीं हो गई, उन्होंने गोलीबारी करनी शुरू कर दी और तुरंत एक उग्र आतंकवादी को मार गिराया। बाकी आतंकवादियों ने भारी गोलीबारी करते हुए जवाबी कार्रवाई की। आ रही गोलियों की बिल्कुल परवाह न करते हुए उन्होंने उन्हें ही निशाना बना रहे एक अन्य आतंकवादी पर चुपके से निशाना साधा। ठीक उसी समय उनकी राईफल में गड़बड़ी आ गई। उन्होंने तुरंत अपना दूसरा हथियार पिस्टल निकाला और आतंकवादी को मार गिराया। इस प्रकार, अपनी जान को भारी खतरे में डालकर उन्होंने अपनी टुकड़ी पर घात लगाकर होने वाले हमले को रोक दिया और एक ऑपरेशन में दो दुर्दांत आतंकवादियों का सफाया कर दिया जिसमें तीन आतंकवादी गिरफ्तार कर लिए गए और चार आतंकवादियों को मार गिराया गया।

लांस नायक नेंगमाईथेम राजेश सिंह ने गुत्थमगुत्था की लड़ाई में कर्त्तव्यपरायणता से भी आगे बढ़कर अदम्य साहस और बहादुरी का परिचय दिया।

9. जेसी-413360 नायब सूबेदार इन्दर कुमार, पहली बटालियन पैराच्यूट रेंजिमेंट (विशेष बल)

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 07 अक्तूबर, 2009)

06-07 अक्तूबर, 2009 की रात में जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के सामान्य क्षेत्र में आतंकवादियों की आवाजाही के बारे में सूचना मिली। नायब सूबेदार इन्दर कुमार को तत्काल उस क्षेत्र में भेजा गया और उनकी टुकड़ी को निगरानी करने एवं घात लगाकर हमला करने के लिए तैनात कर दिया गया।

07 अक्तूबर, 2009 को 0030 बजे नायब सूबेदार इन्दर कुमार ने घात के स्थान पर कुछ संदेहास्पद आवाजाही देखी। ज्योंही उन्होंने चुनौती दी, उनकी स्क्वाड अंधाधुंध गोलीबारी की चपेट में आ गई। जूनियर कमीशन प्राप्त अफसर जिसने बेहतरीन रणनीतिक कौशल का परिचय देते हुए अपनी

स्क्वाड को रिपोजीशन कर दिया और अपने एक साथी को फायर कवर की हिदायत देते हुए उसके निकट पहुंच गया और उसे मार डाला। अदम्य साहस का परिचय देते हुए गोलीबारी के बीच वह दूसरे आतंकवादी के पास घुटने के बल गया और भयंकर गोलीबारी में उसे मार गिराया।

नायब सूबेदार इन्दर कुमार ने आतंकवादियों के विरुद्ध मुकाबले में वीरता, बहादुरी से की गई पहल और उत्कृष्ट नेतृत्व के गुणों का प्रदर्शन किया।

10. 13621161 लांस हवलदार राजन, पहली बटालियन पैराच्यूट रेजिमेंट (विशेष बल)

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 26 अक्तूबर, 2009)

26 अक्तूबर, 2009 को लांस हवलदार राजन की सैन्य टुकड़ी को जम्मू-कश्मीर के सूपियन जिले के सामान्य क्षेत्र में छिपे हुए आतंकवादियों का पता लगाने के काम पर लगाया गया था। बेहतरीन युक्ति एवं कौशल का प्रयोग करते हुए उसने घने जंगलों के बीच छुपने वाली जगह का पता लगाया और शीघ्र उसके चारों ओर अपने स्क्वाड के जवानों को तैनात कर दिया। अपने साथी के साथ, कानों-कान खबर किए बिना वह घुटने के बल रेंगकर वहां तक गया और छुपने की जगह के प्रवेश द्वार पर विस्फोट करने वाला काम चलाऊ बम रख दिया। ज्योंही वह बम फटा आतंकवादी स्क्वाड पर अंधाधुंध गोलीबारी करने लगे। अपनी टुकड़ी पर भारी खतरा भांप कर लांस हवलदार राजन ने अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए रेंगकर आतंकवादियों के जजदीक पहुंच गया और तत्काल सजगता का परिचय देते हुए उसने एक आतंकवादी को चाल में मात देते हुए और बहुत नजदीक से गोली से मार गिराया। तथापि, यह गैर-कमीशन प्राप्त अधिकारी एक अन्य आतंकवादी की ओर से हो रही भारी गोलीबारी के बीच घिर गया। बिना डरे तथा हथगोले फैंकते हुए, उसने एक बार फिर से उन्हें पास से घेर लिया और आमने-सामने की भारी गोलीबारी में दूसरे आतंकवादी को भी मार गिराया।

लांस हवलदार राजन ने आतंकवादियों से लड़ते समय असाधारण वीरता तथा कर्त्तव्य से ऊपर उठकर बहादुरी का प्रदर्शन किया।

11. 13627069 पैराट्रूपर मकुंग सारंग हुचोंग, 21 पैराच्यूट रेजिमेंट (विशेष बल)

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 27 अक्तूबर, 2009)

27 अक्तूबर, 2009 को पैराट्रूपर मकुंग सारंग हुचोंग जो आक्रमणकारी स्क्वाड के स्काऊट थे, को मणिपुर जिले के थाउबल के सामान्य क्षेत्र में उपने छुपने की जगहों पर आतंकवादियों को लुभाने के लिए खुली कार्रवाई करने का काम सौंपा गया। एक रणनीति विश्राम के दौरान 1200 बजे उन्होंने आतंकी गतिविधियों का पता लगाया, संभवत: वह अपने ही रास्ते में घात लगा रहा था। उन्होंने अपने स्क्वाड कमाण्डर को तुरंत सूचित किया जो उनका मुकाबला करने के लिए तुरंत चल पड़े। तथापि, अपनी टुकड़ी को सही जगह पर लगाते समय कमाण्डर को आतंकवादी की स्नाइपर बुलेट से चोट लग गई। अपने कमाण्डर को घायल और पूरी तरह जमीन पर पड़ा हुआ देखकर पैराट्रूपर हुकांग भारी गोलीबारी की परवाह न करते हुए तेजी से बाहर निकले और उन्हें खींच कर सुरक्षित जगह पर ले गए। आतंकवादियों ने अपनी अधिक संख्या भांपकर स्क्वाड को चारों ओर से घेरना शुरू कर दिया। वह शीघ्रता से घुटने के बल चल कर दूसरी घुपने की जगह जा पहुंचा जहां उसने छ: आतंकवादियों को नजदीक आते हुए देखा। स्वयं के अकेले होने और उनकी संख्या अधिक होने के बावजूद भी, उसने आतंकवादियों पर चुपचाप गोलबारी कर दी और एक को मौके पर ही मार गिराया। बाकी आतंकवादियों ने जवाब में भारी गोलीबारी कर दी जिससे उसके पैर में चोट लग गई। तथापि, इस प्रक्रिया में उसने चार और आतंकवादियों को घायल करते हुए उन्हें घेरा तोड़ने और भारी आपाधापी में उन्हें भागने के लिए मजबूर कर दिया। तत्पश्चात् होने वाले आतंकवादी की रेडियो बातचीत से दूसरे आतंकवादी और चार वरिष्ठ कैडेटों के मारे जाने की पुष्टि हुई। घायल होने के बावजूद पैराट्रूपर हुचोंग की बहादुरी उनके घायल अफसर के जीवन को बचाने में अत्याधिक उच्च कोटि की थी जिससे उसके साथियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकी और दो आतंकवादियों का सफाया किया जा सका और चार अन्यों को गंभीर चोट पहुंचाई जा सकी।

पैराट्रूपर मकुंग सारंग हुचोंग ने इतनी कम उम्र तथा अल्प सेवाकार में उत्कृष्ट बहादुरी और पहल का प्रदर्शन किया और उसने घायल होने के बावजूद भी प्रतिकूल लड़ाई की परिस्थितियों में भी अपने साथियों का जीवन बचाने में अपनी जान को दांव पर लगा दिया।

12. आईसी-66201 कैप्टन सुनील यादव, पंजाब रेजिमेंट/37 राष्ट्रीय राईफल

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 28 अक्तूबर, 2009)

28 अक्तूबर, 2009 को एक विशिष्ट खुफिया सूचना के आधार पर कैप्टन सुनील यादव को जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले के एक गांव के एक घर में छिपे हुए दो आतंकवादियों का सफाया करने के लिए ऑपरेशन का नेतृत्व करने के काम पर लगाया गया।

अफसर ने बड़ी बुद्धिमानी से ऑपरेशन की योजना बनाई और निशानदेही वाले घर को, दुर्गम जंगल क्षेत्र की ओट लेकर बिना दिखाई दिए उसे पास से घेर लिया। मकान मालिक ने घर के अंदर दो आतंकवादियों के होने की पुष्टि की। अफसर ने सभी सिविलियनों से घर को खाली करा दिया। उसके तुरंत बाद दो आतंकवादी भारी गोलीबारी करने लगे और भागने की कोशिश करने लगे। प्रत्युत्पन्नमति दर्शाते हुए कैप्टन सुनील यादव ने अपने व्यक्तिगत हथियार से गोलीबारी की और एक आतंकवादी को गंभीर रूप से घायल कर दिया। अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए वह मकान की छत पर चढ़ गया और उसने चिमनी तथा खिड़कियों से हथगोले/स्टेन ग्रेनेड फेंकी। छ: घंटे से अधिक समय तक लगातर गोलीबारी करके वह आधी रात के बाद दूसरे आतंकवादी को मारने में सफल हो गया।

कैप्टन सुनील यादव ने आतंकवादियों से लड़ते हुए अदम्य साहस, रणनीतिक कौशल तथा नेतृत्व के असाधारण गुणों को दर्शाया।

13. आईसी-55217 लेफ्टिनेंट कर्नल आदित्य नेगी, सेना मेडल, 3 गोरखा राइफल/32 राष्ट्रीय राईफल

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 09 नवम्बर, 2009)

09 नवम्बर, 2009 को जम्मू-कश्मीर के बारामुला जिले के एक गांव में दो आतंकवादियों की उपस्थिति के बारे में खुफिया सूचना के आधार पर लेफ्टिनेंट कर्नल आदित्य नेगी ने एक अभेद्य घेराबंदी और सर्च ऑपरेशन का संचालन किया। 0330 बजे, उन बेखबर आतंकवादियों से अफसर का आमना-सामना हुआ। चुनौती दिए जाने पर आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। अफसर की ओर से हुई जवाबी गोलीबारी से यह सुनिश्चित हो गया कि आतंकवादी भाग नहीं पाएंगे और वे एक घर में घुस गए। खोज के

दौरान आतंकवादियों ने लेफ्टिनेंट कर्नल आदित्य नेगी और उनकी सैन्य पार्टी पर भारी मात्रा में गोलीबारी की दी। गोलीबारी के दौरान अफसर ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना उन्हें पास से घेर लिया और एक आतंकवादी को मार गिराया। दूसरा आतंकवादी कई कमरों की आड़ का सहारा लेकर सर्च पार्टी पर गोलीबारी करता रहा। पांच घंटों की भारी गोलीबारी के बाद आतंकवादी ने संपर्क को तोड़ने का प्रयास किया और समीपवर्ती घर की ओर भाग निकला। ज्योंही उसने भागने की कोशिश की अफसर की ओर से हुई एक गालियों की सटीक बौछार से आतंकवादी नीचे गिर गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।

लेफ्टिनेंट कर्नल आदित्य नेगी ने आतंकवादियों से लड़ते हुए कर्त्तव्य भाव से ऊपर उठकर उत्कृष्ट बहादुरी, शौर्य, अदम्य साहस का प्रदर्शन किया।

14. 2602065 नायक बैजू बी, 7वीं बटालियन, मद्रास रेजिमेंट

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 14 नवम्बर, 2009)

14 नवम्बर, 2009 को नायक बैजू बी उस त्वरित प्रतिरोध दल का हिस्सा थे जो आतंकवादियों का सामना कर रही एक छोटी टुकड़ी को बल प्रदान करने के लिए जम्मू- कश्मीर के बारामुला जिले के एक गांव में तुरंत पहुंची थी।

लक्ष्य को बुरी तरह तहत-नहस करने के बाद अपने कमांडिंग अफसर के साथ वह सावधानीपूर्वक ढोक पहुंचे और घर की छानबीन करने के लिए घुटने के बल इसकी छत पर पहुंच गए। छत पर पहुंच कर नायक बैजू उसके बाद धीरे-धीरे और आगे बढ़े और अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना ढोक में एक छोटे छेद से तीन हथगोले फेंके। इससे नीचे छिपे हुए आतंकवादियों को गंभीर चोट लग गई। इसके बाद अंतिम बार सफाई के लिए ढोक में जाते समय, उन्होंने तत्क्षण बुद्धि का प्रदर्शन करते हए बहुत करीब से एक आतंकवादी को मार गिराया जो ढोक के दरवाजे के पीछे छिपा हुआ था। इस प्रकार घर की तलाशी ले रही पार्टी को हो सकने वाली कैजुअल्टी की संभवना को समाप्त किया।

नायक बैजू बी ने आतंकवादियों के विरूद्ध लड़ने में व्यक्तिगत बहादुरी, पेशेवर कुशलता और हिम्मत का परिचय दिया।

15. 4002995 सिपाही सुरेन्दर कुमार, डोगरा रेजिमेंट/62 राष्ट्रीय राइफल (मरणोपरांत)

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 13 जनवरी, 2010)

13 जनवरी, 2010 को सिपाही सुरेन्दर कुमार अपने कम्पनी कमाण्डर के साथ थे जिनकी टीम ने जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले के एक गांव के एक घर पर घेरा डाला जिसमें दो आतंकवादी मौजूद थे। कुछ देर बाद ऑपरेशन में शामिल होने के लिए एक पुलिस दल भी आ पहुंचा। निशानदेह घर पर आतंकवादियों की उपस्थिति से बेपरवाह इस पार्टी के कुछ सदस्य बिना कवर के ही आगे बढ़े। यह देखकर, आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी और एक पुलिस कर्मी को घायल कर दिया। असाधारण पहल करते हुए, सिपाही सुरेन्दर कुमार गोलियों की बौछार के बीच तेजी से गए और एक घायल पुलिसमैन को बाहर खींच लाए। ऐसा करते समय उन्हें गोली से चोट लग गई। चोट के बावजूद, उन्होंने अपनी स्थिति बदली और चोट के कारण वीरगति प्राप्त करने से पहले एक आतंकवादी को मार गिराया।

सिपाही सुरेन्दर कुमार ने विषम परिस्थितियों में भी अद्वितीय साहस और सखाभाव का प्रदर्शन किया।

16. 4001514 सिपाही रवि कान्त, डोगरा रेजिमेंट/11 राष्ट्रीय राइफल (मरणोपरांत)

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 04 फरवरी, 2010)

चार आतंकवादियों की विशेष खुफिया सूचना के आधार पर सिपाही रवि कान्त ने 04 फरवरी, 2010 को जम्मू-कश्मीर के किस्तवाड़ जिले के ढोक के पास कारडन के भाग के रूप में खिड़की से भारी आतंकवादी गोलीबारी होते हुए देखी। उन्होंने पास पहुंचकर ढोक में हथगोला फेंक दिया और इस प्रकार आतंकवादी सरगना के जिला कमाण्डर को गालीबारी करते हुए कूदने के लिए दबाव बनाया। सिपाही रवि कान्त ने दृढ़ साहस दिखाते हुए बिल्कुल करीब से उस पर गोली दाग दी।

यह समझते हुए कि आतंकवादी भाग सकते हैं उन्होंने अपने को फिर से काम पर लगाया और एक आतंकवादी आउटफिट के तहसील कमाण्डर जो अंधाधुंध फायरिंग कर रहा था को मार गिराया। उन्हें बंदूक की गोली से घायल करते हुए तीसरे आतंकवादी ने भागने की कोशिश की। सिपाही रवि कान्त ने जवाबी हमला किया और इस आतंकवादी को घायल कर दिया, जिसे बाद में उनके साथी द्वारा मार गिराया गया। चौथे आतंकवादी ने पिछली खिड़की से भागने की कोशिश की। सिपाही रवि कान्त ने कवर को छोड़ दिया और उन पर तीन राउंड गोलियों की बौछार हुई। उन्होंने इस आतंकवादी को रोककर, प्रभावी गोलीबारी करते हुए उसे घायल कर दिया किंतु इसके लिए उन्हें अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी। गोलीबारी के दौरान उन्होंने महिला आतंकवादी और वहां उपस्थित उसके बच्चों पर गोलीबारी करने से परहेज रखते हुए साहस और बहादुरी का प्रदर्शन किया।

सिपाही रवि कान्त ने दो दुर्दांत आतंकवादियों का सफाया करने में असाधाराण वीरता का प्रदर्शन किया। उन्होंने मानव जीवन के रक्षार्थ अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया और वे मौत के पर्यन्त तक विश्वस्थ साबित हुए।

17. आईसी-61307 मेजर दीपक यादव, सेना शिक्षा कोर/भारतीय राजदूतावास, काबुल (मरणोपरांत)

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 26 फरवरी, 2010)

मेजर दीपक यादव भारतीय अंग्रेजी भाषा टीम के रूप में काबुल में तैनात थे। 26 फरवरी, 2010 की अल्लसुबह, भलीभांति सुरक्षा गार्डों से तैनात एक आवासीय परिसर जिसमें छः सेना मेडिकल अधिकारी, चार पैरा मेडिकल और दो अन्य सेना अधिकारियों के घर थे पर भारी हथियारबंद आतंकवादी आत्मघाती बम्बरों ने धावा बोल दिया। हमले की शुरूआत बाउंडरी वॉल के परे आईईडी से लेस एक आत्मघाती वाहन के विस्फोट से हुई जिससे तीन सुरक्षा गार्डों की तत्काल मौत हो गई और बाउंडर दीवार तथा आवासीय अहाता पूरी तरह गिर गया। हथयारों से लैस आतंकवादी आत्मघाती बम्बर से हथगोला फेंकते हुए परिसर में प्रवेश किया और कालाश्नीकोव से गोलीबारी करने लगा और इस प्रकार बिना हथियार वाले लोगों पर अचानक हमला कर दिया। कोई बच न निकले इसकी शिनाख्त के लिए वह कमरा-दर-कमरा तलाशी लेने लगा। अवश्यंभावी मौत का खतरा होते हुए भी इस चुनौती का सामना करते हुए हथियारहीन मेजर दीपक यादव अपने साथियों के साथ अपने-अपने कमरों के मलबे में से रेंग कर बहार आए और

वे तुरंत उन तीन अधिकारियों के पास पहुंच गए जो अतिथिगृह के एक ओर खड़े थे और उन्हें अतिथिगृह के बिल्कुल अंदरूनी हिस्से में स्थित बाथरूम की ओर जाने का संकेत किया। तब तक उनके छिपने की जगह जलने लगी थी क्योंकि हथगोलों को फेंका जा रहा था और उनके कपड़ों में आग लग गई थी। एक दूसरे अफसर के बहादुरी भरे कारनामे के परिणामस्वरूप जब आतंकवादी ने अंतिम रूप से अपने आत्मघाती वेस्ट का विस्फोट किया तो मेजर दीपक यादव ने अन्य चार अधिकारियों को जलते घर से बाहर निकालने की कोशिश की। ऐसा करते हुए वह स्वयं जल रहे कमरे में फंस गए और दुर्भाग्यवश जल कर उनकी मौत हो गई।

मेजर दीपक यादव ने अपने कर्त्तव्य से ऊपर उठ कर अनुकरणीय साहस, दृढ़ निश्चय और बहादुरी का प्रदर्शन किया और आतंकवादी आत्मघाती बम हमले का सामना करने में अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया।

18. आईसी-61324 मेजर नितेश राय, सेना शिक्षा कोर/भारतीय राजदूतावास, काबुल (मरणोपरांत)

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 26 फरवरी, 2010)

मेजर नितेश राय भारतीय अंग्रेजी भाषा टीम के रूप में काबुल में तैनात थे। 26 फरवरी, 2010 की अल्लसुबह, भलीभांति सुरक्षा गार्डों से तैनात एक आवासीय परिसर जिसमें छः सेना मेडिकल अधिकारी, चार पैरा मेडिकल और दो अन्य सेना अधिकारियों के घर थे पर भारी हथियारबंद आतंकवादी आत्मघाती बम्बरों ने धावा बोल दिया। हमले की शुरूआत बाउंडरी वॉल के परे आईईडी से लेस एक आत्मघाती वाहन के विस्फोट से हुई जिससे तीन सुरक्षा गार्डों की तत्काल मौत हो गई और बाउंडर दीवार तथा आवासीय अहाता पूरी तरह गिर गया। हथियारों से लैस आतंकवादी आत्मघाती बम्बर ने हथगोला फेंकते हुए परिसर में प्रवेश किया और कालाश्नीकोव से गोलीबारी करने लगा और इस प्रकार बिना हथियार वाले लोगों को पर अचानक हमला कर दिया। कोई बच न निकले इसकी शिनाख्त के लिए वह कमरा-दर-कमरा तलाशी लेने लगा। अवश्यंभावी मौत का खतरा होते हुए भी इस चुनौती का सामना करते हुए हथियारहीन मेजर नितेश राय अपने साथियों के साथ अपने-अपने कमरों के मलबे में से घुटने के बल रेंग कर बाहर आए और वे तुरंत उन तीन अधिकारियों के पास पहुंच गए जो अतिथिगृह के एक ओर खड़े थे और उन्होंने उन्हें अतिथिगृह के बिल्कुल अंदरूनी हिस्से में स्थित बाथरूम की ओर जाने का संकेत किया। तब तक उनके छिपने की जगह जलने लगी थी क्योंकि हथगोलों को फेंका जा रहा था और उनके कपड़ों में आग लग गई थी। एक दूसरे अफसर के बहादुरी भरे कारनामे के परिणामस्वरूप जब आतंकवादी ने अंतिम रूप से अपने आत्मघाती वेस्ट का विस्फोट किया तो मेजर नितेश राय ने अन्य चार अधिकारियों को जलते घर से बाहर निकालने की कोशिश की। ऐसा करते हुए वह स्वयं जल रहे कमरे में फंस गए और दुर्भाग्यवश जल कर उनकी मौत हो गई।

मेजर नितेश राय ने अपने कर्त्तव्य से ऊपर उठ कर अनुकरणीय साहस, दृढ़ निश्चय और बहादुरी का प्रदर्शन किया और आतंकवादी आत्मघाती बम हमले में अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया।

19. कमाण्डर दिलीप दोण्डे (03593-टी)

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 22 मई, 2010)

22 मई, 2010 को कमाण्डर दिलीप दोण्डे, स्वदेशी निर्मित याच मेडी पर पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगाने के बाद सोलो नेविगेटरों का संभ्रांत क्लब में शामिल हो गए।

जब कमाण्डर दोण्डे प्रशांत महासागर में याच चला रहे थे तभी दो ऑटो पायलटों के फेल हो जाने से एक बड़ा संकट खड़ा हो गया। कमाण्डर दोण्डे को हाथ से शिप को चलाना पड़ा। तेज हवा और मजबूद लहरों के साथ खराब मौसम के कारण याच के डूबने का खतरा उत्पन्न हो गया और उसे बचाने के लिए उन्हें दिन रात अलर्ट रहना पड़ा और वे बेरुखे समुद्र में जान पर खतरे वाली परिस्थिति में कुशलतापूर्वक याच चलाते रहे। इस प्रकार मैनुअल स्टीयरिंग पर उन्हें पूरे 5400 नाटिकल मील की यात्रा करनी पड़ी। परियोजना की सफलता को खतरे में डालने के बनिस्पत अपने व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए अधिकारी ने पूरी मुस्तैदी से प्रतिकूलताओं के विरुद्ध लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया।

15 नवम्बर, 2009 को तस्मान समुद्र में नौवहन करते समय याच को गेल तूफानों का सामना करना पड़ा। भारी वर्षा के कारण बोट की स्टीयरिंग प्रणाली खराब हो गई। नजदीक के भूक्षेत्र के लगभग 800 नाटिकल मील दूर होने के कारण भारी विषमताओं और उसकी जान का संकट होने के कारण अकेले पृथ्वी का चक्कर लगाने के उद्देश्य से समझौता नहीं किया और बहादुरी से यात्रा को जारी रखा। याच और अफसर दोनों तूफान की दया पर थे जो लगातार 5 दिनों तक चलता रहा। अफसर ने 25-30 फीट ऊंची लहरों और 90 कि.मी./घंटा की रफ्तार से बह रही हवाओं का मुकाबला किया। अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति, निर्भीकता और नौसैनिक की बारीकियों के चलते अफसर सफलतापूर्वक तूफान का सामना करने में सफल रहा और नौवहन करता रहा।

कमाण्डर दिलीप दोण्डे भारत के इतिहास में एकमात्र भारतीय हैं जिन्होंने पृथ्वी के चारों ओर अकेले ही नाव द्वारा चक्कर लगाया है जिसमें सभी प्रमुख समुद्रों के पास 23000 नॉटिकल मील से अधिक की दूरी तय की है। उन्होंने जोखिम भरी समुद्री लहरों और तेज हवाओं का सामना करते हुए 270 दिन से अधिक नौवहन किया और इस दौरान केवल समुद्री नाविकों की जानकारी वाले कुछ अत्यधिक खतरनाक समुद्रों में भी नौवहन किया। यह पेशेवर क्षमता, बहादुरी की असली परीक्षा थी तथा इसकी भी कि वह कितनी सामंजस्यता से जीत हासिल करते हैं और कि उनका कारनामा कमजोर दिलवालों के लिए नहीं था। अधिकारी ने अत्यधिक खतरनाक मौसमी दशाओं के विरुद्ध नौवहन किया, खाना पकाया, मशीन की मरम्मत की और सर्वोपरि रूप से अज्ञात भय पर विजय हासिल की।

कमाण्डर दिलीप दोण्डे ने जानलेवा प्रतिकूल परिस्थितियों के विरुद्ध असाधारण पेशेवर क्षमता, शारीरिक शक्ति और दृढ़ निश्चय का प्रदर्शन करते हुए राष्ट्र के लिए उल्लेखनीय सेवा की।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 125-प्रेज/2010, राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक/पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व श्री

1.	मुस्ताक हुसैन शाह कांस्टेबल	(वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक)	(मरणोपरांत)
2.	निसार हुसैन एसपीओ	(वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक)	(मरणोपरांत)
3.	फारूख अहमद कैशर पुलिस उप-अधीक्षक	(वीरता के लिए पुलिस पदक)	

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

धर्मशाल पुलिस स्टेशन क्षेत्र में कल्यार और पिंगा गली वनों में आतंकवादियों की उपस्थिति से संबंधित स्रोत सूचना पर कार्रवाई करते हुए दिनांक 13.1.2009 को राजौरी पुलिस और 54 आर आर ने एक संयुक्त अभियान चलाया। इस अभियान दल ने क्षेत्र का घेराव किया और आतंकवादियों से आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। जंगल में छिपे आतंकवादियों ने अभियान दल पर गोली-बारी कर दी। अभियान दल ने जवाबी गोलीबारी की और इस प्रकार एक मुठभेढ़ शुरू हो गई। कांस्टेबल मुस्ताक हुसैन शाह और एसपीओ निसार हुसैन ने अपने जीवन की परवाह किए बगैर आतंकवादियों के साथ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। दोनों को गोलियां लगीं और बाद में घायलावस्था में उनकी मृत्यु हो गई। शुरूआती हानि के बाद उप-पुलिस अधीक्षक (ओपीएस), राजौरी ने अत्यंत चतुराई से अभियान दल का पुनर्गठन किया, वास्तविक मुठभेड़ स्थल में पहुंचे और जवानों के शव वहां से हटाए। आतंकवादियों ने अभियान दल पर फिर गोलीबारी की और उप-पुलिस अधीक्षक (ओपीएस) राजौरी ने अत्यंत सूझबूझ का परिचय दिया और फुर्ती से जवाबी गोलीबारी की जिससे पुलिस दल के कार्मिकों का जीवन बच गया और आतंकवादी बच कर भाग नहीं सके। आतंकवादियों से आत्मसमर्पण करने के लिए बार -बार कहा गया लेकिन हर बार उन्होंने अधांधुंध गोलीबारी की। उप-पुलिस अधीक्षक (ओपीएस) ने अपने

दल के साथ इस अभियान में अनुकरणीय भूमिका निभाई और दो खूंखार आतंकवादियों को मार गिराया। मारे गए आतंकवादी जिले में विगत कुछ वर्षों से सक्रिय थे और ये कई सिविलियनों को मारने में संलिप्त थे। बाद में उनकी पहचान अबु तलहा, निवासी पाक अधिकृत कश्मीर, एलईटी गुट और असफाक, निवासी किस्तवार, एचएम गुट के रूप में हुई। जिले में सक्रिय एलईटी /एचएम गुट के इन खूंखार आतंकवादियों के मारे जाने से इन गुटों को गहरा धक्का पहुंचा।

मुटभेड़ स्थल से निम्नलिखित सामग्री बरामद की गई:-

(क)	राइफल एके-47	-	2 नग
(ख)	मैगजीन एके-47	-	06 नग
(ग)	राउंद	-	80 राउंद
(घ)	मोबाइल फोन (क्षतिग्रस्त)	-	04 नग
(ड.)	इयरफोन (क्षतिग्रस्त)	-	01 नग

इस मुठभेड़ में श्री सर्व श्री (स्व.) मुस्ताक हुसैन शाह, कांस्टेबल, (स्व.) निसार हुसैन, एसपीओ और फारूख अहमद कैशर, पुलिस उप-अधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, राष्ट्रपति के पुलिस पदक/पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 13.1.2009 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं.126-प्रेज/2010, राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक/पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व श्री

1.	श्याम सिंह कांस्टेबल	(वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक) (मरणोपरांत)
2.	प्रमोद कुमार कांस्टेबल	(वीरता के लिए पुलिस पदक)

उन सेवाओं का विवरण जिन के लिए अलंकरण प्रदान किया गया ।

नगीन पुलिस स्टेशन, श्रीनगर के अन्तर्गत ग्राम दगरपुरा, तेलबेल में उग्रवादियों की मौजूदगी के बारे में दिनांक 23.3.2008 को एसपी (आप्स) जम्मू और कश्मीर पुलिस, श्रीनगर से आसूचना प्राप्त होने पर एक संयुक्त अभियान की योजना बनाई गई जिसमें श्री एस.के झा, सहायक कमाण्डेंट के तहत जी/122, श्री जी.एस.नेगी, सहायक कमांण्डेट के तहत डी/139 और श्री जे.पी बलई डी/सी के तहत डी/112 मौजूद थे।

योजना के अनुसार घेराव पूरा करने के बाद जम्मू और कश्मीर पुलिस के निरीक्षक राजेन्द्र सिंह राही की कमान में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और जम्मू और कश्मीर पुलिस के संयुक्त दल को आदेश दिया गया कि वे उग्रवादियों के छिपने के दो मंजिले मकान के बिल्कुल पीछे जम्मू और कश्मीर पुलिस के एसपी (आप्स) के नजदीक मोर्चा संभालें । कांस्टेबल/जीडी प्रमोद कुमार और संख्या 031458464 कांस्टेबल/जीडी श्याम सिंह, जी/122 बटालियन, जिनके पास एलएमजी 1 और 2 थे और जो हैड कांस्टेबल बासप्पा बिलगुंडी की कमान में थे, इस दल में शामिल थे।

जब यह दल बिल्डिंग के सामने के प्रवेश द्वार के निकट पहुंचा तो उग्रवादियों ने संयुक्त दल पर हथगोला फैंका और फिर अचानक भारी गोलीबारी कर दी लेकिन भाग्य से हथगोला नहीं फटा ।

इसके बाद उग्रवादियों ने पता लगाए गए मकान से दो मंजिला बिल्डिंग की ओर दक्षिण दिशा से भारी गोलीबारी का सहारा लिया । इसका एलएमजी 1 और 2 से लैस जी/122 बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कांस्टेबल / जीडी प्रमोद कुमार और स्व. कांस्टेबल/जीडी श्याम सिंह ने माकूल जवाब दिया। कांस्टेबल प्रमोद कुमार और स्व. कांस्टेबल श्याम सिंह सहित सी.आर.पी.एफ और जम्मू और कश्मीर पुलिस का संयुक्त दल, अगली रणनीति की योजना बनाने के लिए अपने मूल मोर्चे से हटने के बाद टी –जंक्शन के निकट फिर से एकजुट हुआ।

अचानक हुए इस परिवर्तन से विचलित हुए बगैर कांस्टेबल प्रमोद कुमार और स्व. कांस्टेबल श्याम सिंह ने सामने आकर अत्यंत बहादुरी का परिचय दिया और भाग रहे उग्रवादियों पर जम्मू कश्मीर पुलिस के 2-3 कार्मिकों के साथ गोलीबारी कर दी। कांस्टेबल/जीडी श्याम सिंह के सिर में गोलियां लगी लेकिन उग्रवादियों की भारी गोलीबारी के बावजूद वे पीछे नहीं हटे और इन्होंने उग्रवादियों की गोलियों का जवाब देना जारी रखा। इस भयंकर गोलीबारी में कांस्टेबल श्याम सिंह और कांस्टेबल प्रमोद कुमार द्वारा चलाई गई गोलियों से दोनों उग्रवादी भी घायल हो गए। इनमें से एक उग्रवादी मारा गया और दूसरा बच कर भाग निकलने में सफल हो गया। जम्मू और कश्मीर पुलिस के कांस्टेबल इरशाद अहमद, कांस्टेबल मोहम्मद कबीर और कांस्टेबल बशीर अहमद नामक 3 कार्मिकों को भी गोलियां लगीं। जम्मू और कश्मीर पुलिस के घायल कार्मिकों को तत्काल पीसीआर अस्पताल, श्रीनगर ले जाया गया जहां उन्हें मृत लाया गया घोषित किया गया।

मारे गए उग्रवादियों की पहचान बाद में अबु फैजल (पाकिस्तान में प्रशिक्षित उग्रवादी), स्वयंभू डिविजनल कमांडर, एलईटी के रूप में की गई। उसके कब्जे से एके-47 राइफल-01, मैगजीन एके-47 राइफल-01, जीवित गोलीबारूद-13, ग्रेनेड-03, पाऊच-01 बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री (स्व.) श्याम सिंह, कांस्टेबल और प्रमोद कुमार, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक/पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 23.3.2008 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं.127-प्रेज/2010, राष्ट्रपति, आन्ध्र प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व श्री

1. शहनवाज़ कासिम,
   पुलिस अधीक्षक
2. ए. श्रीनू,
   रिजर्व उप-निरीक्षक
3. बी. रघुपति,
   पुलिस कांस्टेबल

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

रेगोंडा मंडल गांवों और आसपास के क्षेत्रों में हत्यायें करने तथा सनसनीखेज संज्ञेय अपराध करने के लिए प्रतिबंधित सीपीआई मावोवादी कार्रवाई टीम की हलचल के बारे में दिनांक 31.10.2009 को श्री शहनवाज कासिम, पुलिस अधीक्षक वारंगल को विशिष्ट सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना के आधार पर श्री शहनवाज, पुलिस अधीक्षक ने सूचना का बारीकी से विश्लेषण किया और उग्रवाद-रोधी अभियान आयोजित करने में विशेषज्ञता प्राप्त ओएसडी, वारंगल के साथ मिलकर सावधानी पूर्वक परिचालनात्मक योजना तैयार की। एसपी और ओएसडी, वारंगल ने उपलब्ध जिला गार्ड दल का पूल बनाया ताकि शिविर पर छापा मारा जा सके। इन्होंने सूचना के महत्व और घात लगाने, क्लेमोर सुरंगों और बारूदी सुरंगों से संबधित सावधानियों के बारे में दल को बताया। श्री शहनवाज कासिम, एसपी, श्री हनमकोंडा, सीआई, श्री ए.श्रीनू, आरएसआई, श्री बी. रघुपति, पीसी और जिले के 15 गार्ड दिनांक 31.10.2009 को लगभग 12.30 बजे जिला मुख्यालय की ओर चल पड़े। पूरे दल को दो दलों में विभाजित किया गया। असॉल्ट दल का नेतृत्व श्री शहनवाज कासिम, एसपी ने किया और उनके साथ श्री ए. श्रीनू, आरएसआई और श्री हनमकोंडा, सीआई के नेतृत्व में कटऑफ दल में श्री बी. रघुपति, पीसी और 5 सहायक सदस्य और अन्य कार्मिक थे। असॉल्ट दल, कोटान्चा (v) के बाहर रूक गया और कटऑफ दल लिंगला

और पोचमपल्ली गांवों के बीच रूक गया। चूंकि खेतों से होकर जाने वाले सभी रास्तों में भारी मात्रा में सुरंगें बिछी होने की आशंका थी इसलिए श्री शहनवाज कासिम, एसपी ने श्री ए. श्रीनू, आरएसआई और श्री बी. रघुपति, पीसी के साथ फील्ड रणनीतियों का पालन करके अत्यंत सावधानी पूर्वक पगडंडिया पैदल ही पार कीं। 1½ किलोमीटर चलने के बाद लगभग 1500 बजे एसपी ने कपास के खेत के निकट मिट्टी के तीन टीलों पर हथियारों के साथ तीन सशस्त्र उग्रवादियों की हलचल नोटिस की।

श्री शहनवाज कासिम, एसपी ने एक बार फिर पूरे दल को दो दलों में विभाजित किया एक का नेतृत्व असॉल्ट दल के रूप में स्वयं उन्होंने किया और उनके साथ श्री ए. श्रीनू, आरएसआई और श्री बी. रघुपति, पीसी थे। कटऑफ दल के रूप में दूसरे दल का नेतृत्व उप-निरीक्षक जिला गार्ड ने किया और उनके साथ 5 सदस्य थे। श्री शहनवाज कासिम, एसपी पहले असॉल्ट ग्रुप में थे। बचकर भाग निकलने के संभावित रास्ते पर कटऑफ दल द्वारा मोर्चा संभालने के बाद श्री शहनवाज कासिम, एसपी ने असॉल्ट दल को आगे बढ़ने का संकेत दिया। असॉल्ट दल रेंगते हुए उग्रवादियों के शिविर तक पहुंचे लेकिन संतरी को आगे बढ़ रहे पुलिस दल की भनक मिल गई वह जोर से "पुलिस" चिल्लाया तथा शिविर में मौजूद उग्रवादियों को सचेत करने के साथ ही असॉल्ट दल पर तेजी से गोलीबारी शुरू कर दी। ये उग्रवादी संख्या में लगभग तीन थे और लाभप्रद स्थिति में थे तथा उन्होंने स्वचालित हथियारों से सभी दिशाओं में तत्काल अंधांधुध गोलीबारी कर दी तथा साथ ही साथ एचई ग्रेनेड भी फैंके। श्री शहनवाज कासिम, एसपी ने उग्रवादियों को गोलीबारी रोकने और पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी तथा असॉल्ट दल को आदेश दिया कि वे उपलब्ध आड़ लेकर उग्रवादियों के शिविर की ओर आगे बढ़ें। चूंकि बार-बार दी गई चेतावनी का असर उग्रवादियों पर नहीं पड़ा और पुलिस कार्मिकों की हत्या करने की नीयत से उन्होंने दल पर भारी गोलीबारी करनी जारी रखी इसलिए श्री शहनवाज कासिम, एसपी, वारंगल ने दल को आदेश दिया कि वे अपनी रक्षा में उग्रवादियों पर गोलीबारी करें तथा साथ ही इन्होंने कटऑफ दल को भी सतर्क किया कि वह बचकर निकलने वाले रास्ते को बंद कर दें। श्री शहनवाज, एसपी ने उग्रवादियों की गोलियों के कारण अपने जीवन के लिए गंभीर जोखिम की परवाह नहीं की तथा उग्रवादियों की गोलीबारी का जबाब देते हुए वे शिविर स्थल के निकट पहुंच गए। एक उग्रवादी आड़ और खेत का लाभ उठाकर भागने में सफल हो गया जबकि दूसरे उग्रवादियों ने शिविर स्थल से अन्य पुलिस कार्मिकों पर लगातार गोलीबारी करनी जारी रखी। दोनों ओर से चली इस गोलीबारी से खेतों में युद्ध जैसा दृश्य बन गया था। यद्यपि श्री शहनवाज कासिम, एसपी वारंगल, श्री ए. श्रीनू, आरएसआई और श्री बी.रघुपति, पीसी पर उग्रवादियों द्वारा भारी गोलीबारी की जा रही थी और उनके बहुत नजदीक से गोलियां गुजर रही थीं, फिर भी इन्होंने अपनी निजी सुरक्षा की परवाह किए बगैर उग्रवादियों का साहसिक ढंग से पीछा किया और नियंत्रित गोलीबारी से उग्रवादियों को ढेर कर दिया। इनकी एक ही साहसिक और निर्भीक कार्रवाई से उग्रवादी भौचक्के रह गए। श्री शहनवाज कासिम, एसपी की इस

साहसिक कार्रवाई और उच्च स्तर के नेतृत्व के कारण ही पुलिस कार्मिक अपनी अलाभकर स्थिति से निकल कर लाभप्रद स्थिति में पहुंच गए। ऐसी स्थिति में भी श्री शहनवाज कासिम, एसपी ने अपनी सुरक्षा और जीवन की परवाह नही की बल्कि अपने आप को कर्तव्य के प्रति समर्पित कर दिया । उग्रवादियों की ओर से 1515 बजे तक गोलीबारी होती रही। यद्यपि श्री शहनवाज, एसपी, श्री ए. श्रीनू, आरएसआई और श्री बी.रघुपति, पीसी संख्या में कम थे लेकिन इन्होंने अपने जीवन की परवाह किए बगैर बहादुरी के साथ जवाबी गोलीबारी की। पुलिस दल ने घटनास्थल की तलाशी ली और शिविर स्थल में 2 पुरूष उग्रवादियों के शव पाए जिन की पहचान (क) मंथानी राजू उर्फ मंगली राजू उर्फ दया उर्फ दयाकर उर्फ सुधाकर पुत्र पोचैय्या, 29 वर्ष, मंगली, निवासी जंगेडू (v), भूपालपल्ली (एम), वारंगल जिला, एनटीएसजेडसी वैकल्पिक सदस्य, के.के.डब्ल्यू सदस्य और डीसीएस वारंगल (ख) नूनेती वैंकटेश उर्फ भाष्कर उर्फ बापना उर्फ मधु उर्फ महेश, पुत्र कोमुरैय्या, 25 वर्ष गोला निवासी पेडाकोमतिपल्ली (v), मोगूपल्ली (एम), वारंगल जिला, कार्रवाई दल सदस्य/कमांडर के रूप में की गई।

घटना स्थल से निम्नलिखित हथियार बरामद किए गए:-

(क) 9 एमएम कार्बाइन मशीन -01 नग
(ख) देशी स्टेनगन -01 नग

इस मुठभेड़ में सर्व श्री शहनवाज कासिम, पुलिस अधीक्षक, ए. श्रीनू, रिजर्व उप-निरीक्षक और बी. रघुपति, पुलिस कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 31.10.2009 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं.128-प्रेज/2010, राष्ट्रपति, आन्ध्र प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

<u>सर्व श्री</u>

1. टी. नरसिंह राव,
   पुलिस अधीक्षक
2. ए. सुरेन्द्र राव,
   पुलिस उप अधीक्षक
3. वी.वी.रामी रेड्डी,
   सशस्त्र आरक्षी पुलिस कांस्टेबल

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

श्री टी. नरसिंह राव, पुलिस अधीक्षक, एस आई बी के अनुरोध पर पुलिस अधीक्षक, वारंगल ने श्री ए. सुरेन्द्र राव, पुलिस उप-अधीक्षक और श्री वी.वी रामी रेड्डी, ए आर पीसी की सहायता करने के लिए जिला विशेष दल के साथ उप निरीक्षक मटवाडा को भेजा। श्री टी. नरसिंह राव, पुलिस अधीक्षक, श्री ए. सुरेन्द्र राव, पुलिस उप- अधीक्षक और श्री वी.वी रामी रेड्डी, ए आर पी सी ने दिनांक 1.4.2008 की सायं को जिला विशेष दल के साथ रेहुर गांव से तलाशी अभियान शुरू किया । चूंकि इस क्षेत्र में अत्यधिक बारूदी सुरंगें बिछी होने की आशंका थी इसलिए श्री टी. नरसिंह राव, पुलिस अधीक्षक, श्री ए. सुरेन्द्र राव, पुलिस उप-अधीक्षक और श्री वी.वी. रामी रेड्डी, ए आर पी सी उस रात पुलिस दल के साथ रामपुर गांव के निकट रूक गए। दिनांक 2.4.2008 को सुबह ही पुलिस दलों ने उस क्षेत्र का घेराव अभियान शुरू किया और इस प्रक्रिया में 6.45 पूर्वाह्न को उन्हें आधुनिक आग्नेयस्त्रों, ग्रेनेडो, क्लेमोर सुरंगों से लैस जैतून की हरी वर्दी में एक महिला सहित 6 माओवादी दिखाई दिए। श्री नरसिंह राव, पुलिस अधीक्षक, श्री ए. सुरेन्द्र राव, पुलिस उप-अधीक्षक और श्री वी.वी रामी रेड्डी ए आर पी सी ने गजराला सरैया को स्पष्ट रूप से पहचान लिया और इस जानकारी के आधार पर उप निरीक्षक मटवाडा ने यह जानकारी पुलिस दल को दी तथा उग्रवादियों को अपने हथियार डालने और आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। तथापि, माओवादी विपरीत दिशा में पहाड़ी से नीचे आने की पूरी तैयारी में थे और उन्होंने देखा कि पुलिस दल उनसे खराब स्थिति में है इसलिए उन्होंने पुलिस दल के कार्मिकों की हत्या करने की मंशा से इन पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी । चूंकि पुलिस दल ने अपनी सुरक्षा के लिए रक्षात्मक मोर्चा संभाला हुआ था और उन्होंने उग्रवादियों से आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था इस लिए पुलिस दल के आगे चल रहे श्री टी. नरसिंह राव, पुलिस अधीक्षक, श्री ए. सुरेन्द्र राव, पुलिस उप-अधीक्षक और श्री वी.वी रामी रेड्डी, ए आर पी सी ने महसूस किया कि इस प्रक्रिया में गजराला सरैया निश्चित रूप से बचकर भाग निकलने में सफल हो सकता है ।

माओवादियों की ओर से अंधाधुंध गोलीबारी हो रही थी और यदि पुलिस दल द्वारा कोई कदम उठाया जाता तो इससे केवल मृत्यु ही संभव थी।

ऐसी गंभीर स्थिति में या तो रक्षात्मक मोर्चा संभालने या पीछे लौटने में ही बुद्धिमानी थी ताकि आसन्न खतरे के कारण कार्मिकों का जीवन बच सके। फिर भी, श्री टी. नरसिंह राव, पुलिस अधीक्षक, श्री ए. सुरेन्द्र राव, पुलिस उप-अधीक्षक और श्री वी.वी. रामी रेड्डी, ए आर पी सी ने महसूस किया कि यदि आजाद आखों से ओझल हो जाता है तो वह हमेशा के लिए हमारे हाथ से निकल जायेगा। इसलिए श्री टी. नरसिंह राव, पुलिस अधीक्षक ने यह निर्णय लिया कि वे अपने जीवन और अपनी रक्षा की कीमत पर गजराला सरैया का पीछा करें। ऐसा निर्णय लेने पर श्री टी. नरसिंह राव, पुलिस अधीक्षक, श्री ए. सुरेन्द्र राव, पुलिस उप-अधीक्षक और श्री वी.वी. रामी रेड्डी, ए आर पी सी, माओवादियों की गोलियों की बौछार के बीच अपनी सुरक्षा और रक्षा की परवाह किए बगैर गजराला सरैया को पकड़ने के लिए आगे बढ़े और साथ ही अपनी रक्षा में गोलीबारी भी की ताकि गजराला सरैया को जीवित या मृत पकड़ा जा सके। इसके लिए इन्होंने अपने अमूल्य जीवन की भी परवाह नहीं की। तथापि, श्री नरसिंह राव, पुलिस अधीक्षक, श्री ए. सुरेन्द्र राव, पुलिस उप-अधीक्षक और श्री वी.वी. रामी रेड्डी, ए आर पी सी के इस दृढ निश्चय के बावजूद अत्यंत वांछित और खूंखार माओवादी नेता, जिस पर 10 लाख रूपये का इनाम रखा हुआ था, उस गजराला सरैया उर्फ आजाद-एमएचएससीएम को पकड़ने में या मार गिराने में पुलिस दल दो दशकों तक पूरी कोशिश कर रहा था और उसके सहयोगी बोलमपल्ली अरूणा उर्फ राम उर्फ पदम, जो एमएचएसएसी का सदस्य था और जिस पर 3 लाख रूपए का ईनाम रखा था, उसने भी पुलिस दल पर जवाबी गोलीबारी कर दी लेकिन इस गोलीबारी में जैतून की हरी वर्दी पहने ये दोनों उग्रवादी मारे गए और इस गोलीबारी में एक .30 कार्बाइन, एक 9 एमएम पिस्तौल, एक .38 रिवाल्वर, 6 जीवित राउन्द और उच्च स्तर के माओवादी साहित्य से भरे 4 बैग उनसे बरामद हुए। इस सफल और साहसिक अभियान से गजराला सरैया उर्फ आजाद के क्रिया-कलापों का अंत हुआ और लोगों ने राहत की सांस ली। यदि पुलिस दल ने अपने जीवन और निजी सुरक्षा की कीमत पर गजराला सरैया उर्फ आजाद को पकड़ने का निर्णय नहीं लिया होता तो पुलिस दल को यह कामयाबी हासिल नहीं होती और इसके बजाय उन्हें अपनी जीवन से हाथ धोना पड़ता और राज्य के हित में वे अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर पाते।

इस मुठभेड़ में सर्व श्री टी. नरसिंह राव, पुलिस अधीक्षक, ए. सुरेन्द्र राव, पुलिस उप-अधीक्षक और वी.वी.रामी रेड्डी, सशस्त्र आरक्षी पुलिस कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 2.4.2008 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं.129-प्रेज/2010, राष्ट्रपति, आन्ध्र प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व श्री

1. सीएच. राजुला नायडु,
   उपनिरीक्षक
2. पी. सुरेश कुमार,
   पुलिस कांस्टेबल

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

एसपी और ओएसडी विजयनगरम ने उड़ीसा राज्य के एसपी, रायगढ़ जिले के साथ मिलकर अपने विश्वस्नीय स्रोत से इस आशय की महत्वपूर्ण सूचना एकत्र की कि विजयनगरम जिले के एलविनपेठ पुलिस स्टेशन से लगभग 32 किलोमीटर और उड़ीसा राज्य के रायगढ़ जिले के चॉदिली पुलिस स्टेशन से 42 किलोमीटर दूर ओरहडा गॉव के निकट रंगलपाडु वन क्षेत्र में श्रीकाकुलम और कोरापुट ज्वाइंट डिविजन कमेटी के प्रतिबंधित सीपीआई माओवाद के उग्रवादी डेरा जमाये हुए हैं। श्री सीएच. राजुला नायडु, उपनिरीक्षक और श्री पी. सुरेश कुमार , कांस्टेबल, उड़ीसा के विशेष कार्यबल और विशेष अभियान ग्रुप के साथ एलविनपेठ पुलिस स्टेशन की सीमाओं के मुलुगुडा (v) वन क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाने के लिए रूक गये और इन्होंने दिनॉक 10.08.2009 को 2200 बजे तलाशी लेनी शुरू की ।

श्री सीएच. राजुला नायडु, उपनिरीक्षक के समग्र नेतृत्व और स्काउट-1 के रूप में श्री पी. सुरेश कुमार, कांस्टेबल के तहत पुलिस दल ने ओरहडा (v) के निकट रंगलपाडु वन क्षेत्र में लगभग 0645 बजे तलाशी अभियान शुरू किया। श्री सीएच. राजुला नायडु, 6 अन्य सदस्यों के साथ एक ओर से और श्री पी. सुरेश कुमार अन्य सदस्यों के साथ दूसरी ओर से आगे बढे और इन्होंने अपनी रक्षा में गोलियां चलायीं तथा इन्होंने अपने आप को छिपाते और रेंगते हुए माओवादियों की ओर बढना शुरू किया तथा इन्होंने खड़ी चढाई पर 150 मीटर तक उनका पीछा किया। दोनों ओर से लगभग एक घंटे तक गोली बारी हुई जिसमें श्री सीएच. राजुला नायडु, श्री

पी. सुरेश कुमार और एसटीएफ दल ने अपने जीवन की परवाह किये बगैर बहादुरी से लडाई लड़ी। दोनों ओर से चली इस गोलीबारी में श्री सीएच. राजुला नायडु, उपनिरीक्षक और श्री पी. सुरेश कुमार, कांस्टेबल ने उन तीन महत्वपूर्ण महिला माओवादियों को मार गिराया जिन्होंने अपने स्वचालित हथियारों से पुलिस दल का कड़ा मुकाबला किया था।

श्री सीएच.राजुला नायडु, उपनिरीक्षक और श्री पी. सुरेश कुमार, कांस्टेबल और इनकी टीम के वीरतापूर्वक कृत्य से सीपीआई (माओवाद) को भारी हानि हुई जिसमें 1. पोथमपल्ली सुभद्रा उर्फ विजया, उर्फ स्वर्ण, एरिया कमेटी सदस्य, 2. लांडा राजेश्वरी उर्फ दिव्या, एरिया कमेटी सदस्य, 3. पुव्वला आरती उर्फ जीवनी, पार्टी सदस्य मारे गये और इनसे इंसास रायफल, .303 की दो रायफलें, 85 राउंद गोलीबारूद और साहित्य से भरे 5 किटबैग बरामद हुए।

इस मुठभेड़ में सर्व श्री सीएच. राजुला नायडु, उपनिरीक्षक और पी. सुरेश कुमार, पुलिस कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 12.08.2009 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं.130-प्रेज/2010, राष्ट्रपति, आन्ध्र प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व श्री

1. एम. रविन्द्र रेड्डी,
   निरीक्षक
2. आर. के. राजेश राजु,
   जूनियर कमांडो

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

कालेगांव वन केरमेरी (एम), आदिलाबाद जिले में उत्तरी तेलांगना में शीर्ष माओवादियों की गतिविधि के बारे में दिनांक 01.12.2009 को श्री एम. रविन्द्र रेड्डी की सूचना मिलने पर एसआईबी, ग्रेहाउंड और विशेष दलों के साथ मिलकर अभियान चलाने के योजना बनाई गयी। घने वन और संदिग्ध सुरंग के रास्ते जैसे पहाड़ी भू-भाग की कठिन स्थितियां होते हुए भी श्री

बी. चेनचैया और श्री आर. के. राजेश राजू सहित श्री एम. रविन्द्र रेड्डी और डी ए सी के नेतृत्व में पुलिस दल दिनांक 1.12.2009 की रात में काले गांव के बाहरी हिस्से में पहुंचा और इन्होंने एलयूपी लिया।

दिनांक 2.12.2009 को वन की तलाशी लेते हुए ये लगभग 1750 बजे राजूकोंडा पहाड़ी पर पहुंचे और वहां इन्होंने खतरनाक आधुनिक हथियारों से लैस लगभग 20 सशस्त्र माओवादी देखे। इस पर तुरंत इन्होंने पुलिस दल को आसॉल्ट और कटऑफ दलों के रूप में विभाजित किया। असॉल्ट दल का नेतृत्व श्री एम. रविन्द्र रेड्डी ने किया जिसमें श्री बी चेनचैया और श्री आर के राजेश राजू शामिल थे और इन्होंने मोर्चा संभालने के बाद रणनीति के अनुसार आगे बढ़ना शुरू किया। लेकिन माओवादियों के गार्ड के रूप में कार्य कर रहे दो संतरियों में से एक ने पुलिस दल को देख लिया और उसने सभी माओवादियों को सतर्क करते हुए उन सभी ने पुलिस दल पर अंधाधुंध गोलीबारी कर दी। शत्रुओं की गोलीबारी की परवाह किए बगैर श्री एम. रविन्द्र रेड्डी और श्री आर के राजेश राजू ने आंशिक रूप से आड़ लेकर माओवादियों पर बहादुरी के साथ जवाबी गोलीबारी की । दोनों और से यह गोलीबारी लगभग 15 मिनट तक चली जिसमें श्री एम रविन्द्र रेड्डी और श्री आर के राजेश राजू ने अपने जीवन को गंभीर खतरे में डाला और 1) चिप्पाकुर्थी रवि उर्फ सुरेश, डीसीएम आदिलाबाद जिला समिति और 2) अलेम तिरूपती उर्फ पुन्नम, कमांडर (डीसीएस), कम्बैट प्लाटून नामक 2 कुख्यात मावोवादियों को मार गिराया।

घटना स्थल से 1 एके-47 राइफल, एक 7.62 एसएलआर, एक टीएसएम गन, एक 9 एमएम पिस्तौल, दो वायरलैस हैंड सैट और गोलीबाररूद बरामद हुए।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री एम. रविन्द्र रेड्डी, निरीक्षक और आर.के. राजेश राजू, जूनियर कमांडो ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 2.12.2009 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

6—351 GI/2010

सं.131-प्रेज/2010, राष्ट्रपति, असम पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्वश्री

1. मुग्ध ज्योति देव महंत,
   अपर पुलिस अधीक्षक
2. दिपुल चंद्र दास
   कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 9.6.2008 को अपराह्न 900 बजे बोरबरी पुलिस स्टेशन के तहत गांव पोलसबारी, नथखुशी में छिपे हुए कुछ खूंखार उल्फा उग्रवादियों के बारे में गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए श्री मुग्ध ज्योति देव महंत, अपर पुलिस अधीक्षक, बक्सा ने एसपी बक्सा को इस बारे में सूचित किया और पुलिस उप-अधीक्षक, सीआरपीएफ 10वीं बटालियन, एफ कम्पनी मुसलपुर के साथ अभियान चलाने की योजना पर चर्चा की और उग्रवादियों को पकड़ने के लिए तत्काल जाल बिछाया। ये उपलब्ध सशस्त्र कार्मिकों के साथ तत्काल गांव पोलसबारी की ओर चल पड़े और क्षेत्र का घेराव किया । छापे के दौरान इससे आगे मिली जानकारी के आधार पर श्री महंत, अपर पुलिस अधीक्षक अपनी टीम के साथ अपराह्न 930 बजे श्री गौरीकांत नाथ के घर पर पहुंचे। जैसे ही यह दल उक्त मकान के परिसर की बाऊंडरी के पास पहुंचा वैसे ही उक्त मकान से इन पर गोली की बौछार शुरू हो गई। उल्फा उग्रवादियों ने पुलिस दल को लक्ष्य बनाकर इन पर एक हैंड ग्रेनेड भी फैका लेकिन इस दल का आगे बढ़कर नेतृत्व कर रहें अपर पुलिस अधीक्षक श्री महंत ने सौभाग्य से अपने आप को बचा लिया और फिर जवाबी गोलीबारी की। इन्होंने अपने दल के साथ अपनी निजी सुरक्षा की बिल्कुल भी परवाह नहीं की और अनुकरणीय साहस और सूझबूझ का परिचय देते हुए तत्काल जवाबी गोलीबारी की और अपने हथियार से 10 राउन्द गोलियां चलाईं। साथ-ही-साथ इन्होंने तत्काल जवाबी कार्रवाई करने के लिए अपने दल की कमान भी संभाली। अपर पुलिस अधीक्षक बक्सा श्री एम जे महंत, अपर पुलिस अधीक्षक की प्रभावी कमान ने अन्य पुलिस कार्मिकों का साहस बढ़ाया और उन्होंने भी प्रभावी ढंग से जवाबी

कार्रवाई की। दोनों ओर से लगभग आधे घंटे तक गोलीबारी होती रही। गहन तलाशी अभियान के दौरान घटना स्थल के निकट उल्फा के दो खूंखार उग्रवादियों के शव पाए गए बाद में जिनकी पहचान एस/एस कैप्टन धरिजय डेका उर्फ रतन डेका आईसी कैडर 29वीं बटालियन और एस/एस सार्जेंट मेजर रवा उर्फ लंकेश्वर रवा, 709 बटालियन, उल्फा संगठन के रूप में की गई।

इसी बीच अंधेरे और बांस के झुरमुटों का लाभ उठाते हुए दो अन्य उग्रवादी बच निकलने में सफल हो गए। घटना स्थल से निम्नलिखित हथियार और गोलाबारूद आदि बरामद हुए:-

(क)	पिस्तौल	-1 नग
(ख)	रिवाल्वर	-1 नग
(ग)	ग्रेनेड	-4 नग
(घ)	आरडीएक्स	-1 नग
(ड.)	राउन्द	-9 नग
(च)	खाली केस	-7 नग
(छ)	मैग. पिस्तौल	-
(ज)	मोबाइल फोन	-4 नग
(झ)	सेटेलाइट फोन	-2 नग

इस मुठभेड़ में सर्वश्री मुग्ध ज्योति देव महंत, अपर पुलिस अधीक्षक और दिपुल चंद्र दास, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 9.6.2008 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं.132-प्रेज/2010, राष्ट्रपति, असम पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री लम्हावो दौंगेल

पुलिस उप-अधीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिफू पुलिस स्टेशन के तहत डोलडोली रिजर्व वन के अन्दर नाहरबाड़ी क्षेत्र में एनडीएफबी (वार्ता विरोधी) उग्रवादियों की मौजूदगी के बारे में गुप्त सूचना के आधार पर दिनांक 11 जून, 2009 को लगभग 1230 बजे पुलिस उप-अधीक्षक (मुख्यालय) कार्बी एन्गलांग, श्री लम्हावो दौंगेल (एपीएस) ने तलाशी अभियान चलाने की योजना बनाई। श्री दौंगेल ने श्री निशान्त कालरा, पाचवीं राजपूताना राइफल कैम्प, दिफू और ओसी दिफू पुलिस स्टेशन के साथ नाहरबाड़ी क्षेत्र में अभियान शुरू किया। इस अभियान में अधिकारियों सहित कुल मिलाकर 35 कार्मिकों ने भाग लिया। श्री दौंगले ने अभियान का आगे बढ़कर नेतृत्व किया और तलाशी दल के साथ जंगल क्षेत्र की ओर आगे बढ़े। यह क्षेत्र घने जंगली रास्तों वाला क्षेत्र था जहां घात लगाए जाने या आईईडी हमलों की संभावना अधिक थी।

पहाड़ी की चोटी पर संदिग्ध स्थान थैच हाउस के निकट पहुंचने के बाद लगभग 330 बजे श्री दौंगेल सावधानी पूर्वक पहाड़ी रास्ते पर चढ़े ताकि दिन निकलने पर उस छप्पर का घेराव किया जा सके और उसकी तलाशी ली जा सके। अचानक ही तलाशी दल की दिशा में गोलियों की बौछार हुई। दल का आगे बढ़कर नेतृत्व कर रहे श्री दौंगेल ने अपनी एके-47 राइफल से तत्काल जवाबी गोलीबारी की और यह सुनिश्चत करने के बाद की तलाशी दल को कोई नुकसान नहीं हुआ है इन्होंने अपनी टुकड़ियों को निदेश दिया कि वे अपनी रक्षा में मोर्चा संभाल लें। अलाभप्रद स्थिति में होने के बावजूद पुलिस उप-अधीक्षक श्री दौंगेल ने अनुकरणीय साहस का परिचय दिया और उंचाई की ओर से तथा पेड़ की आड़ लेकर गोलीबारी कर रहे उग्रवादियों का पीछा किया तथा दल को यह निदेश दिया कि वे भी आड़ लेकर उग्रवादियों पर जवाबी गोलीबारी करें। वह जून महीने की बरसाती अंधेरी रात थी जिससे पूरे घने जंगल में

अंधेरा छाया हुआ था। पुलिस उप-अधीक्षक ने उग्रवादियों पर दबाव बनाए रखा और अपने जीवन को दांव पर लगा कर सावधानी पूर्वक अभियान की योजना बनाई । दोनों ओर से लगभग 45 मिनट तक गोलीबारी होती रही। अंन्ततः जब गोलीबारी रूकी तो तलाशी दल आगे बढ़ा और थैच हाऊस से लगभग 30 मीटर की दूरी पर संतरी चौकी पर पहुंचा तथा वहां से निम्नलिखित वस्तुऐं बरामद हुईः-

(क) एके गोलीबारूद का ईएफसी-15 नग, (ख) चीनी ग्रनेड-1 नग, (ग) जीवित एके- गोली बाररूद-70 राउन्द (घ) एके-मैगजीन-2 नग (ड.) मैगजीन पाउच- 01 नग (च) नोकिया मोबाइल-2 नग (छ)ऊनी कंबल-1 नग (ज) प्लास्टिक ग्राउंड सीट- 01 नग (झ) एनडीएफबी के आपत्तिजनक दस्तावेज (ञ) धन प्राप्ति पुस्तिका आदि।

पीओ की आगे और छानबीन करने पर जंगल की ओर जाते हुए खून के धब्बे पाए गए और लगभग 50 मीटर तक चलने के बाद एके-56 राइफल के साथ शव पाया गया। बाद में उस शव की पहचान एनडीएफबी के उग्रवादी श्री बोलो दायीमरी (26) पुत्र श्री नोरेश दायीमरी, ग्राम नाहरबाड़ी, डाक घर/पुलिस स्टेशन-दिफू, जिला-कार्बी एंगलौंग, असम के रूप में हुई। इस संबंध में दिफू पूलिस स्टेशन में शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (क), 27 के साथ पठित आई पी सी की धारा 120/121/121 (क)/122/123/307 के तहत मामला संख्या 66/09 दायर किया गया है। आस-पास के क्षेत्रों में खून के और अधिक धब्बे पाए गए जिससे पता चलता है कि गोलियों से और अधिक उग्रवादी घायल हुए हैं। पुलिस उप-अधीक्षक श्री दौंगेल ने एक और अधिक तेज अभियान चलाने के लिए चतुर योजना बनाई जिसमें इन्होंने खोजी कुत्तों का प्रयोग किया और अन्ततः जी जान से उग्रवादियों का पीछा करने के बाद अगली सुबह अर्थात दिनांक 12.6.2009 को नागालैंड सीमा पर एक और मुठभेड़ हुई जिसमें बांग्लादेश में प्रशिक्षित जिले का एनडीएफबी (वार्ता विरोधी) का टैक्स कमांडर श्री डांगखावो उर्फ धीरेन्द्र बोरो, रांगिया, कामरूप जिले को मार गिराया गया और चार अन्य उग्रवादी पकड़े गए । इन चार उग्रवादियों में से दो उग्रवादियों को नाहरबाड़ी में पिछली सुबह हुई गोलीबारी में गोली लग गई थी। श्री विश्वार (25), ग्राम-थाईगरगुड़ी, विश्वनाथ चरियाली, सोनीपुर जिले की बायीं हथेली और पेट के निचले भाग में गोली लगी थी, श्री तुलाराम बासुमतारी, हावड़ाघाट कार्बी एन्गलोंग जिले के बायें पैर में गोली लगी थी। उनसे प्राप्त जानकारी के अनुसार उनके छिपने के स्थान से एम-20 पिस्तौल और 9 एमएम कार्बाइन बरामद हुई। इस संबंध में पुलिस स्टेशन दिफु में मामला संख्या 67/09 दायर किया गया है।

इस संबंध में यह नोट किया गया है कि एनडीएफबी के टैक्स कामांडर दंगखावो उर्फ धीरेन्द्र बोरो और बोलो दाईमरि, जिले के एक्शन कमांडर जिले में जबरन धन ऐंठने और हत्या के कई मामलों में संलिप्त थे। ये दोनों ही दिनांक 19 मई, 2009 को दिफू, वार्ड संख्या 4 आयुक्त श्री अप्पुदास उनकी पत्नी, दो पुत्रियों सहित इनके परिवार के सदस्यों और एक महिला

ट्यूटर की सनसनीखेज नृशंस हत्या करने में संलिप्त थे। इस संबंध में दिफू पुलिस स्टेशन में मामला संख्या 60/09 दायर किया गया है। इसी ग्रुप ने दिनांक 23 फरवरी, 2009 को हिंदी भाषी व्यवसायी श्री सोहीराम पारीख पुत्र श्री सोहन लाल पारीख, पानबडी क्षेत्र, दिफू शहर की जबरन धन ऐंठने के लिए हत्या कर दी थी। इस संबंध में दिफू पुलिस स्टेशन में मामला संख्या 21/09 दायर किया गया है। एनडीएफबी के पकड़े गए उग्रवादी श्री दीपक स्वरगियारी ने पूछताछ के दौरान यह स्वीकार किया कि उपर्युक्त मामलों में मारे गए ये दोनों उग्रवादी संलिप्त थे।

यह अभियान एक ऐसे गांव में चलाया गया था जो सुरक्षा बलों की आवाजाही पर क्रुध होता था और उग्रवादियों की हलचल के बारे में बहुत कम सूचना प्राप्त हुई थी। यह मार्ग घात लगाने और आईईडी हमलों का संभावित मार्ग ही था। ऐसी परिस्थिति में जिससे पुलिस उप-अधीक्षक (मुख्यालय) श्री लम्हावो दौंगेल ने सावधानी से योजना बनाई, विपरीत परिस्थिति में चतुराई भरी चाल चली, जो इनके जीवन के लिए गंभीर खतरा भी हो सकता था, साहस का परिचय दिया और इन सबसे अधिक कुशल नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया जिससे यह अभियान सफल हुआ और एनडीएफबी (वार्ता विरोधी) गुट के एक्शन कमांडर और टैक्स कमांडर को मार गिराया जा सका जिससे दूसरे उग्रवादियों का मनोबल भी गिरा।

इस मुठभेड़ में श्री लम्हावो दौंगेल, पुलिस उप-अधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 11.06.2009 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं.133-प्रेज/2010, राष्ट्रपति, असम पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व श्री

1. प्रशांत कुमार दत्ता
   पुलिस अधीक्षक
2. बाबुल हैनरी
   हवलदार
3. बिरेन सैकिया
   कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 30.8.2009 की रात को श्री पी के दत्ता, एपीएस को पुलिस अधीक्षक, कोकराझार से विशिष्ट आसूचना मिली कि श्री तिलक सीएच शर्मा, कचुगांव पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत ग्राम थाईसुगुरी में एनडीएफबी के खूंखार उग्रवादियों (वार्ता विरोधी गुट) ग्रुप के कब्जे में हैं। उक्त व्यक्ति का अपहरण दिनांक 28.8.2009 की सांय को गोसाईगांव टाउन से किया गया था।

इस पर तत्काल ही श्री पी के दत्ता के नेतृत्व में 11वीं मराठा एल.1 की सेना के कार्मिकों के साथ पुलिस कार्मिकों की एक छोटी टीम उक्त गांव की ओर गई ताकि उपर्युक्त शिकार व्यक्ति को छुडाया जा सके। रास्ते में इन्होंने ग्राम सैलमारी में अपना वाहन छोड़ दिया और उग्रवादियों के छिपने के स्थान पर अचानक छापा मारने की दृष्टि से पैदल ही आगे बढ़े। यद्यपि उस समय रूक-रूक कर बारिश हो रही थी और रास्ता कठिन था फिर भी लगभग 330 बजे (31.8.2009) को ये उग्रवादियों के छिपने के संदिग्ध स्थान के निकट पहुंच गए और उग्रवादियों के बचकर के निकलने के रास्तों को बन्द करने के लिए इन्होंने उसका घेराव कर दिया। लेकिन अचानक ही अत्याधुनिक हथियारों से इन पर अंधाधुंध और भारी गोलीबारी हो गई इसलिए श्री पी के दत्ता और इनके पीएसओ ने तत्काल जवाबी गोलीबारी की और उग्रवादियों के छिपने के दांये और बांये छोर का घेराव करने का आदेश दिया तथा स्वयं ये थैच हाउस की आड़ लेकर बांए छोर से आगे बढ़े। यह थैच हाउस पीछे के तालाब के बिल्कुल निकट था।

चूंकि उग्रवादियों की ओर से रूक-रूक कर गोली-बारी की जा रही थी इसलिए श्री पी के दत्ता के नेतृत्व वाले पुलिस दल और इनके दो पीएसओ आगे बढ़ने से रूक गए। फिर भी, क्योंकि वह थैच हाउस गोली बारी के बचने के लिए उचित आड़ के रूप में कार्य करने योग्य नहीं था और उसकी दिवारों पर उग्रवादियों द्वारा चलाई गई कई गोलियां पहले ही लग चुकी थी, ऐसी

स्थिति में श्री दत्ता और इनके पीएसओ ने रेंगते हुए तालाब की ओर बढ़ना शुरू किया ताकि उग्रवादियों की तुलना में अपनी बेहतर स्थिति बनाई जा सके और तालाब के निकट पेड़ों के झुरमुट की आड़ लेकर उन पर गोलीबारी की जा सके। तथापि, ऐसा करते समय श्री दत्ता और इनके पीएसओ उग्रवादियों के बिल्कुल सामने आ गए और इनके जीवन को गंभीर खतरा पैदा हो गया । लेकिन अपने जीवन के लिए गंभीर खतरे और अपनी सुरक्षा की परवाह किए बगैर श्री दत्ता और इनके पीएसओ ने अनुकरणीय साहस का परिचय दिया और विपरीत तथा प्रतिकूल परिस्थितयों में भी बहादुरी से हमला कर दिया और अन्ततः एक ऐसे उग्रवादी को बिल्कुल निकट से ढेर करने में सफल हो गए जिसने झाड़ियों और पेड़ों के बीच आश्रय लिया हुआ था।

सेना ने एक और ऐसे उग्रवादी को मार गिराया जो दांये छोर पर था। मारे गए उग्रवादियों की पहचान बाद में एनडीएफबी (रंजन दायीमरी ग्रुप) के वार्ता-विरोधी गुट के खूंखार उग्रवादियों के रूप में की गई। इनके नाम थे (क) श्री रोशन नरजरी (25 वर्ष), पुत्र श्री सुकुरसिंह नरजरी, ग्राम बोंगलबाड़ी, पुलिस स्टेशन-सेरफंगुरी, (ख) जनजीत मुचाहरी (28 वर्ष), पुत्र श्री शंभुनाथ मुचाहरी, ग्राम बलनबाड़ी, पुलिस स्टेशन कोकराझार।

मारे गए उग्रवादियों से निम्नलिखित हथियार और गोली-बारूद आदि बरामद किए गए:-

(क)	राइफल एके-56 जिसके साथ 1 मैग्जीन फिट की गई थी	-1 नग
(ख)	एके-56 राइफल की मैग्जीन	-2 नग
(ग)	एके राइफल के जीवित गोली बारूद	-57 राउन्द
(घ)	पिस्तौल 7.65 एमएम (यूएसए में निर्मित)	-1 नग
(ड.)	7.65 एमएम पिस्तौल के जीवित गोलीबारूद	- 8 राउन्द
(च)	एके-56 के खाली केस	-16 नग
(छ)	7.62 एमएम के खाली केस	-8 नग
(ज)	सिम कार्ड के साथ नोकिया मोबाइल	-3 नग

इस मुठभेड़ में सर्वश्री प्रशांत कुमार दत्ता, पुलिस अधीक्षक, बाबुल हैनरी, हवलदार और बिरेन सैकिया, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 31.8.2009 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं.134-प्रेज/2010, राष्ट्रपति, असम पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

<u>सर्वश्री.</u>

1. सिंह राम मिली,
   अपर पुलिस अधीक्षक
2. जयन्त सारथी बोरा
   उपमंडल पुलिस अधिकारी

<u>उन सेवाओं का विवरण जिन के लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

दिनांक 7.5.2009 को लगभग 14 बजे पुलिस अधीक्षक, डिब्रुगढ़ से सूचना मिली कि डिब्रुगढ़ से सोनारी जा रही बस में उल्फा का एक लिंकमैन है। इस सूचना के आधार पर सोनारी पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत भाजू रेलवे स्टेशन के निकट श्री जयन्त सारथी बोरा, एसडीपीओ, सोनारी और 871 फील्ड रेजीमेंट, कैम्प-सापखाती की सेना के कार्मिकों ने घात लगाई । तलाशी के दौरान सोनारी पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत उल्फा का एक लिंकमैन श्री धनन्त ज्ञान, पुत्र श्री दुलाल ज्ञान, तेवखाबी गांव पकड़ा गया । घटना स्थल पर की गई पूछताछ से उल्फा के लिंकमैन ने कुछ महत्वपूर्ण सूचना दी कि तेवखाबी गांव के श्री अतुल बोरा के मकान में आधुनिक हथियारों से लैस उल्फा के चार उग्रवादियों ने शरण ली हुई है। श्री सिंह राम मिली, एपीएस, अपर पुलिस अधीक्षक (सीमा) डिब्रुगढ़, जिन्होंने शुरू में उल्फा लिंकमैन के संबंध में स्रोत सूचना प्राप्त की थी, को भी पकड़े गए उल्फा लिंकमैन के संबंध में सूचित किया गया। अपने कर्मचारियों और क्यूआरटी टीम के साथ इन्होंने तुरंत ही शिवसागर पुलिस के साथ की गई चर्चा के अनुसार अपने अगले चरण के अभियान के लिए सोनारी की ओर प्रस्थान किया । लगभग 1640 बजे शिवसागर और डिब्रुगढ़ जिले की पुलिस तथा 871 फील्ड रेजीमेंट, कैम्प सपखाती की सेना के कार्मिकों ने श्री सिंह राम मिली, एपीएस,अपर पुलिस अधीक्षक (सीमा) डिब्रुगढ़, मेजर एस रमेश, 871 फील्ड रेजीमेंट और श्री जयन्त सारथी बोरा, एपीएस, एसडीपीओ, सोनारी, शिवसागर के नेतृत्व में सोनारी पुलिस के अन्तर्गत तेवखाबी गांव में संयुक्त तलाशी अभियान चलाया। अभियान दल ने पूरे गांव का घेराव किया तथा तलाशी ली। जब अभियान दल

उस मकान के निकट पहुंचा तो उल्फा के उग्रवादियों ने अभियान दल के सदस्यों की हत्या करने की दृष्टि से इन पर अंधाधुंध गोलीबारी कर दी। इस पर श्री सिंह राम मिली, एपीएस अपर पुलिस अधीक्षक (सीमा) डिब्रुगढ़, श्री जयन्त सारथी बोरा, एपीएस, एसडीपीओ सोनारी ने तत्काल जबाबी कार्रवाई करने के लिए उपनिरीक्षक श्यामंत शर्मा, सोनारी पुलिस स्टेशन, उपनिरीक्षक राजीव कुमार सैकिया ओ/सी नाहरकातिया पुलिस स्टेशन, उपनिरीक्षक देबोजीत दास ओ/सी सोनारी पुलिस स्टेशन और अन्य कार्मिको से युक्त टीम का गठन किया और उनका मार्गदर्शन किया। तदनुसार, श्री सिंह राम मिली, एपीएस अपरपुलिस अधीक्षक (सीमा) डिब्रुगढ़, श्री जयन्त सारथी बोरा और इनके अधीनस्थ कार्मिको ने जवाबी गोलीबारी की और ऐसा करते समय ये अधिकारी बिना डर या अपने जीवन की परवाह किए बगैर उग्रवादियों को स्पष्ट रूप से देखने और उन्हें मार गिराने की दृष्टि से उनके बिल्कुल सामने आ गए । इस मुठभेड़ के दौरान स्वघोषित कैप्टन जिन्तू चंगमाई उर्फ अनल सिंह फुंकन उर्फ मास्टर पुत्र स्वर्गीय दुलेसर चंगमाई, चंगमाई गांव, पुलिस स्टेशन बोरहाट, जिला शिवसागर और स्वघोषित कैप्टन अनुप बरूआ उर्फ लिंकोन इग्ंती उर्फ गाथी पुत्र स्वर्गीय भुदेश्वर बरूवा, लाखीपत्थर रंगचंगी गांव, डिगबोई पुलिस स्टेशन के अंतर्गत जिला तिनसुखिया नामक दो उग्रवादी मारे गए और अन्य दो अंधेरे तथा जंगल का लाभ उठाकर भाग निकलने में सफल हो गए। मारे गए उग्रवादियों के शवों के निकट एक यू एम जी, एक एके-56 राइफल, दोनों राइफलों के 3 मैगजीन, 42 राउन्द गोलीबाररूद, 20 इलैक्टोनिक डीटोनेटर, 2 मैगजीन पाउच बरामद किए गए और इस संबंध में कानून के अनुसार सोनारी पुलिस स्टेशन में यू ए (पी) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित शस्त्र अधिनियम की धारा 25(i)(क)/27 के साथ पठित आई पी सी की धारा 121/121(ख) के तहत मामला संख्या 118/09 दर्ज किया गया है।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री सिंह राम मिली, अपर पुलिस अधीक्षक और श्री जयन्त सारथी बोरा, उपमंडल पुलिस अधिकारी ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 7.5.2009 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं.135-प्रेज/2010, राष्ट्रपति, बिहार पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार/पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

<u>सर्वश्री</u>

1.	शशी भूषण शर्मा, पुलिस उप-अधीक्षक	(वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार)
2.	राजेन्द्र सिंह, निरीक्षक	(वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार)
3.	अजय कुमार सिंह, निरीक्षक	(वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार)
4.	संजय कुमार, उपनिरीक्षक	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
5.	राम बदन पासवान, हवलदार	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
6.	मो. गुलाम मुस्तफा, कांस्टेबल	(वीरता के लिए पुलिस पदक)

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

दिनांक 6.10.2004 की सुबह जब वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पटना को कुख्यात आततायी विक्की शर्मा और उनके कुछ सहयोगियों के बारे में यह सूचना मिली की वे न्यू बाईपास रोड स्थित केन्द्रीय विद्यालय, कंकड़बाग के निकट एक बच्चे का अपहरण करने की योजना बना रहे है तो इन्होंने उस गैंगस्टर के दुर्भावनाओं को निश्फल करने तथा उसे जीवित गिरफ्तार करने के लिए, यदि संभव हो तो, तत्काल छापा मार दल का गठन किया। पुलिस टीम ने जिसमें (1) श्री शशि भूषण शर्मा, पुलिस उप-अधीक्षक, कानून और व्यवस्था नेता के रूप में (2) श्री प्रमोद कुमार, पुलिस निरीक्षक और प्रभारी अधिकारी, कदमकुआँ पुलिस स्टेशन (3) श्री राजेन्द्र सिह,

पुलिस निरीक्षक और प्रभारी अधिकारी, कोतवाल पुलिस स्टेशन (4) श्री अजय कुमार सिंह, पुलिस निरीक्षक और प्रभारी अधिकारी, पाटिलपुत्र पुलिस स्टेशन (5) उप-निरीक्षक संजय कुमार सिंह, पुलिस लाइन्स (6) हवलदार 284 रामबदन पासवान (7) कांस्टेबल 1800 मो. गुलाम मुस्तफा (8) उप-निरीक्षक विनोद कुमार पांडे, कोतवाली पुलिस स्टेशन (9) उप-निरीक्षक कैलाश राम, कोतवाली पुलिस स्टेशन (10) सहायक उप-निरीक्षक हरीलाल मांझी, पाटिलपुत्र पुलिस स्टेशन और (11) कांस्टेबल 3049 आफताब आलम, जिला पुलिस से युक्त एक टीम का गठन किया गया जिसे उचित रूप से इस बारे में अवगत कराये जाने के बाद दो वाहनों में तुरंत नियत स्थान की ओर भेजा गया ताकि प्राप्त हुई गुप्त सूचना सत्यापित कर सकें और अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने के लिए उचित कदम उठा सकें। जब सूचना और नियत स्थान या लक्ष्य को सत्यापित किए जाने के लिए प्रयास किए जा रहे थे तो उसी दौरान पूर्व से आती हुई और कंकड़बाग केन्द्रीय विद्यालय के निकट रोड कॉसिंग पर रुकती हुई एक सफेद मारुति कार दिखाई दी। तब तक दोपहर के 12.05 बज चुके थे। इस पर यह पाया गया कि उस वाहन में लगभग 5 लोग सवार थे और उनमें से कुछ लोग अपने मोबाइलों पर बात कर रहे थे। उन में से एक या दो को वाहन से बाहर आते हुए और फिर तत्काल ही वाहन के अन्दर जाते हुए देखा गया । उनकी गतिविधि, आचरण और व्यवहार ने संदेह पैदा कर दिया। पुलिस टीम ने स्वयं सड़क के दो ओर से अपने दोनों वाहनों में उनकी तलाशी लेने के उद्देश्य से उनकी ओर बढ़ना शुरू किया । लेकिन अपराधियों ने पुलिस की उपस्थिति महसूस कर ली और उन्होंने अपनी गाड़ी शुरू करके उसे उत्तरी सड़क पर भगाना शुरू कर दिया और न्यू बाईपास सड़क की पश्चिमी ओर चले गए । इस पर उन्हें कई बार रूकने के लिए कहा गया और साथ ही साथ उनके निकट जाने और उन्हें घेरने की भी कोशिश की गई । लेकिन उन्होंने पुलिस टीम की कोई बात नहीं सुनी बल्कि गोलियों की बौछार कर दी । टीम का आगे बढ़कर नेतृत्व कर रहे श्री शशि भूषण शर्मा (नामिती क्रम संख्या-1) के बिल्कुल नजदीक से निकल रही गोलियों से सौभाग्य से वे बच गए। ऐसे संकट पूर्ण क्षण में पुलिस दल ने श्री शर्मा के सुदृढ नेतृत्व में उन भगोड़ों का पीछा करना जारी रखा और वे ऐसी विकट और गंभीर परिस्थिति के बीच किसी भी परिणाम के लिए तैयार थे। श्री शर्मा ने अपना मानसिक संतुलन और धैर्य नहीं खोया तथा साथ ही इन्होंने अपने अधिकारियों और कार्मिकों को लगातार मिलकर 'करो या मरो' के लिए प्रेरित करना जारी रखा तथा झुकने और हतोत्साहित न होने के लिए प्रेरित किया। ऐसी संकटपूर्ण अवस्था में यह निश्चित ही प्रशंसनीय है कि पुलिस टीम ने गोलीबारी नहीं की बल्कि भगोड़ों का पीछा करना जारी रखा तथा उनके हित में ही लगातार उनसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहते रहे। इस प्रक्रिया में जब अपराधी "उर्मिला निवास" के निकट आरएमएस कालोनी, कंकड़बाग (पटना टाउन) पहुंचे तो कुछ उग्रवादी वाहन से बाहर आए और निरन्तर चेतावनी दिए जाने के बावजूद उन्होंने अनवरत गोली-बारी की। यद्यपि उपनिरीक्षक संजय कुमार गोली लगने से घायल हो गए लेकिन अन्य कार्मिक बाल-बाल बचे। आस-पास रह रहे लोगों और पुलिस दल के लोगों का जीवन/संपत्तियां बचाने का जब कोई विकल्प नहीं बचा तो एक बार फिर चेतावनी देने के बाद

सीमित जवाबी गोली-बारी का सहारा लिया गया जिससे दोनों ओर से गोली-बारी शुरू हो गई और यह एक मुठभेड़ में बदल गई। निरीक्षक अजय कुमार सिंह की गर्दन में एक गोली लगी और वे नीचे गिर पड़े तथा उनके शरीर से रक्त बहने लगा। इसी प्रक्रिया में निरीक्षक प्रमोद कुमार और कांस्टेबल 1600 मो. गुलाम मुस्तफा भी घायल हो गए। इसी बीच जो दो अपराधी वाहन का आड़ लेकर गोलीबारी कर रहे थे वे इस जबावी गोलीबारी में गोली लगने के कारण नीचे गिर पड़े और दो अन्य अपराधी घनी बसी कालोनी में मकानों और बाई-लेनों का सहारा लेकर बच कर भाग निकलने में सफल हो गए। यद्यपि उनका तेजी से पीछा किया गया लेकिन ऐसी घनी आबादी में शांतिप्रिय नागरिकों का जीवन और संपत्ति खतरे में डालने के लिए उनपर गोली चलाना बुद्धि सम्मत नहीं माना गया। निश्चित ही उचित समय पर लिये गये इस निर्णय की प्रशंसा की जानी चाहिए। इसके बाद शांति छा गई। इस संबंध में इतना ही कहना उचित होगा कि वर्दीधारियों ने मानवीय मानवीय दृष्टिकोण अपनाया लेकिन साथ ही वे एकजुट थे और किसी भी घटना का मुकाबला करने के लिए कर्तत्व की बेदी पर अपना जीवन न्यौछावर करने की भावना रखते थे। इन्होंने सहनशक्ति का परिचय दिया और आतंकवाद की किसी भी घटना का मुकाबला करने के लिए दृढ़ संकल्प का भी परिचय दिया। यद्यपि इनमें से चार कार्मिक घायल हो गए थे और मृत्य उनके करीब ही थी फिर भी उन्होंने साहस नहीं खोया और बिना घबराहट या हिचकिचाहट के साथ अपने नेता का पूरा सहयोग दिया । इस पूरे घटना क्रम में मारूती वाहन के एक ओर सड़क पर पड़े और गोलियों से घायल जो दो अपराधी पड़े हुए पाए गए थे उनमें से एक खूंखार और कुख्यात उल्लिखित विक्की शर्मा था। दूसरे अपराधी की घटनास्थल पर पहचान नहीं की जा सकी । तीसरा अपराधी वाहन में ही गंभीर रूप से घायल पाया गया और उससे खून बह रहा था । बाद में दोनों की पहचान राजीव कुमार और कारूशाह, नालन्दा जिले के रूप में हुई। गंभीर रूप से घायल तीनों अपराधियों को तत्काल इलाज के लिए पीएमसीएच भेजा गया जहां उन्हें मृत लाया गया घोषित किया गया । कार्यपालक मजिस्ट्रट द्वारा शवों का अपमृत्य विचारणा किया गया और उसके बाद पोस्टमार्टम किया गया । ये मौतें, आग्नेयास्त्रों से चलाई गोली के कारण घायल होने से हुई थी। मारे गए तीन अपराधियों के आपराधिक जीवन वृत्त से अब तक यह सिद्ध हो गया था कि वे पटना और नालन्दा जिलों में हत्या, लूटपाट, अपहरण आदि जैसे जघन्य अपराध करते थे। विक्की शर्मा कमसे कम 19 मामलों (नालन्दा के 5 और पटना के 14) के लिए जिम्मेदार था, जबकि राजीव कुमार 5 मामलों (पटना के तीन और नालन्दा के दो) तथा कारूशाह नालन्दा के 4 मामलों में वांछित था। इन सभी मामलों की धाराओं से यह सिद्ध होता है कि वे फिरौती के लिए अपहरण के कार्यों में सिद्धहस्त थे तथा वे राज्य में इस पेशे को फैला रहे थे । उनके मारे जाने से लोगों को कुछ राहत और शांति मिली। ऐसा प्रतीत होता है कि अपराधियों ने लगभग 30-32 राउन्द गोलियां चलाईं जिससे 4 पुलिस कार्मिक घायल हो गए और इनके नेता और टीम के अन्य सदस्यों के नजदीक से निकल गईं जिससे वे बाल-बाल बच गए। घटना स्थल पर मारे गए 3 अपराधियों से हथियार/गोलीबारूद आदि बरामद हुआ जिसमें तीन पिस्तौल/रिवाल्वर, चलाए न गए 1 और 2

जीवित कारतूस, चलाए गए 12 कारतूस, 2 मोबाइल फोन और 1 मारूती वाहन शामिल है। पुलिस दल (11) ने कुल मिला कर 17 राउन्द गोलियां चलाईं जिनमें से निरीक्षक प्रमोद कुमार ने अपनी सर्विस रिवाल्वर से 6 राउन्द, निरीक्षक अजय कुमार सिंह ने अपनी सर्विस पिस्तौल से 4 राउन्द और कांस्टेबल मो. गुलाम मुस्तफा ने अपनी सर्विस पिस्तौल से 7 राउन्द गोलिया चलाईं । यहां पर फिर से यह उल्लेख किया जा सकता है कि जिस स्थान पर यह मुठभेड़ हुई वह घनी बसी आबादी का क्षेत्र है और यह मुठभेड़ दिन में हुई । एक बार फिर यह कहा जा सकता है कि इसका श्रेय छापा मार दल और इसके नेता को जाता है जिसमें किसी भी तरफ का कोई भी सिविलियन इस गोलीबारी का शिकार नहीं हुआ। अपराधियों से निम्नलिखित हथियार/गोलीबारूद बरामद हुआ:-

1. मैगजीन और भरे हुए एक जीवित कारतूस के साथ 7.65 एमएम की एक पिस्तौल
2. एक जीवित गोलीबारूद से भरी .38 रिवाल्वर ।
3. पिस्तौल के अंदर चलाई न गई एक कारतूस के साथ देशी .315 पिस्तौल
4. चलाए गए 12 कारतूस, 2 मोबाइल फोन और एक मारूती कार ।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री शशी भूषण शर्मा, पुलिस उप-अधीक्षक, राजेन्द्र सिंह, निरीक्षक, अजय कुमार सिंह, निरीक्षक, संजय कुमार, उप-निरीक्षक,राम बदन पासवान, हवलदार और मो. गुलाम मुस्तफा, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक का प्रथम बार/पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 6.10.2004 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं.136-प्रेज/2010, राष्ट्रपति, छत्तीसगढ़ पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री लाखन लाल मरकम (मरणोपरांत)
कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 20.1.2007 को पुलिस स्टेशन, कौंटा उप-प्रभाग, जिला दांतेवाड़ा से उप-निरीक्षक प्रमोद खेस के नेतृत्व में एक पुलिस दल रेगरकट्टा क्षेत्र में तलाशी अभियान पर था। रास्ते में एक मुखबिर ने इन्हें नक्सलियों के प्रशिक्षण शिवर और शिविर में बगैर वर्दी के लगभग 150 नक्सलियों की मौजूदगी के बारे में सूचित किया। नक्सलियों की ग्रामीणों की बैठक आयोजित करने की भी योजना थी। इस तथ्य के बावजूद भी कि पुलिस दल में कार्मिकों की संख्या कम थी, फिर भी इन्होंने नक्सलियों को चुनौती देने का निर्णय लिया । इसके तुरंत बाद पुलिस दल उचित फारमेशन में नक्सलियों की ओर आगे बढ़ा। जैसे ही ये अपेक्षित स्थान के निकट पहुंचे वैसे ही नक्सलियों ने पुलिस दल को देख लिया और स्वचालित तथा अर्ध-स्वचालित हथियारों से इन पर गोलीबारी शुरू कर दी। पुलिस दल ने उचित ढंग से अपने बारे में नक्सलियों को बताया लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया और गोलीबारी करनी जारी रखी। पुलिस दल ने अपनी रक्षा में जवाबी गोलीबारी की। लेकिन नक्सली बड़ी संख्या में मौजूद थे और पूरे पुलिस दल का जीवन घतरे में पड़ गया था। इस स्थिति का अंदाजा लगाते हुए कांस्टेबल लाखन लाल मरकम अपनी सुरक्षा की परवाह किए बगैर बहादुरी से आगे बढ़े और एक ओर से नक्सलियों पर तेजी से गोलीबारी कर दी। कांस्टेबल लाखन लाल मरकम के इस साहसिक कृत्य से पूरा दल भी उत्साहित हुआ और इन्होंने भी साहस और बहादुरी के साथ नक्सलियों पर जवाबी गोलीबारी कर दी। पुलिस दल द्वारा की गई इस तेज गोलीबारी से नक्सली घबरा गए और उन्होंने घने वन की ओर भागना शुरू कर दिया। पुलिस दल ने उनका पीछा किया और कांस्टेबल लाखन लाल मलकम इन सबसे आगे थे। अचानक ही दायीं कनपटी से इनकी बायीं आंख और सिर पर गोली लगी और ये घटना स्थल पर ही शहीद हो गए। पुलिस दल ने नक्सलियों का पीछा करना जारी रखा लेकिन नक्सली घने वन की आड़ में दूर भाग गए। घटना स्थल की पूरी जांच की गई

और वहां पर पुलिस दल को बगैर वर्दी के 2 खूंखार नक्सलियों के शव मिले। नक्सलियों के विरूद्ध मिली इस आश्चर्य जनक सफलता के पीछे केवल कांस्टेबल स्वर्गीय लाखन लाल मरकम द्वारा दर्शाये गए अनुकरणीय साहस, बहादुरी और उच्च श्रेणी की कर्तव्यपरायणता का अनुपम कृत्य ही है। इन्होंने सामान्य ड्यूटी से परे उत्कृष्ट बहादुरी का परिचय दिया। इन्होंने अपने जीवन की परवाह नहीं की और राष्ट्र की सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। इनके इस साहसिक कृत्य से पूरा पुलिस दल प्रभावित हुआ और कम संख्या में होने पर भी पुलिस दल ने नक्सलियों का बहादुरी के साथ मुकाबला किया।

इस मुठभेड़ में (स्वर्गीय) श्री लाखन लाल मरकम, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 20.1.2007 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं.137-प्रेज/2010, राष्ट्रपति, हरियाणा पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व श्री

1. राजेश दुग्गल,
   सहायक पुलिस आयुक्त
2. जितेन्द्र कुमार,
   उप-निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया ।

दिनांक 18.12.2008 की सुबह श्री अजीत सिंह सुपुत्र भगवान सिंह, निवासी भीमगढ़ खारी (गुड़गांव) अपनी इंडिको कार में अपनी बुवा को एक लाख रूपए देने के लिए हौजखास, नई दिल्ली जा रहे थे। जब ये बाटिक्स गार्डन, सेक्टर 17-18 की सड़क, गुड़गांव के निकट पहुंचे तो एक मारूती कार संख्या एचआर-12डी 9266 इनके आगे बढ़ी और आगे से इनकी कार रोक दी। इस पर इन्होंने भी अपनी कार रोक दी। उक्त कार से एक युवक नीचे उतरा और वह इनके निकट पहुंचा। उस युवक ने लहराते हुए एक पिस्तौल निकाली और इनसे अपनी कार की खिड़की का शीशा खोलने के लिए कहा । इस पर ये घबरा गए और इन्होंने खिड़की का शीशा खोल दिया। वह युवक इनका एक लाख रूपए वाला बैग उठाकर भाग गया। इस घटना के शिकार श्री अजीत सिंह ने पुलिस नियंत्रण कक्ष, गुड़गांव को सूचित किया। इन्होंने अपराधी का हुलिया भी बताया। नियंत्रण कक्ष ने तुरंत कार्रवाई की और अपराधियों को पकड़ने के उद्देश्य से सभी पुलिस स्टेशनों/पुलिस चौकियों/नाको/पीसीआर वाहनों और राइडरों को सतर्क कर दिया ताकि तत्काल नाके बंदी की जा सके। इस संबंध में पुलिस स्टेशन, सेक्टर-18, गुड़गांव में आई पी सी की धारा 392 और शस्त्र अधिनियम 25/54/59 के तहत दिनांक 18.12.2008 को प्राथमिकी संख्या 175 दर्ज की गई है।

श्री राजेश दुग्गल, एसीपी/उद्योग विहार, गुड़गांव अपने रीडर ई/एएसआई वीरसिंह, गनमैन कांस्टेबल गुलाब सिंह और कांस्टेबल कृष्ण कुमार, सहायक रीडर कांस्टेबल अमित कुमार और

सहायक रीडर कांस्टेबल विनोद कुमार से युक्त अपने स्टाफ के साथ ग्राम बंधवानी में कानून और व्यवस्था से निपटने के लिए जाने के लिए तैयार थे। यह स्थिति डंम्पिंग स्टेशन स्थापित किए जाने के कारण उत्पन्न हुई थी। यह सूचना प्राप्त होने पर इन्होंने तत्काल कार्रवाई की और अपने उक्त स्टाफ के साथ अपराधी को पकड़ने के लिए कांस्टेबल कृष्ण कुमार द्वारा चलाए जा रहे वाहन में नाकाबन्दी करने की जांच करने के लिए चल पड़े। जब ये पुलिस स्टेशन राजेन्द्र पार्क के अंतर्गत ग्राम दौलताबाद में एक मंदिर के निकट पहुंचे तो इन्होंने उपनिरीक्षक जितेन्द्र कुमार, एसएचओ पुलिस स्टेशन राजेन्द्र पार्क, गुडगांव को ईएचसी कृष्ण कुमार और ड्राइवर कांस्टेबल मनोज कुमार नामक अपने स्टाफ के साथ नाकाबन्दी करने के लिए वहां पाया। श्री राजेश दुग्गल, एसीपी, उद्योग विहार ने एसएचओ को प्रभावी ढंग से नाकाबंदी करने के लिए कहा ताकि अपराधी को बचकर निकलने का अवसर न मिले। इसी बीच ग्राम दौलताबाद की ओर से एक मारूती कार आती हुई दिखाई दी। इस पर एसीपी, उद्योग विहार के आदेश पर उप-निरीक्षक जितेन्द्र कुमार, एसएचओ पुलिस स्टेशन राजेन्द्र पार्क, गुडगांव ने ड्राइवर को कार रोकने का संकेत किया। लेकिन एसएचओ के संकेत की परवाह किए बगैर ड्राइवर ने कार की रफ्तार तेज करने की कोशिश की। तथापि, पुलिस दल यह नोट करने में सफल हो गया कि यह वही कार थी जिसका इस्तेमाल एक चोरी में किया गया था। इस पर श्री राजेश दुग्गल एसीपी और एचएचओ पुलिस स्टेशन राजेन्द्र पार्क, उप-निरीक्षक जितेन्द्र कुमार ने अपने कर्मचारियों के साथ अपने-अपने वाहनों में कार का पीछा किया। जब अपराधी को यह पता चला कि पुलिस उसका पीछा कर रही है तो उसने दौलताबाद पावर हाउस की ओर अपनी कार मोड़ दी। तथापि, श्री राजेश दुग्गल, एसीपी और एसएचओ, पुलिस स्टेशन राजेन्द्र पार्क ने दो से ढाई किलोमीटर उसका पीछा करने के बाद ये उसके निकट पहुंच गए । इस पर उस अपराधी ने अपनी कार खेरकी रोड की तरफ मोड़ने की कोशिश की। लेकिन उसका संतुलन बिगड़ गया और कार सड़क से फिसल गई तथा सड़क के किनारे सरसों के खेत में चली गई । इसके बाद अपराधी कार से उतरा और उसने भागने की कोशिश की। पुलिस दलों ने उसको घेर लिया और श्री राजेश दुग्गल, एसीपी ने उससे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। अपराधी ने पुलिस चेतावनी की परवाह नहीं की और श्री राजेश दुग्गल, एसीपी को निशाना बनाकर गोलीबारी शुरू कर दी। लेकिन उसका निशाना चूक गया और उसकी गोली उसकी टाटा सूमो की सामने की खिड़की के शीशे से टकरा गई। अपराधी ने फिर गोली चलाई जो उसके वाहन के दायीं तरफ के सामने के पहिए के मडगार्ड के बिल्कुल ऊपर लगी। श्री राजेश दुग्गल ने अपनी रक्षा में .38 बोर की अपनी विशेष सर्विस रिवाल्वर से गोलीबारी की जिससे अपराधी घायल हो गया। उप-निरीक्षक जितेन्द्र कुमार, एसएचओ राजेन्द्र पार्क ने भी तुरंत स्थिति के अनुसार कार्रवाई की और 9 एमएम बोर की अपनी सर्विस रिवाल्वर से अपराधी पर दो राउन्द गोलियां चलाईं । इसके परिणाम स्वरूप अपराधी गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी पिस्तौल उसके हाथ से गिर गई। इसी बीच, दूसरे पुलिस कार्मिकों ने भी मोर्चे संभाले और अपराधी को घेर लिया तथा उसे अपने कब्जे में किया। उस व्यक्ति की तलाशी लेने पर उससे कारतूसों के निचले हिस्से में 7.65 केएफ लिखे

हुए तीन जीवित कारतूसों के साथ एक देशी पिस्तौल और लूटे गए एक लाख रूपए की राशि बरामद हुई। इसके अलावा, अपराधी द्वारा चलाए गए दो खाली कारतूस भी घटना स्थल से बरामद हुए।

श्री राजेश दुग्गल, एसीपी उद्योग विहार उस अपराधी को एसएचओ, पीएस राजेन्द्र पार्क के सरकारी वाहन में जनरल अस्पताल गुड़गाव में इलाज कराने के लिए ले गए और उस स्थल की रक्षा करने के लिए वहां पर एसएचओ, पुलिस स्टेशन राजेन्द्र पार्क को वहां पर छोड़ दिया। तथापि जनरल अस्पताल, गुड़गांव के डाक्टरों ने उसे मृत लाया गया घोषित कर दिया। इस संबंध में पुलिस स्टेशन राजेन्द्र पार्क, गुड़गाव ने आईपीसी की धारा 332/353/186/ 307 और शस्त्र अधिनियम 25/54/59 के तहत दिनांक 18.12.2008 को प्राथमिकी संख्या 254 दर्ज की गई जनरल अस्पताल, गुड़गांव में अपराधी का पोस्टमार्डम किया गया। बाद में अपराधी की पहचान राजीव उर्फ पोचू पुत्र कवरपाल निवासी 154/18 सूरज विहार दादरी, गौतम बुद्ध नगर के रूप में उसके पिता और भाई ने की। उन्होंने कहा कि वह उस समय कैलाश कालोनी, पुलिस स्टेशन सिविल लाइन्स, रोहतक में रह रहा था। राजीव उर्फ पोचू एक खूंखार अपराधी था और वह रोहतक जिले में हत्या, हत्या की कोशिश और हत्या करने की धमकी यादि जैसे निम्नलिखत जघन्य अपराधों में सम्मिलित था:-

क्रम संख्या	प्राथमिकी संख्या	तारीख	धारा	पुलिस स्टेशन
1.	503	28.11.1993	आई पी सी की धारा 435/308	सिविल लाइन्स, रोहतक
2.	24	25.1.1994	आई पी सी की धारा 379	सिविल लाइन्स, रोहतक
3.	84	6.3.1994	आई पी सी की धारा 379	सिविल लाइन्स, रोहतक
4.	296	26.5.1998	आई पी सी की धारा 302/34	सिविल लाइन्स, रोहतक
5.	351	7.7.1998	शस्त्र अधिनियम की धारा 25/54/59	सिविल लाइन्स, रोहतक
6.	518	8.9.2000	आई पी सी की धारा 323/307/224/34	सिविल लाइन्स, रोहतक
7.	206	18.4.2001	आई पी सी की धारा 302/449/307/34	सिविल लाइन्स, रोहतक
8.	280	31.5.2001	आई पी सी की धारा 506/387/120 ख	सिविल लाइन्स, रोहतक

9.	383	19.6.2001	आई पी सी की धारा 302/307/34 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25/54/59	सिविल लाइन्स

यहीं नहीं वह उल्लिखित कई मामलों में घोषित अपराधी था और आई जी पी /रोहतक रैंज, गुडगांव ने उसकी गिरफ्तारी के लिए उपयोगी सूचना प्रदान करने के लिए 10 हजार रूपए का नकद पुरस्कार घोषित किया हुआ था।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री राजेश दुग्गल, सहायक पुलिस आयुक्त और जितेन्द्र कुमार, उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 18.12.2008 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं.138-प्रेज/2010, राष्ट्रपति, जम्मू एवं कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

<u>अधिकारी का नाम और रैंक</u>
श्री महबूब हुसैन
सेलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

देमनारी एण्डरबुग (जिला-कुपवाड़ा), जम्मू एवं कश्मीर के क्षेत्र में कुछ आतंकवादियों के मौजूद होने के संबंध में कुपवाड़ा पुलिस द्वारा उपलब्ध करायी गई एक विशिष्ट जानकारी के अनुसरण में, दिनांक 6.10.2008 को कुपवाडा पुलिस और 28 आर.आर द्वारा एक संयुक्त अभियान की योजना बनायी गई। मुखबिर के अनुसार, ये आतंकवादी उपर्युक्त जगह के ऐसे एक घने जंगल में छिपे हुए थे जो पुलिस स्टेशन लालपोरा से कम से कम पांच किमी. दूर है। पुलिस और आर आर उस स्थान की ओर पैदल रवाना हुई क्योंकि वहां सड़क मार्ग की व्यवस्था नहीं थी। अपेक्षित दूरी पार करने के पश्चात, उस क्षेत्र में अंधेरा छाने लगा और चांदनी के उजाले में घेराबन्दी की गई। जब आतंकवादियों की कुछ संदिग्ध गतिविधि दिखाई दी तो उन्हें रूकने के

लिए कहा गया, परन्तु उन्होंने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। सेलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल महबूब हुसैन ने सूझबूझ का परिचय दिया और जवाबी गोलीबारी प्रारम्भ कर दी और आतंकवादियों का पीछा किया। कुछ दूरी कवर करने के पश्चात, उन्होंने अपनी पोजीशन ले ली और आतंकवादियों को गोलीबारी में उलझा लिया। आतंकवादियों ने उन्हें निशाना बनाने की भरपूर कोशिश की किन्तु उनकी असाधारण तत्परता और उच्च स्तरीय सेनानीपन की वजह से आतंकवादी उन्हें अपना निशाना बनाने में सफल नहीं हुए। अन्ततः आमने सामने की गोलीबारी में इस अभियान में एक खूंखार आतंकवादी को मार गिराया गया जिसकी पहचान एल ई टी गुट के थैकण्डी (मो. फैयाज) पुत्र टी.के. सैफिया निवासी थैकण्डी हाऊस, थायिल, जिला कन्नूर, केरल राज्य के रूप में हुई और मुठभेड़ स्थल से निम्नलिखित हथियार और गोला-बारूद बरामद किए गए:-

1.	एके.47 राइफल	-01
2.	एके-47 मैगजीन	-04
3.	एके-47 गोलाबारूद	-79 राउण्ड्स
4.	पाउच	-01

इस संबंध में पुलिस स्टेशन लालपोरा में एक मामला एफ आई आर संख्या 34/2008, धारा 307 आर पी सी, 7/27 आयुध अधिनियम के तहत दर्ज है।

इस मुठभेड़ में श्री महबूब हुसैन, सेलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 7.10.2008 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं.139-प्रेज/2010, राष्ट्रपति, जम्मू व कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व श्री

1. अली मोहम्मद,
   वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
2. हिलाल अहमद
   कांस्टेबल
3. शबीर अहमद
   कांस्टेबल

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

दिनांक 4.7.2008 को बारपोरा और ताकिया वागाम गांव के बीच स्थित फलोद्यानों में जे ई एम गुट के एक आतकवादी के होने के संबंध में विशिष्ट सूचना मिलने पर, पुलिस कैम्प पुलवामा के उप निरीक्षक मो. सलीम के नेतृत्व में एक पुलिस दल और 182वीं बटालियन, सी आर पी एफ की सैन्य टुकडी तत्काल रवाना हुई और उस क्षेत्र की घेराबन्दी कर दी जहां पर आतंकवादी छिपा हुआ था। अभियान पार्टियों की गतिविधि का अनुमान लगाकर उस आतंकवादी ने फलोद्यानों में काम कर रहे कुछे गांववालों को बंधक बना लिया और घेरे को तोड़ने और बचकर भागने के लिए गोलीबारी शुरू कर दी। तथापि, श्री अली मोहम्मद, आई पी एस, एस एस पी, पुलवामा भी स्थिति की संवदेनशीलता का आकलन करके और इस प्रकार के अभियानों के अनुभव के आधार पर घटनास्थल की ओर गए और नागरिकों को सुरक्षित बचाकर लाने के लिए कांस्टेबल हिलाल अहमद और कांस्टेबल शबीर अहमद की एक पुलिस टीम साथ ले गए। वे लक्ष्य की ओर बढ़े और आतंकवादी को गोलीबारी में उलझा लिया और नागरिकों को सुरक्षित जगहों पर जाने का अवसर प्रदान किया।

नागरिकों को सुरक्षित बचा लेने के पश्चात, श्री अली मोहम्मद ने छिपे हुए आतंकवादियों पर अपनी टीम के साथ दुबारा सामने से हमला बोल दिया जबकि टीम के अन्य सदस्यों ने उन्हें

कवर फायर मुहैया कराया और उसके बचकर निकल भागने के सभी रास्तों को बन्द कर दिया। आतंकवादी ने अभियान टीम की इस गतिविधि को भांपकर अंधाधुंध गोलीबारी करनी शुरू कर दी, किन्तु टीम में अपना धैर्य बनाए रखा और अपनी जान की परवाह किए बगैर वीरतापूर्वक जवाबी गोलीबारी शुरू कर दी जिसके फलस्वरूप आतंकवादी को मार गिराया गया जिसकी पहचान बाद में शबीर अहमद लोन उर्फ अर्सलान पुत्र मो. अकबर निवासी अगलर कण्डी जे ई एम गुट के रूप में हुई। मुठभेड़ स्थल से हथियारों/गोला बारूद की बरामदगी भी की गई। अपनी अतुलनीय कर्तव्यनिष्ठा और प्रभावकारी कार्रवाई की वजह से सिफारिशी न केवल नागरिकों को सुरक्षित बचाने में सफल हुए बल्कि उस आतंकवादी को भी मार गिराया जो हत्या के अनेक मामलों में संलिप्त था। जान और माल के नुकसान के बगैर उक्त आतंकवादी का मारा जाना वस्तुतः जे ई एम गुट के लिए एक बड़ा आघात था। इस संबंध में पुलिस स्टेशन पुलवामा में एक मामला एफ आई आर संख्या 215/08 धारा 307 आर पी सी, 7/27 आयुध अधिनियम के तहत दर्ज है।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री अली मोहम्मद, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हिलाल अहमद, कांस्टेबल और शबीर अहमद, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 4/7/2008 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं.140-प्रेज/2010, राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार सहर्ष प्रदान करती हैं:-

अधिकारी के नाम और रैंक
श्री बशीर अहमद खान,
पुलिस अधीक्षक ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 29.09.2008 को श्री बी.ए. खान, पुलिस अधीक्षक, अवन्तीपुरा के पर्यवेक्षण में अवन्तीपुरा पुलिस, 42 आर.आर. की टुकड़ी और सी आर पी एफ की 180वीं बटालियन द्वारा पथखारपुर गांव में एक संयुक्त घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया गया था। तलाशी अभियान के दौरान, गुलाम हसन भट पुत्र अब. रहमान निवासी पथखारपुर (शाहाबाद) के रिहाइशी मकान में आतंकवादी होने का कुछ विशिष्ट सुराग मिलने से वहां आतंकवादी के छिपे होने का संदेह हुआ। उस मकान की गहन तलाशी की गई किन्तु कुछ भी देखने में नहीं आया। तथापि, घर की छत की तलाशी की गई और जब यह कार्रवाई चल रही थी तभी घर की छत से गोलियों की बौछार आ गई। आतंकवादी को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया किन्तु ऐसा करने के बजाय उसने ग्रेनेड फेंकना शुरु कर दिया जिसकी वजह से सुरक्षा कार्मिक घायल हो गए। पार्टी ने अपनी पोजीशन ली और आवश्यकतानुसार जवाबी गोलीबारी की गई। इस तेज गोलीबारी के संघर्ष के दौरान, वह मकान जिसमें आतंकवादी छिपा हुआ था, भरभराया और आंशिक रूप से टूटकर गिर गया। श्री बी ए खान, पुलिस अधीक्षक, अवन्तीपुरा ने अपने क्यू आर टी के साथ उस आंशिक रूप से टूटे मकान के कोनों में आतंकवादी की तलाश करनी प्रारम्भ की। वह खूंखार आतंकवादी उस मकान के क्षतिग्रस्त हिस्से के किसी कोने में छुपा हुआ था। तलाशी के दौरान पार्टी के ऊपर भारी गोलीबारी और इसके बाद ग्रेनेडों से हमला किया गया जिसके परिणामस्वरुप पुलिस अधीक्षक, अवन्तीपुरा के तीन सुरक्षाकर्मी बुरी तरह घायल हो गए। तथापि, आतंकवादी को भागने का मौका नहीं दिया गया। हालांकि इससे अधिक लोगों की जान जा सकती थी और घायल हो सकते थे, इतना ही नहीं, इसकी वजह से वह आतंकवादी घेराव पार्टी को चकमा भी दे सकता था। पुलिस अधीक्षक, अवन्तीपुरा ने छिपे हुए आतंकवादी पर भारी गोलीबारी करनी शुरु कर दी जिसकी वजह से वह बुरी तरह घायल हो गया और मौके पर ही मारा गया। इस खूंखार आतंकवादी की पहचान अबू शेरजिल, निवासी गुजरावाला, पाकिस्तान के रूप में हुई जो जैश-ए-मोहम्मद गुट का तथाकथित डिवीजनल कमाण्डर/आपरेशनल चीफ था।

यह आतंकवादी वर्ष 1994 में छिपकर इस घाटी में चला आया था और कुपवाड़ा क्षेत्र में सक्रिय था और इसके पश्चात वह श्रीनगर आ गया और गाजी बाबा का सागिर्द बनकर रहता रहा जिसे अगस्त, 2003 में मार गिराया गया था। यह आतंकवादी श्रीनगर में वर्ष 2005 तक रहा और सुरक्षा बलों के दबाव की वजह से वहां से हटकर नूरपाड़ा ट्राल चला गया, जहां उस पर श्री महेश शर्मा, निरीक्षक (जो जामिया नगर मुठभेड़ में वर्ष, 2008 में शहीद हुए थे) के नेतृत्व में

दिल्ली पुलिस के विशेष सेल द्वारा छापा मारा गया। तथापि, इस आतंकवादी ने छापा मारने वाली पार्टी को चकमा दे दिया। इसके पश्चात वह अपना ठिकाना बदलकर ट्राल एरिया के ऊपरी क्षेत्र में चला गया। इस आतंकवादी ने वर्ष 2007 में अपने छिपने का ठिकाना पथखारपुर (शाहाबाद) में बना लिया और तब से वह गुलाम हसन भट पुत्र अब. रहमान के घर की दूसरी मंजिल में छिपकर रह रहा था जहां पर आतंकवादी के भाग्य ने उसका साथ सदा के लिए छोड़ दिया। यह आतंकवादी अत्याधुनिक तकनीकी का जानकार था और अपना संप्रेषण अपने लैपटाप के जरिए करता था जहां से वह मेल इत्यादि प्राप्त और भेजा करता था। यह आतंकवादी प्रत्यक्ष रूप से जैश के संस्थापक मौलाना अजहर से सैटलाइट फोनों के माध्यम से सम्पर्क रखता था।

मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में हथियारों/गोलाबारुद और अभिसंशी सामग्री बरामद हुई थी। इस घटना में 07 सैनिक और तीन पुलिस कर्मी भी घायल हुए। इस संबंध में पुलिस स्टेशन, अवन्तीपुरा में एक मामला एफ आई आर सं. 141/2008 धारा 307 आर पी सी, 7/27 आई ए एक्ट दर्ज है। यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि वह 'क' श्रेणी का आतंकवादी था। इस मुठभेड़ के दौरान, श्री बसीर अहमद खान, (पुलिस अधीक्षक, अवन्तीपुरा) ने उपर्युक्त ऐसे खूंखार आतंकवादी का खात्मा करने में निर्णायक भूमिका निभायी और अनुकरणीय कार्य किया जो विगत पांच वर्षों से इस क्षेत्र में सक्रिय था।

इस वीरतापूर्ण कार्रवाई के स्थल से निम्नलिखित बरामदगियां की गईं:-

ए.के. 74-02, ए.के.- 74 मैगजीन-03, ए.के0. आर डी एस .122, मैगजीन सहित पिस्टल-02, पिस्टल आर डी एस-19, वायरलेस सेट-01, खाकी बेल्ट-01, मनीपर्स-01, डिजिटल डायरी-01, ट्रांजिस्टर-01, वीडियो गेम-01, मोबाइल चार्जर-03, आई/कार्ड-02, पाउच-01, पेन स्टैम्प-01, हैण्ड ग्रेनेड पिन-04, मैट्रिक्स-02, नकद भारतीय मुद्रा-1000रू0, फोटोग्राफ-04, इलेक्ट्रानिक वोल्ट मीटर-01, लैपटाप-01, माउस-01, सैटलाइट फोन-01, हेड-फोन-05, लैपटाप बैग-01, लैपटाप चार्जर-01, मोबाइल फोन-07, सैटलाइट टेलीफोन चार्जर-01, लैपटाप चार्जर बैटरी-01

इस मुठभेड़ में श्री बशीर अहमद खान, पुलिस अधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक का प्रथम बार नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 29.09.2008 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं.141-प्रेज/2010, राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार/वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1.	गुलाम जीलानी वानी उप पुलिस अधीक्षक	(वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार)
2.	राजेश कुमार उप-निरीक्षक	(वीरता के लिए पदक)
3.	विनय कुमार उप-निरीक्षक	(वीरता के लिए पदक)
4.	तुफैल अहमद कांस्टेबल	(वीरता के लिए पदक)
5.	इश्तियाक अहमद कांस्टेबल	(वीरता के लिए पदक)

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 01/02 जून, 2008 को ज़ियारत-ई-शरीफ, संग्राम साहब चोट्टीपोरा में सुरक्षा बल कनवाय पर आतंकवादी हमले की योजना के संबंध में विशिष्ट सूचना मिलने पर हन्दवारा/श्रीनगर पुलिस द्वारा 30वीं आर आर की सैन्य टुकड़ी की सहायता से एक कार्रवाई योजना बनायी गई और क्रियान्वित की गई। जम्मू और कश्मीर पुलिस के उप पुलिस अधीक्षक गुलाम जीलानी वानी इस कार्रवाई दल का नेतृत्व कर रहे थे और इस कार्रवाई में उप-निरीक्षक राजेश कुमार, उप निरीक्षक विनय कुमार, कांस्टेबल तूफैल और कांस्टेबल इश्तियाक़ अहमद ने उनका साथ दिया। ज्यों ही कार्रवाई पार्टी मौके पर पहुंची, उसी समय उन्होंने घेराबंदी करना शुरु कर दिया। जब घेराबंदी की जा रही थी और तलाशी शुरु की गई, तब श्राइन में आतंकवादियों के मौजूद होने की पुष्टि हो गई। पुलिस/सेना की संयुक्त कार्रवाई पार्टी को देखने के पश्चात आतंकवादियों ने उप पुलिस अधीक्षक गुलाम जीलानी वानी और उनकी पुलिस पार्टी, जो सबसे आगे थी, पर ग्रेनेड फैंके और गोलियों की बौछार कर दी। इस गोलीबारी के प्रत्युत्तर में जबावी

कार्रवाई इस वजह से नहीं की गई क्योंकि जिस स्थान पर आतंकवादी छिपे हुए थे उसके आस-पास के मकानों में अनेक नागरिक मौजूद थे। वस्तुस्थिति को देखने के पश्चात, पुलिस पार्टी ने नागरिकों को बचाने की कार्यवाही शुरु की। जब यह बचाव कार्य चल रहा था, उसी समय आतंकवादियों ने उन पर अंधाधुंध गोलीबारी करनी शुरु कर दी। आत्मरक्षा में जवाबी गोलीबारी की गई और यह एक भीषण गोलीबारी की जंग में तब्दील हो गयी। मुठभेड़ स्थल के पास स्थित मकानों से नागरिकों को निकालना और विशेष रूप से श्राइन को किसी तरह का नुकसान पहुंचाए बगैर घेरे गए आतंकवादियों को मार गिराना एक अति दुष्कर कार्य था। भीषण गोलीबारी के बावजूद पुलिस कार्मिकों ने अपनी जान जोखिम में डाली और आस-पास के मकानों से सभी लोगों को सुरक्षित बचाकर लाने में सफल हुए। यह मुठभेड़ लगभग 8 घण्टे तक चली जिसमें एक लम्बी दूरी के अश्रुगैस शेल की बौछार श्राइन के भीतर की गई जिसके फलस्वरुप, छिपे हुए आतंकवादियों को बाहर आने के लिए मजबूर होना पड़ा और इस प्रकार एल ई टी गुट के उस्मान भाई, निवासी पाकिस्तान और अबू वहीद, निवासी पाकिस्तान के रूप में पहचाने गए एल ई टी गुट के दो शीर्ष कमाण्डरों को मार गिराया गया।

घटनास्थल से निम्नलिखित मात्रा में हथियार/गोला-बारुद बरामद किया गया था:-

(क)	राइफल ए.के.-47	-	02
(ख)	ए.के. मैगजीनें	-	12
(ग)	ए.के. गोला बारुद	-	305 राउण्ड
(घ)	हैण्ड ग्रेनेड	-	08 (मौके पर नष्ट किए गए)
(ड.)	आर पी जी	-	01 (मौके पर नष्ट किए गए)

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री गुलाम जीलानी वानी, उप पुलिस निरीक्षक, राजेश कुमार, उप निरीक्षक, विनय कुमार, उप निरीक्षक, तूफैल अहमद, कांस्टेबल और इश्तियाक अहमद, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार/वीरता के लिए पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 02.06.2008 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं.142-प्रेज/2010, राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

<u>अधिकारी का नाम और रैंक</u>

श्री फारूख अहमद
कांस्टेबल

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

दिनांक 11 अक्टूबर, 2008 को, बेदीबेरा सुरीगाम लोलाब क्षेत्र (जिला कुपवाड़ा) में कुछ आतंकवादियों के मौजूद होने के संबंध में विशिष्ट सूचना प्राप्त होने पर, जम्मू और कश्मीर पुलिस (एस ओ जी कुपवाड़ा) द्वारा 28 आर आर/18 आर आर और 9 पी ए आर ए की सहायता से एक कार्रवाई योजना तैयार की गई और क्रियान्वित की गई। जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए एस ओ जी कुपवाड़ा के पुलिस कार्मिक, सेना कार्मिकों के साथ तुरन्त उस स्थान पर गए और क्षेत्र की घेराबंदी करना और तलाशी अभियान प्रारम्भ कर दिया। कांस्टेबल फारूक अहमद और उनके कुछ सहयोगियों जो जम्मू और कश्मीर पुलिस टीम के ही सदस्य थे, पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया। आतंकवादियों ने तलाशी कार्रवाई कर रही पुलिस पार्टी पर अनेक ग्रेनेड फेंके और गोलियों की बौछार शुरू कर दी। कान्स्टेबल फारूक अहमद, जो मोर्चे पर सबसे आगे चल रहे थे, ने अपनी पोजीशन ली और तुरन्त जवाबी गोलीबारी की। टीम के अन्य सदस्यों द्वारा भी जवाबी गोलीबारी की गई। इस घमासान गोलीबारी के दौरान कान्स्टेबल फारूक अहमद ने, विद्रोह-रोधी कार्रवाई के अपने पिछले अनुभव को आजमाया और उस क्षेत्र के शेष हिस्से को कवर करने की कार्रवाई की जो घेराबंदी से छूट गया था और जहां से आतंकवादी मुठभेड स्थल से भाग सकते थे। यह सुनिश्चित करने के पश्चात, कि घेराबन्दी का कार्य पूर्णत: हो गया है और वह क्षेत्र पूर्णत: सील हो गया है, कांस्टेबल और उनके सहयोगियों ने सेना की इकाइयों के कार्मिकों के साथ आतंकवादियों पर सामूहिक रूप से हमला कर दिया जिसके फलस्वरूप घमासान गोलीबारी की जंग शुरू हो गयी जो काफी देर तक चली। फिर यह अनुमान लगाकर कि यह गोलीबारी सारे दिन के बाद भी चलती रह सकती है और इससे आतंकवादियों को फायदा हो सकता है, इस कांस्टेबल और कुछ अन्य कार्मियों ने अपने आप उस लक्ष्य स्थल की ओर बढ़ना शुरू किया जहां से आतंकवादी गोलियां चला रहे थे। कांस्टेबल फारूक अहमद सरकते और घुटनों के बल चलते हुए तथा जवाबी गोली-बारी करते हुए आतंकवादियों के अत्यधिक निकट पहुंच गए और उन पर हमला बोल दिया। इस पार्टी द्वारा किया गया हमला इतना भीषण था कि सभी तीनों आतंकवादियों का धैर्य टूट गया और वे मारे गये। बाद में उनकी पहचान रहीम पुत्र कोयासान कानाकठ सैडो निवासी चेट्टीपाडी मालापुरम केरल, अबू हाफिज जनवासी पी ओ के और मोहम्मद फैज पुत्र अब. रहीम निवासी मुझुथादम कन्नूर, केरल के रूप में हुई। मुठभेड स्थल से बरामद किए गए हथियारों एवं गोलाबारूद में 01 ए.के. राइफल, 04

ए.के. मैगजीनें, 40 ए.के. राउण्ड्स और 01 हैण्ड ग्रेनेड शामिल थे। इस घटना के संबंध में, पुलिस स्टेशन सोगाम में एक मामला, एफआईआर संख्या 46/2008 धारा 307 आरपीसी 7/27 आईए एक्ट दर्ज है।

इस मुठभेड़ में श्री फारूक अहमद, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 11.10.2008 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं.143-प्रेज/2010, राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

<u>सर्व श्री</u>

1. राजेश कुमार,
   उप महानिरीक्षक
2. गुलजार अहमद
   उप निरीक्षक

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

दिनांक 30.03.2009 को मशवाड़ा शोपियान गांव में एक घर में जेईएम गुट के आतंकवादियों के मौजूद होने के बारे में विशिष्ट सूचना प्राप्त होने पर पुलवामा/शोपियान पुलिस द्वारा 44 आर आर और 18 सीआरपीएफ की सहायता से एक संयुक्त कार्रवाई प्रारम्भ की गई। पुलिस पार्टी ने 44 आर आर और 18 सी आर पी एफ के साथ मिलकर उस घर की घेराबंदी की। आतंकवादियों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया किन्तु आत्मसमर्पण करने के बजाय उन्होंने ग्रेनेड फेंकना शुरू कर दिया और मौके से भागने के लिए तलाशी दल पर अत्याधुनिक हथियारों से अंधाधुंध गोलीबारी भी आरम्भ कर दी। उस टीम जिसमें श्री राजेश कुमार, आई पी एस, डीआईजी एस के आर, अनंतनाग के नेतृत्व में उप निरीक्षक गुलजार अहमद भी शामिल थे, ने तत्परता से कार्रवाई की और आतंकवादियों को मौके से भागने का कोई अवसर नहीं दिया। श्री राजेश कुमार, आई पी एस और उपनिरीक्षक गुलजार अहमद ने बहुत ही पेशेवर तरीके से आगे रहकर अपनी टीम का नेतृत्व किया और उस घर के अत्यन्त निकट पहुंचने में सफल रहे, जहा पर आतंकवादी छिपे हुए थे। कार्रवाई पार्टी की गतिविधि को भांपकर आतंकवादियों ने उन

पर गोलियों की बौछार कर दी जिसमें श्री राजेश कुमार डी आई जी और उप निरीक्षक गुलजार, जो टीम के आगे चल रहे थे; बाल-बाल बचे। दोनों अधिकारियों ने तत्काल जवाबी गोलीबारी करके अत्यधिक सूझ-बूझ का परिचय दिया और मौके से आतंकवादियों को भागने और कार्रवाई दल को हताहत करने का कोई मौका नहीं दिया। श्री राजेश कुमार उस कार्रवाई में निरन्तर अपने नेतृत्व का प्रदर्शन करते रहे क्योंकि उन्होंने और उप निरीक्षक गुलजार ने उस घर के अत्यन्त निकट पहुंचने के बाद उन पर हथगोले और अश्रुगैस के शेल फैंके जिसके परिणामस्वरूप आतंकवादियों का आत्मविश्वास टूट गया और वे घर से बाहर आ गए और बाहर आते समय उन्होंने कार्रवाई दल पर, अंधाधुंध गोलीबारी की। तथापि इन अधिकारियों ने अपना धैर्य बनाए रखा; अत्यधिक फुर्ती का परिचय दिया और उस भीषण गोलीबारी के जंग, जो 4 घण्टे चली, में दो आतंकवादियों को मार गिराया जिनकी पहचान अबू हमजा और अब्दुल्लाह पठान उर्फ जेईएम गुट के अबूतलहा के रूप में हुई। ये दोनों मुल्तान, पाकिस्तान के निवासी थे।

मुठभेड़ स्थल से निम्नलिखित बरामदगियां की गई:-

(क)	राइफल-एके-47	-2
(ख)	एके. मैगजीन	-02
(ग)	एके. 47 राउण्ड्स	-42 राउण्ड्स
(घ)	पाउच	-02

इस मुठभेड़ में सर्व श्री राजेश कुमार, उपमहानिरीक्षक और गुलजार अहमद, उपनिरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 30.03.2009 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं.144-प्रेज/2010, राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार सहर्ष प्रदान करती हैं:-

<u>अधिकारी का नाम और रैंक</u>

श्री मोहन लाल

पुलिस अधीक्षक

<u>उन सेवाओं का विवरण जिन के लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

दिनांक 7.11.2008 को पुलिस स्टेशन देस्सा के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले दरमान जंगल में चार खूंखार आतंकवादियों के मौजूद होने के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर, श्री मोहन लाल, पुलिस अधीक्षक (आपरेशन), डोडा के नेतृत्व में डोडा पुलिस ने 10 आर आर और 76वीं बटालियन, सी आर पी एफ के साथ मिलकर एक संयुक्त कार्रवाई आरम्भ की। दिनाक 8.11.2008 को बहुत ही अल्प समय में आतंकवादियों के छिपने के ठिकाने की घेराबंदी की गयी और श्री मोहन लाल, पुलिस अधीक्षक (आपरेशन), डोडा ने छिपे हुए आतंकवादियों को पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए ललकारा। इस पर, आतंकवादियों ने कार्रवाई दल पर अंधाधुध गोलियां चलानी शुरू कर दीं और आत्मरक्षा में कार्रवाई दल ने भी जवाबी गोलीबारी की और भीषण गोलीबारी की जंग छिड़ गई। मुठभेड के दौरान, एक आतंकवादी छिपने के ठिकाने से बाहर निकला और कार्रवाई दल की ओर गोलियों की बौछार करता हुआ भागने का प्रयास करने लगा। श्री मोहन लाल, पुलिस अधीक्षक (आपरेशन) ने भारी गोलीबारी के बीच भागते हुए आतंकवादी का पीछा किया और उस आतंकवादी को मार गिराया। बाद में मारे गए आतंकवादी की पहचान मोहम्मद शफी उर्फ हाशिम खान पुत्र अब्दुल सलाम कुम्हार निवासी कोट्टल साजन के रूप में हुई, जो 'क' श्रेणी का आतंकवादी था और उस क्षेत्र में अनेक हत्याएं करने और पुलिस/सुरक्षा बलों पर हमला करने की घटनाओं में शामिल था। मुठभेड़ लगातार चलती रही और इस मुठभेड़ में अन्य तीन आतंकवादियों को भी मार गिराया गया जिन की पहचान (i)मुजफ्फर हुसैन उर्फ दाउद पुत्र गुलाम मोहम्मद निवासी कोटल साजन (ii)फिदा हसैन उर्फ जहांगीर पुत्र तारिक सलीम निवासी धारोश, जिला डोडा और (iii)मुश्ताक अहमद पुत्र अब्दुल गनी राहेर निवासी मानज्मी देस्सा के रूप में हुई।

मारे गए आतंकवादियों से निम्नलिखित हथियार/गोला बारूद बरामद किए गए:-

(क) राइफल एके. -47	02
(ख) राइफल एके.-56	05
(ग) चाइनीज पिस्टल	01
(घ) मैगजीन एके.	06
(ड.) मैगजीन पिस्टल	01
(च) वायरलेस सेट	01
(छ) क्षतिग्रस्त मोबाइल सेट	01
(ज) डायरी	01
(झ) ऐन्टिना	02

श्री मोहन लाल, पुलिस अधीक्षक (आपरेशन) ने उच्चकोटि के नेतृत्व गुण के अतिरिक्त उत्कृष्ट कार्रवाई विशेषज्ञता के साथ-साथ परम कर्तव्य परायणता और समर्पण की भावना प्रदर्शित की जिसके फलस्वरूप मोहम्मद शफी उर्फ हाशिम खान पुत्र अब्दुल सलाम कुम्हार निवासी कोट्टल साजन नामक ऐसे खूंखार आतंकवादी को मार गिराया गया जो 'क' श्रेणी का आतंकवादी था और इस क्षेत्र में लगभग डेढ़ दशक से सक्रिय था। इस अधिकारी ने आतंकवादी को ढेर करने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालते हुए पुलिस पार्टी का नेतृत्व आगे रहकर किया, जबकि आतंकवादियों द्वारा अंधाधुंध गोलीबारी की जा रही थी।

इस मुठभेड़ में श्री मोहनलाल, पुलिस अधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक का प्रथम बार नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 08.11.2008 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं.145-प्रेज/2010. राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री सुखबीर सिंह
निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया ।

दिनांक 22.4.2008 को उप पुलिस अधीक्षक (आपरेशन) को किसी स्रोत से यह सूचना प्राप्त हुई कि पुलिस चौकी अर्नास के क्षेत्राधिकार में स्थित ग्राम चल्लाड-कल्लियान के सार्वजनिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विध्वंसात्मक वारदात करने के लिए एच एम गुट के आपरेशनल चीफ और सर्वाधिक खूंखार/वांछित आतंकवादी कमाण्डर अब्दुल हक उर्फ जहांगीर की कमान में हथियारों/ गोलाबारूद से लैश एचएम गुट के स्थानीय/विदेशी आतंकवादी मौजूद हैं।

यह सूचना मिलने पर राज्य पुलिस कैम्प अर्नास के प्रमुख श्री ताहिर अशरफ, उप पुलिस अधीक्षक (आपरेशन) निरीक्षक सुखवीर सिंह, प्रभारी राज्य पुलिस अर्नास द्वारा उक्त क्षेत्र में कार्रवाई शुरू की गई। करीब 2300 बजे; जब कार्रवाई पार्टी ग्राम कल्लियान (चल्लाड) पहुंची, तब श्री ताहिर अशरफ, उप पुलिस अधीक्षक (आपरेशन) अर्नास और निरीक्षक सुखबीर सिंह, प्रभारी, राज्य पुलिस अर्नास ने कार्रवाई पार्टी को दो ग्रुपों में बांट दिया।

दोनों ग्रुपों ने क्षेत्र की घेराबंदी की और उस क्षेत्र की तलाशी शुरू कर दी । लगभग 1130 बजे, पहले ग्रुप को निकटवती जंगल में कुछ गतिविधि होने का आभास हुआ और प्रभारी अधिकारी ने नाइट विजन डिवाइस के माध्यम से देखा और उन्हें तीन कम्बलधारी व्यक्ति दिखायी पड़े जो पहाड़ी की ओर जा रहे थे। उप पुलिस अधीक्षक (आपरेशन), अर्नास अपने अनुगामी मोहम्मद रफीक और एस पी ओ मोहम्मद रफीक के साथ उस ग्रुप को जंगल की ओर ले गए और आतंकवादियों का पीछा किया। इस समूह ने सावधानीपूर्वक अपनी पोजीशन ली और आतंकवादियों को रूकने और अपनी पहचान बताने का आदेश दिया किन्तु आतंकवादियों ने एकाएक अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी और मौके से बचकर भागने के लिए हथगोले फैंकने शुरू कर दिए। कार्रवाई दलों ने सूझबूझ के साथ जवाबी गोलीबारी की। निरीक्षक सुखवीर सिंह के नेतृत्व में दूसरा ग्रुप आतंकवादियों की ओर बढा जिन्होंने बड़े पत्थरों और पेड़ों के पीछे पोजीशन

ले रखी थी और जवाबी गोलीबारी की। निरीक्षक सुखवीर सिंह ने सामरिक तरीके से आतंकवादियों पर हमला बोल दिया और उनके बीच हुई मुठभेड़ में एक आतंकवादी को मार गिराया गया जिसकी पहचान बाद में एच एम गुट के अब्दुल हक उर्फ जहांगीर पुत्र सलामादीन निवासी लासूली, तहसील माहोर, जिला रियासी के रूप में हुई। लेकिन, अन्य आतंकवादी अंधेरे और घने जंगलों का फायदा उठाकर बचकर भाग गए। यह मारा गया आतंकवादी पी ओ के में प्रशिक्षित आतंकवादी था और रियासी जिले में वर्ष 1993 से सक्रिय था। वह विभिन्न श्रेणियों के सौ से ज्यादा व्यक्तियों के नरसंहार/कत्ल के लिए उत्तरदायी था। वह रियासी जिले में प्रानकोट/बरयाना नरसंहार के लिए भी उत्तरदायी था, जिसमें वर्ष 1998/99 के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय के 27+11(38) लोगों की हत्या की गई थी। वह सभी आतंकवादी गुटों का चीफ कोआर्डिनेटर, फाइनेंसियल चीफ, पूरे रियासी जिले में हथियारों एवं गोला-बारूद का वितरक, एचएम गुट का बटालियन कमाण्डर और इसके साथ-साथ आई ई डी विशेषज्ञ भी था। एचएम कैडर में सबसे वरिष्ठ होने की वजह से वह पूरे क्षेत्र से वाकिफ था और पहाड़ी भू-भाग में रहा करता था और पीओके की आई एस आई एजेंसी में एक जानी-मानी और मशहूर हस्ती था। उसके मारे जाने से एचएम कैडर को एक बड़ी क्षति हुई है और स्थानीय निवासियों को बड़ी राहत मिली है।

मुठभेड़ स्थल से निम्नलिखित बरामदगियां की गई:

(क) राइफल एके.47 -01
(ख) मैगजीन एके-सीरीज -01
(ग) बायनोक्यूलर -01
(घ) पाउच -01
(ड.) डायरी -01
(च) गोला बारूद एके. सीरीज -11 राउण्ड

इस मुठभेड़ में श्री सुखबीर सिंह निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 22.4.2008 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं.146-प्रेज/2010, राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

1. संजय कुमार शर्मा,
   उप पुलिस अधीक्षक
2. जावेद अख्तर मलिक,
   उप निरीक्षक

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

दिनांक 02.10.2008 को एस एस पी ऊधमपुर श्री सुरेन्द्र गुप्ता, आई पी एस को रामनगर तहसील में बाडोल के सार्वजनिक क्षेत्र में आतंकवादियों के घूमने-फिरने के बारे में एक विश्वशनीय सूचना प्राप्त हुई थी, एस एस पी ने इस सूचना की जानकारी एस डी पी ओ, रामनगर को दी और उन्हें इस क्षेत्र में तलाशी की कार्रवाई करने का निदेश दिया। श्री संजय शर्मा, उप पुलिस अधीक्षक, एस डी पी ओ, रामनगर ने पुलिस स्टेशन रामनगर के नफरी के साथ मिलकर उस क्षेत्र में तलाशी की कार्रवाई आरम्भ की जो दिनांक 03.10.2008 की शाम तक चलती रही किन्तु कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला। एस एस पी, ऊधमपुर ने अपने सूचना स्रोतों को फिर से सक्रिय किया और जानकारी एकत्रित करने के पश्चात उन्होंने एस डी पी ओ/एस एच ओ रामनगर को जिला पुलिस और 158वीं टी ए बटालियन के सैन्य कार्मिकों के साथ मिलकर उस क्षेत्र में तलाशी की कार्रवाई जारी रखने का निदेश दिया। परन्तु पुन: 04 अक्टूबर की शाम तक कोई सम्पर्क की पुष्टि नहीं हो पायी। दिनांक 05.10.2008 को एस एस पी अपने सुरक्षा कार्मिक के साथ मौके पर पहुंचे और यह विशिष्ट जानकारी एकत्रित की कि आतंकवादी खैल सेर मांजाला गांव में बूब-उल-दीन नामक एक स्थानीय व्यक्ति के मकान में छिपे हुए हैं। इस जानकारी के आधार पर, एस एस पी, ऊधमपुर ने बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से कार्रवाई की योजना तैयार की और उस घर की घेराबंदी की जहां आतंकवादी छिपे हुए थे। एस एस पी ऊधमपुर, एस डी पी ओ/एस एच ओ रामनगर के नेतृत्व में कार्रवाई पार्टियों ने भीतरी घेरा डाला और लेफ्टीनेन्ट कर्नल एच एस एस सिद्धू के नेतृत्व में सेना की चौथी पार्टी द्वारा वन क्षेत्र की तरफ से आतंकवादियों के बचकर भागने को रोकने के लिए बाहरी घेरा डाला गया। भीतरी घेराबंदी में तैनात सभी तीनों पुलिस पार्टियों ने छिपने के स्थान की और बढ़ना आरम्भ किया। पुलिस टीमों को आगे बढ़ता हुआ देखकर घर के भीतर छिपे आतंकवादी ने अंधाधुंध गोलबारी शुरु कर दी जिसकी जवाबी गोलीबारी की गई और मुठभेड़ शुरु हो गयी। श्री सुरेन्द्र गुप्ता, आई पी एस, एस एस पी, ऊधमपुर, एस डी पी ओ, रामनगर और एस एच ओ, रामनगर पुलिस स्टेशन, जो सामने की ओर से अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बगैर कार्मिकों का नेतृत्व कर रहे थे और गोलियों की घातक बौछार का सामना कर रहे थे, ने वीरता, बहादुरी और दुर्लभतम साहस का प्रदर्शन करते हुए मकान में रहने वाले लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा

की परवाह न करते हुए ये अधिकारी मकान की सबसे ऊपरी छत पर गए और आतंकवादियों की ओर से हो रही भारी गोलीबारी का सामना करते हुए छत में छेद किए। इन छेदों के जरिए अधिकारियों ने उन पर गोलियां चलाईं और उन्हें व्यक्तियों एवं सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने का मौका दिए बगैर मार गिराया। इसके पश्चात, मकान की तलाशी शुरु की गई और इस मुठभेड़ में मारे गए दो खूंखार आतंकवादियों की पहचान एल ई टी गुट के रिजवान कोड अबू तल्लाह निवासी पाकिस्तान (श्रेणी-ए) और मो. सब्बार उर्फ अबू हाजमा कोड अयूब अंसारी पुत्र अब्दुल अज़ीज़ बाकरवाल निवासी टाण्डा, तहसील रामनगर, जिला ऊधमपुर (श्रेणी-बी) के रूप में हुई। यह कार्रवाई 6 अक्तूबर, को सफलतापूर्वक सम्पन्न हुई।

मुठभेड़ स्थल से निम्नलिखित बरामदगियां की गईं:-

(क)	राइफल ए.के. 56	01	(जली हुई)
(ख)	राइफल .303 बट के बगैर	01	(जली हुई)
(ग)	मैगजीन .303	01	(क्षतिग्रस्त)
(घ)	मैगजीन ए के-56	03	(क्षतिग्रस्त)
(ड.)	वायरलेस सेट	01	(जला हुआ)
(च)	एन्टीना वायरलेस सेट	01	(जला हुआ)
(छ)	राउण्ड .303 (जिन्दा)	13	राउण्ड्स
(ज)	राउण्ड ए.के. 56 (जिन्दा)	19	राउण्ड्स
(झ)	मोबाइल सेट (नोकिया)	02	(जला हुआ)
(ञ)	हाथ की घड़ी	02	(जली हुई)
(ट)	पर्स	02	(जले हुए)
(ठ)	एअरसेल कार्ड	03	
(ड)	नकद भारतीय मुद्रा	1,705/-रु.	(जले हुए)
(ढ)	पाऊच	02	(जले हुए)
(ण)	मोबाइल चार्जर लीड	01	(जली हुई)
(त)	पैंसिल सेल	10	
(थ)	खाली खोखा ए के-56	31	
(द)	खाली खोखा .303	13	
(ध)	पुल थ्रो	01	(जला हुआ)
(न)	चाकू	01	
(प)	सेविंग मशीन	01	
(फ)	समाचार पत्र की कतरनें	02	
(ब)	बैटरी मोबाइल सेट	02	(जला हुआ)

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री संजय कुमार शर्मा, उप पुलिस अधीक्षक और जावेद अख्तर मलिक, उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 06.10.2008 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं.147-प्रेज/2010, राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

<u>अधिकारी का नाम और रैंक</u>
श्री मोह. रफीक,
सहायक उप निरीक्षक

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

दिनांक 8.3.2009 को एसटीएफ, गूल के सहायक उप निरीक्षक मोह. रफीक को गूल में भाटास भीमदास्सा के क्षेत्र में आतंकवादियों के घूमने-फिरने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई। तुरन्त उस क्षेत्र के अत्यधिक ऊँचाई वाले क्षेत्र में घेराबन्दी और तलाशी की कार्रवाई शुरू कर दी गई। लगभग 0230 बजे, कुछ अज्ञात आतंकवादियों ने कार्रवाई दल पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी और उसकी जवाबी गोलीबारी की गई। ए.एस.आई मो. रफीक जो कार्रवाई दल का नेतृत्व कर रहे थे, ने तलाशी दल को इस तरीके से तैनात किया ताकि घनी झाड़ियों में छिपे आतंकवादियों को बच निकलने से रोका जा सके। ए एसआई मो. रफीक और उसके कार्मिक युक्तिपूर्ण बुद्धिमत्ता और अनुकरणीय साहस का प्रदर्शन करते हुए कुछ दूरी तक घुटनों के बल चलने के पश्चात, लक्ष्य स्थान के बिलकुल नजदीक पहुंच गए और छिपे हुए आतंकवादियों पर गोलीबारी कर दी और इस आमने-सामने की मुठभेड़ में ए एस आई ने एक आतंकवादी के सीने पर गोली मारकर मार गिराया । दूसरे आतंकवादी को कार्रवाई दल द्वारा दिनांक 9.3.2009 को अगले दिन सुबह मार गिराया गया।

मुठभेड़ स्थल से निम्नलिखित हथियार/गोला-बारूद बरामद किए गए:-

(क)	स्निपर राइफल	-01
(ख)	मैगजीन स्निपर	-01
(ग)	राउण्डस स्निपर	-05
(घ)	राइफल .303	-1
(ड)	मैगजीन 303	-01

(च) राउण्डस.303 02 राउण्ड

इस मुठभेड़ में श्री मोह. रफीक, सहायक उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 8.3.2009 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं.148-प्रेज/2010, राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार सहर्ष प्रदान करती हैं:-

<u>अधिकारी का नाम और रैंक</u>

श्री मुबस्सिर लतीफी,
पुलिस अधीक्षक

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

दिनांक 11.5.2008 को करीब 0600 बजे यह सूचना प्राप्त हुई कि दो आतंकवादी राख अम्बताली साम्बा गांव में किसी होशियार सिंह के मकान में घुस गए हैं और घर में रहने वाले लोगों पर अंधाधुंध गोलीबारी कर दी है जिसके परिणामस्वरूप, होशियार सिंह और उनकी पत्नी शशिवाला की मौके पर ही मृत्यु हो गई है और उनकी बेटी और उनकी सास गम्भीर रूप से घायल हो गई हैं। इस जघन्य आतंकवादी कृत्य को अन्जाम देने के पश्चात वे आतंकवादी कैली मण्डी, जिला साम्बा की ओर निकल गए और किसी सुरेश सिंह के मकान में शरण ली और महिलाओं और बच्चों सहित मकान में रहने वाले सभी लोगों को बन्धक बना लिया।

पुलिस अधीक्षक आपरेशन, जम्मू श्री मुबस्सिर लतीफी, जो जिला साम्बा का चार्ज संभाले हुए थे, तत्काल अपने विशेष कार्रवाई दस्ते के साथ मौके पर पहुंचे और उस मकान की घेराबन्दी कर ली जहां से आतंकवादी अंधाधुंध गोलियां चला रहे थे। चूंकि बंधक लोगों की सुरक्षा और रक्षा सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी; अतः आतंकवादियों पर धुएं का प्रयोग करके इन बन्धकों की अमूल्य जान को बचाने के हर-सम्भव प्रयास किए गए। विशेष कार्रवाई दस्ता का एक दल, जिसे फायर कवर दिया जा रहा था, ने आतंकवादियों द्वारा की जा रही भीषण गोलीबारी के बीच पीछे वाली खिड़की से सिविलियन को सुरक्षित बाहर निकाला। बंधक बनाए गए लोगों को सुरक्षित निकालने के पश्चात, पुलिस अधीक्षक मुबास्सिर लतीफी ने अपने चुनिन्दा दस्ते के साथ जोरदार हमला शुरू किया जिस पर छिपे हुए आतंकवादियों ने अपने स्वचालित हथियारों से अंधाधुंध गोलीबारी करनी शुरू कर दी और ताबड़तोड़ राइफल ग्रेनेड फैंकना शुरू कर दिया। उनके जवाबी हमले से निर्भीक, श्री मुबस्सिर लतीफी ने अपनी सूझ-बूझ का परिचय दिया और आतंकवादियों से मोर्चा

लेते हुए धीरे-धीरे लक्षित मकान की ओर बढ़ते रहे और एक आतंकवादी को ढ़ेर कर दिया। दूसरा आतंकवादी जो अभी भी मकान में छिपा हुआ था, लगातार गोलीबारी कर रहा था और राइफल ग्रेनेड फैंक रहा था जिसके फलस्वरूप पुलिस अधीक्षक मुबस्सिर लतीफी के चेहरे और बाएं हाथ में हथगोलों के टुकड़ों से बहुत सारे घाव हो गए। यद्यपि उन घावों से तेज खून बह रहा था, फिर भी अधीक्षक ने अपनी धैर्य नहीं खोया और अपने साथियों को आतंकवादियों से संघर्ष जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करते रहे और इस भीषण और आमने-सामने की जंग में दूसरे आतंकवादी को भी ढेर करने में सफलता प्राप्त की। घटनास्थल से भारी मात्रा में हथियार और गोलाबारूद बरामद किया गया। श्री मुबस्सिर लतीफी, पुलिस अधीक्षक आपरेशन, जम्मू ने इस कार्रवाई के दौरान उत्कृष्ट नेतृत्वगुण का परिचय दिया और अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बगैर मोर्चे पर आगे रहकर इस कार्रवाई का स्वतः संचालन किया।

कार्रवाई स्थल से निम्नलिखित बरामदगियां की गई:-

(क)	एके. 47 राइफल	-02
(ख)	मैगजीन एके.	-10
(ग)	एके राउण्डस	-250 राउण्ड
(घ)	यू बी जी एल	-01
(ड.)	हैण्डग्रेनेड	-03
(च)	नाइट विजन गॉगल	-01
(छ)	अन्य विविध सामान	-14

इस मुठभेड़ में श्री मुबस्सिर लतीफी पुलिस अधीक्षक, ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक का प्रथम बार नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 11.5.2008 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं.149-प्रेज/2010, राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

अधिकारियों का नाम और रैंक

सर्व श्री

1. शाहनवाज अहमद,
   एस जी कांस्टेबल
2. पृथ्वी राज,
   एस जी. कांस्टेबल
3. दीपक भट
   कांस्टेबल
4. आजाद अहमद नाइक,
   कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

पुलिस स्टेशन जैनपुरा शोपियान के अन्तर्गत आने वाले ग्राम कोका, मोहल्ला मलहोत्रा में 'ए' श्रेणी के दो आतंकवादियों नामतः रयीस अहमद डार उर्फ रयीस काचरू पुत्र हुसैन भट निवासी रंजगाम पुलवामा और अब्दुल रशीद भट-उर्फ इश्फाक पुत्र मो. अब्दुल्ला भट निवासी वाची पुलवामा जो एच एम गुट के संभागीय कमाण्डर और जिला कमाण्डर थे, के मौजूद होने के संबंध में प्राप्त जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस पार्टी तुरंत उक्त गांव की ओर गई और दिनांक 17.12.2008 को बड़े सुबह ही उस क्षेत्र की घेराबन्दी कर ली।

एस जी कांस्टेबल शाहनवाज अहमद, कांस्टेबल दीपक भट; कांस्टेबल आजाद अहमद नाइक और एसजी कांस्टेबल पृथ्वीराज संदिग्ध छिपने के ठिकाने की तरफ बढ़े और पुलिस पार्टी को युक्तिपूर्ण तरीके से उक्त गांव के चारों और तैनात कर दिया । जब उन्होंने लक्षित मकान की ओर बढ़ने का प्रयास किया तो भीतर छिपे हुए आतंकवादियों ने ग्रेनेड फैंकना और पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दिया। पुलिस पार्टी द्वारा जवाबी गोलीबारी करने पर,

आतंकवादी छिपने के ठिकाने पर वापस चले गए। इसी बीच 55 आर आर की सैन्य टुकड़ियां भी वहां पहुंच गई और उन्होंने बाहरी घेराबन्दी कर ली।

असाधारण सूझबूझ और साहस का प्रदर्शन करते हुए, पुलिस कार्मिकों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर आतंकवादियों के ठिकाने के बहुत ही निकट कवर ले लिया और उन्हें गोलीबारी में उलझा दिया। आतंकवादी जब उक्त मकान से बच निकलने का प्रयास करते हुए पुलिस पार्टी पर ग्रेनेड फेंकते हुए और भीषण गोलियां बरसाते हुए बाहर निकले तो समय पर जवाबी गोलीबारी किए जाने की वजह से दोनों आतंकवादी मार गिराए गए। मारे गए आतंकवादी वर्ष 1996 से सक्रिय थे और शोपियान और पुलवामा में नागरिकों, सुरक्षा बल के कार्मिकों की हत्याओं जैसे अनेक अपराधों में संलिप्त थे। इन आतंकवादियों के मारे जाने से, एच एम गुट को बहुत आघात लगा। इस संबंध में पुलिस स्टेशन जैनपुरा, शोपियन में धारा 307 आर पी सी, 7/27 आयुध अधिनियम के तहत मामले की एफआईआर संख्या 98/2008 दर्ज है।

मुठभेड़ स्थल से निम्नलिखित बरामदगियां की गई:-

(क)	राइफल एके-47	01
(ख)	एके-56	01
(ग)	एके मैगजीन	03(02-क्षतिग्रस्त)
(घ)	एके राउण्ड्स	10 राउण्ड्स
(ड.)	पाउच	02
(च)	मोबाइल	01

इस मुठभेड़ में श्री शाहनवाज अहमद, एस जी कांस्टेबल, पृथ्वीराज, एस जी कांस्टेबल, दीपक भट्, कांस्टेबल और आजाद अहमद नाइक, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 17.12.2008 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं.150-प्रेज/2010, राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक अर्हर्ष प्रदान करती हैं:-

<u>अधिकारी का नाम और रैंक</u>

श्री अब्दुल खालिद
निरीक्षक

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

दिनांक 2 जून, 2008 को मोहम्मद शुभान डार पुत्र गु. मोहम्मद निवासी विझारा बान्दीपुरा के मकान में आतंकवादी के मौजूद होने के बारे में विशिष्ट सूचना मिलने पर निरीक्षक, अब्दुल खालिद, एस एच ओ, पुलिस स्टेशन बान्दीपुरा की कमान में पुलिस पार्टी तुरंत विझारा बान्दीपुरा गांव की ओर गई और संदिग्ध मकान की घेराबन्दी कर ली। जब उस मकान की सभी ओर से घेराबन्दी की जा रही थी, उसी समय निरीक्षक अब्दुल खालिद, एस एच ओ, पुलिस स्टेशन बान्दीपुरा और उनकी टीम ने लक्ष्य स्थल की ओर बढ़ना आरम्भ किया। उनके मौके पर पहुंचते ही आतंकवादियों ने ग्रेनेड फेंकने शुरू कर दिए और पुलिस पार्टी पर गोलियों की बौछार शुरू कर दी। तथापि, जवाबी गोलीबारी करने से पहले, निरीक्षक अब्दुल खालिद और उनकी टीम, मुठभेड़ स्थल से नागरिकों को सुरक्षित निकालने का दुष्कर कार्य करने में लगी रही। यह उनकी उत्कृष्ट पेशेवरता और सूझबूझ ही थी कि वह टीम सभी नागरिकों को सफलतापूर्वक सुरक्षित निकाल सकी। इनके पश्चात, आतंकवादियों के साथ भीषण गोलीबारी की जंग छिड़ गई और निरीक्षक, अब्दुल खालिद अपने उत्कृष्ट नेतृत्वगुण के साथ अपने साथियों को उस मकान की ओर ले गए और दीवार के पीछे पोजीशन ली और छिपे हुए आतंकवादियों पर व्यापक पैमाने पर आक्रमक हमला बोल दिया। मुठभेड़ के दौरान निरीक्षक ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बगैर मुठभेड़ का सामना किया और उस कमरे के अन्दर ही आतंकवादियों को ढ़ेर कर दिया जहां वे छिपे हुए थे। यह निरीक्षक अब्दुल खालिद द्वारा प्रदर्शित साहस और वीरता का ही नतीजा था कि मुठभेड़ स्थल पर बहुत ही असुरक्षित स्थिति में होने के बावजूद किसी के हताहत हुए बगैर उन्होंने दोनों आतंकवादियों को ढ़ेर कर दिया। इन मारे गए आतंकवादियों की पहचान रहीमुल्लाह निवासी पाकिस्तान: एचयूएम आतंकवादी गुट के तथाकथित जिला कमांडर और मोहम्मद सजद उर्फ छोटा साजद, निवासी पाकिस्तान, एचयूएम आतंकवादी गुट के तथाकथित बटालियन कमाण्डर के रूप में हुई। इस कार्रवाई में बरामद किए गए हथियारों एवं गोला-बारूद में दो एके-47 राइफलें, 01 एके-56 राइफल, पांच एके मैगजीनें, तीन हथगोले, 02 पाउच और 02 मोबाइल फोन शामिल थे। इस घटना के संबंध में पुलिस स्टेशन बान्दीपुरा में एक मामला धारा 307 आर पी सी, 7/27, आयुध अधिनियम के तहत एफआई आर संख्या 107/08 दर्ज है। इन दोनों आतंकवादियों, जो बांदीपुरा क्षेत्र में काफी लम्बे अर्से से सक्रिय थे और अनेक
40 जघन्य अपराधों अर्थात सुरक्षा बलों पर हमला करने और नागरिकों की हत्या करने में संलिप्त थे,

का मारा जाना पुलिस के लिए वास्तव में एक बड़ी उपलब्धि थी और आतंकवादी संगठन के लिए एक आघात था।

इस मुठभेड़ में श्री अब्दुल खालिद, निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 2.6.2008 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं.151-प्रेज/2010, राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. संजय कुमार परिहार,
   उप पुलिस अधीक्षक
2. दर्शन सिंह
   कांस्टेबल

इन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 10.02.2008 को एस ओ जी पट्टन को किसी अब्दुल खालिक भट पुत्र समद भट निवासी तंत्रायपुरा, पलहल्ला के मकान में आतंकवादियों के मौजूद होने के बारे में एक विशिष्ट सूचना प्राप्त होने पर, श्री संजय कुमार परिहार, उप पुलिस अधीक्षक(आपरेशन) पट्टन की कमान में पट्टन पुलिस द्वारा सुरक्षा बलों की सहायता से उक्त गांव की तलाशी कार्रवाई शुरु की गई थी। पुलिस पार्टी को देखकर आतंकवादियों ने उप पुलिस अधीक्षक और कांस्टेबल दर्शन कुमार जो मोर्चे पर आगे थे, पर ग्रेनेड और गोलियों की बौछार शुरु कर दी। सराहनीय सूझबूझ और नेतृत्वगुण का प्रदर्शन करते हुए उक्त अधिकारी और कांस्टेबल दर्शन सिंह तेजी के साथ मकान की ओर बढ़े और दीवार के पीछे पोजीशन ले ली और आतंकवादियों को भीषण गोलीबारी की जंग में उलझा लिया। मुठभेड़ के दौरान श्री संजय कुमार परिहार, उप पुलिस अधीक्षक(आपरेशन), पट्टन और कांस्टेबल दर्शन सिंह ने सूझबूझ का परिचय दिया और उन पर बड़े पैमाने पर सामूहिक हमला कर दिया जिसके फलस्वरुप दोनों आतंकवादियों को उस कमरे के अंदर ही ढेर कर दिया गया जहां से वे पुलिस पार्टी को अपना निशाना बना रहे थे।

आतंकवादियों से मुकाबला करने के दौरान दोनों पुलिस कार्मिकों ने छिपने के ठिकाने पर हमला करके अत्यधिक एकजुटता और फुर्ती का प्रदर्शन किया जिसके फलस्वरुप इन

आतंकवादियों को ढ़ेर किया गया। मुठभेड़ स्थल पर असुरक्षित स्थिति में होने के बावजूद उप पुलिस अधीक्षक और उनके कांस्टेबल द्वारा प्रदर्शित अत्यधिक साहस, वीरता और शौर्य तथा अधिकारी की अपने साथियों के मनोबल को ऊंचा बनाए रखने की नेतृत्व क्षमता इन दोनों आतंकवादियों को ढ़ेर करने में सहायक सिद्ध हुई जिनकी पहचान एच एम आतंकवादी गुट के जहूर अहमद गनाई उर्फ फिरदौस पुत्र गुलाम हसन गनाई निवासी चन्दरहामा पट्टन और नजीर अहमद पर्राय उर्फ पठान पुत्र गुलाम रसूल पर्राय निवासी गोशबुग के रूप में हुई। मुठभेड़ स्थल से बरामद किए गए हथियारों और गोला बारुद में के दो ए के-47 राइफलें, 07 ए के मैगजीनें, ए के गोला-बारुद के पचहत्तर राउण्ड्स, तीन यू बी जी एल शेल, दो पाउच और एक मोबाइल चार्जर शामिल थे। उक्त घटना के संबंध में धारा 307 आई पी सी, 7/27 आयुध अधिनियम के तहत मामले की एफ आई आर सं. 14/28 पुलिस स्टेशन पट्टन में दर्ज है। यहां यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि मारा गया एक आतंकवादी अर्थात जहूर अहमद गनाई, हिजबुल-मुजाहिद्दीन गुट का तथाकथित कमाण्डर था और उस क्षेत्र में काफी लम्बे अर्से से सक्रिय था। वह अनेक अपराधों में संलिप्त था जिनमें सुरक्षा बलों पर हमला करना और नागरिकों की हत्याएं करना शामिल है।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री संजय कुमार परिहार, उप पुलिस अधीक्षक और दर्शन सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 10.02.2008 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं.152-प्रेज/2010, राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

<u>अधिकारी का नाम और रैंक</u>

श्री रियाज अहमद,
हेड कांस्टेबल

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

दिनांक 17.10.2008 को कुपवाड़ा जिला (जम्मू और कश्मीर) के शमरियाल क्षेत्र में एक आतंकवादी के मौजूद होने के संबंध में विशिष्ट सूचना मिलने पर, जम्मू और कश्मीर पुलिस (विशेष कार्रवाई दस्ता, कुपवाड़ा) और 47 आर आर द्वारा संयुक्त कार्रवाई की योजना बनाई गई और इसे कार्यरूप दिया गया। हेड कांस्टेबल रियाज अहमद कुछेक पुलिस कार्मिकों के साथ उस स्थान की ओर तुरंत गए जहां आतंकवादी छिपा था। उनके साथ 47 आर आर के कार्मिक भी थे और उनके द्वारा उस क्षेत्र की घेराबन्दी और तलाशी की संयुक्त कार्रवाई शुरू की गई। इस कार्रवाई में, हेड कांस्टेबल रियाज अहमद और उनके साथियों पर आतंकवादी ने हमला कर दिया और उसने हेडकांस्टेबल रियाज अहमद और उनकी पार्टी पर ग्रेनेड़ों और गोलियों की बौछार शुरू कर दी। तथापि, हेड कांस्टेबल ने युद्ध रणनीति में अपनी दक्षता का फायदा उठाया और इस भीषण जंग में जवाबी कार्रवाई करने के लिए अपने साथियों का नेतृत्व करते हुए आश्चर्यजनक नेतृत्व गुण का प्रदर्शन किया। चूंकि आतंकवादी के छिपने का वह स्थान आपरेशन पार्टी को नुकसान पहुंचाने और घटना स्थल से उसके भागने के लिए पूर्णत: सुरक्षित था; अत: हेड कांस्टेबल रियाज अहमद ने अपने साथियों को इस तरीके से तैनात किया कि चारों ओर से आतंकवादी की कड़ी घेराबन्दी की जा सके और उस पर तुरन्त जवाबी गोलीबारी की जा सके। आतंकवादी की हरकतों और घटनास्थल से भाग जाने की उनकी योजना को देखकर, हेड कांस्टेबल रियाज अहमद ने सूझबूझ का परिचय दिया और जवाबी गोलीबारी करते हुए लक्ष्य स्थल की ओर बढ़ने लगे। आतंकवादी ने ग्रेनेड फेंककर और गोलियों की बौछार करके हेड कांस्टेबल को निशाना बनाने का प्रयास किया किन्तु वह अपनी सूझबूझ और रणनीतिक बुद्धिमत्ता के द्वारा आतंकवादी के बिलकुल नजदीक पहुंचने में कामयाब हो गए। इस कार्रवाई के दौरान

उनके साथियों ने उनका साथ दिया और उन्हें आतंकवादी की गोलीबारी से संरक्षण मुहैया कराया। किसी ऐसे स्थान पर पोजीशन लेने के प्रयत्न में जो आतंकवादी की गोलीबारी से उन्हें सुरक्षा प्रदान कर सके, हेड कांस्टेबल रियाज अहमद ने आतंकवादी के ठीक सामने एक स्थान पर अपनी पोजीशन ले ली। यह हेड कांस्टेबल की महान वीरता ही थी कि उन्होंने एक ऐसे खूंखार आतंकवादी को ढेर कर दिया जिसकी पहचान जेईएम गुट के अबू हमजा के रूप में हुई जो उन सर्वाधिक वांछित आतंकवादियों में से एक था जो उत्तरी कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय रूप से आतंकवादी गतिविधियां संचालित कर रहा था। कार्रवाई के दौरान बरामद किए गए हथियारों एवं गोला बारूद में एक ए.के. 47 राइफल, दो ए.के. मैगजीने, इक्यावन ए.के. राउण्ड्स और एक पाउच शामिल है।

इस मुठभेड़ में श्री रियाज अहमद, हेड कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 17.10.2008 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं.153-प्रेज/2010, राष्ट्रपति, झारखण्ड पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

1. आनन्द जोसेफ टिग्गा,
   उप पुलिस अधीक्षक
2. जगदीश प्रसाद,
   निरीक्षक
3. सुधीर कुमार
   उप निरीक्षक
4. गणेश चन्द्र पान,
   कांस्टेबल
5. प्रेम प्रकाश,
   कांस्टेबल
6. लक्ष्मण पूर्ति
   कांस्टेबल

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

एस पी जमशेदपुर के नेतृत्व में की गई एक बड़ी कार्रवाई में, छापामार दल यह विशिष्ट सूचना प्राप्त होने पर भीटारमडा गांव पहुंचा कि गांव वालों द्वारा दो नक्सलियों को मार गिराया गया है। इस बात की पूर्ण आशंका थी कि उस दस्ते के बाकी सदस्य वापस आएंगे और इसका बदला लेंगे।

एक बुद्धिमत्तापूर्ण योजना तैयार की गई और दो छापामार दल बनाए गए, पहले दल का नेतृत्व एस पी द्वारा स्वयं किया गया, दूसरे पुलिस दल का नेतृत्व उप पुलिस अधीक्षक आनन्द जोसेफ टिग्गा द्वारा किया गया। सारी रात दस्ते की तलाश में पहाड़ियों में घूमने के पश्चात, पहले छापामार दल का सामना दिनांक 14.02.2008 को 0700 बजे शत्रुओं से हुआ जिसमें माओवादियों को घने जंगलों में भागने पर मजबूर कर दिया गया। गोलियों की आवाज सुनकर और भाग रहे नक्सलियों की सामान्य दिशा का अनुमान लगाकर दूसरा छापामार दल उस दस्ते का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ने लगा। करीब 0800 बजे उप अधीक्षक आनन्द जोसेफ टिग्गा के नेतृत्व में चल रहे दल का सामना भाग रहे नक्सली दस्ते के साथ हो गया और भीषण गोलीबारी शुरु हो गई। जब दूसरी ओर से एक घण्टे तक गोलीबारी बंद नहीं हुई तो नामितियों ने एक-दूसरे को कवरिंग फायर देते हुए अपनी जान की परवाह किए बगैर आगे बढ़ने का निश्चय किया। उप पुलिस अधीक्षक और नामितियों द्वारा किए इस हमले से नक्सलियों द्वारा ली गई पोजीशन पता चली जो निर्णायक सिद्ध हुई और अन्ततः पांच नक्सलियों को मार गिराया

गया और प्रचार-प्रसार सामग्री के साथ-साथ भारी मात्रा में हथियारों और गोला-बारुद की बरामदगी हुई। यहां यह उल्लेखनीय है कि इस मुठभेड़ में बरामद की गई इन्सास राइफल वही राइफल थी जो सांसद सुनील महतो हत्याकाण्ड मामले में लूट ली गई थी। इस दस्ते के सदस्य, दिवगंत संसद सदस्य की हत्या में सक्रिय रूप से शामिल थे। मुठभेड़ स्थल से निम्नलिखित बरामदगियां की गईं:-

<u>हथियार:</u>

(i) 5.56 इन्सास पुलिस राइफल जिसमें आयुधशाला संख्या 16816258 और बट संख्या 333/डी (जे ए पी) अंकित है और तीन (3) मैगजीनें।

(ii) .303 बोर पुलिस राइफल मार्क 4 जिसमें संख्या एम. 194315972 अंकित है।

(iii) .315 रेगुलर राइफल जिसमें आयुधशाला संख्या ए आर. 02/6745 अंकित है।

(iv) दो एस बी बी एल बंदूक

(v) एक 9 एम एम पिस्टल और दो मैगजीनें।

<u>गोला-बारुद:</u>

(i) 5.56 बोर इन्सास-45 (पैंतालीस)

(ii) .303 बोर-40 (चालीस)

(iii) .315 बोर 39 (उन्तालीस)

(iv) 12 बोर-21 (इक्कीस)

<u>खाली कारतूस:</u>

(i) ए के 47 -24

(ii) 5.56 इन्सास-17(सत्रह)

<u>विस्फोटक:</u>

(i) डिटोनेटर-7 पीस

(ii) इलेक्ट्रिक वायर-20 मीटर की एक क्वायॅल।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री आनन्द जोसेफ टिग्गा, उप पुलिस अधीक्षक, जगदीश प्रसाद, निरीक्षक, सुधीर कुमार, उप निरीक्षक, गणेश चन्द्र पान, कांस्टेबल, प्रेम प्रकाश, कांस्टेबल और लक्ष्मण पूर्ति, कांस्टेबल, ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 14.02.2008 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं.154-प्रेज/2010, राष्ट्रपति, झारखण्ड पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. सत्येन्द्र सिंह,
   उप संभागीय पुलिस अधिकारी
2. मनीष चन्द्र लाल,
   उप निरीक्षक
3. अमर नाथ,
   उप निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 31.03.2008 को करीब 0630 बजे सायं सत्येन्द्र सिंह, एस डी पी ओ, गढ़वा और सहायक कमाण्डेन्ट पशुपति नाथ तिवारी की कमान में मनीष चन्द्र लाल, ओ/सी रांका, अमरनाथ ओ/सी भण्डारिया और सी आर पी एफ डी/13 और जे ए पी-7 के बल के साथ आपरेशन "थण्डर" चलाया गया। बेलवन्दामार में, पुलिस को पता चला कि नक्सलियों के अनेक दस्ते मखाटू गांव में एकत्र हो रहे हैं। पुलिस ने मखाटू की तरफ सावधानी के साथ बढ़ने का निर्णय लिया। मखाटू की ओर बढ़ते समय, पुलिस दल को बन्दू की ओर से एक वाहन आता हुआ दिखायी दिया। जब यह वाहन, जो एक ट्रैक्टर था, पुलिस पार्टी के समीप पहुंचा तो एस डी पी ओ, गढ़वा और सी आर पी एफ के सहायक कमाण्डेन्ट ने टार्च की लाइट के जरिए उस वाहन को रुकने का संकेत दिया। ज्यों ही टार्च की लाइट उस ट्रैक्टर पर पड़ी, ट्रैक्टर में बैठे 15-20 नक्सली, जिनमें से कुछेक सादे कपड़ों में थे और कुछ वर्दी में थे, ट्रैक्टर से कूदने लगे और उन्होंने अपनी पोजीशन ले ली। एस डी पी ओ गढ़वा, ए सी पशुपति नाथ तिवारी, उप निरीक्षक अमरनाथ और उप निरीक्षक, मनीष चन्द्र लाल के नेतृत्व में पुलिस पार्टी ने बल को तुरन्त अपनी पोजीशन लेने के लिए कहा। यह देखते ही नक्सलियों ने पुलिस पर भीषण और अंधाधुंध फायरिंग शुरु कर दी। पुलिस ने नक्सलियों को गोलीबारी बंद करने और आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। किन्तु उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ और वे गोलीबारी करते रहे। कोई विकल्प

न रहने पर, एस डी पी ओ, गढ़वा ने बल को नियंत्रित गोलीबारी करने का आदेश दिया। ए सी, पी एन तिवारी ने हवलदार प्रदीप पाण्डे को अपनी ए.के.-47 राइफल से और कांस्टेबल सुनील कुमार को मार्टर से फायर करने का आदेश दिया। कांस्टेबल शरद कुमार ने कवरिंग फायर प्रदान की। इसी बीच हवलदार पी.के. पाण्डे ने मुख्यालय को सूचना दे दी जिससे बाद में समय पर अतिरिक्त बल पहुंचने में सहायता मिली। निरीक्षक विजय पाल, जो दाहिनी ओर अपनी पोजीशन लिए हुए थे, भी सामने की ओर बढ़े और कांस्टेबल बृजेश कुमार को कवर फायर करने का आदेश दिया जिनकी मदद कांस्टेबल रामनयन द्वारा मार्टर से फायरिंग करके की गई। एस डी पी ओ, गढ़वा, उप निरीक्षक मनीष चन्द्र लाल और उप निरीक्षक अमर नाथ ने भी अपनी-अपनी पोजीशन ली और गोलीबारी जारी रखी। गोलीबारी रुकने के पश्चात पुलिस पार्टी ने अतिरिक्त बल द्वारा तलाशी शुरु किए जाने के लिए दिन के उजाले का इन्तजार किया। तलाशी किए जाने पर नक्सलियों के 8 शव, एक एस एल आर, तीन 315 राइफलें, पांच 303 राइफलें, एक कारबाईन, एक डी बी बी एल और एक देशी पिस्टल के साथ भारी मात्रा में गोला-बारुद और विस्फोटक तथा रोजाना उपयोग के सामान बरामद हुए।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री सत्येन्द्र सिंह,उप संभागीय पुलिस अधिकारी, मनीष चन्द्र लाल, उप निरीक्षक और अमरनाथ, उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 01.04.2008 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं.155-प्रेज/2010, राष्ट्रपति, झारखण्ड पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री नीरज कुमार सिंह

उप निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 19/20.04.2008 की रात्रि को अपनी जान को जोखिम में डालते हुए इस नामिती ने बड़ी ही बहादुरी और सफलता के साथ नवाडीह पुलिस स्टेशन, जिला बोकारो के अन्तर्गत ग्राम बुदगड्डा के पास मुठभेड़ की जिसके परिणामस्वरुप खूंखार नक्सली सेवा राम मांझी मारा गया जो इस राज्य के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में लगभग एक दर्जन मामलों में वांछित और आरोप-पत्रित था। इसका उल्लेख नवाडीह पुलिस स्टेशन मामला संख्या 31/08 दिनांक 20.04.2008 धारा 147/148/149/353/307 आई पी सी, 27 आयुध अधिनियम, 3/वी विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 10/13 यू ए पी एक्ट के अन्तर्गत है।

संक्षेप में, दिनांक 19.04.2008 को यह गोपनीय सूचना प्राप्त होने पर कि करीब 20-25 सशस्त्र माओवादी जिनमें सेवा राम मांझी, चन्द्र मांझी, अभिषेक जी और नवीन मांझी, जो झारखण्ड बिहार स्पेशल एरिया कमेटी (एस ए सी) का एक सदस्य था, के नेतृत्व में अन्य नक्सलियों जैसे दुर्दान्त नक्सली शामिल है, नवाड़ीह पुलिस स्टेशन के बुदगड्डा के जंगल में छिपे हुए हैं और बोकारो थर्मल पुलिस स्टेशन के हथियारों को लूटने के अपने नापाक उद्देश्यों को पूरा करने की योजना बना रहे हैं। यह गुप्त सूचना मिलने पर नामिती ने तत्काल, एस डी पी ओ, बेरमो श्री ए.वी. मिंज, आई पी एस से सलाह-मशविरा किया और उनके निदेश पर नामिती श्री नीरज कुमार सिंह के नेतृत्व में एक छापामार दल का गठन किया गया जिसमें एस आई भोला सिंह ओ/सी विष्णुगढ़ पुलिस स्टेशन, एस आई अजय कुमार ओ/सी आई ई एल पुलिस स्टेशन, 12/ए, सी आर पी एफ और एस टी एफ की सशस्त्र टुकड़ी शामिल थे। छापा मारने के लिए प्रस्थान करने से पहले छापामार दल को तीन दलों में विभाजित किया गया। सशस्त्र बल के एक प्लाटून वाले एक दल को नामिती के नेतृत्व में रखा गया, जिसे लक्ष्य अर्थात बुदगड्डा के जंगलों में छिपने के ठिकाने को निशाना बनाना था, जबकि अन्य दो दलों को उस क्षेत्र की घेराबंदी करना था और प्रमुख छापामार पार्टी को सहायता पहुंचाना था। यह समग्र कार्रवाई रात्रि के अंधेरे में की जानी थी।

नामिती के नेतृत्व में, छापामार दल तुरंत हरकत में आया और उसने 21.00 बजे अपने मिशन के लिए प्रस्थान किया जिसके पीछे शेष दोनों दलों ने भी प्रस्थान किया। आई ई, पुलिस स्टेशन से प्रस्थान करके कोनार नदी को पार करने के बाद, छापामार दल नामिती के नियंत्रण एवं कमान में लगभग 10 कि.मी. की पैदल दूरी तय करके सुबह करीब 01.00 बजे बुदगड्डा के

जंगलों के नजदीक पहुंच गये। ज्यों ही वे उक्त जंगल में पहुंचे, छिपने के ठिकाने की सुरक्षा में तैनात सशस्त्र उग्रवादियों ने खतरे को भांप लिया और एस आई नीरज कुमार सिंह के नेतृत्व वाले छापामार दल पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरु कर दी। नामिती ने अपना धैर्य नहीं खोया। अपने को संकटपूर्ण स्थिति में पाकर और आत्मरक्षा, बल के कर्मियों की जान बचाने एवं हथियारों को सुरक्षित रखने का कोई अन्य विकल्प न देखकर, नामिती ने बल के साथ अपनी पोजीशन ली और जवाबी गोलीबारी शुरु कर दी जिसके परिणामस्वरुप तीन उग्रवादी जख्मी हो गए। उनमें से एक उग्रवादी, जो गंभीर रूप से जख्मी हो गया था, ने बुदगड्डा गांव के तुलसी ठाकुर के निर्माणाधीन मकान में शरण ली। बाद में, उसकी पहचान परसाबेरा के सेवाराम मांझी के रूप में हुई जिसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। तथापि, नवीन मांझी, एस ए सी सदस्य, चन्दू मांझी, उपमंडलीय कमाण्डर और अभिषेक जी, एरिया कमाण्डर और अन्य उग्रवादी बचकर भाग गए। तलाश करने पर हथगोले, डेटोनेटर, फ्यूज वायर और कारतूस जैसे अत्याधुनिक हथियार और गोला-बारुद भारी मात्रा में बरामद किए गए।

सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि मुठभेड़ के बाद नामिती ने जख्मी हुए सेवाराम मांझी को न केवल ढूंढ निकाला बल्कि उसे निकटस्थ एस वी सी अस्पताल भेजकर उसकी जान बचाने की भरसक कोशिश की जो उनकी बहादुरी के साथ-साथ मानव जाति की सेवा अर्थात किसी व्यक्ति की जान बचाने की भावना को परिलक्षित करता है, चाहे वह उनका मित्र हो या कोई अन्य व्यक्ति हो। दुर्भाग्यवश सेवा राम की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। इस प्रकार, नवाडीह पुलिस स्टेशन के "ऊपरघाट क्षेत्र" में नक्सलवाद और घृणा के युग की समाप्ति हो गई जो बोकारो जिला का सर्वाधिक नक्सल प्रभावित पुलिस स्टेशन था और जहां नक्सलियों ने अनेक पुलिस कार्मिकों को बारुदी सुरंगों का निशाना बनाया है और उनके हथियार और गोला-बारुद भी लूट लिए हैं। इस मुठभेड़ में, उग्रवादियों की ओर से लगभग 200 राउण्ड्स फायर किए गए जबकि पुलिस की ओर से केवल 60 राउण्ड्स कारतूसों और दो पेयरा बमों का प्रयोग किया गया और इतनी भीषण मुठभेड़ के बावजूद पुलिस का कोई भी व्यक्ति हताहत नहीं हुआ। इस प्रकार, जान को संकट में डालकर एस आई नीरज कुमार सिंह ने उत्कृष्ट वीरता, अनुकरणीय साहस और कर्तव्यपरायणता एवं ईमानदारी की ज्वलंत भावना का प्रदर्शन किया है।

इस मुठभेड़ में श्री नीरज कुमार सिंह, उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 20.04.2008 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव.

सं.156-प्रेज/2010, राष्ट्रपति, कर्नाटक पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

<u>अधिकारी का नाम और रैंक</u>

श्री एम.एन. गुरुप्रसाद, (मरणोपरांत)
पुलिस कांस्टेबल

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

दिनांक 18.11.2008 को जब ए एन एफ मुख्यालय, कर्नाटक को यह सूचना प्राप्त हुई कि चार सशस्त्र नक्सलियों का एक गुट होरानाडु, मुदिगेरे तालुक, चिकमंगलूर जिले के मविनाहोले के जंगल में घूम रहा है, तब वह, श्री रवि नारायण, उप पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में 12 अन्य कार्मिकों की एक टीम के साथ तुरंत उस क्षेत्र की ओर गए और घात लगाकार बैठ गए।

दिनांक 18/19.11.2008 की अर्धरात्रि के दौरान करीब 01.30 बजे जब चार सशस्त्र नक्सलियों को देखा गया, तो ए एन एफ टीम ने उन्हें आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी। परन्तु सशस्त्र नक्सलियों ने ग्रेनेड फेंककर और गोलियां चलाकर पुलिस पर हमला कर दिया। इस आपरेशन में, श्री एम एन गुरुप्रसाद ने अपनी वीरता, अत्यधिक साहस और सराहनीय कौशल का प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डाल दिया और नक्सलियों पर गोलीबारी की। इस मुठभेड़ में तीन नक्सलियों को मार गिराया गया किन्तु दुर्भाग्यवश नक्सलियों द्वारा चलाई गई एक गोली श्री एम एन गुरुप्रसाद के सिर में लग गई। उनकी मौके पर ही तत्काल मृत्यु हो गई। जिन तीन नक्सलियों को मार गिराया गया था, उनकी पहचान श्री मनोहर(36), श्री नवीन(40) और श्री वेंकटेश (24) के रूप में हुई। ये सभी दुस्साहसी नक्सली थे और स्थानीय गांव वालों को सरकार के विरुद्ध खड़े होने और राज्य के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष छेड़ने के लिए उकसाते थे। एक स्टेनगन, एक देशी पिस्टल, दो हथगोले और कारतूस बरामद किए गए। इन नक्सलियों के विरुद्ध विगत में भी अनेक आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं।

इस मुठभेड़ में (स्वर्गीय) श्री एम.एन. गुरुप्रसाद, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 19.11.2008 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं.157-प्रेज/2010, राष्ट्रपति, मध्य प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

1. सन्तोष कुमार सिंह,
   पुलिस अधीक्षक
2. अमृत मीणा,
   पुलिस अधीक्षक

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

दिनांक 15 सितम्बर, 2008 को पुलिस अधीक्षक मुरैना श्री संतोष कुमार सिंह को विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई कि खूंखार डकैत वकील गुर्जर अपने गैंग के सदस्यों के साथ धौलपुरा (राजस्थान) की ओर से छिनवारा की तंग घाटियों की ओर जाएगा। मुखबिर से यह सूचना मिली की कि यह गैंग कैनाल ठेकेदार का अपहरण करने के लिए राजस्थान से मध्य प्रदेश की ओर जा रहा है। यह सूचना प्राप्त होने पर एस पी संतोष कुमार सिंह ने एस एच ओ, पुलिस स्टेशन, सरायछोला श्री हितेन्द्र राठौर को बल के साथ पुलिस स्टेशन देवगढ़ पहुंचने का अनुदेश दिया। एस पी, मुरैना भी सी एस पी मुरैना श्री अमृत मीणा और बल के साथ पुलिस स्टेशन देवगढ़ पहुंच गए। श्री संतोष कुमार सिंह, जो इस जिले में तैनात होने से पहले बालाघाट के नक्सल प्रभावित जिले में तैनात रहे थे, ने विस्तारपूर्वक बल को ब्रीफ करने के लिए युद्ध कला एवं रणनीति तथा रात्रि में सामरिक रूप से आने-जाने के संबंध में अपनी जानकारी और अनुभव का प्रयोग किया। अधिकारियों एवं कार्मिकों को प्राप्त सूचना और डकैतों को घेरने और गिरफ्तार करने की योजना के बारे में बीफ्र किया गया।

इसके पश्चात, समग्र बल को तीन दलों में विभक्त किया गया। दल सं. 1 का नेतृत्व एस पी मुरैना श्री संतोष कुमार सिंह ने स्वयं किया, दल सं. 2 का नेतृत्व सी एस पी श्री अमृत मीणा ने किया और दल सं. 3 को कट-आफ पार्टी बनाया गया था। एस पी, श्री संतोष कुमार

सिंह के नेतृत्व में सारा बल छिनवारा गांव पहुंच गया और दुबारा ब्रीफिंग करने के पश्चात घेराबंदी करने के लिए दलों ने अपनी पोजीशन ले ली।

लगभग 1.00 बजे सुबह, चंबल नदी की ओर से कुछ आवाजें आती हुई सुनाई दीं। एस पी संतोष कुमार सिंह ने नाइट विजन से देखा कि बंदूकधारी सात लोग चंबल नदी की ओर से आ रहे हैं। एस पी संतोष कुमार सिंह ने अपनी टीम के सदस्यों को उन पर सर्च लाइट करने और उनसे अपनी पहचान बताने के लिए कहा। ज्यों ही उनके चेहरों पर सर्च लाइट की गई, उन्होंने गालियां देना और यह चिल्लाना शुरु कर दिया कि पुलिस, पुलिस ..... गोलियां चलाओ और इन्हें मार डालो।

उन्होंने दल सं. 1 पर धुंवाधार गोलियां चलानी शुरु कर दी जिसका नेतृत्व एस पी श्री संतोष कुमार सिंह कर रहे थे। श्री संतोष कुमार सिंह ने डकैतों को गोलीबारी बंद करने और आत्मसमर्पण करने की बार-बार चेतावनी दी। पुलिस चेतावनियों को बिलकुल अनसुना करते हुए और तराई क्षेत्रों का फायदा उठाते हुए उन्होंने अपनी पोजीशन ले ली और पुलिस दलों पर धुंवाधार गोलीबारी शुरु कर दी।

तब श्री संतोष कुमार सिंह ने आत्मरक्षा में गोलियां चलाते हुए घुटनों के बल अपने दल के साथ डकैतों की ओर खिसकने लगे और दूसरे दल को दूसरी तरफ से बढ़ने का निदेश दिया। इसके प्रत्युत्तर में, डकैत, पुलिस दल पर भीषण गोलीबारी करते रहे। अपनी ओर आ रही गोलियों की बौछार वाली इस संकटपूर्ण स्थिति में अपनी जान की परवाह न करते हुए श्री संतोष कुमार सिंह डकैतों की ओर घुटनों के बल चलते हुए आगे बढ़ते रहे। ऐसा करते समय, उन पर चलाई गई गोली उनके बालों को छूती हुई उनके सिर के ऊपर से निकल गई और उनकी जान भाग्यवश बच गई। इस दौरान एस आई हितेन्द्र राठौर जो लेटकर पोजीशन लिए हुए थे, ने अपना सिर ऊपर उठाया और नाइट विजन डिवाइस से डकैतों की पोजीशन को देखने का प्रयास किया, तभी इस बीच श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा उन्हें एक तरफ खींच लिया गया। एक गोली एस आई हितेन्द्र राठौर की गर्दन को छूती हुई और उन्हें जख्मी करती हुई निकल गई। श्री संतोष कुमार सिंह की ठीक समय पर की गई इस कार्रवाई की वजह से एस आई हितेन्द्र राठौर की जान बच गई। इस घड़ी में श्री संतोष कुमार सिंह ने अनूठे साहस और अनुकरणीय नेतृत्व का प्रदर्शन करते हुए अपने बगल में लेटकर पोजीशन लिए हुए अपने साथियों को ब्रीफ किया और उग्र डकैतों पर निर्णायक हमला बोलने और उन्हें मार गिराने का संक्षिप्त अनुदेश दिया। दोनों दल आगे बढ़े, श्री संतोष कुमार सिंह रेंगते हुए आगे बढ़े और घुटनों के बल ली गई पोजीशन में कुछ राउण्ड फायर किए। सी एस पी श्री अमृत मीणा के नेतृत्व में दूसरे पुलिस दल ने भी गोलियां चलाईं और वे भी आगे बढ़े। इस निर्णायक हमले और पुलिस द्वारा चलाई गई गोलियों के परिणामस्वरुप एक बहुत तेज चीख सुनाई पड़ीं। इसके तुरन्त बाद डकैतों की ओर से गोलीबारी बंद हो गई।

तलाशी करने पर दल सं. 1 की फायर की दिशा से एक डकैत का शव मिला जिसकी पहचान बाद में वकील गुर्जर के रूप में हुई। वह अपने गैंग का सरगना था जो ग्वालियर-चंबल संभाग में टी-21 के रूप में सूचीबद्ध था। डकैत वकील गुर्जर पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से 1,00,000 रुपए (एक लाख रुपए) का और एस पी धौलपुर (राजस्थान) की ओर से 2000/- रुपए (दो हजार) का ईनाम था। घटनास्थल से एक घातक आरसेनल के साथ भारी मात्रा में जिंदा और खाली कारतूस बरामद किए गए।

मुठभेड़ स्थल से निम्नलिखित बरामदगियां की गईं:-

(क) एक 315 बोर राइफल।

(ख) एक देशी पिस्टल और दो राउण्ड्स।

(ग) एक 315 बोर की एक शाट वाली देशी राइफल।

(घ) 315 बोर राइफल के 15 जिन्दा राउण्ड्स और 53 खाली कारतूस।

(ङ) 12 बोर राइफल के 12 खाली कारतूस।

(च) दो डायरियां और दैनिक उपयोग के सामान।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री संतोष कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक और अमृत मीणा, पुलिस अधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 16.09.2008 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 158-प्रेज/2010, राष्ट्रपति, मध्य प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री राजेश कुमार सिंह,
अपर पुलिस अधीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 2 मई, 2008 को रात्रि में करीब 1 बजे एक अति विश्वसनीय मुखबिर ने एस पी, पन्ना श्री अभय सिंह को यह जानकारी दी कि ईनामी और फरार डकैत धीरेन्द्र सिंह ग्राम गोपालपुरा, जिला छतरपुर में अपनी मामी गुन्दरजा के मकान में ठहरा हुआ है। एक भी मिनट गवांए बगैर इस सूचना के बारे में अपर पुलिस अधीक्षक, पन्ना श्री राजेश कुमार सिंह के साथ विचार-विमर्श किया गया और उनके समग्र नेतृत्व में पुलिस बल को इस सूचना की पुष्टि करने और डकैतों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। पन्ना पुलिस टीम द्वारा स्थानीय पुलिस की मांग किए जाने पर एस पी, छतरपुर ने पन्ना पुलिस टीम की मदद करने के लिए अपर पुलिस अधीक्षक अनिल मिश्रा के नेतृत्व में एक पुलिस टीम की व्यवस्था की।

पन्ना पुलिस विगत कुछ महीनों से धीरेन्द्र सिंह के विरुद्ध डकैती-रोधी अभियान चला रही थी, अतः उसे गोपालपुरा में गुन्दरजा के मकान की जानकारी थी। जब दोनों पुलिस पार्टियां मिलकर गोपालपुरा में गुंदरजा के मकान की घराबंदी कर रही थी, तब उन्होंने मकान के अंदर से हाथ में अग्नेयास्त्र लेकर भागते हुए एक व्यक्ति को देखा। कांस्टेबल सुंदर सिंह द्वारा उसकी पहचान धीरेन्द्र सिंह के रूप में की गई। उसे भागता हुआ देखकर पुलिस पार्टियों ने उसका पीछा किया। अपर पुलिस अधीक्षक, पन्ना श्री राजेश कुमार सिंह ने उसे कई बार चेतावनी दी किन्तु उनका कोई असर नहीं हुआ। उसने पुलिस पार्टियों पर भागते हुए गोलियां चलानी शुरु कर दी।

लगभग 1 कि.मी. तक भागने के पश्चात, वह किस्वावारा की पहाड़ियों में छिप गया। वहां की भूमि ऊबड़-खाबड़ और पहाड़ी थी। चूंकि धीरेन्द्र ने उस स्थान को अपनी सुरक्षा के लिए चुना था, अतः वह हमला करने और अपने आपको बचाने की बेहतर स्थिति में था। पुलिस बल सामरिक दृष्टि से जोखिमपूर्ण स्थिति में था क्योंकि वे (पुलिस) पहाड़ी की ढलान पर थे, क्योंकि डकैत पहाड़ी की चोटी पर था, अतः वह सामरिक और रणनीतिक दृष्टि से बेहतर स्थिति में था। इसके अलावा, पुलिस पार्टियां वहां सारी रात सोए बगैर पहुंची थी।

पन्ना पुलिस पार्टी ने अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में उत्तर की ओर से पहाड़ी पर आना प्रारम्भ किया और अनिल मिश्रा (अपर पुलिस अधीक्षक, छतरपुर) के नेतृत्व में छतरपुर पुलिस पार्टी ने दक्षिण की ओर से तलाशी शुरु की। दोनों पुलिस पार्टियों ने डकैत को चारों ओर से घेरना प्रारम्भ कर दिया। लगभग 5.35 बजे सुबह अपर पुलिस अधीक्षक,

पन्ना श्री राजेश कुमार सिंह ने डकैत धीरेन्द्र सिंह को ढूंढ निकाला और उसे आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी। इस पर डकैत धीरेन्द्र सिंह ने पुलिस वालों को गालियां दीं और कहा कि 'तुम पुलिस वाले कुत्ते हो यहां से भाग जाओ अन्यथा तुम लोगों की यहां लाशें ही मिलेंगी'। इस समय पुलिस पार्टी अत्यधिक खतरे की स्थिति में पहुंच गई थी क्योंकि वह डकैत सुरक्षित पोजीशन ले चुका था जबकि पुलिस पार्टी सुरक्षित पोजीशन नहीं ले पायी थी।

अनेक बार चेतावनी देने के बावजूद उसने आत्मसमर्पण नहीं किया और गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने अपर पुलिस अधीक्षक, पन्ना राजेश कुमार सिंह को निशाना बनाया और उन्हें मारने के लिए गोली चला दी। अपर पुलिस अधीक्षक, पन्ना इस प्रकार के हमले के प्रति सतर्क थे और वे तुरन्त एक चट्टान के नीचे छिप गए, गोली उनके सिर के पास चट्टान पर लगी और चट्टान के एक टुकड़े से उनके सिर में चोट लगी। वे बाल-बाल बच गए। अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह ने यहां अपनी नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया और अपनी पार्टी को तत्काल पोजीशन लेने के लिए कहा। स्थिति को समझकर पुलिस बल ने तत्काल पोजीशन ले ली। डकैत धीरेन्द्र सिंह ने पुलिस पार्टी पर गोलीबारी जारी रखी। पुलिस पार्टी के लिए उस समय गंभीर खतरे को भांपकर, अपर पुलिस अधीक्षक, राजेश कुमार सिंह और पुलिस पार्टी ने अपनी जान की परवाह किए बगैर अत्यधिक साहस का प्रदर्शन किया और आत्मरक्षा को ध्यान में रखते हुए जवाबी गोलीबारी शुरु कर दी। घायल हो जाने की परवाह किए बगैर श्री सिंह आपरेशन का समन्वय और नियंत्रण करते हुए अपने कर्मियों को प्रोत्साहित करते रहे। अपनी जान की परवाह किए बगैर, अपर पुलिस अधीक्षक सिंह ने अपने कर्मियों को डकैत के विरुद्ध एकजुट किया। उनकी इस निर्भीक कार्रवाई से ही यह सुनिश्चित हुआ कि पुलिस बल गोलियों की बौछार से भयभीत हुए बिना मैदान में डटा रहा।

करीब 15-20 मिनटों की लगातार गोलीबारी के पश्चात, जब डकैत की ओर से गोलियां चलनी रुक गई, तब अपेक्षित सावधानी के साथ आपरेशन क्षेत्र की पूरी तरह से युक्तिपरक तलाशी की गई, जिसमें एक कट्टा (देशी आग्नेयास्त्र) और 315 बोर के कुछ खाली एवं जिन्दा कारतूसों के साथ डकैत का शव बरामद किया गया।

इस मुठभेड़ में श्री राजेश कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 02.05.2008 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं.159-प्रेज/2010, राष्ट्रपति, मणिपुर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

1. केएसएच. प्रकाश सिंह,
   जमादार
2. हुईड्रोम शक्ति सिंह
   कांस्टेबल
3. मैसनाम ब्रोजेन सिंह
   कांस्टेबल

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

सुरक्षा बलों पर हमला करने/घात लगाने के इरादे से आन्द्रो खुनाऊ ओर सानापाट के आम क्षेत्र में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पी एल ए) के कुछ सशस्त्र भूमिगत कॉडरों के घूमने-फिरने के संबंध में निजी स्रोतों से प्राप्त विशिष्ट सूचना के आधार पर दिनांक 03.01.2009 को करीब 10.30 बजे पूर्वाह्न जमादार केएसएच. प्रकाश के अधीन थाऊबाल जिला पुलिस कमाण्डोज और 21वीं पैरा की सैन्य टुकड़ी के एक संयुक्त दल ने उक्त क्षेत्र में विद्रोह-रोधी अभियान चलाने की याजना बनाई। करीब 12.30 बजे अपराह्न, जब जमादार केएसएच. प्रकाश सिंह, अपनी सीडीओ/थाऊबाल की टीम और 21 पैरा की सैन्य टुकड़ी के साथ छह वाहनों में आन्द्रो खुनाऊ से सानापाट की ओर जा रहे थे, तब इनकी संयुक्त टीम पर शस्त्रों से सुसज्जित उग्रवादियों द्वारा अत्याधुनिक हथियारों और लैथोड बमों से हाराऊराऊ ईरोई लॉक में समीपवर्ती पहाड़ियों की विभिन्न दिशाओं से भीषण गोलीबारी की गई। संयुक्त टीम तुरन्त वाहनों से नीचे कूदी और सड़क के किनारे अपनी पोजीशन लेकर उसने जवाबी गोलीबारी शुरु कर दी। पहाड़ी क्षेत्र और चारों ओर घनी झाड़-झंखाड़ की वजह से संयुक्त टीम को उस ठीक स्थान का पता लगाना मुश्किल हो रहा था जहां से उग्रवादी गोलीबारी कर रहे थे। ऐसी प्रतिकूल स्थिति के बावजूद, जमादार प्रकाश ने सीडीओ/थाऊबाल के कांस्टेबल एच. शक्ति सिंह और कांस्टेबल एम ब्रोजेन सिंह के साथ मिलकर घुटनों के बल चलते हुए आगे बढ़ना शुरु किया और पहाड़ी की ढलान पर एक ऐसे स्थान से उग्रवादियों पर सामरिक तरीके से हमला किया जहां से लगातार गोलियां बरस रही थीं, जबकि पीछे आ रहे शेष कमाण्डो कार्मिकों और 21 पैरा कार्मिकों ने उनको सपोर्टिंग फायर कवर प्रदान किया ताकि वे आगे बढ़ सकें। इस प्रकार हाराऊराऊ ईरोई लॉक की ढलान पर एक सशस्त्र भूमिगत कॉडर को मार गिराया गया और अन्य उग्रवादी संयुक्त बल के इस आक्रामक हमले का सामना करने में अक्षम होकर अत्याधुनिक हथियारों और लैथोड बमों से अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए पीछे की ओर हटने लगे और हाराऊराऊ पहाड़ी की ऊंची चोटियों की ओर भाग गए। यद्यपि, संयुक्त टीम आगे बढ़ती रही और भागते हुए उग्रवादियों पर गोलीबारी करती

रही, तथापि उग्रवादी पहाड़ी क्षेत्रों और घनी झाड़ियों की ओट लेकर भागने में सफल रहे। करीब 10-15 मिनट तक चली मुठभेड़ के बाद उस क्षेत्र की पूरी तरह से तलाशी की गई और निम्नलिखित बरामदगियां की गई:-

1. एक ए.के. 56 राइफल जिसका नं. 56-आई 29010121 है।
2. ए के राइफल की गोलियों के सात जिन्दा राउण्ड्स के साथ एक मैगजीन।
3. ए.के. राइफल के ग्यारह खाली खोखे।
4. लैथोड बम का एक मिसफायर्ड शेल।
5. लैथोड बम का एक फायर्ड खोखा।

इसके पश्चात, मारे गए उग्रवादी की पहचान सागोलसेम इबोहैन्बी सिंह कदम्बू (26) पुत्र एस. खोही सिंह निवासी उचीया वांग्मा मयाई लेईकेई के रूप में हुई जो प्रतिबंधित पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) का तथाकथित कारपोरल था। पुलिस रिकार्डों से यह पता चला कि वह दिनांक 20 फरवरी, 2006 को थाऊबाल बाजार में सीडीओ/थाऊबाल के पूर्व प्रभारी अधिकारी, निरीक्षक एन. लोखोन सिंह और दो अन्य कमाण्डो कार्मिकों की घात लगाकर हत्या करने में शामिल था, जिसका उल्लेख एफआई आर सं. 24(2)06 टी.बी.एल. पीएस धारा 302/307/326/395/34 आईपीसी, 3/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 25(1-सी) आयुध अधिनियम और 16(1)(ख)/20 यू ए(पी) आयुध अधिनियम 04 में है और दिनांक 5 अक्तूबर, 2005 को इम्फाल वेस्ट जिला के अन्तर्गत वांगोई पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के सुरक्षाकर्मी से हथियार छीनने में भी शामिल था जिसका उल्लेख एफआई आर संख्या 54(10)05 डब्ल्यू जीआईपीएस धारा 364/384/34 आईपीसी, 16/2 ओ यू ए(पी) आयुध अधिनियम, 04 और 25(1-बी) आयुध अधिनियम में है। यह मामला एफआईआर संख्या 01(01)09 वाई पी के पी.एस. धारा 307/34 आईपीसी, 25(1-सी) आयुध अधिनियम, ¾ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और 16(1)(बी)/20 यू ए(पी) आयुध अधिनियम 04 में उल्लिखित है।

इस मुठभेड़ में केएसएच. प्रकाश सिंह, जमादार, हुईड्रोम शक्ति सिंह, कांस्टेबल, और मैसनाम ब्रोजेन सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 3.1.2009 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं.160-प्रेज/2010, राष्ट्रपति, मणिपुर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>
<u>सर्व श्री</u>

1. डॉ. अकोइजम झलजीत सिंह,
   सब डिवीजनल पुलिस ऑफिसर
2. अथोकपम लंगम्बा सिंह,
   कांस्टेबल

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

दिनांक 2 फरवरी 2009 को लगभग 2300 बजे, सेनापति जिले के कांगचुप मखूम गांव के आम इलाके में प्रतिबंधित भूमिगत गुट 'पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कंगलेइपाक' (संक्षेप में प्रीपाक) के भारी हथियारबंद काडरों की गतिविधि के बारे में स्त्रोत के माध्यम से विश्वसनीय जानकारी मिली कि वे किसी उपयुक्त मौके पर सुरक्षा बलों/पुलिस कमाण्डो पर घात लगाने/हमला करने की योजना बना रहे हैं।

इस जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए, एक संयुक्त दल, जिसमें इम्फाल पश्चिम जिला के पुलिस कमाण्डो और 16वीं असम राइफल्स की टुकड़ी शामिल थे, ने बहुत कम समय में दिनांक 3.2.2009 को लगभग 0030 बजे विद्रोहरोधी कार्रवाई करने के लिए उक्त क्षेत्र की ओर कूच किया। उसी समय पहाड़ी भू-भाग के उक्त क्षेत्र की प्रभावी एवं बेहतर घेराबन्दी करने के लिए बल की तैनाती करने हेतु डॉ. ए.के. झलजीत सिंह, सब डिवीजनल पुलिस ऑफिसर, इम्फाल पश्चिम जिला, जी ओ प्रभारी, सीडीओ, इम्फाल पश्चिम इकाई ने कूटनीतिक योजना बनाई।

पहाड़ी भू-भाग में लम्बी यात्रा और चढ़ाई के बाद संयुक्त दल ने संदिग्ध गांव के चारों और घेराव स्थलों का निर्धारण किया क्योंकि पहाड़ी भू-भाग होने के कारण पूरी तरह से घेराव करना संभव नहीं था। चुनिन्दा पुलिस कमाण्डो कार्मिकों के साथ 16वीं असम राइफल्स के कुछ

कार्मिकों को गांव के पश्चिमी भाग को लगभग 50 मीटर तक कवर करते हुए पहाड़ी भाग के साथ तैनात कर दिया गया। उसी स्थान के साथ थोड़ा दांयी तरफ हट कर एक महत्वपूर्ण स्थान पर डॉ. ए.के. झलजीत सिंह और कांस्टेबल ए. लंगम्बा सिंह ने मोर्चा संभाला। इस प्रकार, संदिग्ध क्षेत्र/गांव की घेराबन्दी करने के बाद, लगभग 0530 बजे, सब इंस्पेक्टर के. बॉबी के नेतृत्व में एक कमाण्डो दल चुपचाप गांव की ओर आगे बढ़ा। जब एस.आई. के. बॉबी का दल गांव की ओर बढ़ रहा था, तब कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया। तथी छद्म यूनिफार्म में भारी हथियारबंद लगभग 10/12 उग्रवादी ग्रामीणों की जरा सी भी चिंता किए बिना अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए अलग-अलग दिशाओं से गांव से बाहर आ गए। सब इंस्पेक्टर के.बॉबी और उनके दल ने तत्काल बचाव किया और हमलावर उग्रवादियों के साथ जवाबी गोलीबारी में जुट गए। दल ने मनमानी गोलीबारी न करके बेहतर संयम का परिचय दिया ताकि ग्रामीणों को कोई क्षति न हो।

गोलीबारी के बीच कुछ मिनटों के अन्दर, डॉ. ए.के. झलजीत सिंह ने 4(चार) उग्रवादियों को उस स्थान की ओर भागते हुए देखा जहां उन्होंने और कांस्टेबल लंगम्बा ने मोर्चा संभाल रखा था। पुलिस कार्मिकों की उपस्थिति को भांपकर उग्रवादी दो हिस्सों में बंट गए और उपरोक्त दोनों पुलिसकार्मिको की ओर लेथोड बम एवं एके-असॉल्ट राइफलों से गोलीबारी की। डॉ. ए.के. झलजीत सिंह और कांस्टेबल लंगम्बा अत्यन्त खतरे में थे क्योंकि उन पर लेथोड ग्रेनेड लांचर तथा एके-असॉल्ट राइफलों से दो दिशाओं से गोलीबारी हो रही थी। तथापि, विपरीत स्थिति का सामना करते हुए दोनों ने अपना धैर्य बनाए रखा और केवल एके-47 असॉल्ट राइफलों का प्रयोग करके अपने आपको उग्रवादियों के साथ भीषण और सीधी लड़ाई में लगाए रखा।

अचानक, जब लेथोड ग्रेनेड लान्चर (एम-79) पकड़े हुए एक उग्रवादी घनी झाड़ियों से ढ़के हुए एक दर्रे को पार करने का प्रयास कर रहा था, तब डॉ. ए.के. झलजीत सिंह ने यह सोचकर कि उग्रवादी बचकर भाग सकता है, अपनी जान एवं सुरक्षा की परवाह किए बिना उग्रवादी पर निरन्तर गोलीबारी शुरू कर दी। अधिकारी की निर्भीक एवं साहसिक कार्रवाई को देखकर, कांस्टेबल ए. लंगम्बा सिंह रेंगते हुए डॉ. ए.के. झलजीत सिंह की दांयी ओर गया और लेथोड ग्रेनेड लान्चर से गोलीबारी कर रहे उग्रवादी पर संयुक्त रूप से प्रहार किया जबकि दूसरा उग्रवादी उसके बचाव के लिए गोलीबारी कर रहा था। अन्ततः वे दोनों लेथोड ग्रेनेड लान्चर के साथ उग्रवादी को मार गिराने में सफल हुए । बाद में मृतक उग्रवादी की पहचान पी. ब्रह्मचरिमयम संजित उर्फ अमुमाचा शर्मा (20 वर्ष), पुत्र (स्व.) बी. अमुबा शर्मा, निवासी-वांगलिंग लम्डिंग मायाइ लेई काई, थाना-थाउबल, प्रतिबंधित प्रीपाक का लड़ाकू कैडर के रूप में की गई। दूसरी ओर, असम राइफल्स के कार्मिक, जो बांयी तरफ लगभग 50 मीटर की दूरी पर थे, बंदूकी लड़ाई में शामिल हो गए, जिसके परिणामस्वरूप दूसरा उग्रवादी मारा गया जो एके-56 राइफलों से गोलीबारी कर रहा था। बाद में एके-56 राइफलधारी मृतक उग्रवादी की पहचान पी. लेइसंगबम बेइशोर मनाओतोन किशन (16 वर्ष), पुत्र –एल जॉयचन्द्र सिंह, निवासी-मोइदांगपोक मायाइ लेइ

काई, थाना-पटसोई, प्रतिबंधित प्रीपाक का लड़ाकू कैडर के रूप में की गई। बाकी सब बच निकले।

उनके पास से निम्नलिखित हथियार और गोलाबारूद तथा विविध वस्तुएं बरामद की गयीं-

(1) एक लेथोड ग्रेनेड लान्चर (एम-79);

(2) 16 जिंदा लेथोड बम;

(3) एक एके-56 असॉल्ट राइफल;

(4) एक एके-56 मैगजीन;

(5) छः जिंदा एके-56 गोलियाँ;

(6) एके- हथियार के 31 खाली खोखे

(7) एक खाली लेथोड ग्रेनेड/बम का खोखा;

(8) एक लेथोड ग्रेनेड/बम पाऊच।

इस मुठभेड़ में डॉ. अंगोइजम झलजीत सिंह, सब डिवीजनल पुलिस ऑफिसर और श्री अथोकपम लंगम्बा सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 3.2.2009 से दिए जाएंगे।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं.161-प्रेज/2010, राष्ट्रपति, मणिपुर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार/पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

<u>सर्व श्री</u>

1.	पेबम जॉन सिंह, इंस्पेक्टर	(वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार)
2.	थ. फूलचन्द्र सिंह, सब इंस्पेक्टर	(वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार)
3.	एन. नुंगशिबाबू सिंह, राइफलमैन	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
4.	एन. ओजन सिंह, राइफलमैन	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
5.	वाई. सुकुमार सिंह, राइफलमैन	(वीरता के लिए पुलिस पदक)

<u>उन सेवाओं का विवरण जिन के लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

अक्टूबर के अंतिम भाग में अर्थात दिनांक 21.10.2008 को, मणिपुर राज्य के इम्फाल शहर के भीड़ वाले इलाके में ए आर ट्रांजिट कैम्प के पास रगईलांग के मेन गेट पर उस समय बम धमाके का कटु अनुभव हुआ, जब मासूम लोग विशेषकर युवा दिवाली के उत्सव के अवसर पर खुशियां मना रहे थे, जिसमें 17 लोग मारे गए और 35 लोग घायल हो गए। महिला समुदाय से संबंधित गैर-सरकारी संगठनों एवं अन्य स्वैच्छिक संगठनों सहित समाज के प्रत्येक वर्ग के सुबुध लोगों ने ऐसे अमानवीय आतंकवादी कृत्य की बहुत अधिक निन्दा की। घटना के तत्काल बाद, राज्य में सक्रिय भूमिगत गुटों में से एक गुट ने इस आतंकवादी कृत्य की जिम्मेदारी ली। राज्य पुलिस ने अपने स्रोत/खुफिया तंत्र को पूर्णतः सक्रिय करते हुए भूमिगत गुटों के विरूद्ध अपनी उपचारी कार्रवाइयों के भाग के रूप में इम्फाल शहर के अंदरूनी एवं आसपास के क्षेत्र तथा शहर के अन्य असुरक्षित बाहरी क्षेत्रों में विद्रोह-रोधी कार्रवाइयों को तेज कर दिया। दिनांक 23.10.2008 को अपराह्न लगभग 5.30 बजे एक विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई कि कुछ सशस्त्र

भूमिगत तत्व हीगांग हेइबिमाखोंग पहाड़ी के पर्वतीय क्षेत्र में और उसके आसपास डेरा डाले हुए हैं। यह क्षेत्र इम्फाल के शहरी क्षेत्र से ज्यादा दूर नहीं है और मुश्किल से 10 किलोमीटर दूर है, परन्तु उक्त पहाड़ी श्रृँखला थोड़ी लम्बी है और इसलिए सम्पूर्ण क्षेत्र को घेरना राज्य कमाण्डो बल की उपलब्ध क्षमता के लिए मुश्किल हो सकता है। इस विश्वसनीय और पुख्ता खुफिया जानकारी के प्राप्त होने पर कमाण्डो, इम्फाल पूर्व जिला और 39- असम राइफल्स की एक संयुक्त टीम बनाई गई और यह टीम शाम के समय संदिग्ध क्षेत्र की ओर चल पड़ी। उस समय तक लगभग अंधेरा हो चुका था। रणनीतिक तौर पर उस क्षेत्र को घेरने के साथ-साथ आतंकवादियों के बचकर निकलने के मार्ग को अवरूद्ध करने के लिए, संयुक्त टीम बंट गई और दो दिशाओं से संदिग्ध क्षेत्र की ओर बढ़ी। इंस्पेक्टर पी.जॉन सिंह और उसकी टीम पश्चिम तरफ से अर्थात खबाम लमखाई (एन एच-39 के साथ का चौराहा) की ओर से आगे बढ़ी और अचनबिगेई पुल को पार करते हुए हीगांगअवांग लेइकाई पहुँच गई; उसके बाद वे पहाड़ी क्षेत्र की ओर आगे बढ़े। दूसरी ओर, सब-इंस्पेक्टर थ. फूलचन्द्र सिंह के नेतृत्व में कमाण्डो दल असम राइफल्स के कार्मिकों के साथ पूर्व की ओर से अर्थात पहाड़ी को पार करने वाली हाल में चौड़ी की गई कच्ची सड़क से होकर पैंगेइ की तरफ से आगे बढ़ा। ये ही दो अन्तर- ग्रामीण पहाड़ की तलहटी वाली सड़कें हैं जो उस संदिग्ध पहाड़ी क्षेत्र की ओर जाती हैं जो उत्तर की ओर से पहाड़ी श्रृँखला से और दक्षिण की ओर से धान के खेतों से घिरा हुआ है। शाम को लगभग 7.10 बजे, जब इंस्पेक्टर पी. जॉन सिंह के नेतृत्व वाली टीम पहाड़ की तलहटी के साथ एक लम्बे संकरे क्षेत्र के निकट पहुंच रही थी, तब उन्होंने पहाड़ी क्षेत्र में अपने वाहन के प्रकाश के माध्यम से लगभग 15 की संख्या में कुछ युवाओं को अत्यन्त संदिग्ध स्थिति में देखा। उस समय तक सब-इंस्पेक्टर थ. फूलचन्द्र सिंह के नेतृत्व वाला कमाण्डो दल भी रेशम-उत्पादन विभाग के निर्माण स्थल को पार करता हुआ लगभग 200 मीटर की दूरी पर उस क्षेत्र के निकट पहुंच रहा था। असम राइफल्स के कार्मिक तब तक टीले को (सब इंस्पेक्टर थ. फूलचन्द्र सिंह के दल के पीछे लगभग 200 मीटर दूरी पर) पार कर रहे थे क्योंकि वे पहाड़ की तलहटी वाली सड़क पर चलते वक्त रणनीतिक दूरी बनाकर चल रहे थे।

इस प्रकार, जब कमाण्डो दल दो अलग-अलग दिशाओं से उनके नजदीक पहुंचते जा रहे थे, तब इंस्पेक्टर पी. जॉन सिंह ने उन्हें अपनी पहचान बताने के लिए रूकने हेतु आवाज लगाई। अचानक आतंकवादी पहाड़ के ऊपर की तरफ भागने लगे और कमाण्डो पर गोलीबारी शुरू कर दी। कमाण्डो ने अपने वाहनों से बाहर छलाँग लगाते हुए जहाँ पर थे वहीं मोर्चा संभाल लिया और उनपर जवाबी गोलीबारी शुरू कर दी। पहाड़ की तलहटी वाले क्षेत्र के चारों तरफ झाड़ियों, उबड़-खाबड़ जमीन की वजह से आतंकवादी बचने की अच्छी स्थिति में थे। दूसरी तरफ, कमाण्डो को अपना बचाव करने के लिए सड़क पर कोई उपयुक्त स्थान नहीं मिल पा रहा था। विपरीत स्थिति का सामना करने के बावजूद, एस आई थ. फूलचन्द्र सिंह और इंस्पेक्टर पी. जॉन सिंह के प्रभावी कमान के अधीन कमाण्डो जमीन पर लेट गए और सुसज्जित आतंकवादियों का

सामना करने के लिए लगातार गोलीबारी के साथ जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। एक अच्छा मौका पाकर राइफलमैन एन. ओजन सिंह धान के खेत के दक्षिणी निचले हिस्से की ओर बढ़े और नाले के अंदर छिपकर पहाड़ की ओर गोली चलानी शुरू कर दी जहाँ से आतंकवादी गोलियाँ चला रहे थे। इंस्पेक्टर पी. जॉन सिंह इस बचाव पूर्ण गोलीबारी का फायदा उठाते हुए देवदार के पेड़ के नजदीक जाने के लिए ऊपर पहाड़ की ओर आगे बढ़े। तथापि, पहाड़ की ओर से भारी गोलीबारी के कारण, पेड़ों के नजदीक जाने में उन्हें कठिनाई हो रही थी, राइफलमैन एन. ओजन सिंह नाले से बाहर आये और वे भी सड़क पार करके ऊपर की ओर भागे। तब, दोनों इंस्पेक्टर पी. जॉन सिंह और राइफलमैन एन. ओजन सिंह रेंगते हुए आगे बढ़े और देवदार के पेड़ों के पीछे मोर्चा संभालते हुए आतंकवादियों के विरूद्ध प्रभावी गोलीबारी शुरू कर दी।

दूसरी ओर, एस आई थ. फूलचन्द्र सिंह और उनकी पार्टी भी धान के खेत से होकर मुठभेड़ स्थल के नजदीक पहुंचती जा रही थी। पूरी तरह से विकसित धान के पौधों से घिरे हुए बांध उन्हें वास्तविक सुरक्षा प्रदान कर रहे थे। फिर भी, घुटनों तक गीली मिट्टी वाले खेत में वे तेज नहीं चल पा रहे थे। एस आई थ.फूलचन्द्र सिंह की टीम पर पहाड़ के ऊपरी तरफ से बंदूक की गोलियाँ बरस रही थीं, ऐसी स्थिति में भी एस आई थ. फूलचन्द्र सिंह जिनके ठीक पीछे राइफलमैन एन. नुंगशिबाबू सिंह और राइफलमैन वाई. सुकुमार सिंह चल रहे थे, आगे बढ़ते रहे और पहाड़ की तलहटी के नाले के अंदर छिपकर उन आतंकवादियों पर गोलियाँ चलाई जो पश्चिमी तरफ से भाग रहे थे जहाँ इंस्पेक्टर पी. जॉन सिंह और उनकी पार्टी गोलीबारी कर रही थी।

सीधी मुठभेड़ के दौरान इंस्पेक्टर पी. जॉन सिंह एक आतंकवादी का पीछा कर रहे थे, जिसके पास एम-16 एशाल्ट राइफल थी। अचानक आतंकवादी ने गोलीबारी रोक दी और पहाड़ की तरफ की सीधी ढलान पर चढ़कर भागने का असफल प्रयास किया। लेकिन, वह नीचे फिसल गया और पुनः पहाड़ की तलहटी के नाले के साथ भागना शुरू कर दिया। इस महत्वपूर्ण क्षण का लाभ उठाते हुए, इंस्पेक्टर पी. जॉन सिंह ने तेजी से उसका पीछा किया और आतंकवादी को ढेर कर दिया (बाद में इसकी पहचान मो. याहिया खान उर्फ जॉन (26 वर्ष), पुत्र-मो. अब्दुल हाफिज, निवासी-सोरा अवांग लेइकेइ, थऊबल जिला, एस/एस संगठन सचिव (पी यू एल एफ) के रूप में हुई)। दूसरे आतंकवादी, जो लगभग 20/30 फीट की दूरी पर उस क्षेत्र के पास ही था, भी भागने का प्रयास कर रहा था। राइफलमैन एन. ओजन सिंह ने उस युवा को मार गिराया जिसके पास एक 9 मिमि. की पिस्तौल थी (बाद में इसकी पहचान सलम राजेश उर्फ रोनी (25 वर्ष), पुत्र- एस. चौबा सिंह, निवासी- मोईरंग खुनोऊ चांदपुर, विष्णुपुर जिला, एस/एस कारपोरल के सी पी (एम सी) के रूप में हुई)।

यह भांपकर कि इंस्पेक्टर पी. जॉन सिंह और उनकी पार्टी की आक्रामक कार्रवाई के कारण पश्चिम की ओर से शेष आतंकवादी पूर्वी दिशा में फैली हुई रेशम-उत्पादन विभाग की

झुग्गियों की ओर भाग रहे हैं, एस आई थ. फूलचन्द्र सिंह और उनकी पार्टी ने भाग रहे युवाओं पर लगातार गोलीबारी करके तेजी से उनका पीछा किया। एक आतंकवादी, जिसके पास एम-16 राइफल थी और जो पीछे रह गया था, संभवतः अपने कामरेडो को सुरक्षा कवर प्रदान करने के लिए अंधाधुंध गोलीबारी करने लगा। एस आई थ. फूलचन्द्र सिंह रेंगते हुए आगे बढ़े और आतंकवादी को मार गिराया (बाद में इसकी पहचान लैशराम टोम्पोक सिंह उर्फ लम्यन (24 वर्ष), पुत्र-एल. अंगोऊ सिंह, निवासी- सेकमाइजिंग बाजार, इम्फाल पश्चिम जिला, एस/एस कारपोरल के सी पी (एम सी) के रूप में हुई।

राइफलमैन एन. नुंगशिबाबू सिंह और राइफलमैन वाई. सुकुमार सिंह भागते हुए और आतंकवादियों का पीछा करते हुए पूर्व दिशा में आगे की ओर भाग रहे थे। अंधेरे, घनी झाड़ियों, उबड़-खाबड़ जमीन और अलग-अलग दिशाओं-पहाड़ के ऊपर और पहाड़ की तलहटी की तरफ से हो रही भारी गोलीबारी जैसी विपरीत परिस्थितियों में भी उन्हें आतंकवादियों का पीछा करने से नहीं रोक सकीं। उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता और दृढ संकल्प के साथ, उन दोनों ने आतंकवादियों के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई एवं गोलीबारी की। अन्ततः वे दोनों एस एम सी कार्बाइन लिए हुए एक आतंकवादी (बाद में इसकी पहचान थोकचोम शशिकांत उर्फ मलंगबा उर्फ ए.के. जहीर (26 वर्ष), पुत्र-(स्व.) थ.सिंहजीत सिंह, निवासी-नोंगपोक लौरेम्बम, थऊबल जिला, एस/एस सहायक वित्त सचिव, पी यू एल एफ के रूप में हुई) और 12 बोर की सिंगल बैरल बंदूक तथा उच्च विस्फोटक हथगोला लिए हुए दूसरे आतंकवादी (बाद में इसकी पहचान लैशराम प्रेमानंद मेइतेई उर्फ प्रेम (18 वर्ष), पुत्र-एल. अंगोऊ सिंह, निवासी- सुगनु वापोक्पी, थऊबल जिला, एस/एस प्राइवेट के सी पी (एम सी) के रूप में हुई) को मार गिराने में सफल हुए।

इस प्रकार, इस मुठभेड़ में कांगलेइपाक कम्यूनिस्ट पार्टी (एम सी) और पीपुल्स यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट नामक घाटी स्थित दो भूमिगत गुटों के निम्नलिखित 5 (पाँच) आतंकवादी मारे गए थे:-

(1) मो. याहिया खान उर्फ जॉन (26 वर्ष), पुत्र- मो. अब्दुल हाफिज, निवासी-सोरा अवांग लेइकेइ, थऊबल जिला, एस/एस संगठन सचिव, पी यू एल एफ।

(2) सलम राजेश उर्फ रोनी (25 वर्ष), पुत्र-एस. चौबा सिंह, निवासी-मोइरंग खुनोऊ चांदपुर, विष्णुपुर जिला, एस/एस कारपोरल के सी पी (एम सी)।

(3) लैशराम टौम्पोक सिंह उर्फ लम्यन (24 वर्ष), पुत्र-एल. अंगोऊ सिंह, निवासी-सेकमाइजिंग बाजार, इम्फाल पूर्व जिला, एस/एस कारपोरल के सी पी (एम सी)।

(4) थोकचोम शशिकांत उर्फ मलंगबा उर्फ ए.के. जहीर (26 वर्ष), पुत्र-(स्व.) थ. सिंहजीत सिंह, निवासी-नोंगपोक लौरेम्बम, थऊबल जिला, एस/एस सहायक वित्त सचिव, पीयूएलएफ।

(5) लैशराम प्रेमानन्द मेइतेइ प्रेम (18 वर्ष), पुत्र- एल. अंगोऊ सिंह, निवासी-सुगनु वापोक्पी, थऊबल जिला, एस/एस प्राइवेट के सी पी (एम सी)।

(6)

ऊपर यथा उल्लिखित वास्तविक मुठभेड़ के बावजूद, संयुक्त टीम ने पहाड़ी क्षेत्र में तलाशी अभियान जारी रखा। तथापि, शेष आतंकवादी अंधेरे और घनी झाड़ियों का फायदा उठाते हुए भागने में सफल रहे। तलाशी के दौरान मारे गए आतंकवादियों के पास से निम्नलिखित हथियार और गोला-बारूद बरामद किए गए थे:-

(i) "कोल्ट. एरिस प्रापर्टी ऑफ यू एस गवर्मेंट एक्स एम 16 ई 1 सी ए एल 5.56 एम एम, सीरियल 633563 कोल्ट. पेटेण्ट्स फायर आर्म्स हार्टफोर्ड कान. यू एस ए" चिन्हित एक एम- 16 एशाल्ट राइफल।

(ii) एक मैगजीन, 8 जिंदा 5.56 एम एम कारतूस और एक खाली खोखा।

(iii) हाइड्रा- मैटिक डिव जी एम कॉर्प यू एस ए प्रापर्टी ऑफ यू एस गवर्मेंट एम-16 ए 1 सी ए एल 5.56 एम एम. 3360621 चिन्हित एक एम-16 एशाल्ट राइफल।

(iv) एक मैगजीन, 12 जिंदा 5.56 एम एम कारतूस।

(v) एस एम सी कार्बाइन नं. 17437 चिन्हित एक कार्बाइन।

(vi) एक मैगजीन, 9 एम एम कैलिबर के 4 जिंदा कारतूस, 9 एम एम कैलिबर के 4 खाली खोखे।

(vii) मेड इन यू एस ए – सीएएल-9 एम एम ऑटो पिस्टल 9 राउण्ड्स ओनली 100971 चिन्हित एक 9 एम एम पिस्तौल।

(viii) एक मैगजीन, 9 एम एम कैलिबर के 4 जिंदा कारतूस, 2 खाली खोखे।

(ix) एक 12 बोर सिंगल बैरल बंदूक।

(x) एक उच्च विस्फोटक हथगोला।

(xi) एम-79 लेथोड लांचर का एक 40 एम एम का उच्च विस्फोटक खोखा।

(xii) 7.62 एम एम के 18 जिंदा कारतूस से भरा हुआ एक एस एल आर मैगजीन।

(xiii) एके-47 राइफल के नौ खाली खोखे।

(xiv) जैतून रंग का एक बैग जिसमें निम्नलिखित सामग्रियाँ थीं:-

(क) 2.5 किलो पी ई के (उच्च विस्फोटक)

(ख) नौ डेटोनेटर

(ग) तार का एक बंडल

(घ) छः बैटरी

(ङ) एक बैटरी चार्जर

(च) चार ऐन्टीना

(xv) प्रतिबंधित संगठन के सी पी (एम सी) के दो जबरन वसूली नोट।

(xvi) प्रतिबंधित संगठन पी यू एल एफ का एक जबरन वसूली नोट।

(xvii) सम्पर्क नंबरों सहित नाम एवं रैंक को दर्शाने वाली प्रतिबंधित संगठन पी यू एल एफ की दो हस्तलिखित पर्चीं।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री थेबम जॉन सिंह, इंस्पेक्टर, थ. फूलचन्द्र सिंह,सब इंस्पेक्टर, एन. नुंगाशिबाबू सिंह, राइफलमैन. एन. ओजन सिंह, राइफलमैन और वाई सुकुमार सिंह, राइफलमैन ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक का प्रथम बार/पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 23.10.2008 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

23—351 GI/2010

सं.162-प्रेज/2010, राष्ट्रपति, मणिपुर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

<u>सर्व श्री</u>

1. एस. गुइकन थंगल,
   सब इंस्पेक्टर
2. एल. खोगेन सिंह,
   कांस्टेबल
3. मो. शेराखान शाह,
   कांस्टेबल

<u>उन सेवाओं का विवरण जिन के लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

दिनांक 29 अप्रैल, 2009 को अपराह्न लगभग 3.00 बजे एक विश्वसनीय एवं विशिष्ट जानकारी प्राप्त हुई कि घाटी स्थित एक भूमिगत गुट के सशस्त्र कैडर के लोग हियांगथांग ताराहेइ अवांग लेइकेइ के आम इलाके में घूम रहे हैं।

उक्त खुफिया जानकारी के प्राप्त होने पर तत्काल इम्फाल पश्चिम जिला के कमाण्डो तथा 12-मराठा लाइट इन्फैंट्री की सेना की टुकड़ी की एक संयुक्त टीम बनाई गई और तुरंत उक्त क्षेत्र की ओर भेजी गई। कमाण्डो फोर्स में दो टीमें थीं-पहली टीम का नेतृत्व सब इंस्पेक्टर चौ. आनन्द कुमार और दूसरी टीम का नेतृत्व सब इंस्पेक्टर एस.गुइकन थंगल कर रहे थे। क्षेत्र को ठीक तरह से कवर करने के प्रयोजन से, लंगथाबल पहुँचने पर संयुक्त टीम बंट गई, सेना के कार्मिक ताराचेइ गांव की दक्षिणी दिशा की घेराबंदी करने के लिए इम्फाल-मयांग इम्फाल रोड से हियांगथन पुल तक आगे बढ़े, जबकि कमाण्डो की दोनों टीमें इम्फाल नदी की पूर्वी दिशा में चल रही अन्तर-ग्रामीण सड़क से होकर लंगथाबल की तरफ से संदिग्ध स्थान की ओर बढी । वहाँ पर संदिग्ध क्षेत्र के पूर्वी ओर हेइबोकचिंग नामक पहाड़ी श्रृँखला है, जबकि गांव के पश्चिमी ओर इम्फाल नदी है।

जब कमाण्डो हियांगथान ताराहेइ कौंजिल अवांग लेइकेइ पहुँचे, तब उन पर अन्तर-ग्रामीण सड़क की पूर्वी दिशा में स्थित एक परित्यक्त/खाली पड़े मकान से भारी गोलीबारी की गयी। एस.आई. आनन्द कुमार की टीम वाहन पर थी जिनके पीछे उचित दूरी बनाकर एस.आई. गुइकन चल रहे थे। कमाण्डो ने जवाबी कार्रवाई की और वहाँ मुठभेड़ शुरू हो गई।

अचानक घात के कारण एस.आई. आनन्द कुमार की टीम के कमाण्डो कुछ क्षण के किए अवरूद्ध हो गए। एस.आई. आनन्द कुमार, जिन्हें ऐसी मुठभेड़ का भरपूर अनुभव था, ने स्थिति पर नियंत्रण स्थापित किया और स्थिति को संभाल लिया। खुद जमीन पर रेंगते हुए, एस.आई. आनन्द कुमार लगातार गोलीबारी करते हुए अपने साथियों के साथ आगे बढ़ते रहे। कांस्टेबल एल.खोगेन ने नजदीकी गोलीबारी में एस. आई. आनन्द कुमार की सहायता करने के लिए उनके पास पहुँचने में सफलता प्राप्त कर ली। अंतत: उन दोनों का सामना एक ऐसे उग्रवादी से हुआ जो स्वचालित राइफल से गोली चला रहा था। अपनी निजी सुरक्षा की परवाह किए बिना एस.आई. आनन्द कुमार और कांस्टेबल एल. खोगेन दोनों ने उग्रवादियों के खिलाफ सशक्त कार्रवाई थी। भारी गोलीबारी की लड़ाई में उग्रवादी कमाण्डो का मुकाबला करने में अक्षम हो गए और पीछे हटने लगे तथा असमंजस की स्थिति में आकर उग्रवादियों ने खुले मैदान से होकर पहाड़ी दिशा की ओर भागने का प्रयास किया जहाँ वे वास्तविक रूप से दिखाई दिए । कमाण्डो ने, जिसमें मुख्य रूप से एस.आई. आनन्द कुमार और कांस्टेबल खोगेन सबसे आगे थे, भागते हुए युवक का पीछा किया और पहाड़ की तलहटी में उसे मार गिराया। बाद में इस उग्रवादी की पहचान क्ष. सुरजीत मीतेइ, पुत्र-क्ष. जीतेन मीतेइ, निवासी-ककवा नावोरेम लेइकेई, भूमिगत गुट प्रीपाक के एक खूँखार कार्यकर्ता के रूप में हुई। शव के पास से एक एके-56 राइफल बरामद की गयी।

दूसरी तरफ एस.आई. गुइकन के ग्रुप के कमाण्डो दक्षिणी दिशा की ओर आगे बढ़ते रहे जहाँ एस.आइ. आनन्द कुमार और उनका दल तैनात था। एस.आई. गुइकन जो अदम्य साहस और दृढ़ निश्चय से परिपूर्ण युवा एवं ऊर्जावान अधिकारी थे, ने उग्रवादियों के खिलाफ सशक्त कार्रवाई करना जारी रखा। अत्यन्त कठिन एवं दुर्गम स्थिति में, जब एस.आई.गुइकन ने पहाड़ की तलहटी में एक नाले को पार करने का प्रयास किया, तब नाले के अन्दर छिपे हुए एक उग्रवादी ने अचानक अपना सिर बाहर निकाला और एकदम नजदीक से एस.आई. गुइकन पर गोली चलाई। सौभाग्यवश, पहली गोलीबारी अपने निशाने से चूक गई। कांस्टेबल मो. शेराखान शाह ने स्थिति का बहादुरी से सामना करते हुए गोलीबारी की और उग्रवादी पर हमला किया और उग्रवादी को मार गिराने में सफलता प्राप्त की। शव के पास से एक एम-20 पिस्टल बरामद की गयी। बाद में मृतक उग्रवादी की पहचान सागोलसेम आनन्द मीतेई, पुत्र-एस. मंजूर मीतेइ, निवासी- मयांग इम्फाल माइबम कौंजिल, भूमिगत गुट के एक खूँखार कार्यकर्ता के रूप में हुई। ऐसे नाजुक मोड़ पर दूसरे उग्रवादी, जिसने मारे गए उग्रवादी सागोलसेम आनन्द मीतेइ के पास ही मोर्चा संभाल रखा था, ने कमाण्डो की ओर हथगोला फेंकने का असफल प्रयास किया क्योंकि

यह अपने साथी के मारे जाने की वजह से अत्यन्त असहाय/दयनीय स्थिति में था। कुछ ही सेकण्ड के अन्दर, एस. आई. गुइकन ने तत्काल जवाबी कार्रवाई की और हथगोला फेंकने से पहले उग्रवादी को मार गिराया। यदि उग्रवादी हथगोला फेंकने में सफल हो जाते तो कई कमाण्डो हताहत हो जाते। बाद में मृत उग्रवादी की पहचान लाउरेमबम याइफाबा उर्फ सखितोन सिंह, पुत्र-एल. टोम्बो सिंह, निवासी-लीवा रोड ओइनम लेइकेई, भूमिगत गुट प्रीपाक के एक खूँखार कार्यकर्ता के रूप में हुई। शव के पास से दो हथगोले बरामद किए गए।

मुठभेड़ के बाद, कमाण्डो ने तलाशी अभियान शुरू किया और मुठभेड़ स्थल से निम्नलिखित हथियार और गोलाबारूद बरामद किए, जहाँ भूमिगत गुट पीपुल्स रीवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कंगलेइपाक (प्रीपाक) के तीन खूँखार उग्रवादी मारे गए :

(क) मैगजीन तथा 12 जिंदा करतूस के साथ एक एके-56 राइफल।

(ख) मैगजीन तथा 3 जिंदा कारतूस के साथ एक एम-20 पिस्टल।

(ग) दो चीनी हथगोले।

(घ) क्ष. संजीत के नाम से एक ड्राइविंग लाइसेंस और 1665 रूपए के साथ एक बटुआ।

इस मुठभेड़ में सर्व श्री एस. गुइकन थंगल, सब इंस्पेक्टर, एल. खोगेन सिंह, कांस्टेबल और मो. शेराखान शाह, कांस्टेबल ने अदम्य साहस, वीरता एवं उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 29.4.2009 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं.163-प्रेज/2010, राष्ट्रपति, मणिपुर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

1. एल. बेदजीत,
   सब इंस्पेक्टर
2. एल. चौबा सिंह,
   असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर
3. सेखोहाओ खोंगसाइ,
   कांस्टेबल
4. पी. मोचा सिंह,
   राइफलमैन

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

दिनांक 10.03.2009 को लगभग 0730 बजे, एस.आई. एल. बेदजीत को टेरा कचीन, जो लोकटक झील के काफी नजदीक है और जिसके आस-पास के क्षेत्र में घनी झाड़ियाँ हैं, में सुरक्षाकर्मियों पर घात लगाने के लिए यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यू एन एल एफ) नामक प्रतिबंधित संगठन के सशस्त्र कैडरों के मौजूद होने के बारे में विश्वसनीय जानकारी मिली। जानकारी मिलने के तत्काल बाद, एस.आई. बेदजीत और ए.एस.आई. एल. चौबा सिंह ने अपनी टीमों के साथ और लेफ्टि. विक्रम के नेतृत्व में 12वीं मराठा लाइट इंफैट्री की एक टुकड़ी को साथ लेकर एक कार्रवाई योजना तैयार की तथा लगभग 0815 बजे कार्रवाई करने के लिए क्षेत्र की ओर चल पड़े।

टीम लगभग 0830 बजे टेरा कचीन इलाके में पहुंची और गांव की ओर जाने वाली मुख्य सड़कों/गलियों की घेराबंदी की। ए.एस.आई. एल. चौबा सिंह और उनकी टीम ने गांव के पश्चिमी ओर से बचकर भागने के रास्ते को घेर लिया तथा लेफ्टि. विक्रम के अधीन 12वीं एम एल आई के कार्मिकों ने दक्षिण तरफ से गांव में प्रवेश किया, जबकि एस.आई. एल. बेदजीत अपनी टीम के साथ मुख्य मार्ग से गांव की ओर गए। गांव के पहले मकान के पास पहुंचने पर एस.आई. एल. बेदजीत के नेतृतव वाली टीम पर अत्याधुनिक हथियारों से गोलीबारी की गयी। पूरी पार्टी वाहन से बाहर कूद पड़ी और सड़कों के किनारे नाले पर मोर्चा संभाल लिया तथा गोलीबारी के स्थान की ओर तत्काल जवाबी गोलीबारी की। लगभग 15 मिनट बाद 2/3 सशस्त्र आतंकवादियों को एक मकान से बाहर भागते हुए तथा गोलीबारी के साथ पुलिस पार्टी पर हमला करते हुए देखा गया। एस.आई. एल. बेदजीत ने तत्काल जोर से आवाज लगाई और उन्हें गोलीबारी रोकने तथा आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। तथापि, रुकने और आत्मसमर्पण करने की बजाय

सशस्त्र आतंकवादी वापस मुड़े और ए.एस.आई. एल. चौबा सिंह तथा उनकी टीम द्वारा की गइ घेराबंदी को गोलीबारी के माध्यम से तोड़ने का प्रयास किया। परन्तु फिर से ए.एस.आई. एल. चौबा सिंह तथा पी सी एस. खोंगसाइ दोनों ने अपनी ए के राइफल से उन्हें मार भगाया। जवाबी गोलीबारी में एक आतंकवादी मारा गया। शेष आतंकवादियों को चारों तरफ से घेर लिया गया था, फिर भी उन्होंने आत्मसमर्पण करने की बजाय भाग निकलने का प्रयास किया। ए.आई. बेदजीत और राइफलमैन मोचा, दोनों ने ए.के. राइफलों से साथ-साथ जवाबी गोलियां चलाईं और एक आतंकवादी को मार गिराया। बाकी आतंकवादी बच निकले।

मुठभेड़ के बाद, क्षेत्र की पूर्णरूप से तलाशी ली गयी और दो शव पाए गए। एक शव के पास से 3 जिंदा कारतूस भरे हुए मैगजीन के साथ एक देशी 9 एम एम काबाईन तथा एक हथगोला (चीन निर्मित) बरामद किया गया। दूसरे शव के पास से एक मैगजीन में 2 (दो) जिंदा कारतूस और चैम्बर में 1 (एक) जिंदा कारतूस के साथ एक स्वचालित 9 एम एम पिस्तौल बरामद की गयी। उस क्षेत्र से 9 एम एम गोला-बारुद के 7 (सात) खाली खोखे भी बरामद किए गए। बरामद की गई मदों को औपचारिक तौर पर जब्त कर लिया गया। बाद में, मारे गए आतंकवादियों की पहचान (i) हाओरोकचम बोबू उर्फ सनमाही (25), पुत्र एच. कुमार सिंह, निवासी-अवांग खुनोऊ ममांग लेइकेइ और (ii) अथोकपम नान सिंह (20), पुत्र-ए. आइबोचा सिंह, निवासी-इथाई खुनोऊ मायाइ लेइकेइ, यू एन एल एफ के सक्रिय सदस्यों के रूप में हुई।

यह मामला 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के साथ पठित 25 (आई-सी) आयुध अधिनियम, 20 यू ए (पी) संशोधन अधिनियम, आई पी सी की धारा 307/34 के अन्तर्गत मयांग इम्फाल थाना में दर्ज प्राथमिकी सं. 17(3)09 से संबंधित है।

इस मुठभेड़ में सर्व श्री एल. बेदजीत, सब इंस्पेक्टर, एल. चौबा सिंह, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, सेखोहाओ खोंगसाइ, कांस्टेबल तथा पी. मोचा सिंह, राइफलमैन ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 10.03.2009 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं.164-प्रेज/2010, राष्ट्रपति, मणिपुर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक का द्वितीय बार/पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

<u>सर्व श्री</u>

1. पी. संजय सिंह, सब इंस्पेक्टर (वीरता के लिए पुलिस पदक का द्वितीय बार)
2. थ. धमन सिंह, कांस्टेबल (वीरता के लिए पुलिस पदक)
3. वंगलियन मांग, कांस्टेबल (वीरता के लिए पुलिस पदक)
4. एन. मांगी मेइतेइ, राइफलमैन (वीरता के लिए पुलिस पदक)

<u>उन सेवाओं का विवरण जिन के लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

दिनांक 19.7.2009 को दोपहर लगभग 1.10 बजे स्त्रोत के माध्यम से एक विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होने पर कि लगभग 10-15 की संख्या में भारी हथियारों से लैस सशस्त्र भूमिगत तत्वों ने विष्णुपुर जिला मुख्यालय से उत्तर-पश्चिम लगभग 03 कि.मी. की दूरी पर विष्णुपुर जिला के अन्दर चिनिंगखुल पर्वत माला के शिखर पर स्थित विभिन्न झोपड़ियों में पनाह ले रखी है, विष्णुपुर जिला कमाण्डो के एस आई पी. संजय सिंह ने सेना के 4/8 जी आर, जिनके साथ वे सदैव कार्रवाई करते थे और सहबद्ध रहते थे, के साथ सम्पर्क स्थापित किया और बुद्धिमतापूर्ण एवं सुनियोजित कार्रवाई करने की योजना बनाई। एस आई पी. संजय सिंह द्वारा बनाई गई योजना ऐसी थी कि उनका दल किसानों का छद्मवेश धारण करके स्थानीय चादरों में अपने हथियारों एवं वायरलैस सैटों को छिपाकर किसानों के वेश में इस तरह रणनीतिपूर्वक आगे बढ़ेगा कि पहाड़ की चोटी पर शरण लिए हुए भूमिगत तत्वों को यह संदेह न हो कि वे सुरक्षा कर्मी हैं। दूसरी युक्तिपूर्ण योजना यह थी कि सेना के 4/8 जी आर की टुकड़ियाँ पहाड़ की तलहटी के पास गांव के अंदर अपनी पहचान को छिपाकर बलप्रदायक एवं समर्थक बल के रूप

में कार्य कर सकें। 4/8 जी आर सेना के कार्मिक तत्काल उस समय कार्रवाई करेंगे जब उन्हें एस आई पी. संजय सिंह द्वारा वायरलैस सैट पर सूचना दी जाएगी।

दोपहर लगभग 1.50 बजे योजनानुसार एस आई पी. संजय सिंह के नेतृत्व में उनका दल जंगल एवं झाड़ियों में स्वयं को छिपाते हुए और ग्रामीणों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले मुख्य मार्ग को छोड़ कर सावधानीपूर्वक चिनिंगखुल पहाड़ी पर चढ़ गया। दल को विभाजित करके तीन दल बनाए गए, जिनमें से एक दल को उत्तरी दिशा की देखभाल करनी थी, दूसरे दल को दक्षिणी दिशा को कवर करना था और थ. धमन सिंह की सहायता से एस आई पी. संजय सिंह के नेतृत्व में तीसरा दल उस क्षेत्र के मध्य भाग को कवर कर रहा था। जब मोबाइल पार्टी झोपड़ियों के पास पहुँचने वाली थी, तब भूमिगत तत्वों में से एक, जो प्रयोजनत: संतरी की ड्यूटी कर रहा था, ने शोर मचा दिया और कमाण्डो की ओर गोलीबारी शुरू कर दी। एस आई पी. संजय सिंह और थ.धमन सिंह ने अपनी निजी सुरक्षा की चिंता किए बिना और युद्धरत स्थिति में आकर तत्काल मोर्चा संभाल लिया और संतरी को मार गिराने के लिए उसकी ओर गोलीबारी शुरू कर दी। उसी समय कांस्टेबल वंगलियन मांग और राइफलमैन एन मांगी मेइतेइ, जो दल की उत्तरी दिशा में थे, ने आतंकवादियों की गोली की बौछार के बीच झाड़ियों की आड़ लेकर रेंगते हुए तत्काल आगे बढ़े और अपनी जान को जोखिम में डालकर बहादुरी से उनको करारा जवाब दिया तथा भूमिगत तत्वों की ओर गोलीबारी करना जारी रखा। कांस्टेबल थ.धमन सिंह की सहायता से एस आई पी. संजय सिंह के नेतृत्व वाले दल ने ड्यूटी पर तैनात संतरी को मार गिराया, जिसके परिणामस्वरूप, कमाण्डो दल को कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ा, जबकि भूमिगत तत्व कमाण्डो दल पर लगातार गोलीबारी कर रहे थे। यह मुठभेड़ लगभग 10-20 मिनटों तक जारी रही। हालांकि, झोपड़ी के दक्षिण-पश्चिम हिस्से को कवर नहीं किया जा सका, क्योंकि मोबाइल टीम के पास इतनी अधिक क्षमता नहीं थी कि वह पहाड़ी के शिखर पर घेराबंदी कर सके।

मुठभेड़ के दौरान, एस आई पी. संजय सिंह (i)कांस्टेबल थ. धमन सिंह (ii)कांस्टेबल वंगलियन मांग तथा (iii) राइफलमैन एन. मांगी मेइतेइ की सहायता से दृढ़ शक्ति और दृढ़ संकल्प के साथ खेती हट की तरफ निरन्तर गोलियाँ बरसाते हुए जमीन पर रेंगते हुए आगे बढ़ते रहे जिसके परिणामस्वरूप भूमिगत तत्व पुलिस कमाण्डो की गोलीबारी का सामना नहीं कर सके और कमाण्डो पार्टी पर हमला करने के लिए हट से बाहर आ गए। यदि एस आई पी. संजय सिंह (i)कांस्टेबल थ. धमन सिंह (ii)कांस्टेबल वंगलियन मांग और (iii) राइफलमैन एन मांगी मेइतेइ की सहायता से दृढ़ संकल्प के साथ और अपनी जान की परवाह किए बिना कार्रवाई नहीं करते, तो भूमिगत तत्व न केवल आगे बढ़ रहे कमाण्डो दल को मार देते बल्कि उनके हथियारों को भी लूट लेते।

मुठभेड़ समाप्त हो जाने के बाद, तलाशी शुरू की गयी और उनसे निम्नलिखित हथियार एवं गोला-बारूद तथा अन्य सामान बरामद किए गए:-

(क) चैम्बर में भरे हुए दो खाली कारतूसों के साथ ग्रीन एण्ड कं. द्वारा निर्मित आई एन-11507-डी/4-05 चिन्हित एक डबल बैरल शॉट गन।

(ख) 9 मि.मी. कैलिबर की दो जिंदा गोलियों के साथ 7722 चिन्हित एक 9 मिमी. पिस्तौल।

(ग) 9 मिमी. कैलिबर की तीन जिंदा गोलियों के साथ "सर्विस आर्म ऑफ दी यू एस ए गवर्मेंट" चिन्हित एक 9 मिमी. पिस्तौल।

(घ) नीले एवं भूरे रंग का एक नोकिया हैण्डसेट माडल संख्या 1200।

(ङ) काले रंगा का एक नोकिया हैण्ड सेट माडल नं. 1600।

(च) एक नीले रंग का मनी बैग जिसमें दो कार्ड थे, जिनमें से एक निंगथउजम चन्द्र सिंह, पुत्र-एन. इबोम्चा, निवासी- केइबुल के नाम से एच. सोभा सिंह, सदस्य, केइबुल माखा लेइकेइ, वार्ड नं. 8/5/10 द्वारा जारी किया गया था और जो एम. राजन सिंह, प्रधान, मोइरंग खुमोऊ जी.पी. द्वारा दिनांक 11.10.2008 को प्रतिहस्ताक्षरित था तथा दूसरा चन्द्र, पुत्र- इबोम्चा, निवासी-केइबुल (ए) के नाम से दिनांक 05-02-2009 को जारी किया गया(लेमिनेटेड) ई सी आई पहचान पत्र था।

(छ) एक काले एवं भूरे रंग का बटुआ जिसमें दो कार्ड थे, जिनमें से एक सलम हेमन्त सिंह, पुत्र-एस थोम्बा, निवासी-केइबुल माखा लेइकेई, वार्ड नं.8/5/10 के नाम से जारी किया गया था और ख. मेमा देवी, उप प्रधान, मेइरंग खुमोऊ जी.पी. द्वारा दिनांक 16.7.2008 को प्रतिहस्ताक्षरित था तथा दूसरा हेमन्त, पुत्र-तोम्बा, निवासी-केइबुल (ए) के नाम से दिनांक 5-2-2009 को 28-थांगा असेम्बली निर्वाचन- क्षेत्र हेतु ई आर ओ द्वारा जारी किया गया ई सी आई पहचान-पत्र था।

यह धारा 307/34-आई पी सी, 20/16(1-बी) यू ए (पी)ए, एक्ट और 25 (1-सी) आर्म्स एक्ट के तहत विष्णुपुर थाना में प्राथमिकी संख्या 83 (7)/2009 में दर्ज है।

मारे गए तीन आतंकवादियों की बाद में निम्नानुसार पहचान की गई:-

(क) सलम हेमन्त सिंह (25 वर्ष), पुत्र-एस. तोम्बा सिंह, निवासी-केइबुल माखा लेइकेइ, विष्णुपुर जिला, एस/एस कारपोरल, के सी पी (एम सी)।

(ख) वांगखेम प्रेमजीत उर्फ कोइरन सिंह (28 वर्ष), पुत्र- डब्ल्यू हेरामोत सिंह, निवासी-नरनसीना मानिंग लेइकेइ, विष्णुपुर जिला, एस/एस लॉस कारपोरल, के सी पी (एम सी)।

(ग) निगंथाउजम चन्द्र उर्फ लुकोक सिंह (43 वर्ष), पुत्र-एन इबोम्चा सिंह, निवासी-केइबुल ममांग, विष्णुपुर जिला, एस/एस सर्जेण्ट, के सी पी (एमसी)।

ऊपरवर्णित प्राथमिकी की छानबीन के दौरान, यह भी पता चला कि मृतक एस. हेमन्त सिंह के पास से बरामद की गयी डी बी बी आई गन उनमें से एक थी, जिसे लोकतक विकास प्राधिकरण के ओइनम इबोपिशक सिंह नामक अधिशासी अभियंता का अपहरण करने के प्रयास

में के सी पी के काडरों द्वारा युमनाम मनिचंद्र सिंह (48 वर्ष), पुत्र-वाई मोधुचन्द्र सिंह, निवासी-खुरई नन्देइबम लेइकेइ, इम्फाल पूर्व नामक चालक को मार कर ओइनम से छीना गया था। यह प्राथमिकी संख्या 52(7)09 एनबीएल पुलिस थाना में धारा 307/326/382/24 आई पी सी, 25(1-सी) आर्म्स एक्ट तथा 16 (यू ए) (पी) ए एक्ट के तहत दर्ज है। डी बी बी एल गन की बरामदगी के इस तथ्य से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि मृतक एस. हेमन्त सिंह उनमें से एक था जो दिनांक 15.7.2009 को लोकतक विकास प्राधिकरण के ओइनम इबोपिशक सिंह नामक अधिशासी अभियंता का अपहरण करने के प्रयास में युमनाम मनिचंद्र सिंह नामक चालक की हत्या के लिए जिम्मेदार था।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री पी. संजय सिंह, सब इंस्पेक्टर, थ. धमन सिंह, कांस्टेबल, वंगलियन मांग, कांस्टेबल तथा एन. मांगी मेइतेई, राइफलमैन ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक का द्वितीय बार/पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 19.7.2009 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं.165-प्रेज/2010, राष्ट्रपति, मणिपुर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार/पुलिस पदक का द्वितीय बार/पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्वश्री

1.	एल. कैलुन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक	(वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार)
2.	एम. जेम्स थंगल, सब इंस्पेक्टर	(वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार)
3.	के. बॉबी सिंह, सब इंस्पेक्टर	(वीरता के लिए पुलिस पदक का द्वितीय बार)
4.	ए. बिश्वनाथ सिंह, हवलदार	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
5.	एल. चिंगखेइहुंबा मेइतेइ, कांस्टेबल	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
6.	ख. जॉन्सन सिंह, राइफलमैन	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
7.	टी. अनोऊ मेइतेइ, कांस्टेबल	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
8.	दौमांग खोंगसाई, कांस्टेबल	(वीरता के लिए पुलिस पदक)

<u>उन सेवाओं का विवरण जिन के लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

दिनांक 15 मई 2009 को लगभग 0030 बजे, एक विशेष जानकारी मिली कि प्रतिबंधित गुट के वाई के एल (कंगलेइ याओल कन्ना लूप) के लगभग 6 काडर, जो पहले फुमलोऊ और फर्येंग माखा लेकाई के ईसाई सदस्यों को डराने-धमकाने तथा क्रमश: 10 एवं 11 मई 2009 को

उनके चर्च की बिल्डिंग को जलाने तथा 14 मई 2009 की रात में सैंजम चिरांग (पुलिस थाना लम्सांग) गांव के दो व्यक्तियों को मारने में संलिप्त थे, कोट्रुक पहाड़ी के ऊपर ठहरे हुए हैं। जानकारी में यह भी बताया गया कि वे कोट्रुक इलाके में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों पर हमला करने/ घात लगाने की योजना बना रहे हैं। यह पहाड़ी लम्संग पुलिस थाना से उत्तर-पश्चिम में लगभग 10 किमी. की दूरी पर स्थित है। इस जानकारी के आधार पर, श्री एल. कैलुन, आई पी एस, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इम्फाल पश्चिम की कमान के तहत 12वीं मराठा लाइट इंफैंट्री (एम एल आई) तथा 39वीं असम राइफल्स दोनों की एक-एक टुकड़ी को लेकर इम्फाल पश्चिम पुलिस कमाण्डो को संगठित किया गया और लगभग 0230 बजे कोट्रुक इलाके में कार्य पर लगा दिया गया।

कोट्रुक गांव के आम इलाके में पहुँचने पर दल को दो हिस्सों में बाँट दिया गया। एस आई के. बॉबी सिंह के अधीन हवलदार ए. बिश्वनाथ सिंह और एल. चिंगखेइहुंबा मेइतेइ की सहायता से 39वीं असम राइफल्स के कार्मिकों के साथ एक दल को कोट्रुक पहाड़ी के दक्षिण-पश्चिम दिशा में तैनात कर दिया गया। एस आई जेम्स थंगल और उनकी पार्टी अर्थात राइफलमैन ख. जॉन्सन सिंह, ट.अनोऊ मेइतेइ एवं दौमांग खोंगसाइ के नेतृत्व में दूसरे दल को 12वीं एम एल आई के कार्मिकों के साथ पहाड़ी के उत्तर-पूर्वी दिशा में तैनात कर दिया गया। श्री एल. कैलुन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/इम्फाल पश्चिम पहाड़ी की दक्षिण-पूर्वी तलहटी से आगे बढ़े और सम्पूर्ण कार्रवाई की निगरानी की तथा दक्षिण-पश्चिमी दिशा से बचकर निकलने के मार्ग को भी अवरूद्ध कर दिया।

रात की चाँदनी को छोड़कर, रात काफी अंधेरी थी और कम दिखाई पड़ रहा था। दोनों युक्तिपूर्वक आगे बढ़े और पहाड़ के ऊपर की तरफ पहुंच गए। लगभग 0445 बजे एस आई के. बॉबी के नेतृत्व वाले दल ने लगभग 25-30 मीटर की दूरी पर पहाड़ के ऊपर कुछ लोगों की गतिविधि देखी। एस आई के. बॉबी और उनका दल बेहतर घेरेबंदी एवं जाँच के लिए और आगे बढ़ा। परन्तु अचानक आतंकवादियों ने अपने अत्याधुनिक हथियारों से गोलियाँ बरसानी शुरू कर दी। पुलिस दल ने भी तुरंत बचते हुए मोर्चा संभाल लिया और तत्काल जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी जिससे घमासान मुठभेड़ शुरू हो गयी। आतंकवादियों ने पहाड़ के ऊपर वर्चस्व वाली स्थिति में मोर्चा संभाल रखा था और अत्यन्त सुरक्षित स्थिति में चारों तरफ भारी गोलीबारी करना जारी रखा। एस आई के. बॉबी, हवलदार विश्वनाथ सिंह और कांस्टेबल चिंगखेइहुंबा मेइतेई, जो अत्यन्त असुरक्षित एवं जोखिम भरे स्थान पर थे और जहां कोई बचाव नहीं था, ने अपनी एके राइफलों से जबरदस्त जवाबी गोलीबारी की और जानकारी दी कि 2 या 3 आतंकवादी मारे गए हैं परन्तु शेष अभी भी लड़ रहे हैं। श्री एल. कैलुन ने एस आई जेम्स थंगल के नेतृत्व वाले दल को सतर्क रहने का तत्काल आदेश दिया। एस आई जेम्स थंगल, राइफलमैन जॉनसन सिंह, कांस्टेबल अनोऊ मेइतेइ और कांस्टेबल खोंगसाइ, जो सभी पहाड़ी टीले के उत्तर-पूर्वी दिशा में पेड़ के पत्तों को छोड़कर किसी बचाव के बिना असुरक्षित स्थिति में थे, सहजतापूर्वक बचाव के लिए

बढ़े और अपनी एके अशॉल्ट राइफलों से भारी जवाबी गोलीबारी की। उन्होंने भी 1 या 2 आतंकवादियों को मार गिराये जाने की जानकारी दी।

उसी समय श्री एल.कैलुन, आई पी एस, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/इम्फाल पश्चिम का अपने दल के साथ, जो पहाड़ के ऊपर की ओर काफी निकट थे, अचानक एके अशॉल्ट राइफल से लैस एक आतंकवादी से आमना-सामना हो गया। श्री एल. कैलुन ने तत्काल उसे रुकने के लिए आवाज लगाई, परन्तु रुकने की बजाय आतंकवादी ने अपने एके अशॉल्ट राइफल से पुलिस दल की ओर गोलियाँ बरसानी शुरू कर दी, जो इंच भर से पुलिस अधिकारी एवं उनके कार्मिक को लगने से चूक गयी। श्री एल. कैलुन, जिन्हें राज्य में विद्रोह-रोधी कार्रवाई का कई वर्षों का अनुभव था, और उनका दल तुरंत जमीन पर लेट गया और तत्काल भयंकर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके परिणामस्वरूप सशस्त्र आतंकवादी उसी स्थान पर मारा गया।

मुठभेड़ समाप्त होने के बाद, सुरक्षा कर्मियों द्वारा उस स्थान की पूर्णरूपेण तलाशी ली गयी और पहाड़ के ऊपर तथा उसके आसपास छः अज्ञात सशस्त्र आतंकवादियों के शव पाए गए जिनके शरीर के विभिन्न हिस्सों पर गोली के जख्म थे। उनके शव के पास से और छिपाव-स्थल से निम्नलिखित हथियार, गोलाबारूद और विविध सामग्रियाँ बरामद की गयीं:-

i) 5(पांच) एके-56 अशॉल्ट राइफलें, जिन सभी में 77 जिंदा कारतूसों के साथ एक-एक मैगजीन भरी हुयी थी।
ii) 1 स्वचालित पिस्तौल जिसमें 3 जिंदा कारतूस भरे हुए थे।
iii) 2 चीन निर्मित हथगोले।
iv) शव के पास एके हथियारों के 54 विविध कारतूस पाए गए।

मारे गए व्यक्तियों की बाद में कंगलेई यावोल कन्ना लुप (संक्षेप में के वाई के एल) के खूँखार प्रतिबंधित सशस्त्र काडरों के रूप में पहचान हुई, जो उस इलाके में पिछले 2/3 दिनों से सक्रिय थे। वे हैं:-

i) केइशम सन्तोम्बा सिंह (31), पुत्र- (स्व.) के. तोम्बा सिंह, निवासी- हेइबोंगपोक्पी मायाइ लेइकेई (एस/एस-सार्जेण्ट मेजर)।
ii) मयेंगबम चावोथोइ सिंह (23), पुत्र-(स्व.) एम. इबोबी सिंह, निवासी- लम्जाओ पार्ट-।।, तेजपुर अवांग लेइकेइ (एस/एस- लेफ्टि.)।
iii) अंगोम गुनी सिंह (21), पुत्र-ए. लंगबनजाओ, निवासी- फायेंगचिंग खुनोऊ (एस/एस-लेफ्टि)।
iv) लेइसांगथेम सिमोन सिंह (19), पुत्र-एल.बुद्ध सिंह, निवासी-कोइुक चिंग (एस/एस-प्राइ.)।

v) अंगोम प्रियोजीत उर्फ नोगों सिंह (17), पुत्र-ए. सुभाष सिंह, निवासी-फायेंग अवांग लेइकेई (एस/एस-प्राइ.)।

vi) ए. अमुथी सिंह (24), पुत्र- नीलमणि, निवासी- फायेंगचिंग खुनोऊ (एस/एस-सेकेण्ड लेफ्टि.)।

यह मामला प्राथमिकी संख्या 25(5)09 लम्सांग पुलिस थाना धारा 307/34/आईपीसी, 20यू ए(पी) अमेण्डमेंट एक्ट, 25(1-सी) आर्म्स एक्ट, 5 एक्सप्लोसिव सब्सटांस एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। यह कानून की इन्हीं धाराओं के अन्तर्गत सैतु गंफाजोल पुलिस थाना की प्राथमिकी संख्या 21(5)09 में भी दर्ज है।

इस मुठभेड़ में, सर्वश्री एल. कैलुन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एम. जेम्स थंगल, सब इंस्पेक्टर, के. बॉबी सिंह, सब इंस्पेक्टर, ए. विश्वनाथ सिंह, हवलदार, एल चिंगखेइहुंबा मेइतेइ, कांस्टेबल, ख. जॉनसन सिंह, राइफलमैन, टी. अनोऊ मेइतेइ, कांस्टेबल और दौमांग खोंगसाइ, कांस्टेबल ने अदम्य साहस, वीरता एवं उच्च कोटि की कर्त्तव्यपराणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक का प्रथम बार/पुलिस पदक का द्वितीय बार/पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 15.5.2009 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं.166-प्रेज/2010, राष्ट्रपति, दिल्ली पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक का छठा बार सहर्ष प्रदान करती हैं:-

<u>अधिकारी का नाम और रैंक</u>
श्री संजीव कुमार यादव,
सहायक पुलिस आयुक्त

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

दिनांक 6.3.06 को हेमन्त उर्फ सोनू के संबंध में एक खुफिया जानकारी के आधार पर, स्पेशल सेल के एक दल ने लगभग 1.30 बजे तड़के फ्लैट नं. 505, 5वीं मंजिल, सागर अपार्टमेंट, सुशान्त लोक-II, गुड़गांव, हरियाणा में छापा मारा। जब अंदर के लोगों ने दरवाजा नहीं खोला, तो पुलिस दल ने बलपूर्वक दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया। संजय सिंह, पुत्र - भोपाल सिंह को पकड़ लिया गया, जिसने बताया कि एक बदमाश (बाद में जिसकी पहचान जयप्रकाश उर्फ जे पी, निवासी – नजफगढ़, दिल्ली के रूप में हुई) फ्लैट की पिछली बालकनी से शाफ्ट के माध्यम से भाग गया है।

तलाशी करने पर जयप्रकाश, जो हेमन्त उर्फ सोनू का एक निकट सहयोगी है, को पीछे की ओर के शाफ्ट में देखा गया जिसे पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया। इसकी वजाय, उसने पुलिस दल पर गोलियाँ चलाईं और एक हथगोला निकाल लिया तथा हथगोले का विस्फोट करके पुलिस दल के सदस्यों एवं निवासियों को मारने की धमकी दी। अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए और आत्मरक्षा में पुलिस दल ने भी जबावी गोलीबारी की। बदमाश अंधेरे का फायदा उठाते हुए छिप गया। पुलिस ने नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गोलीबारी रोक दी। स्थिति की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, स्पेशल सेल एवं हरियाणा पुलिस से अतिरिक्त बल की मांग की गयी। इसी बीच, पूछताछ के दौरान उक्त संजय सिंह ने खुलासा किया कि हेमन्त उर्फ सोनू अपने सहयोगी जसवंत उर्फ सोनू के साथ फरीदाबाद रोड पर फ्लैट सं. 9-1101, वैली व्यू इस्टेट, ग्वालपहाड़ी, गुड़गांव में छिपा हुआ है। तदनुसार, श्री संजय यादव, ए सी पी के नेतृत्व में इंस्पेक्टर ललित मोहन, इंस्पेक्टर हृदय भूषण, एस आई गिरीश कुमार और अन्य सहित एक दल वैली व्यू इस्टेट के लिए रवाना हो गया, जबकि दल के अन्य सदस्य जयप्रकाश उर्फ जे पी को गिरफ्तार करने के लिए स्थिति के अनुसार कार्रवाई करने हेतु स्थल पर ही रह गए।

लगभग 5.30 बजे तड़के, दल फ्लैट नं. 9-1101, वैली व्यू इस्टेट, गुड़गांव पहुंच गया और छापा मारा। अंदर के लोगों को दरवाजा खोलने तथा पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया। जब अंदर के लोगों ने चेतावनी के बावजूद दरवाजा नहीं खोला, तो पुलिस ने बलपूर्वक दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया। हेमन्त उर्फ सोनू ने तुरन्त पुलिस दल पर गोली चला दी। पुलिस दल ने भी जवाबी गोली चलाई। जसवंत उर्फ सोनू को पीछे की ओर से दसवीं

मंजिल की बालकनी पर कूदते देखा गया। दसवीं मंजिल के फ्लैट के दरवाजे को भी बलपूर्वक तोड़ा गया। बदमाश, जिसकी बाद में जसवंत उर्फ सोनू, पुत्र - जगदीश प्रसाद, निवासी-आर जेड-421, गोपाल नगर, नजफगढ़, दिल्ली के रूप में पहचान हुई, ने भी पुलिस दल पर गोली चला दी। परिणामी मुठभेड़ में, हेमन्त उर्फ सोनू और जसवंत उर्फ सोनू मारे गये। हेमन्त उर्फ सोनू द्वारा प्रयोग की गयी एक 9 एम एम पिस्तौल एवं 455 बोर रिवाल्वर तथा जसवंत उर्फ सोनू द्वारा प्रयोग किया गया एक .38 बोर और जिंदा कारतूस उनसे बरामद किए गए।

<u>अधिकारियों की व्यक्तिगत भूमिका</u>

<u>ए सी पी संजीव यादव:</u> अन्तर्राज्यीय बदमाशों के साथ मुठभेड़ के दौरान, ए सी पी संजीव यादव ने बहादुरी से दल का नेतृत्व किया। जब दल फ्लैट नं. 9-1101, वैली व्यू अपार्टमेंट पहुंचा, जहाँ बदमाश छिपे हुए थे, तो उन्होंने उनसे दरवाजा खोलने तथा आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। जब बदमाशों ने दरवाजा नहीं खोला, तो उसे तोड़कर खोला गया। जैसे ही वे फ्लैट के अंदर घुसे और बदमाशों को ललकारा तो दोनों खूंखार बदमाशों ने अपने हथियार निकाल लिए तथा पुलिस दल पर गोलीबारी शुरु कर दी। हेमन्त उर्फ सोनू ने प्रवेश द्वार की बांयी तरफ स्थित रसोईघर के अंदर पोजीशन ले ली, जबकि जसवंत उर्फ सोनू पुलिस दल पर गोलियाँ बरसाता हुआ पिछली बालकनी की ओर भागा। आत्मरक्षा में और बदमाश को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस दल ने जवाबी गोलियाँ चलाईं। ए सी पी यादव ने दल का नेतृत्व करते हुए हेमन्त उर्फ सोनू का बहादुरी से सामना किया। जवाबी गोलीबारी करते समय ए सी पी बदमाश की गोली के सीधे निशाने पर थे और उनकी सुरक्षा के लिए कोई बचाव नहीं था। वे अपनी जान की परवाह किए बगैर आगे बढ़ते हुए बदमाश के नजदीक पहुंच गए जबकि बदमाश द्वारा चलाई गई एक गोली उन्हें लग गई थी। तथापि, वे बाल-बाल बच गए क्योंकि उन्होंने बुलेट-प्रूफ जैकेट पहना हुआ था। भयभीत एवं विचलित हुए बिना, निर्भीक अधिकारी ने अपनी सर्विस पिस्तौल से 3 चक्र गोलियाँ चलाई और बदमाश को मार गिराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

इस मुठभेड़ में श्री संजीव कुमार यादव, सहायक पुलिस आयुक्त ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, वीरता के लिए पुलिस पदक का छठा बार नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 07.03.2006 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं.167-प्रेज/2010, राष्ट्रपति, राजस्थान पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री विमल कुमार पाराशर (मरणोपरान्त)
सहायक उप निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिन के लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 6.5.2008 को दिन के 1.00 बजे, श्री दिनेश वशिष्ठ, पुलिस इंस्पेक्टर, थाना प्रभारी-बादी को एक विश्वसनीय मुखबिर से विश्वस्त जानकारी मिली कि डकैत ज्ञानी अपने गिरोह के सदस्यों तथा अस्त्र-शस्त्र एवं गोला-बारूद के साथ बीदरपुर गांव में आने वाला है। श्री दिनेश वशिष्ठ, थाना प्रभारी-बादी ने धौलपुर के तत्कालीन एस पी को फोन पर इसकी जानकारी दी।

धौलपुर के एस पी ने तत्काल एक ए डी एफ टीम को रवाना किया, जिसमें 38 बोर रिवाल्वर के साथ ए एस आई श्री विमल कुमार पाराशर, ए एस आई महावीर प्रसाद, एके-47 राइफल के साथ हेड कांस्टेबल बलविन्द्र, हेड कांस्टेबल लखन सिंह, कांस्टेबल रोहितास, कांस्टेबल धर्मेन्द्र, कांस्टेबल सोनवीर और कांस्टेबल लक्ष्मण सिंह शामिल थे और इन सभी के पास एक-एक एस एल आर और पर्याप्त मात्रा में गोलाबारूद था। ए डी एफ टीम दोपहर 3.00 बजे बादी थाना पहुँच गई।

उसी दिन दोपहर 4.30 बजे, एक 38 बोर रिवाल्वर के साथ बादी थाना प्रभारी श्री दिनेश वशिष्ठ, हेड कांस्टेबल श्री अजय सिंह, कांस्टेबल जयदेव, कांस्टेबल थन सिंह, कांस्टेबल राजेश, कांस्टेबल सुरेश, कांस्टेबल कृष्ण मुरारी और ड्राइवर राम नाथ ए डी एफ टीम के साथ डकैत गिरोह का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार होकर बीदरपुर गांव पहुँचे। इसी बीच मुखबिर ने एक और जानकारी दी कि डकैत ज्ञानी और उसका गिरोह आग्नेयास्त्रों से लैस होकर एक प्राइवेट जीप में सड़क से होकर आ रहा है और इन आग्नेयास्त्रों का प्रयोग पुलिस दल के खिलाफ किया जा सकता है।

इस महत्वपूर्ण जानकारी के प्राप्त होने पर, बादी थाना प्रभारी श्री दिनेश वशिष्ठ ने बड़े-बड़े पत्थर डालकर देवथान बीदरपुर के पास सड़क को अवरूद्ध कर दिया और पुलिस बल को दो दलों में बांट दिया। ए.एस. आई. श्री विमल कुमार पाराशर पहले दल के प्रभारी थे जिसके अन्य सदस्य ए.एस.आई. महावीर, हेड कांस्टेबल बलविन्द्र, हेड कांस्टेबल लखन, कांस्टेबल धर्मेन्द्र और कांस्टेबल सोनवीर थे। थाना के स्टाफ के साथ दूसरे दल के प्रभारी सी आई दिनेश वशिष्ठ थे और इस दल ने थोड़ी दूरी पर मोर्चा संभाल लिया। दोनों दल डकैत गिरोह को रोकने और उन्हें गिरफ्तार करने का इंतजार करने लगे।

सायं 5.30 बजे, डकैतों को लेकर एक जीप तेजी से डोमपुरा की तरफ से आई और अवरूद्ध सड़क के पास रूक गई। कुछ डकैत जीप से बाहर निकले और सड़क को साफ करने के लिए पत्थरों को हटाने लगे। तभी एक डकैत ने सी आई श्री दिनेश वशिष्ठ को उनकी वर्दी में देख लिया। उस डकैत के पास 306 बोर की राइफल थी और गिरोह के अन्य सदस्यों के पास भी आग्नेयास्त्र थे। बादी थाना प्रभारी श्री दिनेश वशिष्ठ ने डकैतों को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया और कहा कि उन्हें पुलिस दल ने घेर लिया है। डकैत ज्ञानी और उसके गिरोह के सदस्यों ने आत्मसमर्पण करने की बजाय पुलिस दल को मारने के इरादे से उनपर गोलियाँ चलानी शुरू कर दीं। अपने बचाव में पुलिस दल ने भी गोलियाँ चलानी शुरू कर दी। बादी थाना प्रभारी दिनेश वशिष्ठ ने बार-बार डकैतों को गोलीबारी रोकने और आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी, परन्तु डकैत गिरोह ने पुलिस पार्टी पर गोलीबारी जारी रखी।

ए एस आई श्री विमल कुमार पाराशर, जो एक डकैत का पीछा कर रहे थे, पर ज्ञानी डकैत के पीछे से गोली चलाई गई और गोली उनकी पीठ में लगी। बुरी तरह से घायल होने के बावजूद, एस आई विमल कुमार पाराशर पीछे नहीं हटे और तब तक बहादुरी के साथ डकैतों से लड़ते रहे जब तक दल के अन्य सदस्य उस स्थान पर नहीं पहुँच गए और सभी पाँच डकैतों को घेर लिया, जिनके नाम इस प्रकार हैं:-

(क) ज्ञानी उर्फ लारा, पुत्र-बाबू लाल मीणा, निवासी-सुनीपुर, थाना बारी को एक 306 बोर की राइफल तथा 28 जिंदा कारतूसों वाले एक पट्टे और 80 जिंदा कारतूसों वाले एक बैग के साथ।

(ख) श्री भगवान, पुत्र- बाबू लाल मीणा, निवासी-सुनीपुर, थाना-बारी को एक 12 बोर की डी बी बी एल राइफल तथा 20 जिंदा कारतूसों वाले एक पट्टे के साथ।

(ग) महेश, पुत्र-सिरदार गुर्जर, निवासी-रामबक्स का पुरा, थाना-सरमथुरा को एक 306 बोर की राइफल तथा 20 जिंदा कारतूसों के साथ।

(घ) रामलखन उर्फ लखन, पुत्र-श्याम लाल मीणा, निवासी उमरेह, थाना-बारी को एक 315 बोर के अवैध कट्टा, चैम्बर में एक कारतूस तथा 3 जिंदा कारतूसों के साथ।

(ङ) रामवीर, पुत्र-श्याम लाल मीणा, निवासी-अमरेह, थाना- बारी को एक 315 बोर के अवैध कट्टा, मैगजीन में दो कारतूस तथा 1 जिंदा कारतूस के साथ।

इस घटना के संबंध में दिनांक 5.6.2008 को प्राथमिकी संख्या 124/2008 धारा 147, 148, 149, 332, 353, 307, 302 आई पी सी के तहत सरमथुरा थाना में दर्ज की गयी थी।

मुठभेड़ के बाद ए एस आई श्री विमल कुमार पाराशर को प्राथमिक उपचार के लिए तत्काल बादी अस्पताल में लाया गया था और बाद में धौलपुर अस्पताल में भेज दिया गया था। धौलपुर में उनकी जान बचाने के लिए समस्त प्रयास किए गए थे परन्तु ए एस आई श्री विमल कुमार पाराशर मुठभेड़ में बुरी तरह से घायल होने की वजह से दम तोड़ दिया।

इस मुठभेड़ में सहायक उपनिरीक्षक (स्वर्गीय) श्री विमल कुमार पाराशर ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 6.5.2008 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं.168-प्रेज/2010. राष्ट्रपति, त्रिपुरा पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्वश्री

1. लालमिंगा दारलोंग,
   कमाण्डेण्ट
2. बिनय किशोर देववर्मा,
   सहायक कमाण्डेंट
3. बादल देववर्मा,
   सहायक कमाण्डेंट
4. समर देवनाथ,
   हवलदार
5. रवीन्द्र कलई,
   राइफल मैन

<u>उन सेवाओं का विवरण जिन के लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

दिनांक 26.4.2008 को लगभग 1115 बजे श्री देवव्रत दास, सेक्शन इंजीनियर, एन एफ रेलवे त्रिपुरा पश्चिम जिला के मुंगीकामी पुलिस थाना अन्तर्गत 56100 चेनेज, तुइकर्मा में रेलवे कार्यों की प्रगति का निरीक्षण करने गए जहाँ रोजाना 60/70 मजदूर काम करते थे। वे मुंगीकामी तक वाहन से गए और मुंगीकामी से कार्यस्थल तक पैदल गए।

लगभग 1215 बजे अचानक एन एल एफ टी (बी एम) उग्रवादियों (7/8) का भारी हथियारों से लैस दल कर्ण देववर्मा उर्फ क्वपलई तथा ललित देववर्मा के नेतृत्व में कार्यस्थल पर आ धमका। उग्रवादी दल ने तुरन्त इंजीनियर दास को पकड़ लिया और फिर उन्हें खींचकर जंगल की ओर ले गया। उस समय धीरेन्द्र देवनाथ, तेलियामुरा के राजमिस्त्री ने इंजीनियर दास को उग्रवादी दल द्वारा ले जाने का विरोध किया और रुकावट डाली। परन्तु उसे गोली मार दी गयी

और वह स्थल पर ही मारा गया। इस प्रकार इंजी. दास का अपहरण कर लिया गया। उसके बाद स्थिति काफी नाजुक हो गई और समस्त मजदूर डर के मारे रेलवे कार्यस्थल से भाग गए।

घटना के बाद की जांच के दौरान, यह पता चला कि एन एल एफ टी (बी एम) के एस एस लेफ्टिनेंट कर्ण देववर्मा उर्फ क्वपलई ने सुरक्षा बल एवं इंजी. दास की गतिविधि के बारे में उग्रवादी दल को जानकारी देने के लिए तुइकर्मा में दिनेश देववर्मा नामक व्यक्ति को एक मजदूर के रूप में लगा रखा था। दिनेश ने उग्रवादी दल को जानकारी देने में कोई गलती नहीं की। उसने सही और उपयुक्त समय पर जानकारी दी। जानकारी के लीक होते ही इंजी. देवव्रत दास परिस्थितियों के शिकार हो गए और उनका अपहरण हो गया।

शुरू में इंजी. दास को कमला बगान (अथरमुरा पहाड़ी का किनारा) ले जाया गया और उसके बाद पेट्रामुरा श्रृँखला के अन्तर्गत विभिन्न अगम्य स्थानों पर ले जाया गया। पहले, उग्रवादी दल ने इंजीनियर को छोड़ने के एवज में 50 लाख रूपए की फिरौती मांगी। बाद में, उग्रवादियों ने फिरौती की धनराशि बढ़ाकर एक करोड़ रूपए कर दी। एक समय पर क्वपलई को मुख्यालय से एस एम एस आया कि "उसे मार दो"। परन्तु तुरन्त दूसरा संदेश आया कि "उसे मत मारो"। इंजी. दास ने दूसरे संदेश के बाद राहत की सांस ली।

इन परिस्थितियों में आतंकवादी गुट के चंगुल से इंजी. दास को सुरक्षित बचाकर ले आना सुरक्षा बलों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया।

इसके बाद सुरक्षा बलों ने तुइबाकलई एवं पेट्रामुरा के आम इलाकों में रुक-रुक कर लगातार कई बार कार्रवाई की और प्रत्येक कार्रवाई 3 से 6 दिन तक चली। परन्तु इसमें कोई सफलता नहीं मिली और आतंकवादी दल की उपस्थिति के बारे में कोई सुराग भी हाथ नहीं लगा। लेकिन सुरक्षा बलों ने चुनौती का सामना करना नहीं छोड़ा। बल्कि वे इस समस्या को हल कर लेने के आशावादी थे।

अंततः दिनांक 3.6.2008 को, दो आतंकवादियों द्वारा दिए गए कुछेक सुरागों के आधार पर 'घेराव,छापा और तलाशी अभियान' नामक 72-घंटे का अभियान चलाया गया। यह अत्यंत महत्वपूर्ण समय था। कमाण्डेंट दारलोंग ने निजी तौर पर इस अभियान का नेतृत्व किया। इस अभियान में 3 राजपत्रित अधिकारियों के साथ टी एस आर की एक कम्पनी को काम पर लगाया गया।

पहले तीन दिनों में अथरमुरा पहाड़ी श्रृँखला के तुइबाकइर्ल, त्रिपुरी बस्ती और कमलाबगान इत्यादि के आम इलाके में अभियान चलाया गया। आत्म समर्पण कर चुके आतंकवादियों ने विभिन्न स्थानों को दिखाया जहाँ उग्रवादी पहले ठहरे हुए थे। जब अभियान चल रहा था तब मौसम बहुत खराब था और लगातार बारिश हो रही थी। सुरक्षा बलों ने प्रतिकूल परिस्थिति वाले

जंगलों में भारी वर्षा, मच्छर के काटने, जोंक के काटने, के बावजूद आत्मसमर्पण कर चुके आतंकवादियों द्वारा दिखाए गए समस्त घने एवं प्रतिकूल परिस्थितियों वाले जंगलों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पूरी तलाशी की। इस प्रक्रिया में, सुरक्षा बल ने कमला बगान के जंगलों में दूसरी रात्रि में आतंकवादी के साथ गोलीबारी भी की परन्तु किसी तरफ से कोई हताहत नहीं हुआ। तथापि, सुरक्षा बलों ने आतंकवादी दल द्वारा प्रयोग में लागए गए पोलिथीन, बर्तन इत्यादि बरामद किए। हालांकि सुरक्षा बल को कोई महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त नहीं हुई, परन्तु कम -से-कम उस इलाके में उग्रवादियों की उपस्थिति की पुष्टि हो गई। तीसरे दिन जब अभियान समाप्त होने वाला था, तब कमाण्डेंट दारलोंग ने अतिरिक्त पहल की और समापन स्थल से लगभग 7/8 कि.मी तक पूर्वी दिशा में स्थित ब्लू हिल इलाके में सघन तलाशी अभियान चलाने के लिए उक्त 72 घंटे के अभियान की अवधि को बढ़ाने का निर्णय लिया। उस स्थान को स्थानीय भाषा में चिबुखर (सांपों की माँद) कहा जाता है। वह पहाड़ी प्रतिकूल परिस्थितीतियों वाली एव लहरदार भू-भाग वाली थी तथा घनी झाड़ियों से आच्छादित थी। वह इलाका अछूता था। 12 किमी. के घेरे में कोई मानव आबादी नहीं थी। कमाण्डेंट और उनके अधिकारी एवं कर्मी, उन्हें होने वाली संभावित परेशानी एवं कठिनाई पर कोई ध्यान दिए बिना, प्रतिकूल परिस्थीति वाली पहाड़ी की ओर आगे बढ़े। उस स्थान पर पहुँचने पर अभियान दल ने देखा कि वहाँ पर लक्षित इलाके तक पहुँचने के लिए न तो कोई सड़क है और न ही पैदल चलने का रास्ता है। वहाँ जाने का केवल एक रास्ता झरने का था और वह भी फिसलन एवं कवकी चट्टानों से भरा हुआ था। उस झरने में कई छोटे-छोटे झरने थे। अभियान दल ने छोटे-छोटे समूह बनाकर अभियान चलाने का निर्णय लिया। इस प्रकार अभियान दल समस्त झरनों को कवर करने के लिए कई छोटे-छोटे समूहों में बँट गया। छेरा/झरने गहरे दर्रानुमा सुरंग के रूप में थे, जहाँ घने पेड़-पौधों की रूकावट के कारण जीमन तक सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच सकती थी। ऐसी परिस्थितियों में, छोटी-छोटी सैन्य टुकड़ियाँ अपनी जान को जोखिम में डालकर, गहरी घाटी की ओर बढ़ी, जहाँ विषैले साँप/कीड़े-मकोड़े मच्छर और जोंक मौजूद था।

दिनांक 5.6.2008 को लगभग 1420 बजे, जब अभियान दल झरने के साथ-साथ गहरी घाटी की ओर बढ़ रहा था, तब कमाण्डेंट के नेतृत्व वाले एक अभियान दल पर भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों के एक दल द्वारा गोली चलाई गई। अभियान दल ने भी जवाबी कार्रवाई की और जब दोनों ओर से भारी गोलीबारी हो रही थी, तब श्री दारलोंग, ए सी विजय किशोर देववर्मा, ए सी बादल देववर्मा, हवलदार (जीडी) समर देवनाथ तथा राइफलमैन (जीडी) रवीन्द्र कलई के साथ निर्भीक होकर विस्तारित संरचना में अत्यन्त कठिन, फिसलन भरी, पहाड़ की खड़ी ढलान और घनी झाड़ियों से होते हुए हथियारबंद उग्रवादियों की ओर आगे बढ़े और उग्रवादियों पर सीधा प्रहार किया तथा दोनों तरफ से लगभग 15 मिनट तक भारी गोलीबारी जारी रही। हथियारबंद एन एल एफ टी (बीएम) आतंकवादियों ने तब गोलीबारी रोक दी और भीमकाय चट्टानों की आड़ लेकर पीछे हटने का प्रयास किया। उसके बाद गहरे दर्रे से चीखने की

आवाज सुनाई दीं। इसके बाद हथियारबंद आतंकवादियों ने फिर से 2/3 बार गोलियाँ चलाई। तब कमाण्डेंट ने भी ए सी विजय किशोर देववर्मा, ए सी बादल देववर्मा, हवलदार (जीडी) समर देवनाथ तथा राइफलमैन (जीडी) रवीन्द्र कलई के साथ, जो उग्रवादियों की ओर विस्तारित संरचना में आगे बढ़ रहे थे, पुनः हथियारबंद आतंकवादियों पर स्वचालित हथियारों से भारी गोलीबारी की , जिन्होंने बड़ी चट्टानों के पीछे अपनी पोजीशन ले रखी थी। जवाबी गोलीबारी के दौरान, श्री दारलोंग ने 17 चक्र, ए सी विनय किशोर देववर्मा ने 9 चक्र, ए सी बादल देववर्मा ने 9 चक्र, हवलदार (जीडी) समर देवनाथ ने 77 चक्र और राइफलमैन (जीडी) रवीन्द्र कलई ने 09 चक्र गोलियाँ चलाई और एक हथगोला फेंका और उग्रवादियों को गोलीबारी रोकने पर मजबूर कर दिया तथा वहाँ बिल्कुल शांति छा गयी। कमाण्डेंट और चार अन्य कार्मिकों ने बड़ी चट्टानों के पीछे छिपकर अपनी पोजीशन ले ली थी और एक सुअवसर की प्रतीक्षा में थे। परन्तु तब तक उन्हें चीखने की आवाज सुनाई दी जो कह रहा था, 'मैं देवव्रत इंजीनियर हूँ, मैं यहाँ हूँ, कृपया मुझे बचाओ, कृपया मुझे बचाओ, इत्यादि'। यह आवाज गुफा से और खाई से आ रही थी तब तक उग्रवादी बड़ी चट्टानों, घनी झाड़ियों और लहरदार भू-भाग की आड़ लेकर भाग गए थे। तब श्री दारलोंग चार अन्य कार्मिकों के साथ उस स्थान की ओर बढ़े जहां से चीखने की आवाज आ रही थी और अन्ततः विशालकाय चट्टानों की गुफा से इंजी. दास को खोज निकाला।

इस कार्रवाई में सर्वश्री लालमिंगा दारलोंग, कमाण्डेट, विनय किशोर देववर्मा, सहायक कमाण्डेंट, बादल देववर्मा, सहायक कमाण्डेंट, समर देवनाथ, हवलदार तथा रविन्द्र कलई, राइफलमैन ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 5.6.2008 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं.169-प्रेज/2010, राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक/वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार सहर्ष प्रदान करती हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व श्री

1.	डॉ अरविंद चतुर्वेदी उप-पुलिस अधीक्षक	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
2.	प्रदीप कुमार मिश्र निरीक्षक	(वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार)
3.	तेज बहादुर सिंह उप-निरीक्षक	(वीरता के लिए पुलिस पदक)

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

कृपा शंकर चौधरी एक खूँखार अपराधी था जिसपर उत्तर प्रदेश सरकार ने पचास हजार रूपये का इनाम घोषित कर रखा था। वह हत्या के एक दर्जन से अधिक मामलों और अन्य जघन्य अपराधों में संलिप्त था। इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और आसूचना से पता चला कि वह इस समय मनीष जायसवाल के फर्जी नाम से मुंबई में रह रहा है। यह सूचना प्राप्त होने पर उसे गिरफ्तार करने के लिए उप पुलिस अधीक्षक अरविंद चतुर्वेदी के नेतृत्व में विशेष कार्य बल के अधिकारियों की एक टीम बनाई गई, जिसमें निरीक्षक पी के मिश्र, उपनिरीक्षक टी.बी सिंह और सात अन्य पुलिस कार्मिक सम्मिलित थे। मुंबई पहुँचने के बाद, अधिकारियों की यह टीम कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार करने के उनके प्रयासों में सहायता के उद्देश्य से मुंबई पुलिस की अपराध शाखा के अपने समकक्ष अधिकारियों से मिली।

दिनांक 30/7/2006 की सुबह अधिकारियों और अन्य कार्मिकों की इस टीम को पता चला कि कृपा शंकर उर्फ मनीष जायसवाल जूहू वरसोवा रोड पर बी ई एस टी बस स्टॉप पर पहुँचेगा। इसलिए एस टी एफ उत्तर प्रदेश एवं मुंबई पुलिस की अपराध शाखा के अधिकारी उस स्थान पर पहुँच गए। उस स्थान पर पहुँचने और क्षेत्र का गहन उवलोकन करने के बाद, उन्होंने अपने आप को तीन समूहों में बाँट लिया। टीम 'क' का नेतृत्व एस टी एफ उत्तर प्रदेश पुलिस के उप-पुलिस अधीक्षक श्री चतुर्वेदी ने, टीम 'ख' का नेतृत्व निरीक्षक प्रदीप शर्मा ने और टीम 'ग'

का नेतृत्व मुम्बई पुलिस की अपराध शाखा के अधिकारी दिलीप पलान्दे ने किया। ये दोनों मुम्बई क्षेत्र का अवलोकन करने के बाद इन टीमों ने रणनीतिक रूप से मोर्चा संभाल लिया और कृपा शंकर के आने की प्रतीक्षा करने लगे।

जैसी कि आशा थी कृपा शंकर लगभग 16.50 बजे बीईएसटी बस स्टॉप पर एक ऑटो-रिक्शा से आया। उसे पहचानने के बाद निरीक्षक प्रदीप शर्मा उसे गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़े। इस पर कृपा शंकर ने अपनी रिवॉल्वर निकाल ली और निरीक्षक शर्मा पर तान दी। उप पुलिस अधीक्षक श्री चतुर्वेदी ने भी कृपा शंकर से आत्म-समर्पण करने के लिए कहा। अचानक कृपा शंकर ने उप पुलिस अधीक्षक श्री चतुर्वेदी पर गोली चला दी जो उनके बहुत करीब से गुजर गई। कोई अन्य विकल्प न होने की वजह से श्री चतुर्वेदी ने भी आत्मरक्षा में गोली चलाई। उनके द्वारा चलाई गई गोली कृपा शंकर की जाँघ में लगी। इसे देखकर उप-निरीक्षक टी बी सिंह भी आगे बढ़े। उनको आगे बढ़ता देख कृपा शंकर ने टी बी सिंह पर भी गोली चला दी। सौभाग्य से उन्हें गोली नहीं लगी और इसके जबाब में उन्होंने भी गोली चला दी। यह गोलीबारी जारी रही। अपनी जान को गंभीर खतरे में डालते हुए उप पुलिस अधीक्षक अरविंद चतुर्वेदी, निरीक्षक प्रदीप कुमार मिश्र और उप-निरीक्षक टी बी सिंह गोलीबारी करते हुए उसके काफी नजदीक पहुंच गए क्योंकि उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। पुलिस टीम के सदस्यों को बहुत सावधानी से गोलीबारी करनी पड़ी ताकि वहां पर अन्य लोग हताहत न हों। इस गोलीबारी में लगी चोट के परिणामस्वरूप कृपा शंकर बुरी तरह घायल हो गया। पुलिस द्वारा घटना स्थल से निम्नलिखित वस्तुएं बरामद की गई:

1- 7065 बोर की एक पिस्टल
2- एक जिन्दा कारतूस और 7.65 बोर के पाँच खाली शेल
3- एक मोबाइल फोन

इस मुठभेड़ में डा अरविंद चतुर्वेदी, उप-पुलिस अधीक्षक, प्रदीप कुमार मिश्र, निरीक्षक और श्री तेज बहादुर सिंह उप-निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक/पुलिस पदक का प्रथम बार नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भता भी दिनांक 30.7.2006 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं.170-प्रेज/2010, राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

<u>सर्व/श्री</u>

1. सत्येन्द्र कुमार सिंह,
   अपर पुलिस अधीक्षक
2. संतोष कुमार सिंह,
   उप-निरीक्षक

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक एस टी एफ, उप-निरीक्षक संतोष कुमार सिंह और अन्य पुलिस अधिकारी कुख्यात अपराधी बुध सिंह परिहार उर्फ लल्ला जिसपर 20,000/-रुपये का इनाम घोषित था, को गिरफ्तार करने के लिए रामपुरा, पुलिस स्टेशन-रामपुरा, जिला-जालौन में डेरा डाले हुए थे। दिनांक 17.4.2009 को पुलिस को अत्याधुनिक हथियारों से लैस 30-35 सदस्यों के गिरोह की मौजूदगी के बारे में सूचना प्राप्त हुई। टीम तत्काल उस स्थान पर गई और मुखबिर की मदद से गिरोह के बहुत करीब पहुँच गई। टीम ने ग्राम बिल्लौर के जंगल में एक कुएँ के निकट पोजीशन ले ली। गिरोह की उपस्थिति को भाँपते हुए पुलिस ने गिरोह से पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। लेकिन गिरोह ने पुलिस को गालियां देनी और भारी गोलीबारी करनी शुरू कर दी। रणनीतिक दृष्टि से लाभप्रद स्थल पर छिपे गिरोह ने एसटीएफ पर भारी गोलीबारी शुरू कर दी। अपने जीवन को गंभीर खतरे में डालते हुए, श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक और श्री संतोष कुमार सिंह, उप-निरीक्षक गिरोह की ओर बढ़े और उन्होंने आत्मरक्षा में गिरोह पर प्रभावकारी गोलीबारी की। इसके परिणामस्वरूप गिरोह अंधेरे और ऊंचे-नीचे दुर्गम क्षेत्र का फायदा उठाकर वहां से भाग गया। स्थल की सावधानी पूर्वक तलाशी करने पर पुलिस पार्टी को कुख्यात अपराधी बुध सिंह उर्फ लल्ला का शव प्राप्त हुआ। कार्रवाई स्थल से निम्नलिखित हथियार/गोलाबारूद बरामद किए गए:

1. फैक्ट्री निर्मित 12 बोर की एक एस बी बी बन्दूक, 15 जिन्दा कारतूस और 10 खाली शेल।
2. 12 बोर की 3 देशी एस बी बी बन्दूकें।
3. डेटोनेटर सहित हथगोला।
4. एके-47 राइफल के 04 खाली शेल, 315 बोर के 04 खाली शेल, .30 स्प्रिंग फील्ड राइफल के 22 खाली शेल और चार्जर के साथ .303 बोर के 05 खाली शेल

इस मुठभेड़ में श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, संतोष कुमार सिंह, उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 18.4.2009 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं.171-प्रेज/2010, राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक/वीरता के लिए पुलिस पदक का द्वितीय बार/वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार सहर्ष प्रदान करती हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व श्री

1.	अशोक कुमार राघव, अपर पुलिस अधीक्षक	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
2.	राम बदन सिंह, उप-पुलिस अधीक्षक	(वीरता के लिए पुलिस पदक का द्वितीय बार)
3.	बृज मोहन पाल, उप-निरीक्षक	(वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार)
4.	धर्मेन्द्र सिंह यादव, उप-निरीक्षक	(वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार)
5.	अवध नारायण चौधरी, हेड कांस्टेबल	(वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार)
6.	राजेन्द्र सिंह कांस्टेबल	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
7.	सर्वेश कुमार पाल कांस्टेबल	(वीरता के लिए पुलिस पदक)

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 15.11.2007 को फिदायीन आतंकवादियों की भारत में घुसपैठ और सैन्ट्रो कार से उनके लखनऊ पहुँचने की योजना के संबंध में अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई। आतंकवादियों की योजना को विफल करने के उद्देश्य से, श्री राघव अपनी टीम के साथ दिनांक 16.11.2007 को तत्काल लखनऊ के लिए निकल पड़े। श्री राघव को कुछ और गुप्त सूचना प्राप्त हुई, जिसपर उन्होंने उपलब्ध पुलिस बल की तुरंत चार अलग-अलग टीमें बनाईं और यथाशीघ्र लखनऊ-

सीतापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने फ्लाईओवर पर पहुँच गए। उन्होंने पुलिस टीमों को रणनीतिपूर्वक टेड़ी-पुलिया क्रॉसिंग पर तैनात कर दिया और पुलिस टीमों के साथ संदिग्ध आतंकवादियों के सैन्ट्रो कार में आने की उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा करने लगे।

लगभग 0445 बजे संदिग्ध सैन्ट्रो कार सीतापुर की तरफ से फ्लाईओवर की ओर आती दिखाई दी। श्री राघव और श्री राम बदन सिंह उप पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में गठित टीमों ने कार का पीछा किया। जब श्री राघव की टीम रणनीतिपूर्वक सैन्ट्रो कार के आगे पहुंच गई, तब इसका ड्राइवर अचानक पास की निर्माणाधीन सड़क की ओर मुड़ गया जहाँ कार ईंटों के एक ढेर से टकराकर रुक गई। कार से अचानक तीन आतंकवादी उतरे और ऊबड़-खाबड़ सड़क पर पोजीशन ले ली और पुलिस पार्टी पर लगातार गोलीबारी शुरू कर दी। श्री राघव के आदेश पर पुलिस पार्टी जल्दी से नीचे उतरी और पोजीशन ले ली। श्री राम बदन सिंह और उनकी पार्टी ने श्री राघव की पार्टी को कवर प्रदान जबकि अन्य दो पार्टियों ने क्षेत्र की घेराबंदी की ताकि संदिग्ध आतंकवादियों को संभावित रूप से बचकर निकलने से रोका जा सके।

श्री राघव ने संदिग्ध आतंकवादियों से आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, किन्तु तीनों आतंकवादियों ने "जैश-ए-मोहम्मद जिन्दाबाद" का नारा लगाते हुए आक्रामक रूप से भारी गोलीबारी जारी रखी जिसमें पुलिस कार्मिक बच गए। एस टी एफ को मारने के निश्चित इरादे से अत्याधुनिक हथियारों से लैस फिदायीन आतंकवादियों की भीषण गोलीबारी के बीच श्री राघव और रामबदन सिंह सतर्कतापूर्वक अपनी-अपनी पोजीशन से हटे, अपनी टीम के सदस्यों का हौसला बढ़ाया, रेंगते हुए आगे बढ़े और आतंकवादियों को रोकने के लिए आत्मरक्षा में गोलियाँ चलाईं। अचानक श्री राघव ने एक आतंकवादी को अपनी पोजीशन हटते हुए और पुलिस पार्टी पर फेंकने के लिए एक ग्रेनेड निकालते हुए देखा। करो या मरो की स्थिति को भाँपते हुए, आतंकवादियों की भारी गोलीबारी से भयभीत हुए बिना उन्होंने अपना धैर्य और सूझबूझ बनाए रखी। श्री राघव ने तत्काल कार्रवाई की और उप-निरीक्षक बृज मोहन पाल और कांस्टेबल सर्वेश पाल के साथ अपनी जान की सुरक्षा की परवाह न करते हुए, आतंकवादियों को जीवित गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़े और वीरतापूर्वक उस आतंकवादी पर छलांग लगा दी और उसपर हमला कर दिया और इस प्रकार उस आतंकवादी को सफलतापूर्वक पकड़ लिया और उससे ग्रेनेड भी छीन लिया ।

अधीक्षक श्री राम बदन सिंह, जो रणनीतिपूर्वक अपर पुलिस अधीक्षक की पुलिस पार्टी को कवर प्रदान कर रहे थे, ने अन्य दोनों आतंकवादियों को भी ग्रेनेड निकालते हुए देखा। उन्होंने उप-निरीक्षक धर्मेन्द्र सिंह यादव, हेड कांस्टेबल अवध नारायण चौधरी और कांस्टेबल राजेन्द्र सिंह के साथ अपनी जान की सुरक्षा की परवाह किए बिना वीरतापूर्वक उन दोनों आतंकवादियों पर छलांग लगा दी और उनपर हमला करके उन्हें नियंत्रित कर लिया, जो अंधाधुंध गोलियाँ बरसा रहे थे।

मुठभेड़ स्थल से निम्नलिखित वस्तुएं बरामद की गईं:

(क)	एके-47 राइफल	-02
(ख)	मैगजीन	-04
(ग)	कारतूस	-120
(घ)	पिस्तौलें (चीन निर्मित)	-03
(ड.)	कारतूस	-101
(च)	30 बोर के खाली शेल	-15
(छ)	आर डी एक्स	-04 किलोग्राम
(ज)	जिन्दा डेटोनेटर	-05
(झ)	जिन्दा हथगोले	-16

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री अशोक कुमार राघव, अपर पुलिस अधीक्षक, राम बदन सिंह, उप पुलिस अधीक्षक, बृज मोहन पाल, उप-निरीक्षक, धर्मेन्द्र सिंह यादव, उप-निरीक्षक, अवध नारायण चौधरी, हेड कांस्टेबल, राजेन्द्र सिंह, कांस्टेबल और सर्वेश कुमार पाल, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक/पुलिस पदक का प्रथम बार/पुलिस पदक का द्वितीय बार नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहें है तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 16.11.2007 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं.172-प्रेज/2010, राष्ट्रपति, उत्तराखंड पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

1. अजय सिंह,
   उप पुलिस अधीक्षक
2. भास्कर लाल साह,
   उप निरीक्षक
3. हरिमोहन
   कांस्टेबल

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

दिनांक 28 अक्तूबर, 2009 को लगभग 8.30 बजे अपराह्न श्री ऋषि त्रिपाठी नाम के एक व्यक्ति ने पुलिस नियंत्रण कक्ष को सूचित किया कि उसने नेहरू कॉलोनी, देहरादून में एल आई सी बिल्डिंग के पीछे के इलाके में गोली चलने की आवाज सुनी है।

यह सूचना प्राप्त होने पर, उप पुलिस अधीक्षक अजय सिंह के नेतृत्व में एक पुलिस पार्टी तत्काल उस स्थल पर पहुंच गई और मकान में प्रवेश किया। कांस्टेबल सुधीर केसला निगरानी रखने के लिए बाहर खड़े रहे। घर के अंदर उन्होंने श्री पी डी भट्ट की पत्नी श्रीमती विमला भट्ट को जख्मी हालत में एक कुर्सी पर पड़े देखा, उनके हाथ बँधे थे और मुह कपड़े से ढका हुआ था। श्री पी डी भट्ट फर्श पर पड़े थे और उनका पूरा शरीर खून से सना था। एक आदमी अपने हाथ में देशी पिस्टल लिए हॉल में खड़ा हुआ था और अन्य दो व्यक्ति हॉल के पास वाले कमरे में वस्तुओं की छंटाई करने में व्यस्त थे। श्री अजय सिंह, स्टेशन ऑफिसर, नेहरू कॉलोनी, श्री भास्कर लाल साह और कांस्टेबल हरिमोहन के साथ अपनी जान जोखिम में डालते हुए आगे बढ़े और अपराधियों को चेतावनी दी। इस चेतावनी का अपराधियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उन्होंने हॉल में ही श्री अजय सिंह के नेतृत्व वाली पुलिस पार्टी पर गोलियाँ चलाना शुरू कर दिया लेकिन भाग्यवश वे बाल-बाल बचे।

श्री अजय सिंह ने अनुकरणीय साहस दर्शाया और अपनी जान की परवाह किए बिना शीघ्रता से जवाबी कार्रवाई करते हुए उस अपराधी को पकड़ लिया जो अपने हाथ में हथियार लिए हुए था। उनके अनुकरणीय साहस और नेतृत्व ने उनकी टीम को हमला करने के लिए उत्साह से भर दिया। इसी बीच पास वाले कमरे से दोनों अपराधी हॉल में आ गए और उनमें से एक ने हमला करने वाली टीम पर गोली चलाने का असफल प्रयास किया। श्री अजय सिंह की कुशल कमान में स्टेशन ऑफिसर नेहरू कॉलोनी, श्री भास्कर लाल साह ने भी तेजी से जवाबी कार्रवाई की और दूसरे अपराधी से देशी पिस्टल छीन ली और उप निरीक्षक वाथीलाल उनियाल की सहायता से दूसरे अपराधी को भी पकड़ लिया। इसी बीच कांस्टेबल हरिमोहन ने अपनी निजी सुरक्षा की परवाह किए बिना अनुकरणीय साहस दिखाते हुए तीसरे अपराधी पर हमला कर दिया, किन्तु वह हमला करने वाले कांस्टेबल हरिमोहन के सिर पर देशी चाकू (खुकरी) से वार करते हुए भाग निकला। कांस्टेबल हरिमोहन गंभीर रूप से जख्मी हो गए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। तीसरा अपराधी भी बाद में उसी रात पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और लूटी गई सारी सम्पत्ति बरामद कर ली गई।

मुठभेड़ स्थल से निम्नलिखित वस्तुएं बरामद की गईं :-

1.	देशी 315 बोर पिस्टल	-	02
2.	इस्तेमाल किए गए कारतूस	-	02
3.	315 बोर के जिन्दा कारतूस	-	02

4. देशी चाकू (खुकरी) – 01 और 3.25 लाख रुपये मूल्य के बरामद किए गए लूटे हुए आभूषण आदि।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री अजय सिंह, उप पुलिस अधीक्षक, भास्कर लाल साह, उप निरीक्षक और हरिमोहन, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 28.10.2009 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं.173-प्रेज/2010, राष्ट्रपति, असम राइफल्स के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

1. अहीबाम सोमोरजीत सिंह,
   राइफलमैन
2. नेमी चन्द,
   राइफलमैन

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

दिनांक 02 फरवरी, 2009 को 2300 बजे यह विशिष्ट सूचना प्राप्त हुई कि पीपुल्स रेवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलीपाक (प्रीपाक) के प्रतिबंधित भूमिगत गुट के काडर सेनापति जिले के कांगचुप माखोम आर एम 2593 गाँव के आम क्षेत्र में भारी मात्रा में हथियारों के साथ मौजूद हैं और सुरक्षा बलों पर घात लगाने/हमला करने की योजना बना रहे हैं।

इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए दिनांक 03 फरवरी, 2009 को 0030 बजे पुलिस कमाण्डो के साथ तलाश करने और नष्ट करने का अभियान शुरू किया गया। पहाड़ी क्षेत्र में लम्बी यात्रा और चढ़ाई करने के बाद, संयुक्त टीम संदिग्ध गाँव के चारों ओर के रास्तों को बंद करने के लिए घात लगाकर बैठ गई क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण पूरी घेराबंदी करना संभव नहीं था। सुबह जब गाँव की घेराबंदी पुन:व्यवस्थित की जा रही थी और सैन्य दल पश्चिम की ओर से गाँव के पास पहुंच रहा था, तब भूमिगत उग्रवादियों ने उनपर भारी गोलीबारी शुरु कर दी। राइफलमैन (सामान्य ड्यूटी) अहीबाम सोमोरजीत सिंह और राइफलमैन (सामान्य ड्यूटी) नेमी चन्द ने नियंत्रण रखते हुए गोलीबारी शुरू नहीं की और उन्होंने रणनीतिपूर्वक अपनी पोजीशन ले ली ताकि उग्रवादी नजदीक आ जाएं। जैसे ही भूमिगत दस्ते के अग्रणी स्काउट को सुरक्षा बलों की उपस्थिति का अहसास हुआ, वैसे ही भूमिगत उग्रवादियों ने सैन्य दल पर भारी गोलीबारी शुरू कर दी। सैन्य दल ने तत्काल जवाबी कार्रवाई की और भीषण गोलीबारी शुरू हो गई।

नीचे से भारी गोलीबारी जारी रहने के दौरान राइफलमैन (सामान्य ड्यूटी) अहीबाम सोमोरजीत सिंह और उनके सहयोगी राइफलमैन (सामान्य ड्यूटी) नेमी चन्द भाग रहे भूमिगत उग्रवादियों के बचकर भाग निकलने के रास्ते को बंद करने के लिए तुरंत आगे पढ़े। यह जानकर कि भूमिगत उग्रवादी बचकर भाग रहे हैं, दोनों राइफलमैनों ने अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना और अपने जीवन को गंभीर रखते में डालते हुए उनके नजदीक पहुंच गए और पी आर ई पी ए के (प्रीपाक) के एक काडर को बिलकुल नजदीक से मार गिराया। दूसरी ओर, पुलिस कमांडो जो दाहिनी तरफ थे, गोलीबारी करते रहे जिसके फलस्वरूप दूसरा उग्रवादी भी मारा गया।

उनके कब्जे से निम्नलिखित हथियार और गोलाबारूद और अन्य विविध वस्तुएं बरामद की गईं:-

(i)	लिथोड ग्रेनेड लॉन्चर (एम-79)	-	एक
(ii)	लिथोड के जिन्दा कारतूस	-	16
(iii)	ए के 56 राइफल	-	एक
(iv)	ए के 47 राइफल की मैगजीन	-	एक
(v)	ए के 56 के जिन्दा कारतूस	-	छह
(vi)	ए के गोलाबारूद के फायर केस	-	31
(vii)	लिथोड बम का फायर केस	-	एक
(viii)	लिथोड बम पाउच	-	एक

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री अहीबाम सोमोरजीत सिंह, राइफलमैन और नेमी चन्द, राइफलमैन ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 03.02.2009 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं.174-प्रेज/2010, राष्ट्रपति, असम राइफल्स के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक
श्री सोढी सिंह,
हवलदार

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

हियांगलम टेरा पिशाक आर एम-3958 के आम क्षेत्र में प्रतिबंधित कांगलेई यावोल कन्ना लुप के भारी मात्रा में हथियारों से लैस 4-5 भूमिगत काडरों की गतिविधि के संबंध में विशिष्ट सूचना के आधार पर एक अधिकारी, एक कनिष्ठ कमीशन प्राप्त अधिकारी और वायखोंग कम्पनी ऑपरेटिंग बेस के 12 अन्य रैंकों के अधिकारियों की एक संयुक्त टीम ने 30 नवम्बर, 2008 को 1205 बजे से एक अभियान शुरू किया।

संदिग्ध क्षेत्र में दो अलग-अलग दिशाओं से पहुंचने के लिए टीम को दो भागों में बाँटा गया। लगभग 1300 बजे जब टीम नाटे खोंग आर एम 3958 के निकट नहर से होकर संदिग्ध क्षेत्र में मकान की ओर बढ़ रही थी, तब हवलदार (सामान्य ड्यूटी) सोढी सिंह ने दलदली क्षेत्र की ओर खेतों से होकर संदिग्ध दिखने वाले 4 लोगों को एक साथ जाते हुए देखा। उन्होंने तत्काल टीम के प्रभारी कमांडर मेजर विजय सिंह बलहारा को सूचित किया और उन्होंने उन्हें उचित पोजीशन लेने और उन लोगों को चुनौती देने का अनुदेश दिया। चुनौती दिए जाने पर आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलियाँ चलाना शुरू कर दिया और दलदली क्षेत्र की ओर भागने लगे। हवलदार सामान्य ड्यूटी सोढी सिंह, जो रणनीतिपूर्वक धान के खेत के बांध पर पोजीशन लिए हुए थे, ने टीम के साथ अचूक और सटीक जवाबी गोलीबारी की और स्थल पर ही दो कट्टर कांगलेई यावोल कन्ना लुप आतंकवादियों को मार गिराया। दो अन्य आतंकवादी घनी झाड़ियों का फायदा उठाकर बच निकलने में कामयाब हो गए। मुठभेड़ स्थल की गहन तलाशी की गई और निम्नलिखित वस्तुएं बरामद की गईं:-

(i) एक 9 एम एम पिस्टल मैगजीन सहित
(ii) एक 9 एम एम कार्बाइन मैगजीन सहित
(iii) 9 एम एम हथियार के 4 जिन्दा कारतूस
(iv) 9 एम एम हथियार के 2 चले हुए कारतूस

इस मुठभेड़ में श्री सोढी सिंह, हवलदार ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 30.11.2008 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं.175-प्रेज/2010, राष्ट्रपति, असम राइफल्स के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व श्री

1. चन्द्र मोहन सिंह,
   नायब सूबेदार
2. मंगला राम,
   हवलदार

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

मेजर के. यू. करूम्बिआह्म, एस एम के नेतृत्व में घटक के दस्तों ने विशिष्ट आसूचना के आधार पर बोंग्ली सामान्य क्षेत्र में सुसंगठित घात लगाई। उस स्थान पर चौबीस घंटे तक घात लगाई गई। अगले दिन सूर्यास्त से पहले अधिकारी ने विधिवत सोच-विचार करके यह प्रदर्शित किया कि वे वहां से हट रहे हैं ताकि उग्रवादियो को धोखे में रखा जा सके। सूर्योदय से पहले उन्होंने पुन: अपनी पोजीशन ले ली। 0445 बजे घात लगाने वाले कार्मिकों ने रास्ते पर दो व्यक्तियों को चलते हुए देखा। मेजर के यू करूम्बिजह्म, एस एम ने यह देखा कि उन दोनों में से एक के पास हथियार है। उन्होंने उनके निर्दिष्ट प्रहार क्षेत्र तक पहुँचने का इन्तजार किया और अचानक घात से बाहर निकलकर उन पर हमला कर दिया जिससे उनमें से एक उग्रवादी घायल हो गया।

हवलदार मंगला राम ने स्वयं को खतरे में डालते हुए अदम्य साहस का परिचय दिया और उन उग्रवादियों पर प्रभावी रूप से गोलीबारी की। उनकी अचूक गोलीबारी ने एक उग्रवादी को वहीं पर रुकने के लिए मजबूर कर दिया। उग्रवादी ने हवलदार पर भारी गोलीबारी की किन्तु हवलदार ने अदम्य वीरता का प्रदर्शन करते हुए अपनी पोजीशन बनाए रखी। अल्पकालिक तेज और निर्णायक लड़ाई में उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालते हुए उग्रवादी को मार गिराया।

इस बीच दूसरे उग्रवादी ने अचूक और भारी गोलीबारी से भयभीत होकर वहां से बचकर भागने का प्रयास किया। नायब सूबेदार चन्द्र मोहन सिंह ने अत्यधिक निर्भीकता और उत्कृष्ट साहस का प्रदर्शन करते हुए घनी झाड़ियों से होकर उसका पीछा किया। अचूक मोर्टार की गोलीबारी से उग्रवादियों के बचकर निकल भागने का रास्ता अवरुद्ध हो गया और उसने एक पेड़ के पीछे आड़ ले ली। प्रेरणादायक नेतृत्व और उत्कृष्ट बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए नायब सूबेदार चन्द्र मोहन सिंह ने विभिन्न दिशाओं में गोलीबारी करते हुए उग्रवादी पर हमला कर दिया और उसे मार गिराया।

निम्नलिखित बरामदगियाँ की गई:

(क)	एके-47	-01
(ख)	एके-47 मैगजीन	-01
(ग)	एके-47 के जिन्दा कारतूस	-04
(घ)	एफ सी सी एके-47	-05
(ड.)	पिस्टल	-01
(च)	मैगजीन पिस्टल	-01
(छ)	चीन निर्मित ग्रेनेड	-04
(ज)	आई ई डी	-02

इस मुठभेड़ में सर्वश्री चन्द्र मोहन सिंह, नायब सूबेदार और मंगला राम, हवलदार ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 13.6.2009 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं.176-प्रेज/2010, राष्ट्रपति, असम राइफल्स के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

<u>अधिकारी का नाम और रैंक</u>

श्री कमल देव (मरणोपरान्त)
हवलदार

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

नागा जेमे और डिमासास के बीच संभावित जातीय संघर्ष की रोकथाम करने और क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए दिनांक 12 मई, 2009 को बृहत स्तर पर गश्त शुरू की गई । लोंगरेन के आम क्षेत्र में पहले से ही कार्यरत दस्ते को कार्यमुक्त करने के लिए एक कनिष्ठ कमीशन प्राप्त अधिकारी और अन्य रैंकों के 15 कार्मिकों का एक दस्ता भेजा गया था।

लगभग 2220 बजे ब्लैक विडो गुट द्वारा दस्ते पर घात लगाकर हमला किया गया। उग्रवादियों की ओर से की गई भारी गोलीबारी के परिणामस्वरूप दस्ते को कार्रवाई रोकनी पड़ी। हवलदार/सामान्य ड्यूटी कमल देव, जो दस्ते 21 सी में थे, ने तुरंत अपने मन में स्थिति का आकलन किया और अपने कार्मिकों को भी घात लगाकर जवाबी हमला करने और उग्रवादियों की ओर से की जा रही गोलीबारी के विरुद्ध जवाबी गोलीबारी करने के लिए तुरंत आदेश दिए। उन्होंने व्यक्तिगत रुप से हमले का नेतृत्व किया और अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना दुश्मन की गोलीबारी का डटकर मुकाबला किया। हवलदार/जीडी कमल देव, जो हमले का नेतृत्व कर रहे थे, के पाँव में एक गोली लगी किन्तु इससे वे विचलित नहीं हुए और आगे बढ़ते रहे एवं गोलीबारी करते रहे। इस प्रकार उन्हें और उनकी पार्टी को घात तोड़ने में सफलता मिली। ऐसा करने के दौरान उग्रवादियों की ओर से अचानक एक गोली उनके सिर में लगी और घायल हो जाने की वजह से बाद में उनकी मृत्यु हो गई।

चूँकि अंधेरी रात थी, इसलिए अगले दिन सुबह तलाशी की गई और निम्नलिखित वस्तुएं बरामद की गईं। संभवतः हवलदार/जीडी कमल देव ने चार उग्रवादियों को मार गिराया था, जिनके हथियार उग्रवादी नहीं ले जा सके।

(क)	एके-56 राइफल	-01
(ख)	एके-47	-02
(ग)	राइफल एम-16	-1
(घ)	एके-47/56 की मैगजीनें	-03
(ड.)	मैगजीन एम-16	-01
(च)	गोलाबारुद एके-47/56	-48 राउण्ड
(छ)	गोलाबारूद एम-16	-12 राउण्ड

इस मुठभेड़ में (स्वर्गीय) श्री कमल देव, हवलदार ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 12.5.2009 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं.177-प्रेज/2010, राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

<u>अधिकारी का नाम और रैंक</u>

श्री वीरेन्द्र
उप महानिरीक्षक

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

दिनांक 17.11.2004 को करीब 1300 बजे शेर-ए-कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम, श्रीनगर में एक जन सभा को संबोधित करने के लिए माननीय प्रधान मंत्री के दौरे से पूर्व श्री वीरेन्द्र, आईपीएस, डीआईजी, सी आई-ओ पी एस-।।, श्रीनगर ने उत्तरदायित्वपूर्ण क्षेत्र को सुरक्षित बनाने के लिए एक व्यापक अधिपत्य योजना तैयार की और सैन्य बलों एवं उनके कमाण्डरों को सतर्क रहने के बारे में ब्रीफ किया। क्षेत्र की संवेदनशीलता को देखते हुए, श्री एम एस राठौर, कमाण्डेन्ट, 43 बटालियन, बी एस एफ को अपनी त्वरित कार्रवाई टीम को एकत्र करने का निदेश दिया गया।

बैठक के स्थल पर सब कुछ सामान्य था और सुरक्षा एजेंसिया उन्हें सौंपे गए कार्यों में व्यस्त थीं। अचानक, उस क्षेत्र के शांतिपूर्ण माहौल में उस समय खलबली मच गयी जब उग्रवादियों, जिन्होने पहले से ही सुलेमान काम्प्लेक्स के समीप जैन बैंकर्स के ऊपर स्थिति पहाड़ियों पर शेर-ए-कश्मीर स्टेडियम पर नजर रखते हुए प्रतिरक्षात्मक पोजीशन ले रखी थी, ने करीब 0815 बजे पुलिस दल की ओर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। उग्रवादियों द्वारा गोलीबारी के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर श्री वीरेन्द्र, आई पी एस, अपने अंगरक्षकों के साथ उस क्षेत्र में पहुंच गए और एम एस राठौर, कमाण्डेन्ट द्वारा उन्हें स्थिति के बारे में अवगत कराया गया। श्री वीरेन्द्र, डीआईजी द्वारा प्रधानमंत्री के आगमन से पहले ही उग्रवादियों को मार गिराने के लिए तत्काल एक व्यापक आपरेशनल योजना तैयार की गई ताकि प्रधान मंत्री की निर्धारित रैली शान्तिपूर्ण तरीके से सम्पन्न हो सके।

सैन्य टुकड़ियों और वाहनों की आवाजाही को देखकर, उग्रवादियों ने भारी मात्रा में गोलीबारी करनी शुरू कर दी जिसके प्रत्युत्तर में अपनी पार्टी द्वारा भी प्रभावकारी जवाबी गोलीबारी की गई। अचानक शुरू हुई इस आमने-सामने की गोलीबारी के बीच में दो निर्दोष नागरिक फंस गए, हेड कांस्टेबल/आरओ हरदेश कुमार ने अपने व्यक्तिगत जीवन की परवाह न करते हुए और अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए नागरिकों की ओर तेजी से दौड़े और उन्हें सुरक्षित निकाल लाए किन्तु इस वीरतापूर्ण कार्रवाई में वे उग्रवादियों की गोलियों के सामने आ गए और उनके दाहिने हाथ में गोली लगने से वे घायल हो गए।

श्री वीरेन्द्र, डीआईजी द्वारा तैयार की गई रणनीति के अनुसार, बी एस एफ सैन्य टुकड़ियों द्वारा दो ओर से उग्रवादियों को घेरने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, बी एस एफ सैन्य टुकडियों को दो दलों में विभक्त कर दिया गया। पहली पार्टी श्री एम एस राठौर, कमाण्डेन्ट 43 बटालियन, बी एस एफ की कमान में कब्रिस्तान की ओर से हमला पार्टी के रूप में आगे बढ़ी और श्री एस आर पाण्डा, डी सी की कमान में दूसरी पार्टी को चेस्ट डिसीज हास्पिटल की ओर से स्टाप पार्टी के रुप में रहने का कार्य सौंपा गया। जो पार्टी चेस्ट डिसीज हास्पिटल की ओर से स्टाप कार्य के लिए गई थी उसे डी आई जी, सी आई-ओपीएस-।। द्वारा रेडियो सेट के जरिए निर्देशित किया जा रहा था और कमाण्डेन्ट, 43वीं बटालियन, बीएसएफ के नेतृत्व में चल रही पार्टी, जो कब्रिस्तान की ओर से पहाड़ी पर चढ़ रही थी, को श्री वीरेन्द्र, आई पी एस, डी आई जी, सी आई ओ पीएस-।। द्वारा स्वयं साथ रहकर निर्देशित किया जा रहा था। चेस्ट डिसीज हास्पिटल की तरफ से तेज ढलान होने की वजह चढ़ाई मुश्किल थी। कब्रिस्तान की ओर से यद्यपि ढलान उतनी तीव्र नहीं थी किन्तु यह उग्रवादियो की सीधी और प्रभावी गोलीबारी के निशाने पर थी, किन्तु इस पार्टी ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए,दौडते हुए, घुटनों के बल चलते हुए, कब्रिस्तान के पत्थरों की ओट लेकर अथवा झाड़ियों में छिपते हुए, आगे बढ़ना जारी रखा क्योंकि उनके मन में केवल एक ही मिशन था कि प्रधान मंत्री की जन सभा के लिए निर्धारित समय 1300 बजे से पहले इस कार्य को पूरा कर लिया जाए।

डी आई जी, बीएसएफ, सीआई ओपीएस-।। के गहन पर्यवेक्षण के अधीन कमाण्डेन्ट 43 बटालियन, बीएसएफ के नेतृत्व में यह पार्टी 1030 बजे तक उस लक्ष्य स्थान के 50-60 मीटर की दूरी के आस-पास अर्थात उस परित्यक्त मकान के निकट पहुंच गई जहां से उग्रवादी, आगे बढ़ रही सैन्य टुकड़ी पर प्रभावकारी गोलीबारी कर रहे थे, चूंकि उग्रवादी मकान की छत से गोलीबारी कर रहे थे, अत: कब्रिस्तान की ओर से सैन्य टुकड़ी का बढ़ना बिल्कुल बाधित हो गया था क्योंकि हमला पार्टी और लक्ष्य के बीच की दूरी बिलकुल एक सीध में पड़ रही थी। श्री वीरेन्द्र, आई पी एस, डी आई जी, सी आई, ओ पी एस-।। द्वारा अगली रणनीति बनाई गई और पुलिस पार्टी से लक्षित मकान पर अश्रु गैस छोड़ने और स्टन ग्रेनेड दागने तथा अपनी-अपनी बुलेट प्रूफ प्लेट शील्डों की ओट से कवरिंग फायर मुहैया कराने का अनुरोध किया गया। श्री

वीरेन्द्र, आई पी एस, डी आई जी, बी एस एफ, सी आई, ओ पी एस-।। की उत्साहवर्धक मौजूदगी में कवरिंग फायर के सहारे हमला पार्टी ने उग्रवादियों द्वारा की जा रही भारी गोलीबारी, ग्रेनेड एवं एन्टी ग्रेनेड/ शेलों के फेंकने के बावजूद लक्ष्य स्थान की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। पार्टी कमाण्डर की पूर्ण-पेशवरता और दृढ़ निश्चय तथा श्री वीरेन्द्र, आईपीएस, डीआईजी, बीएसएफ द्वारा दिए जा रहे सतत मार्ग निर्देशन के अधीन चल रही इस बहादुर सैन्य टुकड़ी को उग्रवादियों की सीधी एवं प्रभावकारी गोलीबारी, फेंके जा रहे ग्रेनेड़ों/एन्टी ग्रेनेड़ों से जान को गम्भीर खतरा होते हुए भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकी। इस समन्वित प्रयास और गोलीबारी के फलस्वरूप यह हमला पार्टी और स्टाप पार्टी इस भीषण मुठभेड़ में उग्रवादियों को मार गिराने में सफल हुई जिसमें बीएसएफ के दो जवान गोली लगने से घायल हो गए।

उग्रवादियों को मार गिराने की यह कार्रवाई श्री वीरेन्द्र, आई पी एस, डीआईजी, बीएसएफ, सीआई, ओपीएस-।। द्वारा प्रदर्शित अनुकरणीय नेतृत्वक्षमता, बुद्धिमतापूर्ण योजना, पेशेवरता और उच्च कोटि की निष्ठा एवं कर्तव्यपरायणता की वजह से सम्भव हो सकी। इस मुठभेड़ में, बीएसएफ कार्मिकों द्वारा एल ई टी गुट के दो खूंखार आतंकवादियों को मार गिराया गया जिनकी पहचान अब. रहमान लकवी और अब. असम पठान के रूप मं हुई और उनसे 02 एके-47 राइफलें आर 07 मैगजीनें, एके-47 के 160 जिन्दा राउण्ड, हैण्ड ग्रेनेड, जन्पिंग ग्रेनेड और एन्टी टैंक राइफल शेल बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में श्री वीरेन्द्र, उप महानिरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 17.11.2004 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं.178-प्रेज/2010, राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व श्री

1. विनोद चन्द्र पन्त,
   निरीक्षक
2. अभिषेक सिंह
   कांस्टेबल
3. अरूण कुमार नायक
   कांस्टेबल

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

दिनांक 13.2.2008 को निरीक्षक/जीडी वी सी पंत को कमान में ई/132 के दो प्लाटून पुलिस स्टेशन, डुमरिया के अन्तर्गत बाकुलचन्दा में छापा और तलाशी अभियान हेतु तैनात किए गए थे। लगभग 1800 बजे एस पी, जमशेदपुर से यह जानकारी प्राप्त होने पर कि पुलिस स्टेशन डुमरिया के अंतर्गत भिथार आमदा गांव के लोगों द्वारा विकास और बोदो मेलगेन्दी नामक दो नक्सली मार दिए गए हैं, निरीक्षक वी सी पंत और सिविल पुलिस के डिप्टी एस पी आनन्द जोसेफ टिग्गा और निरीक्षक जगदीश प्रसाद की कमान में दो प्लाटून बेस कैम्प, बाकुलचन्दा से भिथाल आमदा की ओर 2100 बजे रवाना हुए। स्थिति का यथोपेक्षित मूल्यांकन करने के बाद, नक्सलियों को पकड़ने के लिए घात लगाने की योजना बनायी गई। निरीक्षक वी सी पंत के नेतृत्व में दो प्लाटूनों ने भिथार आमदा गांव क्षेत्र की पूरी रात सुरक्षा की। जब नक्सलियों की ओर से कोई हलचल नहीं हुई, तो उन्होंने आगे बढ़कर नक्सलियों का उनके बेस में ही मुकाबला करने का निर्णय लिया। इसलिए, दिनांक 14.2.2008 को करीब 0700 बजे सी आर पी एफ सैन्य दल और सिविल पुलिस पार्टी करून्नुम झरना के पहाड़ी और घने जंगलों वाले क्षेत्र के निकट युक्तिपूर्वक पहुंच गई, जो नक्सलियों के बचकर भाग जाने का संभावित मार्ग था और वहां घात लगाकर बैठ गई। लगभग 0800 बजे पांच नक्सली घेराव क्षेत्र में आ गए। सीआरपीएफ सैन्य टुकड़ी ने उन्हें जब आत्समर्पण करने के लिए कहा तो इसके प्रत्युत्तर में नक्सलियों ने सीआरपीएफ सैन्य टुकड़ी पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। चूंकि सी आर पी एफ टुकड़ी बेहतर पोजीशन ले चुकी थी, इसलिए उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। निरीक्षक/जीडी वी सी पंत ने तुरन्त सी आर पी एफ टुकड़ी को जवाबी गोलीबारी करने और नजर आ रहे आतंकवादियों को मार गिराने का ओदश दिया। बन्दूकों से गोलीबारी की जंग एक घण्टे तक चलती रही। जब नक्सलियों की ओर से गोलीबारी बन्द हो गई, तब निरीक्षक वी सी पंत के नेतृत्व में सी आर पी एफ सैन्य टुकड़ी सिविल पुलिस के साथ घटना स्थल की ओर बढ़ी और उन्होंने उस क्षेत्र की तलाशी की। तलाशी के दौरान, पांच नक्सलियों के शव (तीन पुरूष और दो महिलाएं) और भारी मात्रा में हथियार/गोलाबारूद/उपकरण बरामद हुए। सभी नक्सली एम सी सी गुट से संबद्ध थे।

यह सी आर पी एफ और पुलिस स्टेशन डुमरिया, जिला पूर्वी सिंहभूम (झारखण्ड) का एक संयुक्त अभियान था। इस अभियान में सिविल पुलिस घटक और 132वीं बटालियन के निरीक्षक/जीडी वी सी पन्त, कांस्टेबल/जीडी अभिषेक सिंह और कांस्टेबल/ जी डी अरूण कुमार नायक के नेतृत्व में सी आर पी एफ सैन्य टुकड़ी ने भाग लिया था। इस अभियान में सी आर पी एफ और सिविल पुलिस के बीच उत्कृष्ट समन्वय रहने और आसूचना जानकारियों और अन्य महत्वपूर्ण संसाधनों के आदान-प्रदान की वजह से सफलता संभव हुई।

इस अभियान में 132वीं बटालियन के निरीक्षक/जीडी वी सी पंत ने उत्कृष्ट नेतृत्वक्षमता का प्रदर्शन किया और सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व मोर्चे पर रहकर किया और इस सुनियोजित घात/कार्रवाई के दौरान टुकड़ी का धैर्यपूर्वक नेतृत्व किया जिसके फलस्वरूप नक्सलियों को मार गिराया गया और हथियारों और गोलाबारूद की बरामदगी हुई। इस अभियान में, जवाबी गोलीबारी के दौरान निरीक्षक/जीडी वी सी पंत ने अपनी एके-47 राइफल से 08 राउण्ड फायर किए। निरीक्षक/जीडी वी सी पंत के अतिरिक्त कांस्टेबल/जीडी अभिषेक सिंह और कांस्टेबल/जीडी अरूण कुमार नायक ने भी अदम्य वीरता और साहस का प्रदर्शन किया है। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा और जान की परवाह न करते हुए नक्सलियों पर प्रभावकारी गोलीबारी की। कांस्टेबल/जीडी अभिषेक सिंह ने अपनी एस एल आर से 17 राउण्ड फायर किए और उग्रवादियों पर ग्रेनेड दागे और कांस्टेबल/जीडी अरूण कुमार नायक ने अपनी इन्सास राइफल से 20 राउण्ड्स फायर किए। इसके फलस्वरूप सभी पांचों नक्सलियों को मार गिराया गया। इस प्रकार उन्होंने न केवल नक्सलियों के मनोबल को चकनाचूर किया अपितु बल का सम्मान भी बढ़ाया है।

मुठभेड स्थल से निम्नलिखित बरामदगियां की गई थी।

(क)	राइफल एके-47	-01	(तीन मैगजीन के साथ)
(ख)	राइफल 5.56 इन्सास	-01	(एक मैगजीन के साथ)
(ग)	9 एम एम पिस्टल	-02	(एक मैगजीन के साथ)
(घ)	.303 राइफल	-02	
(ड.)	.315 बोर	-01	
(च)	एस बी बी एल गन	-02	
(छ)	जिन्दा राउण्ड्स	-315 राउण्ड्स	
(ज)	कैमरा फ्लैश	-01	
(झ)	तार का बण्डल	-01 बण्डल और हीवर बोरियां	

इस मुठभेड़ में सर्वश्री विनोद चन्द्र पंत, निरीक्षक, अभिषेक सिंह, कांस्टेबल और अरूण कुमार नायक, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 14.02.2008 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं.179-प्रेज/2010, राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

<u>अधिकारी का नाम और रैंक</u>
श्री अशोक कुमार,
उप निरीक्षक

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

डोडा जिले के धारोश क्षेत्र के दरमान जंगल में आतंकवादियों के मौजूद होने के संबंध में जिला पुलिस डोडा (जम्मू एवं कश्मीर) द्वारा एकत्रित विशिष्ट सूचना के आधार पर दिनांक 8.11.2008 को एस पी (ओपीएस) डोडा के नेतृत्व में डोडा जिले की पुलिस पार्टी और 76वीं बटालियन, सीआरपीएफ द्वारा पुलिस स्टेशन, देस्सा, डोडा (जम्मू एवं कश्मीर) के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले धरोश क्षेत्र के दरमान जंगल में एक संयुक्त अभियान चलाया गया था। आतंकवादियों के छिपने के स्थान की घेराबन्दी की गई और छिपने के स्थल में चार आतंकवादियों के मौजूद होने की पुष्टि हो गई। तलाशी के दौरान, उस क्षेत्र में छिपे आतंकवादियों ने अभियान दल पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। एसपी (ओपीएस) डोडा, श्री मोहन लाल ने छिपे हुए आतंकवादियों जो अत्याधुनिक और स्वचालित हथियारों से लैश थे, को ललकारा और उन्हें पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। आतंकवादियों ने आत्मसमर्पण करने के बजाय अभियान दल पर अंधाधुंध गोलीबारी जारी रखी। जब यह मुठभेड़ चल रही थी, तभी 10 आर आर की सैन्य टुकडी भी इस अभियान में शामिल हो गई। एस आई/जीडी अशोक कुमार की कमान में 76वीं बटालियन, सी आर पी एफ का एक सेक्शन छिपावस्थल के दाहिनी ओर अन्दरुनी घेरे में था और सिविल पुलिस के शेष कार्मिकों को बाहरी घेरे में तैनात किया गया था। संयुक्त अभियान दल ने आत्म रक्षा में जवाबी गोलीबारी की और एक भीषण मुठभेड़ शुरू हो गई।

यह मुठभेड़ दिनांक 8.11.2008 को सुबह से लेकर शाम तक रुक-रुककर चलती रही। करीब 1630 बजे दो आतंकवादी अचानक छिपने के स्थान से बाहर आ गए और घटना स्थल से भाग जाने के लिए छिपने के स्थान से बायीं ओर भागने लगे। पहले आतंकवादी ने 800 मीटर

की दूरी और दूसरे ने 200 मीटर की ही दूरी तय की थी और दोनों को सिविल पुलिस/10 आर आर पार्टी द्वारा संयुक्त रूप से मिलकर मार गिराया गया। इसके बाद दो और आतंकवादी अपने छिपने के स्थान से अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए बाहर निकले और भीतरी घेराबन्दी पोजीशन के दाहिनी ओर भागने की कोशिश करने लगे। 76वीं बटालियन के एस आई/जीडी अशोक कुमार जिन्होंने भीतरी घेराबन्दी में अपनी पोजीशन ले रखी थी, ने एक सच्चे सैनिक की भांति अपनी जान के भय की परवाह किए बगैर जवाबी गोलीबारी की। उक्त एसओ युक्तिपर्वक और घुटनों के बल चलते हुए आतंकवादियों की भीषण गोलीबारी के सामने डटे रहकर उनके छिपने के ठिकाने की ओर बढ़े और बेहतर स्थिति में पहुंचकर उग्रवादियों पर गोलियां चला दी जिससे चार उग्रवादियों में से दो उग्रवादी मारे गए। इस घटना में, 76वीं बटालियन के सी आर पी एफ के एसआई/जीडी अशोक कुमार ने महान कर्तव्यनिष्ठा एवं समर्पण का प्रदर्शन करते हुए इस अभियान को बहुत ही पेशेवरता के साथ अन्जाम दिया। उन्होंने अनुकरणीय साहस और उच्च कोटि की वीरता का परिचय दिया है। मारे गए आंतकवादियों की पहचान बाद में 1. मो. शफी कोड हसीम खान, उप संभागीय कमाण्डर (एचएम) 2. फिदा हुसैन, कोड जहांगीर 3. मुजफ्फर हुसैन, कोड दाउद 4. मुश्ताक अहमद, कोड जफर के रूप में हुई। उनसे स्वचालित हथियार एके-47-02, एके-56-01, चाइनीज पिस्टल-01, मैगजीन एके-06, मैगजीन पिस्टल-01 वायरलेस सेट-01 एन्टीना-02, क्षतिग्रस्त मोबाइल सेट-01, डायरी-01 और मैट्रिक्स-01 बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में श्री अशोक कुमार, उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 8.11.2008 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं.180-प्रेज/2010, राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्वश्री

1. हरीश चन्द्र,
   सहायक कमांडेंट
2. मनोज कुमार,
   कास्टेबल
3. राजेन्द्र सिंह,
   कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 16.12.2008 को लगभग 2300 बजे पुलिस अधीक्षक (ओ पी एस) श्रीनगर द्वारा ओ सी एफ/117 श्री हरीश चन्द्र, सहायक कमांडेंट को पुलिस स्टेशन जैनापुरा, जिला- शोपियान (जम्मू एवं कश्मीर) के मलहोरा गाँव में एच एम के दो खूंखार उग्रवादियों के मौजूद होने के बारे में विश्वसनीय आसूचना जानकारी दी गई। इस जानकारी के आधार पर विशेष अभियान चलाने के बारे में सैन्य टुकड़ी को उचित ब्रीफिंग के बाद पुलिस अधीक्षक (ओ पी एस) श्रीनगर की कमान के तहत एस ओ जी श्रीनगर की एक पार्टी के साथ सहायक कमांडेंट श्री हरीश चन्द्र की कमान के अंतर्गत 19 कार्मिकों से गठित एफ/117 की प्लाटून लगभग 0130 बजे संयुक्त रूप से आगे बढ़ी और मलहोरा गाँव पहुँच गई और संदिग्ध लक्षित मकानों की घेराबन्दी करनी शुरू कर दी। नागरिकों को हताहत होने से बचाने के उद्देश्य से आस-पास के मकानों के नागरिकों को वहां से हटा दिया गया। अंदरूनी घेराबन्दी एस ओ जी/ सी आर पी एफ द्वारा संयुक्त रूप से की गई और 0200 बजे तक इसे पूरा कर लिया गया। बाहरी घेराबन्दी पहली आर आर और 55 आर आर के कार्मिकों द्वारा की गई जो एफ/117 और एस ओ जी श्रीनगर की पार्टी के मलहोरा गाँव पहुँचने के बाद इस अभियान में शामिल हुए थे।

अंदरुनी और बाहरी दोनों घेराबंदियाँ पूरी हो जाने पर संदिग्ध मकानों की तलाशी करने के लिए श्री हरीश चन्द्र सहायक कमांडेंट की कमान के तहत एफ/117 के पाँच कार्मिकों और पुलिस अधीक्षक (ओपीएस) की कमान के तहत एस ओ जी श्रीनगर के पाँच कार्मिकों की एक तलाशी पार्टी गठित की गई। तलाशी सुबह होने पर शुरू की गई। पहले दो मकानों की तलाशी का कोई परिणाम नहीं निकला। जब तीसरे मकान की तलाशी की जा रही थी, तब दो उग्रवादी मकान के प्रसाधन के निकट कच्ची ईंटों की दीवार को तोड़कर बाहर निकले और तलाशी पार्टी पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। इस पर श्री हरीश चन्द्र, सहायक कमांडेंट और तलाशी पार्टी के दो कांस्टेबल नामतः सीटी/जीडी राजेन्द्र सिंह और सीटी/जीडी मनोज कुमार, जो उग्रवादियों की गोलीबारी के सीधे निशाने पर थे, ने तत्काल पोजीशन ली और जवाबी गोलीबारी शुरू कर दी। इस आरंभिक आपसी गोलीबारी में दोनों ही उग्रवादी कई जगह गोलियाँ लगने के कारण घायल हो गए। श्री हरीश चन्द्र, सहायक कमांडेंट ने अत्यधिक धैर्य एवं संतुलन के साथ ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में भी अपना पूर्ण नियंत्रण बनाए रखा और उनके नियंत्रणाधीन कार्मिकों ने नियंत्रित गोलीबारी की जिससे फलस्वरूप न्यूनतम संपार्श्विक क्षति हुई। दोनों उग्रवादियों ने बहुत समीप से सहायक कमांडेन्ट श्री हरीश चन्द्र के नेतृत्व वाली केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की तलाशी पार्टी पर गोलीबारी जारी रखी। किन्तु चूँकि कांस्टेबल राजेन्द्र सिंह और कांस्टेबल मनोज कुमार के साथ सहायक कमांडेन्ट श्री हरीश चन्द्र इस प्रकार पोजीशन ले चुके थे कि वे उपलब्ध कवर का अधिक से अधिक लाभ उठा सकते थे, इसलिए उग्रवादी उनकी प्रभावकारी गोलीबारी का निशाना बना रहे थे। दोनों ही घायल उग्रवादियों ने अपरिहार्य परिस्थिति को भाँपते हुए भारी गोलीबारी करते हुए और अंधाधुंध हथगोले फेंकते हुए मकान से बाहर की ओर भागे। जब उग्रवादी मकान से बाहर भाग रहे थे, तब साहयक कमांडेन्ट श्री हरीश चन्द्र, कांस्टेबल राजेन्द्र सिंह और कांस्टेबल मनोज कुमार ने उनका पीछा किया और अपनी जान की परवाह न करते हुए ये कार्मिक दोनों उग्रवादियों को बहुत करीब से मार गिराने में सफल हुए।

मारे गए उग्रवादियों की पहचान (1) रईस अहमद डार उर्फ रईस कचरु (एच एम का प्रभागीय कमांडर) पुत्र गुलाम अशन डार निवासी पंचगांव, जो कि आई ई डी विशेषज्ञ था और हाल ही में पुलिस हिरासत से भाग निकला था और जो विगत में 40 से अधिक पुलिस/एस एफ/ सेना के कार्मिकों की हत्या में शामिल था और (2) राशिद गनाई उर्फ इशफ़ाक (एच एम का जिला कमांडर) पुत्र अब्दुल्ला गनाई निवासी वादी के रूप में हुई। इस अति-सावधानीपूर्वक नियोजित अभियान के परिणामस्वरूप एच एम का प्रभागीय कमांडर रईस कचरु मारा गया।

यह अभियान पेशेवर तरीके से चलाया गया और प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों में चलाया गया। इस अभियान में सफलता श्री हरीश चन्द्र सहायक कमांडेन्ट, कांस्टेबल राजेन्द्र सिंह और कांस्टेबल मनोज कुमार की अनुकरणीय बहादुरी, साहस एवं दृढ़ता और उनके द्वारा प्रदर्शित असाधारण सूझबूझ की वहज से संभव हुई, जिन्होंने अपनी अपेक्षित ड्यूटी से कहीं अधिक

जोखिम उठाया और एच एम के दो खूंखार उग्रवादियों को मार गिराया। मुठभेड़ स्थल से निम्नलिखित वस्तुएं बरामद की गईं:-

1.	एके- 47 राइफल	-01
2.	एके-56 राइफल	-01
3.	एके-56 राइफल	-03 (सभी नष्ट)
4.	एके राउण्ड (जिन्दा)	-10
5.	पाउच	-02 (नष्ट)
6.	मोबाइल	-01(इस्तेमाल योग्य नहीं)
7.	अंग्रेजी में लिखित कागज	-01

इस मुठभेड़ में सर्वश्री हरीश चन्द्र, सहायक कमांडेन्ट, मनोज कुमार, कांस्टेबल और राजेन्द्र सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 17.12.2008 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं.181-प्रेज/2010, राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

<u>सर्व /श्री</u>

1. पशुपति नाथ तिवारी
   सहायक कमाण्डेन्ट
2. विजय पाल सिंह
   निरीक्षक
3. ब्रजेश कुमार
   कांस्टेबल
4. राम नयन
   कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 31.3.2008 को सायं श्री साकेत कुमार, एस.पी.गढ़वा को गढ़वा-भंडारिया ऐक्सिस के पश्चिमी क्षेत्र में सी पी आई (माओवादी) की उप मण्डलीय टीम की गतिविधि के बारे में विशिष्ट आसूचना प्राप्त हुई। इस जानकारी की तत्काल पुष्टि करायी गई और इसकी जानकारी श्री बी.के.शर्मा, कमाण्डेन्ट 13 बटालियन, सीआरपीएफ को भी दी गयी। तदनुसार, उस क्षेत्र से नक्सली कैडरों का सफाया करने के लिए "थण्डर बोल्ट" नामक एक संयुक्त अभियान की योजना बनायी गई। यथापेक्षित विचार-विमर्श और व्यापक योजना बनाने के पश्चात, दिनांक 31.8.2008 की रात में अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। अभियान की योजना के अनुसार, श्री पी.एन. तिवारी, एसी की कमान में डी/132 के दो प्लाटून और श्री सतेन्द्र कुमार, एसडीपीओ गढ़वा के नेतृत्व में जिला पुलिस करीब 2145 बजे दो माइन संरक्षित वाहनों में अभियान क्षेत्र के लिए रवाना हुए। यह पार्टी करीब 2330 बजे मखाटू गांव पहुंच गई जो गढ़वा जिले से 55 किमी. दूर है। ग्राम मखाटू के जंगली क्षेत्र में सामरिक रूप से उपयुक्त भूभाग का चयन करने के पश्चात नाकाबन्दी कर दी गई। लगभग 0045 बजे, जब यह पार्टी किसी गुजरने वाले वाहन की निगरानी कर रही थी तभी एक ट्रैक्टर उनकी ओर आता हुआ दिखायी दिया। ज्यों ही ट्रैक्टर ट्राली के साथ सीआरपीएफ नाका पार्टी के पास आया, उसे सी आर पी एफ सैन्य टुकड़ी द्वारा ललकारा गया और रुकने के लिए कहा गया। ललकारे जाने पर, जो उग्रवादी ट्रैक्टर में जा रहे थे, उन्होंने सीआरपीएफ टुकड़ी पर भारी गोलीबारी शुरू कर दी। कुछेक उग्रवादी ट्रैक्टर से कूद गए और सीआरपीएफ सैन्य टुकड़ी की पोजीशन के सामने पेड़ो के पीछे अपनी पोजीशन ले ली। श्री पी.एन. तिवारी, ए.सी. जो भारी गोलीबारी, घने अंधकार और प्रतिकूल भू-भाग की परवाह न करते हुए मोर्चे पर सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे, ने तत्काल जवाबी गोलीबारी की और साथ ही साथ सैन्य टुकड़ी को जवाबी हमला करने का आदेश दिया। श्री पी.एन. तिवारी, सहायक कमाण्डेन्ट की बहादुरी और नेतृत्व क्षमता ने सैन्य टुकड़ी का मनोबल बढ़ाया और सैन्य टुकड़ी ने गोलीबारी कर रहे उग्रवादियों पर जवाबी हमला बोल दिया। इसी बीच, इन्सपेक्टर/जीडी विजय पाल सिंह, जो पीछे वाले सेक्सन का नेतृत्व कर रहे थे, ने उग्रवादियों को घेरने के लिए चक्कर लगाते हुए आगे बढ़े। पिछले वाले सेक्सन के इन्सपेक्टर/जीडी विजयपाल सिंह, कांस्टेबल/ जीडी बृजेश कुमार और कांस्टेबल/जीडी रामनयन ने बुद्धिमानी से जमीनी अवसंरचनाओं और भूभाग का फायदा उठाते हुए धैर्य और युक्तिपूर्ण बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया और अपने-अपने हथियारों और 51 एम एम मार्टर से अचानक धुंवाधार गोलीबारी शुरु कर दी। इसी बीच, श्री सतेन्द्र सिंह, एसडीपीओ, एसआई, मनीष चन्द लाल और एस आई अमरनाथ ने भी अपनी पोजीशन ली और जवाबी गोलीबारी शुरु कर दी। यह बन्दूकी लड़ाई ढाई घण्टे तक चलती रही। सीआरपीएफ सैन्य दल ने धैर्य और दृढ़ निश्चय के साथ युक्तिपूर्ण तरीके से उग्रवादियों का पीछा किया, जबकि उनके लिए उग्रवादियों द्वारा बिछाई गई बारूदी सुरंगों की वजह से परिस्थितियां प्रतिकूल थी और उन्होंने अपने जीवन को गम्भीर खतरे में डालते हुए अपनी गोलीबारी से नक्सलियों के समूह को मार गिराया। हमारे साहसी जवानों की वीरतापूर्ण कार्रवाई की वजह से माओवादियों को अपने साथियों के शवों और भारी मात्रा में हथियारों एवं गोला-बारूद को छोड़कर हड़बड़ी में भागना

पड़ा। दिनांक 1.4.2008 को उजाला होने पर की गई तलाशी के दौरान हमारी सैन्य टुकड़ी ने नक्सलियों के आठ शव और हथियारों एवं गोला बारूद का भारी जखीरा बरामद किया। उत्कृष्ट अभियान योजना और उच्च कोटि की सराहनीय अभियान बुद्धिमता, साहस एवं दृढ़ निश्चय के फलस्वरूप हमारी पार्टी किसी भी प्रकार के नुकसान के बिना 08 खूंखार नक्सलियों जिनमें एक महिला भी थी, को मार गिराने में सफल हुई और उसने घटना स्थल से भारी मात्रा में निम्नलिखित अत्याधुनिक हथियार/गोला-बारूद बरामद किया।

(क)	एस एल आर	-01
(ख)	कारबाइन	-01
(ग)	.303 पुलिस राइफल	04
(घ)	.315 बोर राइफल	-04
(ड.)	डीबीबीएल गन	-01
(च)	देशी कट्टा	-01
(छ)	9 एम एम जिन्दा राउण्ड्स	-31
(ज)	315 जिन्दा राउण्ड्स	-107
(झ)	.303 जिन्दा राउण्ड्स	-121
(ञ)	विस्फोटक (जिलेटिन स्टिक्स)	-200 किग्रा
(ट)	9 एम एम राउण्ड्स के खाली खोखे	-01
(ठ)	315 बोर राउण्ड्स के खाली खोखे	-07
(ड)	.303 बोर राउण्ड्स के खाली खोखे	-06
(ढ)	7.62 एम एम राउण्ड्स के खाली खोखे	-03
(ण)	.303 चार्जर क्लिप	-23

(त) ट्राली सहित क्षतिग्रस्त ट्रैक्टर, नक्सली वर्दी, पिट्ठू्स, नक्सली दस्तावेज, और दैनिक उपयोग की वस्तुएं।

झारखण्ड राज्य के इतिहास में यह प्रमुख अभियान सफलताओं में से एक है। कार्मिकों द्वारा अपनी जान की परवाह-किए बगैर प्रदर्शित की गई सतर्कता, अभियान संबंधी बुद्धिमता, साहसी और वीरतापूर्ण कार्रवाई एक ऐसा उत्कृष्ट कार्य है जिसमें नक्सलियों की जान को भारी नुकसान हुआ। नक्सलियों के मनोबल को बुरी तरह से चकनाचूर कर दिया गया है जिसकी वजह से पूरा सी पी आई (माओवादी) संगठन लडखड़ा गया है। श्री पी एन तिवारी, सहायक कमाण्डेन्ट, निरीक्षक/जीडी विजय पाल, कांस्टेबल/जीडी बृजेश कुमार और कांस्टेबल/जीडी रामनयन द्वारा प्रदर्शित अनुकरणीय साहस, और समय पर की गई कार्रवाई से यह बल गौरवान्वित हुआ है।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री पशुपतिनाथ तिवारी, सहायक कमाण्डेन्ट, विजयपाल सिंह, निरीक्षक, ब्रजेश कुमार, कांस्टेबल और रामनयन कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 1.4.2008 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

इस्पात मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 अक्तूबर 2010

संकल्प

विषय: इस्पात उपभोक्ता परिषद के गठन के संबंध में।

सं. 5(3)/2009-डी-I (.) इस्पात मंत्रालय के दिनांक 25.2.2010, 15.4.2010, 17.5.2010, 26.5.2010, 17.06.2010, 17.08.2010 एवं 11.10.2010 के समसंख्यक संकल्पों के क्रम में निम्नलिखित व्यक्तियों को इस मंत्रालय के 25.2.2010 के संकल्प के पैरा-4(1) के अंतर्गत उन राज्यों/संघ शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए जिनके अंतर्गत उनके नामों का उल्लेख किया गया है, इस्पात मंत्रालय की इस्पात उपभोक्ता परिषद में सदस्यों के रूप में एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से नामित किया जाता है:-

आंध्र प्रदेश	
श्री वर्साला सत्यनारायण, चल्लापल्ली (पोस्ट आफिस), उप्पालागुप्तम, (मंडल), अमलापुरम (तालुका), पश्चिम गोदावरी जिला (आंध्र प्रदेश)	श्री नगामल्ला सुरेश, पोस्ट आफिस के समीप, गांधीनगर, हसनपार्थी-506371 (वारंगल जिला), आंध्र प्रदेश
हिमाचल प्रदेश	
श्री मुकेश जसवाल, गाँव एवं पोस्ट आफिस-इस्पुर, तहसील-ऊना, जिला ऊना (हिमाचल प्रदेश)	श्री संदीप अग्निहोत्री, गाँव एवं पोस्ट आफिस-पलक वाह, तहसील-हरोली, जिला-ऊना, (हिमाचल प्रदेश)
झारखंड	
श्री मन्नन मलिक, 13, एमआईजी हाउसिंग कालोनी, धनबाद - 826001, झारखंड	
कर्नाटक	
श्री एम. श्रीनिवास, संख्या-1154 पहला क्रॉस, पहला मेन, एचएएल तीसरा चरण, शिशु गृह स्कूल के पास, न्यू थिपासंद्रा बंगलौर - 560075 (कर्नाटक)	श्री के.के. श्रीनिवास गुप्था, 4/1, ओशगंनियास रोड़, लैंगफोर्ड टाउन, बंगलौर - 560025 (कर्नाटक)
मध्य प्रदेश	
श्री माओहर बोथरा, एचआईजी 2, कामयानी परिसर, चित्रांश कालेज के पीछे, ई - 7, अरेरा कालोनी, भोपाल-462016 (मध्य प्रदेश)	

उड़ीसा	
श्री मनोज कुमार दास, एफ-2, अमृता रेजिडेंसी, जयदेव विहार, भुवनेश्वर - 751023 (उड़ीसा)	
उत्तर प्रदेश	
श्री मदन सिंह, गाँव-धोबा, तहसील-दुमारिया, सिद्धार्थ नगर, उत्तर प्रदेश,	श्री नरबैदेश्वर मणी त्रिपाठी, हनुमान मंदिर के पास, देवारिया, (उत्तर प्रदेश)
श्री वसंत चौधरी, श्री कृष्णा चैरिटेबल ट्रस्ट, गाँव-दोरिका रोड, बड़े बन बस्ती, जिला-बस्ती (उत्तर प्रदेश)	

आदेश

आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प की एक प्रति प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसद सचिवालय, योजना आयोग और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और इस्पात उपभोक्ता परिषद के सभी सदस्यों सहित सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को संप्रेषित की जाए।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि आम जानकारी हेतु इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

उदय प्रताप सिंह
संयुक्त सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली-110115, दिनांक 9 नवम्बर 2010

विषय :-- श्रीपेरम्बदूर (तमिलनाडु) में युवा विकास के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय संस्थान को राजीव गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय युवा एवं खेल संस्था में परिवर्तित करने संबंधी प्रस्ताव

सं. एफ.-12-17/2010-यू.-3(ए)--श्रीपेरम्बदूर स्थित युवा विकास के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय संस्थान, सम विश्वविद्यालय संस्थान, को राजीव गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय युवा एवं खेल संस्था में परिवर्तित के लिए युवा कार्य उवं खेल मंत्रालय से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। प्रस्ताव की जांच करने और समुचित सिफारिशें करने के लिए सरकार एतद्द्वारा एक समिति गठित करती है जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे ;--

i)	प्रो. वेद प्रकाश, उपाध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	अध्यक्ष
ii)	प्रो. डी. टी. खाथिंग, कुलपति, केन्द्रीय विश्वविद्यालय, झारखण्ड	सदस्य
iii)	श्री एल. एस. राणावत, निदेशक, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला	सदस्य पदेन
iv)	संयुक्त सचिव, युवा कार्य विभाग, युवा कार्य और खेल मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य पदेन

v)	संयुक्त सचिव, खेल विभाग, युवा कार्य और खेल मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य पदेन
vi)	डा. बोरिया मजुमदार, सहायक प्रोफेसर, साऊथ आस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय	सदस्य
vii)	डा. जसपाल एस. संधू, डीन, खेल चिकित्सा संकाय, गुरू नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर	सदस्य
viii)	सुश्री अश्विनी नाचप्पा, प्रतिष्ठित खिलाड़ी और अर्जुन पुरस्कार विजेता	सदस्य

2. समिति के विचारार्थ विषय नीचे दिए गए अनुसार होंगे:-

(i) वर्तमान संस्था, सम विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय युवा एवं खेल संस्थान के रूप में परिवर्तित करने की व्यवहार्यता की जांच करना।

(ii) युवा विकास और खेलों के क्षेत्रों में अभ्यास एवं अनुसंधान दोनों पर विशेष रूप से ध्यान देते हुए खेल कूद के कार्यकलापों को शामिल करने के लिए, जो युवा विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू होता है, संस्थान के अधिदेश का विस्तार करने के औचित्य के संबंध में सिफारिश करना।

(iii) संस्थान को केन्द्रीय विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय युवा एवं खेल संस्थान में परिवर्तित करने के लिए वित्तीय आवश्यकताओं के बारे में सिफारिश करना।

(iv) शासी ढांचे की संरचना का सुझाव देना, विशेष रूप से यह बताना कि क्या ढांचा वही बने रहना चाहिए जो सामान्यत: केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए होता है अथवा कोई नए संशोधन किए जाने की आवश्यकता है।

(v) इस प्रकार के विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय युवा एवं खेल संस्थान के उद्देश्यों और अधिकारों का सुझाव देना।

3. समिति अपनी प्रक्रियाविधि स्वयं निर्धारित कर सकती है तथा यह अपनी रिपोर्ट इसकी अधिसूचना जारी होने की तारीख से दो माह के अंदर सरकार को प्रस्तुत करेगी।

4. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समिति को समस्त सचिवालय सेवा और संभारतंत्रीय सहायता प्रदान करेगा। व्यक्तिगत स्तर को ध्यान में रखते हुए, स्वदेश दौरों के संबंध में समिति के सदस्यों की यात्रा और आवास पर होने वाला व्यय, यदि कोई हो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अपने बजट से वहन किया जाएगा।

5. यह आदेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

सुनिल कुमार
अपर सचिव

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 12 नवम्बर 2010

मुख चित्र, अंगुलीछाप चित्र और सूक्ष्म चित्र के लिए मानदण्ड

सं. 2(32)/2009-ईजी-II **जबकि**, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार राष्ट्रीय ई-शासन योजना (इनईजीपी) चला रहा है, जिसमें सही शासन और संस्थागत तंत्र की स्थापना करने, केन्द्र और राज्य सरकार में कई मिशन मोड परियोजनाएँ कार्यान्वित करने की बात की गई है

और जबकि, ई-शासन के मानदण्डों को प्राथमिकता प्राप्त कार्यकलाप माना गया है, जिससे सूचना के आदान-प्रदान और ई-शासन अनुप्रयोगों में डेटा के अविच्छिन्न अन्तर-प्रचालन में तथा ई-शासन के लिए मानदण्ड बनाने/अपनाने के लिए एनईजीपी के अंतर्गत संस्थागत तंत्र की स्थापना करने का भी सुनिश्चय करने में सहायता मिलेगी

और जबकि, किसी व्यक्ति के जैव सांख्यिकी डेटा जैसेकि मुख चित्र, अंगुलीछाप चित्र और सूक्ष्म चित्र पर आधारित उसकी पहचान और प्राधिकरण के लिए मानदण्ड बनाने की तत्काल आवश्यकता महसूस की गई है ।

और जबकि, मानदण्ड संबंधी सक्षम प्राधिकारी ने आईएसओ 19794 भाग 5 (मुख चित्र), भाग 4 (अंगुलीछाप चित्र) तथा भाग 2 (सूक्ष्म चित्र) मानदण्डों पर आधारित मुख चित्र, अंगुलीछाप चित्र और सूक्ष्म चित्र के जैव सांख्यिकी मानदण्डों को अनुमोदित कर दिया है ।

अब, यह विभाग एतद्द्वारा अधिसूचना की तारीख से ई-शासन अनुप्रयोगों के लिए मुख चित्र, अंगुलीछाप चित्र और सूक्ष्म चित्र के मानदण्डों को अधिसूचित करता है । इन मानदण्डों को http://egovstandards.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है ।

एस. एस. रावत
संयुक्त निदेशक

मुक्त मानदण्डों पर नीति

सं. 2(32)/2009-ईजी-II **जबकि**, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार राष्ट्रीय ई-शासन योजना (इनईजीपी) चला रहा है, जिसमें सही शासन और संस्थागत तंत्र की स्थापना करने, केन्द्र और राज्य सरकार में कई मिशन मोड परियोजनाएँ कार्यान्वित करने की बात की गई है

और जबकि, ई-शासन के मानदण्डों को प्राथमिकता प्राप्त कार्यकलाप माना गया है, जिससे सूचना के आदान-प्रदान और ई-शासन अनुप्रयोगों में डेटा के अविच्छिन्न अन्तर-प्रचालन में तथा ई-शासन के लिए मानदण्ड बनाने/अपनाने के लिए एनईजीपी के अंतर्गत संस्थागत तंत्र की स्थापना करने का भी सुनिश्चय करने में सहायता मिलेगी

और जबकि, एनईजीपी के अंतर्गत भारत सरकार किसी भी प्रकार के प्रौद्योगिकीय अवरोधों को दूर करने के लिए मुक्त मानदण्डों के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है

और जबकि, मुक्त मानदण्डों पर यथोचित रूप से निर्धारित एक नीति भारत में ई-शासन के तीव्र, प्रभावशाली एवं सक्षम विकास के लिए मानदण्ड अपनाने/तैयार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी

और जबकि, मानदण्डों पर सक्षम प्राधिकारी ने मुक्त मानदण्डों संबंधी नीति को अनुमोदित कर दिया है

अब, यह विभाग एतद्द्वारा अधिसूचना की तारीख से ई-शासन के लिए एक डोमन के अंतर्गत विशिष्ट प्रयोजन के लिए एक ही और रायल्टी मुक्त (आरएफ) मुक्त मानदण्ड के चयन के लिए http://egovstandards.gov.in पर प्रकाशित **मुक्त मानदण्डों संबंधी नीति** को अधिसूचित करता है ।

एस. एस. रावत
संयुक्त निदेशक

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रलय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 26 अक्तूबर 2010

संकल्प

सं. 11015(2)/2008- हिन्दी, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के समय-समय पर यथासंशोधित संकल्प सं. 11015(2)/2004-हिंदी, दिनांक 12 अप्रैल, 2005 का अधिक्रमण करते हुए भारत सरकार ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के लिए हिन्दी सलाहकार समिति का निम्नानुसार पुनर्गठन करने का निश्चय किया है:-

1. गठन

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री	अध्यक्ष

गैर-सरकारी सदस्य

संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित संसद सदस्य

1.	श्री दत्ता मेघे, संसद सदस्य (लोकसभा)	सदस्य
2.	डा. राम चन्द्र डोम, संसद सदस्य (लोकसभा)	सदस्य
3.	श्री प्रवीण चन्द्र राष्ट्रपाल, संसद सदस्य (राज्य सभा)	सदस्य
4.	श्री बृज भूषण तिवारी, संसद सदस्य (राज्य सभा)	सदस्य

केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद के प्रतिनिधि

5.	श्री पंकज दीवान, 3/10, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली - 110008	सदस्य

अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ के प्रतिनिधि

6.	श्रीमती बी.एस.शांताबाई, सचिव, कर्नाटक महिला हिंदी सेवा समिति, 178, फोर्थ मेन रोड, चामराज पेट, बंगलौर- 560018 (कर्नाटक)	सदस्य

संबंधित मंत्रालय द्वारा नामित सदस्य

7.	श्री पी.एल. कोठारी, पत्रकार, 353, गली नं. 1, वीरचंद्र सिंह गढवाली मार्ग, धर्मपुर, देहरादून (उत्तराखंड)	सदस्य
8.	डा. योगेश दुबे, कविता, कार्टर रोड नं. 9, बोरीवली (पूर्व) मुंबई– 400066	सदस्य
9.	श्री कृष्ण कुमार ग्रोवर, पूर्व सचिव, संसदीय राजभाषा समिति, एफ/बी–16, टैगोर गार्डन, नई दिल्ली– 110027.	सदस्य
10.	प्रो. सतीश रैना, भूतपूर्व सलाहकार, जम्मू एवं कश्मीर सरकार, डी–53, फ्रीडम फाइटर एनक्लेव, नेब सराय, नई दिल्ली– 110068.	सदस्य

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा नामित सदस्य

11.	श्री संजय गहलोत, 1837/50, नाईवालान, करोल बाग, नई दिल्ली– 110005	सदस्य
12.	श्री शिव कुमार दीक्षित, 4 ए भगवती विहार, बिंदापुर मटियाला रोड, उत्तम नगर, नई दिल्ली– 110059.	सदस्य
13.	श्री बृज लाल रखेजा, बी– 104, बी.के.दत्त कालोनी (करबला) एयरपोर्ट सफदरजंग के सामने, नजदीक जोरबाग, लोदी रोड, नई दिल्ली– 110003.	सदस्य

संसदीय राजभाषा समिति द्वारा नामित संसद सदस्य

14.	श्री गजानन डी. बाबर, संसद सदस्य (लोकसभा)	सदस्य
15.	श्री प्रभात झा, संसद सदस्य (राज्यसभा)	सदस्य

सरकारी सदस्य

1.	सचिव, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	सदस्य
2.	सचिव, राजभाषा विभाग	सदस्य
3.	संयुक्त सचिव, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	सदस्य-सचिव
4.	संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग	सदस्य
5.	सलाहकार, सौर ऊर्जा केन्द्र	सदस्य
6.	प्रबंध निदेशक, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था सीमित (इरेडा)	सदस्य
7.	कार्यकारी निदेशक, पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी केन्द्र (सी-वैट)	सदस्य
8.	निदेशक, सरदार स्वर्ण सिंह राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा संस्थान (एसएसएसएनआईआरई)	सदस्य

2. समिति का कार्य

यह समिति सरकारी प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रगामी प्रयोग और संबद्ध मामलों पर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को सलाह देगी।

3. समिति का कार्यकाल

समिति का कार्यकाल उसके पुनर्गठन की तारीख से तीन वर्ष होगा, परन्तु

1. समिति में नामजद संसद सदस्य उनकी संसद की सदस्यता समाप्त होते ही इस समिति के सदस्य भी नहीं रहेंगे।
2. समिति के पदेन सदस्य उस समय तक ही समिति के सदस्य रहेंगे जब तक कि वे उस पद पर रहें जिसके कारण वे समिति के सदस्य बने हैं।
3. यदि किसी सदस्य के त्यागपत्र, मृत्यु इत्यादि से कोई रिक्ति होती है, तो इस रिक्ति में नियुक्त किया गया सदस्य तीन वर्ष के कार्यकाल की शेष अवधि तक सदस्य रहेगा।

4. सामान्य :

समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा लेकिन आवश्यकतानुसार समिति अपनी बैठकें किसी अन्य नगर में भी कर सकती है।

5. यात्रा तथा अन्य भत्ते:

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं. II/20034/04/2005 रा.भा. (नीति-2) दिनांक 03 फरवरी, 2006 द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि चूंकि केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा गठित हिंदी सलाहकार समितियों में नामित 15 गैर-सरकारी सदस्यों में 06 संसद सदस्य होते हैं, अतः यात्रा/दैनिक भत्ता प्रावधान को अधिक स्पष्ट करते हुए निम्न प्रावधान किया जाता है :-

(क) समिति में नामित सांसदों को "संसद सदस्य (वेतन, भत्ता एवं पेंशन) अधिनियम, 1954" के प्रावधानों एवं समय-समय पर जारी किए गए संशोधनों तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता दिया जाएगा।

(ख) समिति के अन्य गैर–सरकारी सदस्यों को राजभाषा विभाग के दिनांक 22 जनवरी, 1987 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11/22034/04/86–रा.भा. (क–2) में निहित दिशा–निर्देशों के अनुरूप और भारत सरकार द्वारा समय–समय पर संशोधित निर्धारित दरों एवं नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता देय होगा।

6. आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक–एक प्रति समिति के सभी सदस्यों, सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, राष्ट्रपति सचिवालय, उपराष्ट्रपति सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोकसभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

गौरी सिंह
संयुक्त सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 15th August 2010

No. 121-Pres/2010—The President is pleased to approve the award of the "Ashoka Chakra" to the undermentioned person for the acts of most conspicuous gallantry:—

(MR-08609), Major Laishram Jyotin Singh, Army Medical Corps/Embassy of India, Kabul (Posthumous)

(Effective date of the award: 26th February 2010)

Major Laishram Jyotin Singh was deployed to Kabul as part of Indian Medical Mission Team. At 0630 hours on 26 February, 2010, a guarded residential compound housing six Army Medical Officers, four paramedics and two other Army Officers were attacked by heavily armed terrorist suicide bombers. A heavily armed terrorist suicide bomber, after detonating a Suicidal Vehicle Borne Improvised Explosive Device resulting in the death of three security guards, entered the compond to kill the survivors. The terrorist proceeded to fire bursts of Kalashnikov rounds into the individual rooms and threw hand grenades. In the melee, five unarmed officers took shelter in one of the rooms which was subjected to grenade attack and the fire on its roof spread consequently to the bathroom where the five officers were sheltered. On hearing shouts of the five officers, Maj Laishram Jyotin Singh crawled out from under the debris of his room. Maj Laishram Jyotin Singh charged with bare hands at the armed terrorist and pinned him down to ensure that the terrorist could no longer lob more grenades or direct fire at the officers cornered in a burning room. He continued to grapple with armed terrorist and did not let him go till the terrorist panicked and detonated his suicide vest, resulting in the instantaneous death of the terrorist and martyrdom of Maj Laishram Jyotin singh. Maj Laishram Jyotin Singh gave up his life for the sake of his colleagues.

Major Laishram Jyotin Singh, thus, displayed exemplary courage, grit, selflessness and valour in the face of a terrorist suicide bomber attack and made the supreme sacrifice.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 122-Pres/2010—The President is pleased to approve the award of the "Kirti Chakra" to the under mentioned persons for the acts of conspicuous gallantry:—

1. Shri Vinod Kumar Choubey, Superintendent of Police Rajnandgaon, Chhattisgarh (Posthumous)

(Effective date of the Award: 12th July, 2009)

On July 12, 2009 at 7.00 AM, Shri Vinod Kumar Choubey, Supdt. of Police Rajnandgaon received a message that naxalites have attacked Madanwara outpost of Police Station Manpur, district Rajnandgaon and killed two Policemen. Sensing the serious consequences of the incident, Shri Choubey and the IGP rushed to the spot from their respective Headquarters. En-route, Shri Choubey's carcade was ambushed by the naxalites. However, he kept moving and instructed the ASI at PS Manpur to come in a Mine Proof Vehicle (MPV) with Additional Force. The naxalites had laid fresh road blocks on the road. Shri Choubey cleared the blocks and bravely reached the site where a fierce fighting was going on. The MPV of Police was attacked with bullets and bombs. Timely intervention by IGP's party and SP's party saved the trapped Policemen in a fierce battle. A transport bus of civilians which had entered amidst the ambush was also rescued to safety.

2. About 300 naxalites came from the forest firing fiercely. Many climbed up the trees and threw grenades incessantly at the police party. However, the Police party led by Shri Choubey retained their nerves and despite the naxalites' numerical and topographical advantage courageously took on the attack and retaliated formidably while making concerted efforts to save the life of their men in grave situation with the reinforcement not in sight. This bold and unexpected counter attack caused a flutter of panic amongst the naxalites and forced them to retreat behind the large rocks. Shri Choubey fought heroically with iron determination and raw grit. In the continued firing, he was grievously hurt and ultimately made the supreme sacrifice at the altar of duty.

Shri Vinod Kumar Choubey displayed an exceptional quality of leadership and bravery worth emulating where an officer rose to the occasion and laid down his life saving his men from deadly attack of the naxalites.

2. IC-70151 Captain Davinder Singh Jass, 1st Battalion The Parachute Regiment (Special Forces) (Posthumous)

(Effective date of the Award: 23rd February, 2010)

Captain Davinder Singh Jass was leading his troop of Alfa Team in an operation in a village in Sopore district of Jammu & Kashmir.

On 23rd February 2010, after receiving information of presence of terrorists in the village, a heavily congested built up area, Captain Davinder Singh Jass after carrying out meticulous planning moved to the area. While closing into the target area his leading squad came under heavy indiscriminate terrorist fire from multiple directions, injuring members of his squad. With uttar disregard to personal safety he extricated one of his injured men to safety. Threafter, the officer crawled forward and extericated the second buddy, however he sustained serious gun shot wounds. Unmindful of injuries, he continued engaging the terrorists and closed in to a terrorist. In a daring encounter he killed one terrorist in a fierce hand to hand combat before succumbing to his injuries.

Captain Davinder Singh Jass showed conspicuous Gallantry, inspiring leadership, exceptional courage and made

the supreme sacrifice while fighting for his motherland in the finest traditions of Indian Army.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 123-Pres/2010—The President is pleased to apporve the award of the "Bar to Shaurya Chakra" to the undermentioned persons for the acts of gallantry:—

1. SS-39651 Major Ajay Singh, Shaurya Chakra, 11th Battalion the Maratha Light Infantry.

(Effective date of the Award: 31st August, 2009)

On 31st August 2009 at 0300 hours on receipt of confirmed intelligence regarding movement of terrorists, who had kidnapped a businessman, a search operation was launched under Major Ajay Singh in general area in district Kokrajhar, Assam. Maintaining stealth and surprise, party reached close to the suspected three houses which were on the northern most edge of the village. As the party was closing in, they came under heavy fire at close quarters. Major Ajay Singh immediately returned the fire and ordered his team to take cover. Two terrorists suddenly emerged from the house and continued firing. Major Ajay Singh realising the gravity of the situation, reoriented the search party and crawled closer to the hosue. Displaying extreme grit and determination, officer sprinted towards the house inspite of being fired upon and eliminated first terrorist in the grove. Threafter Major Ajay continued to crawl and move closer to the second terrorist and at the right moment, brought accurate fire on the second terrorist and eliminated him at very close quarters.

Major Ajay Singh displayed gallantry of an exceptional order, astute leadership, extreme diligence and exemplary devotion to duty while fighting the terrorists.

2. IC-58637 Major Thongam Joten Singh, Shaurya Chakra, 21st Battalion The Parachute Regiment (Special Forces)

(Effective date of the Award: 03 October 2009)

On 01st October, 2009 when terrorist movement was reported around a village in Tamenglong district of Manipur Major Thongam Joten Singh launched Delta Assault Team to establish surveillance/ambush positions.

On 03rd October 2009 the terrorists were intercepted at 1815 hours. To avoid collateral damage terrorists were verbally challenged. The terrorists responded with heavy indiscriminate fire from vehicles pinning own forces completely without cover. Grasping criticality of the moment, Major Thongam sprinted out in open towards a concrete house drawing terrorist fire providing life saving opportunity to own troops to seek proper cover. He quickly climbed rooftop of the hosue and reddled windshields/tyres of both vehicles with bullets to halt them and in the process killed on terrorist. This forced terrorists to exit and flee. One of the fleeing terrorist fired his UMG at him. He calmly ignored incoming bullets and shot him dead. Thereafter quickely appreciating the situation he informed ambush parties to move and intercept terrorists escaped in darkness which resulted in successful elimination of two more terrorists. Further search by his troops enabled apprehension of three terrorists.

Major Thongam Joten Singh displayed conspicuous bravery, exemplary leadership including acute presence of mind in adverse combat conditions.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 124-Pres/2010—The President is pleased to approve the award of the "Shaurya Chakra" to the undermentioned persons for the acts of gallantry:—

1. Commander Niteen Anandrao Yadav, (03965K)

(Effective date of the Award: 22nd May, 2009)

Commander Niteen Anandrao Yadav was detailed as Co-pilot and Safety Pilot for a search and shadow mission on 22nd May, 2009. At 1245 hrs, 270 Nautical Miles into sea, at 12,000 ft altitude, surrounded by pre-monsoon clouding, the aircraft experienced a total electrical failure. This was a situation that was never before encountered in the history of IL 38 operations, both in India and at Russia. The situation had resulted in failure of all equipment and instruments except indications for altitude, speed, engine RPM and TGT. Further, the oil radiator shutters were stuck in closed position leading to an imminent possibility of engine fire on all engines in case of prolonged flight at low altitude.

With his enormous experience, the officer took charge of situation and played a stellar role by giving directions, constant guidance & flying inputs at crucial time to the frist pilot for safe recovery of the aircraft and her crew.

Throughout the emergency, the Officer exhibited a high degree of maturity, composure and a sense of resolve in the face of impending peril. the Officer's prompt and correct actions and advice not only averted a catastrophe, but also saved eight aircrew lives and an aircraft worth Crores of Rupees.

Commander Niteen Anandrao Yadav displayed exemplary courage, outstanding professionalism, superior leadership, and high perseverance in the face of impending peril.

2. 15619321 Guardsman Krishan Kumar, Brigade of the Guards/ 21 Rashtriya Rifles (Posthumous)

(Effective date of the Award: 03rd July, 2009)

On 02nd July, 2009, Guardsman Krishan Kumar was scout in operation team tasked as stops. From his location, he

observed suspicious movement and forewarned his team, thereby saving life and limb from the indiscriminate fire which ensued. Using cover of ground, he crawled to an advantageous fire position and injured the terrorist who was neutralized subsequently by the operation team. On 03rd July, 2009, he volunteered for specific search of the forest in Jammu & Kashmir. In the dense vegetation his buddy pair was subjected to abrupt and voluminous fire at close quarters injuring both persons. Unmindful of his own injury and personal safety, he crawled to within five meters of the terrorist to extricate his fallen buddy. In the heavy exchange of fire, he neutralised the terrorist, but was grievously injured. He later succumbed to injuries while being evacuated.

Guardsman Krishan Kumar displayed superb initiative, indomitable courage and alterness in fighting the terrorists.

3. IC-68043 Captain Amit Kumar Singh, Sena Medal, 2nd Battalion The Bihar Regiment

(Effective date of the Award : 19th July, 2009)

On 19th July, 2009, reliable information was received regarding move of 03 terrorists along Assam—Arunachal Pradesh Border with arms. Displaying extreme presence of mind, immaculate planning, Captain Amit Kumar Singh lured the terrorists into his creatively cast web into temporary shelters in Lakhimpur district of Assam. As the team cordoned shelters, terrorists opened indiscriminate fire on him at close range. Displaying nerves of steel Captain Amit swiftly charged into shelter, closed on one terrorist amid volley of fire, pounced on him and single-handedly shot him dead in a fierce encounter.

Sensing danger, another terrorist rushed out to adjoining jungles while continuously firing at officer. Undeterred, Captain Amit alongwith his buddy chased the terrorist in pitch dark jungle for approximately 500 meters. He closed on to the terrorist and engaged him by aiming at the flash of barrel of terrorist's pistol. In fierce hand to hand combat, he ultimatlely shot the terrorist dead.

Captain Amit Kumar Singh displayed raw courage, undaunted bravery beyond call of duty and dicimating two terrorists single handedly.

4. JC-560161 Naib Subedar Shiv Pujan Sharma, 2nd Battalion The Bihar Regiment

(Effective date of the Award : 01st August, 2009)

Naib Subedar Shiv Pujan Sharma was part of an operation carried out on 01st August, 2009 in Dhemaji district of Assam to nab the terrorists. As cordon in hostile terrain was tightened, suspicious move of two terrorists towards the village was noticed. On being challenged, they started fleeing firing indiscriminately. Naib Subedar Sharma and his buddy acting swiftly, fired back on fleeing terrorists. Displaying indomitable courage and extreme bravado, he chased one terrorist and effectively neutralized him despite under intense fire.

Meanwhile, second terrorist tried to escape into nearby jungles. Naib Subedar Sharma chased the terrorist for approximately 400 meters and overpowered him. During the chase, a pistol round also hit the Bullet Proof Jacket covering his abdomen part. In a daring act of defiance and showing utter disregard to his personal safety, he neutralised second terrorist also at point blank range.

Naib Subedar Shiv Pujan Sharma displayed daring initiative, exceptional valour and raw courage while fighting the terrorists.

5. JC-2300474 Naib Subedar Rang Bahadur Yadav, 23 Assam Rifles

(Effective date of the Award : 12th August, 2009)

On 12th August, 2009 a column under Naib Subedar Rang Bahadur Yadav was detailed for Road Opening duty in Ukhrul district of Manipur. After establishing the initial two piquets, he moved towards the road bend to establish the last piquet. While moving to establish the last piquet the scouts spotted suspicious movement of some armed men in combat dress on either side of the road. On being challenged the party came under heavy volume of unprovoked automated fire. Naib Subedar Rang Bahadur Yadav displaying presence of mind immediately retaliated with fire and launched a counter attack alongwith his party. The terrorists on seeing this unexpected reaction and retaliation with heavy volume of fire started fleeing from the incident site. Naib Subedar Yadav chased the terrorists and continued firing on them. He then organized thorough cordon and search of the area and recovered a body of slain terrorist.

Naib Subdar Rang Bahadur Yadav displayed conspicuous bravery, inspirational leadership and devotion beyond call of duty in fighting the terrorists.

6. IC-69150 Captain Sunil Narang, 4th Battalion The Sikh Light Infantry

(Effective date of the Award : 27th August, 2009)

In the night of 26th August, 2009, a well deliberated and detailed plan was made by Captain Sunil Narang for carrying out cordon and search operation of a village in Baksa district of Assam. While the search party was approaching the suspected house, the terrorists rushed out firing and fled towards North. Captain Sunil Narang who had established stops towards north of the village, observed some movement. He closed in tactically, towards the suspected site, directed stops to take cover and challenged the terrorists.

On being challenged, the fleeing terrorists started indiscriminate automatic fire. The officer willingly took the dangerous task of chasing the terrorists. When the terrorist did not stop, the officer fired on the terrorists. One of the terrorist was wounded and before he could lob a grenade to break contact, the officer silenced him with the burst of fire. Meanwhile the other terrorist who had taken cover was firing indisciminately. Under covering fire of his buddy, the

officer crawled and changed his position. Displaying raw courage, charged at the terrorist and eliminated him.

Captain Sunil Narang displayed superlative exemplary courage, leadership and boldness in fighting the terrorists.

7. SS-42657 Lieutenant Navin Nirola, 4th Battalion The Kumaon Regiment

(Effective date of the Award : 29th August, 2009)

Lieutenant Navin Nirola after meticulous planning established an effective intelligence network and gained information regarding movement of terrorists in general area in Kamrup district of Assam.

The officer personally led the search party and closed in towards the location where terrorists were sheltering. At about 0345 hrs on 29th August, 2009 the search party came under heavy fire. The officer displaying quick reflexes, presence of mind opened accurate fire on the terrorists forcing them to hide in the forest. He moved stealthily towards the terrorists through dense foliage. This bold action completely unnerved the terrorists who then tried to escape firing indiscriminately. The officer maneuvered himself under hostile fire and displaying raw courage charged the terrorists and shot one of them dead. The officer then coordinated and motivated his troops to close in towards the second terrorist who was firing indisciminately and attempted to lob a grenade. Lieutenant Navin Nirola, undeterred by the terrorist action, readjusted his position through hostile fire, displaying conspicuous gallantry charged and eliminated the second terrorist from extremely close range at approx 0445 hrs.

Lieutenant Navin Nirola displayed raw courage, indomitable spirit, conspicuous gallantry and exemplary leadership in fighting the terrorists.

8. 4366857 Lance Naik Nengmaithem Rajesh Singh, 21st Battalion the Parachute Regiment (Special Forces)

(Effective date of the Award : 03rd October, 2009)

Lance Naik Nengmaithem Rajesh Singh, as part of D Assault Team was, based on specific intelligence, occupying surveillance-cum-ambush positions around a village in district Tamenglong, Manipur.

At 1900 hrs on 03rd October, 2009 the Team's Backup/ Commuinication detachment intercepted terrorist group at a village killing two in firefight with rest escaping under cover of darkness. Understanding the inherent risks involved during night movement with terrorists in vicinity, L/Nk Singh immediately volunteered for being Lead Scout. He quickly led his Squad to a Village without incidence through dense jungle in absolute no moon conditions. At 2015 hrs, the Squad encountered a likely ambush site. Without hesitation L/Nk Singh crawled forward to check out the location. Holding nerves right till end moment wherein terrorist movement was confirmed, he opened fire killing first hostile instantly. Remaining terrorists retaliated with heavy fire. Absolutely unruffled with the incoming fire, he calmly aimed to take on second terrorist firing at him. It was then his rifle malfunctioned. Instantly he drew his secondary weapon pistol and shot dead the terrorists. Thus, by risking own life, he prevented ambush of own troops by personally eliminating two hostiles in an operation which overall apprehended three and killed four terrorists.

Lance Naik Nengmaithem Rajesh Singh displayed raw courage, gallant actions beyond call of duty and high initiative an intensive combat conditions.

9. JC-413360 Naib Subedar Inder Kumar, 1st Battalion The Parachute Regiment (Special Forces)

(Effective date of the Award : 07th October, 2009)

On the night of 06-07 October, 2009, information was received of terrorist movement in general area in Kupwara district, Jammu and Kashmir. Naib Subedar Inder Kumar was rushed to the area and his squad was deployed in surveillance cum Ambush Mode.

At 0030 hrs on 07th October, 2009 Naib Subedar Inder Kumar saw some suspicious movement towards the ambush site. As he challenged, his squad came under heavy indiscriminate fire. The Junior Commissioned Officer employing superior tactical acumen repositioned his squad and instructing his buddy for covering fire closed in towards one of the terrorist and shot him dead. Displaying indomitable courage, he crawled under fire towards the second terrorist and in a close fierce fire fight killed him.

Naib Subedar Inder Kumar displayed exceptional valour, heroic initiative and sterling qualities of leadership in fighting the terrorists.

10. 13621161 Lance Havildar Rajan, 1st Battalion tbe Parachute Regiment (Special Forces)

(Effective date of the Award : 26th October, 2009)

On 26th October, 2009, Lance Havildar Rajan's squad was tasked to search for terrorists hideout in General area in Shupian District of Jammu & Kashmir. Employing superior tactical acumen he located the hideout in thick undergrowth and immediately positioned his squad around the hideout. Thereafter, alongwith his buddy maintaining total surprise, crawled and placed an Improvised Explosive Device at the entry of the hideout. As soon as the explosive was detonated, the terrorists fired indiscriminately on the squad. Sensing grave danger to own troops, Lance Havildar Rajan displaying indomitable courage, crawled and closed in towards the terrorists. Displaying presence of mind he outmaneuvered one terrorist and shot him dead at a very close range. However, the Non Commissioned Officer came under heavy fire from another terrorist. Undeterred, lobbing grenades he again closed in and in a close fierce fire fight killed the second terrorist.

Lance Havildar Rajan displayed exceptional valour, heroic initiative beyond the call of duty while fighting the terrorists.

11. 13627069 Paratrooper Makung Sarang Huchong, 21st Battalion The Parachute Regiment (Special Forces)

(Effective date of the Award : 27th October, 2009)

On 27th October, 2009, Paratrooper Makung Sarang Huchong was scout of Assault Squad tasked for overt movement to entice terrorists into own ambush locations in general area of Thoubal District of Manipur. At 1200 hrs during a tactical halt he spotted terrorist movement, presumably laying ambushes on own route. He quickly informed his Squad Commander who immediately moved to encouter them. However, while manoeuvering squad to advantageous position, the Commander was hit by a terrorist sniper bullet. Seeing his Commander wounded and lying completely exposed, Ptr Huchong, undaunted by heavy hostile fire, dashed out and dragged him to sefety. Terrorists realizing their numerical superiority started moving to encircle the squad. He quickly crawled to another defiladed position from wherein he observed six terrorists closing in. Despite being alone and outnumbered, he calmly opened fire on terrorists killing one on the spot. Remaining terrorists retaliated with heavy fire resulting in splinter injury to his leg. However, in the process he critically injured four more terrorists forcing them to break engagement and flee in absolute disarray. Subsequent terrorist radio intercepts confirmed death of another terrorist and serious injury to four senior cadres. Ptr Huchong's bravery despite own injury were monumental in saving life of his wounded Officer, ensuring safety of comrades resulting in eliminating two terrorists and severely injuring four.

Paratrooper Makung Sarang Huchong displayed conspicuous bravery, high initiative at such young age/ service, risking own life to save lives of comrades in adverse combat conditions despite being injured.

12. IC-66201 Captain Sunil Yadav, Punjab Regiment/ 37 Rashtriya Rifles

(Effective date of the Award : 28th October, 2009)

On 28th October, 2009, based on specific intelligence, Captain Sunil Yadav was tasked to lead an operation to eliminate two terrorists hiding in a house of a village in Poonch District of Jammu & Kashmir.

The officer meticulously planned the operation and closed-in at the target house undetected taking cover of rugged nalas and forest patches. The owner of the house confirmed presence of two terrorists inside. The officer got the house evacuated of all civilians. Immediately afterwards, two terrorists opened up heavy fire and tried to escape. Showing presence of mind Capt Sunil Yadav fired with his personal weapon and fatally injured one of the terrorists. With complete disregard to his personal safety, he climbed on the rooftop and lobbed hand/stun grenades through chimney and windows. With continued exchange of fire for more than six hours, he was able to kill the second terrorist after midnight.

Captain Sunil Yadav exhibited exceptional leadership qualities, tactical acumen and raw courage in fighting the terrorists.

13. IC-55217 Lieutenant Colonel Aditya Negi, Sena Medal, 3 Gorkha Rifles/32 Rashtriya Rifles

(Effective date of the Award : 09th November, 2009)

On 09th November, 2009, based on intelligence received about the presence of two terrorists in a village in Baramullah district of Jammu & Kashmir, Lieutenant Colonel Aditya Negi, executed a surgical cordon and search operation. At 0330 hours, the unsespecting terrorists came into contact with the officer face to face. On being challenged, the terrorists opened fire. Effective fire from the officer ensured that the terrorists did not escape and they entered into one house. During search, the terrorists opened up heavy volume of fire onto Lt Col Aditya Negi and his party. During the fire fight, the officer unmindful of his personal safety closed in and shot dead one terrorist. The second terrorist taking over of several rooms continued to fire onto the search party. After five hours of intense firefight, the terrorist attempted to break contact and run into the adjoining house. As he made an attempt to escape, an accurate burst from the officer brought the terrorist down and he died instantaneously.

Lieutenant Colonel Aditya Negi displayed conspicuous gallantry, valour, true grit and rising above the call of duty while fighting the terrorists.

14. 2602065 Naik Baiju B, 7th Battalion The Madras Regiment

(Effective date of the Award: 14th November, 2009)

On 14 November, 2009, Naik Baiju B was part of Quick Reaction Team which rushed to a village in Baramullah district of Jammu & Kashmir to reinforce a small team which had established contact with terrorists.

After intense degradation of the target, he alongwith his Commanding Officer carefully approached the dhok and crawled up to its roof for house clearing drill. On reaching the rooftop Naik Baiju then slowly crept further forward and unmindful of own safety threw three grenades from a small opening into the dhok. This resulted in severe injuries to the terrorists hiding below. Further on entering the dhok for final clearance, he showed phenomenal presence of mind when he shot one terrorist who was hiding behind one of the doors of the dhok from close range thus preventing casualties to the house clearing party.

Naik Baiju B showed exemplified personal bravery, professionalism and sheer guts in fighting the terrorists.

15. 4002995 Sepoy Surender Kumar, Dogra Regiment/ 62 Rashtriya Rifles (Posthumous)

(Effective date of the Award: 13th January, 2010)

On 13th January 2010, Sepoy Surender Kumar was the buddy of his Company Commander whose team cordoned

a house in a village in Kulgam district of Jammu & Kashmir in which two terrorists were present. After some time a Police Party also arrived to join the operation. Unmindful of the presence of terrorists in the target house a few members of this party moved without cover. On seeing this, the terrorists opened indiscriminate fire and injured one of the police personnel. Displaying exceptional initiative, Sep Surender Kumar under a hail of bullets, moved swiftly and pulled out the injured policeman. In doing so, he sustained a bullet injury. Despite injury, he changed his position and killed the terrorist before succumbing to his injury.

Sepoy Surender Kumar showed unparalleled courage and camaraderie against grave odds.

16. 4001514 Sepoy Ravi Kant, Dogra Regiment/11 Rashtriya Rifles (Posthumous)

(Effective date of the Award: 04th February, 2010)

On specific intelligence of four terrorists, Sepoy Ravi Kant, as part of cordon around dhok in Kishtwar district of Jammu & Kashmir spotted heavy terrorist fire from window on 04th February, 2010. He manoeuvred close and lobbed grenade into the dhok, forcing the District Commander of the terrorist outfit to jump out firing. Sepoy Ravi Kant displaying raw courage charged and shot him at point blank range.

Appreciating terrorists might escape, he redeployed and killed a Tehsil Commander of the terrorist outfit who charged firing indiscriminately. Third terrorist tried to escape injuring him with gunshot wound. Sepoy Ravi Kant retaliated and injured this terrorist, subsequently killed by his buddy. Fourth terrorist tried to escape from rear window. Sepoy Ravi Kant left cover, sustaining another burst of three rounds, blocked this terrorist, fired effectively and injured him before sacrificing his life. Throughout firefight he displayed boldness and courage of refraining from firing at lady terrorist and her children present there.

Sepoy Ravi Kant displayed exceptional act of gallantry in eliminating two hardcore terrorists and made the supreme sacrifice to save human life and proving "faithful unto death".

17. IC-61307 Major Deepak Yadav, Army Education Corps/Embassy of India, Kabul (Posthumous)

(Effective date of the Award: 26th February, 2010)

Major Deepak Yadav was deployed to Kabul as part of the Indian English Language Team. In the early morning hours of 26th February, 2010, a well guarded residential compound housing six Army medical officers, four paramedics and two other Army officers were attacked by heavily armed terrorist suicide bombers. The attack was initiated by the detonation of a suicidal vehicle borne IED at the boundary wall resulting in the instantaneous death of three security guards and total collapse of the boundary wall and the residential compound. A heavily armed terrorist suicide bomber then entered the compound throwing hand grenades and subjecting it to volleys of Kalashnikov fire, thereby catching the unarmed occupants by total surprise. The terrorist then started room to room search for any sign of survivors. Standing up to the challenge in the face of certain death, unarmed Maj Deepak Yadav alongwith his buddy crawled out of the debris of their respective rooms and rushed towards those of the three officers on one side of the guesthouse and directed them towards a bathroom located in the inner most corner of the guesthouse. Their hiding place was by then ablaze because of grenade attacks and their clothing was on fire. When the terrorist finally blew up his suicide vest as a result of heroic act of another officer. Maj Deepak Yadav exhorted other four officers to move out of the burning room. In doing so he himself got trapped in the burning room and unfortunately got charred to death.

Major Deepak Yadav displayed exemplary courage, grit, determination and valour beyoud the call of duty and made the supreme sacrifice in the face of a terrorist suicide bomber attack.

18. IC-61324 Major Nitesh Roy, Army Education Corps/ Embassy of India, Kabul (Posthumous)

(Effective date of the Award: 26th February, 2010)

Major Nitesh Roy was deployed to Kabul as part of the Indian English Language Team. In the early morning of 26th February, 2010, a well guarded residential compound housing six Army medical officers, four paramedics and two other Army officers were attacked by heavily armed and determined terrorist suicide bombers. The attack was initiated by the detonation of a suicidal vehicle borne IED at the boundary wall resulting in the instantaneous death of three security guards and total collapse of the boundary wall and the residential compound. A heavily armed terrorist suicide bomber then entered the compound throwing hand grenades and subjecting it to volleys of Kalashnikov fire, thereby catching the unarmed occupants by total surprise. The terrorist then started room to room search for any sign of survivors. Standing up to the challenge in the face of certain death, unarmed Maj Nitesh Roy alongwith his buddy crawled out of the debris of their respective rooms and rushed towards those of the three officers on one side of the guesthouse and directed them towards a bathroom located in the inner most corner of the guesthouse. Their hiding place was by then ablaze because of grenade attacks and their clothing was on fire. When the terrorist finally blew up his suicide vest as a result of heroic act of another officer. Maj Nitesh Roy exhorted the other officers to move out of the burning room. In doing so he himself sustained the major brunt of the fire. He later succumbed to his injuries.

Major Nitesh Roy displayed exemplary courage, grit, determination and valour beyond the call of duty and made the supreme sacrifice in the face of a terrorist suicide bomber attack.

19. Commander Dilip Donde, (03593-T)

(Effective date of the Award: 26th February, 2010)

On 22nd May, 2010, Commander Dilip Donde joined the elite club of Solo Circumnavigators after having circumnavigated the globe on the indigenously built yacht Mhadei.

Commander Donde was sailing in Pacific Ocean when crisis emerged in the form of the failure of both auto-pilots. Cdr Donde had to resort to steering the ship by hand. Due to the inclement weather with strong winds and powerful waves that thereatened to capsize the yacht, he had to stay alert throughout the day and night, expertly navigating the yacht in the unfavourable seas and life threatening situation. He thus had to sail almost 5400 nautical miles on manual steering. Rather than to allow the success of the project to be jeopardised, the Officer chose to battle the adversities head on with determination and scant regard to personal safety.

On 15th November, 2009, while sailing in the Tasman Sea, the yacht was exposed to gale storm conditions. Due to the heavy seas, the steering system of the boat collapsed. With the nearest land being more than 800 nautical miles away. The Officer, in the face of great odds and peril to his life, chose not to compromise on the objective of solo circumnavigation and continued his voyage undaunted. The yacht and the officer were at the mercy of the storm which raged non-stop for five days. The officer negotiated waves upto 25-30 feet and winds gusting upto 90 kmph. With his will power, fortitude and seamanship acumen, the Officer was able to sucessfully weather out the storm and continue with the circumnavigation.

Commander Dilip Donde is the only Indian in recorded history to have successfully solo circumnavigated the globe, covering a total distance of over 23,000 nautical miles crossing all the major oceans. He spent over 270 days sailing alone braving treacherous waters and gale force winds and navigated some of the most dangerous seas known to seafarers. It is a true test of professional competence, bravery, resilience displaying his will to conquer and is definitely not for the faint hearted. The Officer was required to navigate, sail, cook, repair machinery, negotiate hazardous weather conditions and above all master the "fear of the unknown".

Commander Dilip Donde displayed exceptional professional competence, physical courage and determination in the face of life threatening adversities and yeoman service to the Nation.

(BARUN MITRA)
Jt. Secy.

No. 125–Pres/2010- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry/Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Jammu & Kashmir Police.

NAME & RANK OF THE OFFICERS
S/Shri

1.	**Mushtaq Hussain Shah** **Constable**	**PPMG**	**(Posthumously)**
2.	**Nissar Hussain** **SPO**	**PPMG**	**(Posthumously)**
3.	**Farooq Ahmed Qesor** **Deputy Superintendent of Police**	**PMG**	

Statement of service for which the decoration has been awarded.

Acting on a source information indicating presence of terrorists in Kalyar and Pinga Gali Forests, in the area of Police Station Dharmsal, a joint operation was launched by Rajouri Police and 54 RR on 13.01.2009. The operation party cordoned off the area and asked the terrorists to surrender. The terrorists hiding in the jungle fired upon the operation party. The fire was retaliated and an encounter ensued.

Constable Mushtaq Hussain Shah and SPO Nissar Hussain fought bravely with terrorists without caring for their lives. Both of them received bullet injuries and later on succumbed to their injuries. Dy.SP (Ops) Rajouri in a very tactful manner re-organized the operation party after initial loss, reached the actual site of encounter and removed the dead bodies of the jawans. The terrorists again fired upon the operation party and Dy.SP (Ops) Rajouri exhibited great presence of mind, and swiftly retaliated the fire thereby saving the lives of Police parties and restraining the terrorist from escaping. The terrorists were repeatedly asked to surrender but they again started indiscriminate firing. Dy.SP(Ops) along with his party performed an exemplary role in the operation and eliminated two dreaded terrorists. The slain terrorists were active in the District for the last few years and were involved in numerous civilians killings. They were later identified as Abu Talha R/O POK of LeT outfit and Ashfaq R/O Kishtwar of HM outfit. With the elimination of these dreaded terrorists, LeT /HM outfits operating in the District received a great set back.

The following recoveries were made from site of encounter:-

(a)	Rifle AK-47	-	02 Nos.
(b)	Magazine AK-47	-	06 Nos.
(c)	Rounds	-	80 Rds.
(d)	Mobile Phone (Damaged)	-	04 Nos.
(e)	Earphone(Damaged)	-	01 No.

In this encounter S/Shri (Late) Mushtaq Hussain Shah, Constable,(Late) Nissar Hussain, SPO and Farooq Ahmed Qesor, Deputy Superintendent of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of President's Police Medal/Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 13.01.2009.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 126–Pres/2010- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry/Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Central Reserve Police Force.

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Shyam Singh** **(PPMG)** **(Posthumously)**
   Constable
2. **Pramod Kumar** **(PMG)**
   Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On 23/03/08 on receipt of intelligence from SP(Ops) JKP Srinagar about presence of militants in village Dagarpora, Telbel under PS Nageen Srinagar a joint Operation was planned in which G/122 under command of Sh. S.K. Jha , A/C, D/139 under Command of Sh. G.S. Negi, A/C and D/112 under Command of Sh. J.P. Balai, D/C were present. After completion of cordon as planned, a joint party of CRPF and JKP under command of Inspector Rajender Singh Rahi of J&KP were ordered to be positioned by SP (Ops) JKP at a double storied house just behind the hideout of militants. CT/GD Pramod Kumar and CT/GD Shyam Singh of G/122 Bn, who were manning LMG 1 & 2 under Command HC Basappa Bilgundi were also in the party. When this party reached near the front entrance of building, militants suddenly lobbed a grenade on the joint party followed by heavy firing but fortunately the grenade did not explode. The militants then resorted to heavy firing from southern direction from the identified house towards the double storied building. The fire was adequately retaliated by CT/GD Pramod Kumar and Late CT/GD Shyam Singh of G/122 Bn, CRPF who were on LMG 1 & 2 . The joint party of CRPF and J&K Police including CT Pramod Kumar & Late CT Shyam Singh regrouped then near the T-junction after withdrawing from their original position to plan next strategy. Notwithstanding to this sudden change of events, CT Pramod Kumar & Late CT Shyam Singh displayed sheer bravery to expose themselves and fired upon the fleeing militants alongwith 2-3 JKP personnel. CT/GD Shyam Singh sustained bullet injuries on his head but gallantly held his ground inspite of heavy fire by militant and continued to retaliate the fire of militant. In this fierce close quarter gun battle both the militants were also hit by bullets fired by CT Shyam Singh & CT Pramod Kumar. One of militant got killed and the other militant managed to escape. Three J&K Police personnel namely CT Irshad Ahmed, CT. Md.Kabeer & CT. Bashir Ahmed also sustained bullet injuries. The injured JKP personnel were immediately evacuated to the PCR hospital, Srinagar where they were declared as brought dead. The killed militant was later identified as Abu Faisal (Pakistan trained Militant), self styled Divisional

Commander of LeT. Following arms & ammunitions were recovered from his possession, AK-47 rifle -01, Mag. AK-47 rifle -01, Live Ammunitions – 13 , Grenade – 03, Pouch-01.

In this encounter S/Shri (Late) Shyam Singh, Constable and Pramod Kumar, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of President's Police Medal/Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 23.03.2008

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 127–Pres/2010- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Andhra Pradesh Police.

NAME & RANK OF THE OFFICERS
S/Shri

1. **Shahnawaz Qasim**
   Superintendent of Police
2. **A. Sreenu**
   Reserve Sub Inspector
3. **B. Raghupathi**
   Police Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On 31.10.2009, Shri Shahnawaz Qasim, SP Warrangal, received specific information about the movement of outlawed CPI Maoists Action Team in Regonda mandal villages and the surrounding areas to commit murders and sensational cognizable offences. On this information, Shri Shahnawaz, SP analyzed the information thread bare and he along with OSD, Warrangal who deal exclusively with organizing anti-extremists operations prepared a meticulous operational plan. The SP and OSD, Warrangal pooled up the available District Guards party for organizing a raid on the camp. They briefed the party about the importance of the information and precautions related to possible ambush, claymore mines and landmines. Shri Shahnawaz Qazim, SP, Shri Hanamkonda, CI, Shri A Sreenu, RSI, Shri B Raghupathi, PC and District Guards consisting of 15 members left the district headquarters on 31.10.2009 at about 12.30 hrs. The whole party was divided into two parties one as assault party led by the Shri Shahnawaz Qasim, SP along with Shri A Sreenu, RSI and Shri B Raghupathi, PC with 05 supporting members

and others as cut off party led by Shri Hanamkonda , CI. The assault party got dropped at the outskrits of Kotancha (v) and the cut off party was dropped in between Lingala and Pochampalli villages. As all the tracks through the fileds were suspected to be heavily mined , Shri Shahnawaz Qasim, SP along with Shri A Sreenu, RSI and Shri B Raghupathi, PC started moving cross country on foot following field tactics meticulously. After moving 1 ½ Kms, at about 1500 hrs, the SP noticed the movement of three armed extremists along with weapons at the three mounds of dug up earth, near a cotton field.

Shri Shahnawaz Qasim , SP again sub-divided his entire party in two parties, one as assault party led by him along with Shri A Sreenu, RSI and Shri B Raghupathi, PC. The other as cut off party with 5 members led by SI District Guards. The Shri Shahnawaz Qasim , SP was in the first assault group. After the cut off party took its position on possible escape route, Shri Shahnawaz Qasim , SP gave signal for advancement of the assault party. As the assault party approached the camp of extremists by crawling the sentry who smelled the advancing police party alerted the extremists in the camp by shouting "Police" and simultaneously opened rapid fire on the assault party. The extremists numbering about 03 who were in a dominant location immediately opened indiscriminate fire in all direction with automatic weapons and simultaneously hurled HE grenades. Shri Shahnawaz Qasim , SP warning the extremists to stop fire and surrender to police , ordered the assault party to move forward towards extremists camp taking available cover. As the extremists failed to yield to the repeated warnings and continued heavy firing with intention to kill the police, the Shri Shahnawaz Qasim , SP, Warrangal ordered the party to reply fire of extremists in self defense and also alerted the cut off party to seal the escape route. Shri Shahnawaz, SP unmindful of grave risk to his life replying fire of extremists, advanced close to the camp site. One of the extremists taking cover and advantage of the field managed to escape, while the other police by incessant fire from the camp place. The fierce gun battle resembled a warlike situation in the fields. The Shri Shahnawaz Qasim , SP Warrangal, Shri A Sreenu, RSI and Shri B Raghupathi, PC though were under intense fire from extremists and the stream of bullets were passing from a hair split distance, bravely chased the extremists without caring for his personnel safety and through a controlled fire neutralized the firing of extremists. With his single act of courage and fearlessness the extremists were taken aback. With his gallant action and high degree of leadership, Shri Shahnawaz Qasim , SP converted the dis-advantageous position of the Police into advantageous position. In this situation also Shri Shahnawaz Qasim, SP did not care for his personnel safety and life but dedicated himself in the line of duty. The firing from extremists continued till 1515 hrs. Shri Shahnawaz, SP, Shri A Sreenu, RSI and Shri B Raghupathi, PC though in small numbers, retaliated valiantly without caring for their lives. The police party searched the scene and found dead bodies of two male cadres at the camp site who were identified as (a) Manthani Raju @ Mangali Raju @ Daya @ Dayakar @ Sudhakar, S/o Pochaiah, 29 yrs, Mangali, r/o Jangedu (v), Bhupalpalli(m), Warrangal Distt, NTSZC Alternative

Members, KKW Member and DCS Warrangal. (b) Nuneti Venkatesh @ Bhaskar @ Bapana @ Madhu @ Mahesh, S/o Komuraiah, 25 yrs, Golla, r/o Peddakomatipally (v) of Mogullapally (m) of Warrangal Distt, Action Team Member/Commander.

The following weapons were recovered from the site of incident:-

(a) 9 mm Carbine Machine	-	01 No.
(b) Country made Sten Gun	-	01 No.

In this encounter S/Shri Shahnawaz Qasim, Superintendent of Police, A. Sreenu, Reserve Sub Inspector and B. Raghupathi, Police Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 31.10.2009.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 128–Pres/2010- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Andhra Pradesh Police.

NAME & RANK OF THE OFFICERS
S/Shri

1. **T. Narsing Rao,**
   Superintendent of Police
2. **A. Surender Rao,**
   Deputy Superintendent of Police
3. **V.V. Rami Reddy,**
   Armed Reserve Police Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On the request of Shri T. Narasing Rao, SIB, SP, Warangal sent SI Matwada with District Special Party for the assistance of Shri A. Surender Rao, Dy, SP and Shri V.V. Rami Reddy, ARPC. Shri T. Narasing Rao, SP, Shri A. Surender Rao, Dy.SP and Shri V.V. Rami Reddy, ARPC with the district special party started search operations in the evening of 1.4.2008 from Reheur Village. Since, the area is highly mined with land mines, Shri T. Narasing Rao, SP, Shri A. Surender Rao, Dy.SP and Shri V.V. Rami Reddy, ARPC with the police party halted for the right in the forest near Rampur village. On 02.04.2008 in the early hours the police parties resumed combing operations and in the process, around at 6.45 am they sighted six Maoists including a women all armed with sophisticated fire arms,

Grenades, claymore mines clad in olive green uniforms. Shri T Narsing Rao, SP, Shri A Surender Rao, Dy. SP and Shri V V Rami Reddy, ARPC clearly identified Gajarla Saraiah and upon this input, SI Matwada disclosed the identity of the police party to extremists to lay down their arms and surrender. However, the Maoists who were well prepared getting down the hillock in the opposite direction noticing the police party in disadvantages position opened fire on police indiscriminately to kill them. Since the police party took defensive position for safety and pleaded with the extremists to surrender, Shri T. Narasing Rao, SP, Shri A. Surender Rao, Dy.SP and Shri V.V. Rami Reddy, ARPC who were moving ahead felt that in this process Gajarla Saraiah would definitely manage to escape in the milea. There was indiscriminate fire from the side of the Maoists and any step forwarded by the police party amounted nothing but inviting imminent death.

In all normal prudence either taking defensive cover or to retreat a little was justified and advisable in such an explosive critical situation because of the imminent danger involved to their lives. Nevertheless, Shri T Narsing Rao, SP, Shri A Surender Rao, Dy. SP and Shri V V Rami Reddy, ARPC felt that losing sight of Azad was as costly as missing him forever. Therefore Shri T. Narasing Rao, SP determined to chase Gajarla Saraiah, rather than considering their own lives and personal safety. With such determination Shri T. Narasing Rao, SP, Shri A. Surender Rao, Dy.SP and Shri V.V. Rami Reddy, ARPC rushed towards the Maoists in the spree of bullets desperately returning fire in self defense to nab Gajarla Saraiah unmindful of their safety and security, because they considered that getting at Gajarla Saraiah alive or dead was more precious than their lives. With this determined action by Shri T. Narasing Rao, SP, Shri A. Surender Rao, Dy.SP and Shri V.V. Rami Reddy, ARPC, however, the most wanted and dreaded Maoist leader Gajarla Saraiah @ Azad – MHSCM reward Rs. 10 Lakhs who was at large for about two decades was killed along with his accomplice Bollampally Aruna @ Rama @ Padma – MHSAC Member reward Rs. 3 laks in the exchange of fire. Both the deceased were clad in olive green uniforms and one .30 Carbine, one 9 mm Pistol, one .38 Revolver, six live rounds and four kit bags containing highly classified Maoist literature were also found at place of exchange of fire. With this successful daring operation the activities of Gajarla Saraiah @ Azad had come to an end and people had a sigh of relief. Had the Police party not taken a decision to pounce upon Gajarla Saraiah @ Azad at the expense of their lives and personal safety, this outstanding success would not have been achieved as the police party preferred to lose their lives rather than missing the targets in the interest of the State.

In this encounter S/Shri T. Narsingh Rao, Superintendent of Police, A. Surender Rao, Deputy Superintendent of Police and V.V. Rami Reddy, Armed Reserve Police Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 02.04.2008.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 129–Pres/2010- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Andhra Pradesh Police.

NAME & RANK OF THE OFFICERS
S/Shri

1. **CH. Rajula Naidu,**
   Sub Inspector
2. **P. Suresh Kumar,**
   Police Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded.

S.P and O.S.D Vizianagaram collected precise information through their reliable source, in co-ordination with S.P Rayagada Distt. of Orissa State, the banned CPI Maoist cadres of Srikakulam & Koraput joint division Committee are camping in Rengalapadu Forest area near Orhada village about 32 Kms from Elwinpeta P.S. of Vizianagaram Distt. and 42 Kms from Chandili P.S of Rayagada Distt. Orissa State. Shri Ch Rajula Naidu, Sub Inspector and Shri P Suresh Kumar Constable along with special taskforce and Special Operation Group of Orissa dropped for combing operations at Muluguda (v) forest area of Elwinpeta P.S limits and started combing on 10.08.2009 at 2200 hrs

Under the overall leadership of Shri Ch Rajula Naidu Sub Inspector and Shri P Suresh Kumar Constable as scout -1, the police party started combing operations at about 0645 hours at Rengalapadu Forest area near Orhada (v). Shri Ch Rajula Naidu moved with six other members from one flank and Shri P.Suresh Kumar with others covered another flank, they fired in self defense and started crawling towards Maoists by hiding themselves and chased them upto 150 mtrs distance on a steep hill. The Exchange of fire lasted for about one hour in which the Shri Ch Rajula Naidu, Shri P Suresh Kumar and STF party fought bravely without caring for their lives. In course of this Exchange of fire, Sh Ch Rajula Naidu Sub Inspector and Shri P Suresh Kumar Constable shot three important female Maoists, who were giving stiff resistance to the police party by firing their own automatic weapons.

By their brave act, Shri Ch Rajula Naidu Sub Inspector and Shri P Suresh Kumar Constable and their team inflicted heavy casualties on CPI (Maoist) with the death of (1) Pothampalli Subadra @ Vijaya, @ Swarna Area Committee Member, (2) Landa Rajeswari @ Divya, Area Committee Member, 3) Puvvala Arathi @ Jeevani, Party Member, and recovery of INSAS Rifle, Two .303 Rifles, 85 rounds of ammunition, Five Kit bags consists of literature,

In this encounter S/Shri Ch. Rajula Naidu, Sub Inspector and P.Suresh Kumar Police Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 12.08.2009.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 130–Pres/2010- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Andhra Pradesh Police.

NAME & RANK OF THE OFFICERS
S/Shri

1. **M. Ravinder Reddy,**
   Inspector
2. **R.K. Rajesh Raju,**
   Junior Commando

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On the information of Shri M Ravinder Reddy, about the movements of top Maoists of North Telangana, in Kallegaon forest Kerameri(m), Adilabad district, on 01.12.2009, an operation was planned with SIB, Greyhounds and special parties. Nothwithstanding the hostile conditions like hilly terrain with thick forest and suspected mined tracks, the police party led by DAC and Shri M Ravinder Reddy including Shri B Chenchaiah and Shri R K Rajesh Raju reached Kallegaon outskirts on 01.12.2009 night and took LUP.

On 2.12.2009, combing the forest, they reached Rajukonda hillock at 1750 hours and noticed about 20 Maoists armed with sophisticated deadly weapons. Immediately they divided into assault and cutoff parties. The assault party led by Shri M Ravinder Reddy, comprising Shri B Chenchaiah and Shri R K Rajesh Raju, following tactical movements, took positions. But as one among the two sentries, guarding the Maoists, alerted them on observing the police, all the Maoists fired

indiscriminately on police. Charging forward without caring enemies fire, Shri M Ravinder Reddy and Sh R K Rajesh Raju retaliated bravely by firing at them taking partially exposed covers. The exchange of fire lasted for 15 minutes in which Shri M Ravinder Reddy, Shri B. Chenchaiah, Shri K. Sattish Kumar and Shri R K Rajesh Raju putting their lives at risk, killed two notorious Maoists 1) Chippakurthy Ravi @ Suresh, DCM,Adilabad district committee and 2) Allem Thirupathi @ Punnam, Commander (DCS), Combat Platoon.

One AK 47 rifle, one 7.62 SLR, one TSM gun, one 9mm pistol ,two wireless hand sets and ammunition were recovered.

In this encounter S/Shri M. Ravinder Reddy, Inspector and R.K. Rajesh Raju, Junior Commando displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 02.12.2009.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 131–Pres/2010- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Assam Police.

NAME & RANK OF THE OFFICERS
S/Shri

1. **Mugdha Jyoti Dev Mahanta,**
   Additional Superintendent of Police
2. **Dipul Chandra Das,**
   Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On 09.06.2008 at 9.00 pm acting on a secret information about certain hardcore ULFA extremists hiding at village Polashbari, Nathkushi under Borbari PS, Shri Mugdha Jyoti Dev Mahanta, APS, Addl.SP, Baksa informed the SP Baksa about the matter and discussed the operational plan with Dy.SP CRPF, 10th Bn, F Coy Mushalpur and immediately laid a trap to apprehend the militants. He immediately rushed to the spot with the available armed personnel to the village Polashbari and cordoned the area. During raid on the basis of further input Shri Mahanta, APS with his team arrived at the house of one Shri Gouri Kanta Nath at 9-30 PM. As soon as the party entered the boundary premises of the said house, a volley of fire come out of the said house. ULFA extremists lobbed one hand grenade aiming at the police party but fortunately, Addl. SP Mahanta who was

leading from the front managed to save himself and retaliated. He with the party advanced returning the fire in complete disregard for his personal safety and showing exemplary courage and presence of mind, reacted instantly and immediately fired 10 rds from his personal weapon. Simultaneously he commanded his party for immediate retaliation. The effective command of Addl. SP Baksa Shri M J Mahanta APS encouraged the other police personnel and they also retaliated effectively. The exchange of fire between them continued for about half an hour. Subsequently during vigorous search operation 2(two) hardcore ULFA militants were found lying dead near the place of occurrence who were later identified as S/S Captain Dharijya Deka @ Ratan Deka I.C Cdr 29th Battalion and S/s Sjt Major Rava @ Lankeswar Rava of 709 Bn. of ULFA Organization.

Meanwhile, two other miscreants managed to escape by taking cover of darkness and bamboo groves. The following arms and ammunition etc. were recovered from the site of encounter:-

(a)	Pistol	-	01 No.
(b)	Revolver	-	01 No.
(c)	Grenade	-	04 Nos.
(d)	RDX	-	01 No.
(e)	Rounds	-	09 Rds.
(f)	Fired cases	-	07 Nos.
(g)	Mag. Pistol		
(h)	Mobile Phone	-	04 Nos.
(i)	Satellite Phone	-	02 Nos.

In this encounter S/Shri Mugdha Jyoti Dev Mahanta, Additional Superintendent of Police and Dipul Chandra Das, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 09.06.2008.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 132–Pres/2010- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Assam Police.

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Lamhao Doungel,
Deputy Superintendent of Police

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On 11th June, 2009 at about 12.30 am, based on a secret information about the presence of NDFB(Anti Talk) cadre at Naharbari area inside Doldoli Reserve Forest, under Diphu P S, a search operation was planned by Dy.SP (HQ) Karbi Anglong, Mr. Lamhao Doungel(APS), Mr.Doungel with Mr. Nishant Kalra of 5th Rajputana Rifles Camp, Diphu and OC Diphu P S started the operation at Naharbari area. All together 35 personnel including officers and men participated in the operation. Leading the operation from front, Shri Doungel moved towards the jungle area with the search party. It was a thick jungle track very prone to ambush or IED attack.

At about 3.30 am, after getting closer to the suspected location, a thatch house on the hill top, Mr. Doungel meticulously climbed the hill track with a plan to encircle the house and to search at day break. All of a sudden a hail of bullet was sprayed towards the direction of the search party. Mr. Doungel who was leading from the front immediately fired back from his AK-47 rifle and after ensuring that there was no casualty from the side of search party, he directed his troops to take position for self protection. Despite being at a disadvantageous location, Dy.SP Doungel showed exemplary courage and chased the militants on higher ground by taking cover behind a tree and also directed the party to take position and fire towards the militants. It was a rainy night in the month of June with darkness covering the thick jungle. Dy.SP Doungel maintained the pressure and courageously stood the real test of life by meticulous planning and precise execution of the operation. The exchange of fire lasted for about 45 minutes. Finally when the firing stopped, the search party advanced and came across a Sentry post of the militant about 30 metres from the thatch house and the following items were recovered.:-

(a) EFCs of AK ammunition -15 Nos. (b) Chinese Grenade-01 No. (c) Live AK Ammunition-70 rds. (d) AK Magazine-02 Nos.(e) Magazine pouch-01 No. (f) Nokia Mobile-02 Nos (g) Woolen Blanket-01 No.(h) Plastic ground sheet-01 No (i) Incriminating documents of NDFB (j) Money receipt book etc.

On further observation of the P O, a blood stain was found directing towards the jungle and on trailing the stain for about 50 meters, located a dead body along with one AK-56 Rifle lying by the side. The dead body was later identified as

NDFB cadre Sri.Bolo Daimary(26) S/o Shri Noresh Daimary, Village Naharbari PO/PS-Diphu, District-Karbi Anglong, Assam. This refers Diphu PS Case No.66/09 U/S120/121/121(A)/122/123/307 IPC R/W Sec.25(a) 27 Arms Act. There were more blood stains in the surrounding areas which indicates that, more cadres were hit by a bullet. Dy.SP Doungel tactfully planned a more vigorous operation using sniffer dogs and ultimately after a hot chase another encounter took place the next morning i.e 12.06.2009 at Nagaland border where NDFB(Anti Talk) tax commander of the district Sr. Dangkhao @ Dhiren Boro of Rangia in Karup district, a Bangladesh trained cadre was killed and four others were apprehended. Out of the four cadres, two of them sustain bullet injury from the previous morning encounter at Naharbari, Sri.Biswar(25) of village-Thaigarguri of Biswanath CharialiSonipur district, received bullet injury in his left palm and lower abdomen, Sri.Tularam Basumatary of Howraghat Karbi Anglong district received bullet injury in his left leg. As per their revelations M-20Pistol and 9mm Carbine were recovered from their hideouts. This refers Diphu PS C/No.67/09.

It has to be noted that, both the slain NDFB Tax Commander, Dangkhao @ Dhiren Boro and Bolo Daimary the action commander of the district, were involved in massive extortion and killing in the district. Both of them were involved in the sensational killing of Diphu Ward No.4 Commissioner Shri Apu Das family members including his wife, two daughters and a female tutor in cold blood on 19th May, 2009. This refers Diphu P S Case No.60/09. Again another extortion related killing, on 23rd February 2009, the same group killed a Hindi Speaking businessman Shri Sohiram Parikh S/o Shri Sohonlal Parikh of Panbari area of Diphu town. This refers Diphu PS Case No.21/09. The above involvement of the two slain cadres was admitted by Shri Dipak Swargiary the apprehended NDFB cadre during interrogation.

The operation was conducted in a village which is very hostile to movement of security forces and scanty information is available about their movement. The route itself is highly prone to ambush and IED attack. The meticulous planning, tactical move in adverse situation, courage and above all leadership displayed by Shri Doungel, Dy. SP(HQ) Shri Lambao Doungel in the face of a situation where there was grave threat to his life too, resulted in the success of operation and neutralizing of an action commander and tax commander of NDFB(Anti-Talk) faction which act as a demoralizing factor in the ranks of other militants as well.

In this encounter Shri Lamhao Doungel, Deputy Superintendent of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 11.06.2009.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 133–Pres/2010- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Assam Police.

NAME & RANK OF THE OFFICERS
S/Shri

1. **Prasanta Kumar Dutta,**
   Superintendent of Police
2. **Babul Hainary,**
   Havildar
3. **Biren Saikia,**
   Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On the night of 30.08.2009, Shri P K Dutta, APS, Supdt. of Police, Kokrajhar obtained a specific intelligence that one Shri Tilak Ch.Sarma was in the captivity of a group of hardcore NDFB militants (anti-talk faction) at village Thaisuguri under Kachugaon Police Station. The aforesaid person was kidnapped from Gossaigaon Town on the evening of 28.08.2009.

So, immediately, on being led by Shri P K Dutta, a small team of Police personnel accompanied with army personnel of 11th Maratha L.I proceeded to the above village with a view to recover the aforesaid victim. On the way, they abandoned their vehicle at Village Sialmari and moved on foot with a view to conduct a surprise raid on the hideout of the militants. Inspite of the incessant rain and difficult terrain, at about 3.30 AM(31.08.2009), they reached close to the suspected hideout to establish a cordon to cut off the escape routes of the militants. But then suddenly, they came under indiscriminate and heavy fire from sophisticated weapons Shri P K Dutta and his PSOs immediately returned the fire and ordered to cordon both the right and left flanks of the hideout while they moved towards the left flank by taking cover of a thatch house which was located close to the pond behind.

However, since the firing was continuing from the militants side, the Police party led by Shri Dutta and his two PSOs were stopped from advancing further. In any case, the thatched house was not a proper cover from fire and many bullets of

the militants had already hit the wall of the house. At this juncture, Shri Dutta and his PSOs begans to crawl towards the pond with a view to gain an advantageous position with cover from fire afforded by a bark of a tree lying near the pond. However, while doing so, Shri Dutta and his PSOs were totally exposed and were under considerable risk to their lives. Not withstanding the risk involved to their lives and personal safety, Shri Dutta and his PSOs displayed exemplary courage and attacked in a gallant fashion in the face of all odds and adversity and finally could manage to neutralize one of the militants from a close range who was taking shelter in the midst of bushes and trees.

Another militant was neutralized by the Army who were on the right flank. The slained militants were later on identified as hardcore cadres of the Anti-talk faction of the NDFB(Ranjan Daimary Group). They were (a) Shri Roshan Narzary (25 Years) S/o Shri Sukursing Narzary, Vill-Bonglabari, PS-Serfanguri. (b) Janjit Muchahary (28 Years) S/o Shri Sambhunath Muchahary, Vill-Banlabari, PS-Kokrajhar.

The following arms and ammunition etc. were seized from the slained militants:-

(a)	Rifle AK-56 with one Mag fitted	01 No.
(b)	Magazine of Rifle AK-56	02 Nos.
(c)	Live ammunuition of AK Rifle	57 Rds
(d)	Pistol 7.65mm (USA Made)	01 No.
(e)	Live Ammunition of pistol 7.65mm	08 rds.
(f)	Empty Fired Cases AK-56	16 Nos.
(g)	Empty fired cases 7.62mm	08 Nos.
(h)	Nokia Mobile with SIM cards	03 Nos

In this encounter S/Shri Prasanta Kumar Dutta, Superintendent of Police, Babul Hainary, Havildar and Biren Saikia, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 31.08.2009

BARUN MITRA
Joint Secy.

42—351 GI/2010

No. 134–Pres/2010- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Assam Police.

NAME & RANK OF THE OFFICERS
S/Shri

1. **Singha Ram Mili,**
   Additional Superintendent of Police
2. **Jayanta Sarathi Borah,**
   Sub Divisional Police Officer

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 07.05.2009 at about 1400 hrs. information regarding movement of one ULFA linkman in a Sonari Bound bus from Dibrugarh was received from the Superintendent of Police, Dibrugarh. On the basis of the information an ambush was laid near Bhaju Railway Station under Sonari Police Station by Shri Jayanta Sarathi Borah, SDPO Sonari and Army personnel from 871 Field Regiment, Camp-Sapekhati. During the search operation the ULFA linkman Shri Dhananta Gayan, S/o Shri Dulal Gayan of Teokhabi Gaon under Sonari P.S was apprehended. On the spot interrogation, the ULFA linkman gave some vital clue regarding sheltering of 4(four) ULFA cadres with sophisticated weapons in the house of Mr. Atul Borah of Teokhabi gaon. Shri Singha Ram Mili, APS Addl. Supdt of Police (Border) Dibrugarh who initially unearthed the source information regarding ULFA linkman was also apprised regarding apprehension of ULFA linkman. He along his staff and QRT team immediately started for Sonari for next phases of operation as per discussion with Sivasagar police. At about 16.40 hrs, a joint search operation by the police from Sivasagar and Dibrugarh district and Army from 871 Field Regiment, Camp-Sapekhati under the leadership of Singha Ram Mili, APS, Addl. Supdt. of police(Border), Dibrugarh, Major S Ramesh of 871 Field Regiment and Shri Jayanta Sarathi Borah, APS, SDPO, Sonari, Sivasagar was conducted at Teokhabigaon under Sonari P.S. The operation party cordoned the entire village and search operation was conducted. While the operation party approached closer to the house, the ULFA militants opened indiscriminate fire towards the operation party to kill the members of the team, Shri Singha Ram Mili, APS Addl. Supdt. of Police(Border) Dibrugarh, Shri Jayanta Sarathi Borah, APS, SDPO Sonari organized and guided staff comprising of SI Shyamanta Sharma of Sonari P.S, SI

Rajib Kumar Saikia O/c Naharkatia PS, SI Debojit Das O/c Sonari PS and others for immediate retaliation. Accordingly, Shri Singha Ram Mili APS Addl. Supdt. of Police(Border) Dibrugarh, Shri Jayanta Sarathi Borah and his subordinates retaliated the fire while doing so, the officers recommended had to expose themselves for a better vision and for effective neutralization of the attackers with no thought or fear for their own lives. During the encounter two hardcore militants namely, self styled Cpl.Jintu Changmai @ Anal Singha Phukan @ master S/o Late Duleswar Changmai of Changmai gaon, PS-Borhat, Distt-Sivasagar and self styled Cpl. Anup Baruah @ Likon Ignti @ Gathi S/o Late Bhudeswar Baruah of Lakhipathar Rangchangi gaon under Digboi P.S Distt-Tinsukia got killed and other two managed to escape from the scene taking advantage of darkness and jungle. One UMG, one AK-56Rifle, 03 Nos. Magazine of both the Rifles, 42 rounds ammunition, 20 Nos. Electronic Detonators, 02 magazine pouches were recovered from the dead bodies and seized as per law in connection with Sonari P.S C/No.118/09 U/S 121/121(B)/307 IPC R/W Sec.25(i)(a)/27 Arms Act R/W Sec.10/13UA(P) Act.

In this encounter S/Shri Singha Ram Mili, Additional Superintendent of Police and Jayanta Sarathi Borah, Sub Divisional Police Officer displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 07.05.2009

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 135–Pres/2010- The President is pleased to award the 1st Bar to Police Medal for Gallantry/Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Bihar Police.

NAME & RANK OF THE OFFICERS
S/Shri

1.	**Shashi Bhushan Sharma** **Deputy Superintendent of Police**	**(1st Bar to PMG)**
2.	**Rajendra Singh,** **Inspector**	**(1st Bar to PMG)**
3.	**Ajoy Kumar Singh,** **Inspector**	**(1st Bar to PMG)**
4.	**Sanjay Kumar** **Sub Inspector**	**(PMG)**
5.	**Ram Badan Paswan** **Havildar**	**(PMG)**
6.	**Md. Ghulam Mustgafa** **Constable**	**(PMG)**

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On 06.10.2004 morning, the Sr. S.P., Patna on getting a tip off that notorious desperado Vikki Sharma alongwith some of his associates was planning to kidnap a child from near Central School, Kankarbagh, situated close to New Bye-pass Road, ordered quick constitution of a raiding party to foil the evil design of the gangsters and arrest them alive, if possible. Without losing any time, a police team, consisting of (1) Sri Shashi Bhushan Sharma, Dy. S.P. Law & Order, as leader, (2) Sri Promod Kumar, Inspector of Police-cum-Officer-Incharge, Kadamkuan, P.S., (3) Sri Rajendra Singh, Inspector of Police-cum-Officer Incharge, Kotwall P.S. (4) Sri Ajoy Kumar Singh, Inspector of Police-cum-Officer Incharge, Patliputra P.S. (5) S.I. Sanjay Kumar Singh, Police Lines (6) Hav. 284 Ram Badan Paswan (7) Const., 1800 Md.Ghulam Mustafa (8) S.I. Binod Kumar Pandey of Kotwali P.S. (9) S.I Kailash Ram of Kotwali P.S. (10) A.S.I. Harilal Manjhi of Patliputra P.S. and (11) Const., 3049, Aftab Alam of District Police was constituted, which proceeded quickly on 2 vehicles, after proper briefing, to the indicated place to verify the secret information received and to take appropriate steps to achieve the desired

result. While efforts were being made to verify the information and locate the rendezvous or the target at the indicated place, a white Maruti Van was noticed coming from the east and stopping at a road crossing near the Kankarbagh Central School. It was 12.05 hrs. by now. It was observed that about 5 persons were on board the vehicle some of whom were engaged in talks over their mobiles. One or two of them were seen stepping out of the van and quickly getting into it a few times. Their movements, conduct and behaviour aroused suspicion. The police team proceeded silently on its two vehicles in an effort to check-mate them from 2 sides on the road itself. The criminals, having sensed the presence of the police, switched on their vehicle and raced on the northern road, past the western side of the New By-Pass road. They were warned to stop many a time, trying simultaneously to close in and surround them. They were however, not inclined to heed saner counsels and greeted the warnings by sporadic firing. It was just sheer luck that Sri Shashi Bhushan Sharma who was leading from the front, escaped a fatal bullet, which grazed past him. It was the moment of grave crisis, and the Police Party, under the dynamic leadership of Sri Sharma, prepared itself in a huff to run the race and face any eventuality, in the midst of such an awesome and tumultuous atmosphere, Sri Sharma did not lose his mental equilibrium and cool, and induced his officers/men to "swim or sink" together, who were themselves made of rare stuff, not to bend or got down. It is indeed noteworthy that even at such a vital stage, the police team did not open fire, and continued to pursue the fugitives, at the same time warning them continuously to surrender in their own interest. In this process, when the criminals reached R.M.S. Colony, Kankarbagh (Patna Town) near "Urmila Nivas", some of them got down and opened incessant fire, despite persistent warnings. While S.I. Sanjay Kumar sustained a pellet injury, others escaped narrowly. Finding no alternative to defend the lives/properties of the surrounding habitat as also of the police party, selective and restrictive retaliatory fire was resorted to, again after due warning, in the ensuing firing and counter firing, Inspector Ajoy Kumar Singh was hit by a pellet on his neck, and he fell down bleeding. Inspector Promod Kumar and Const. Md. Ghulam Mustafa were also injured in the process. In the meantime while 2 criminals, who were noticed firing, taking cover of the van, fell down having been hit by the counter fire, 2 others fled away under cover of firing taking advantage of the houses and bye-lanes in the densely habitated colony. Even though effort were made to pursue them hotly, it was not considered prudent to fire upon them in such a dense habitation without avoidable loss of lives and properties of the peaceful citizens. It was indeed a laudable decision taken at the spot at the nick of time. Calm prevailed thereafter. Suffice it to say that here were the men in uniform with humanitarian outlook, but united in purpose astonishingly determined and totally focused on the job in hand, despite the hazards they faced, and, above all, imbued with the spirit of self-sacrifice at the altar of duty. They projected the image of a cohesive force, able and eager to undertake tasks fraught with terrifying risks. Even though 4 of them had got injured and had virtually embraced death they did not relent and assisted their leader enthusiastically without demur or hesitation with

full prevailing, it was found that of the 2 criminals, who had sustained injuries and were lying on the road by the side of the Maruti Van, one was the dreaded and notorious Vikki Sharma, mentioned above. The other one could not be identified at the spot. In the van itself, third one was also found grievously injured and bleeding, lying therein. Both of them were later identified as Rajiv Kumar and Karu Shah of Nalanda district. All the 3 grievously injured criminals were swiftly sent to the P.M.C.H. for treatment, where they were declared as brought dead. Inquests on the dead bodies were done by an executive Magistrate, and post-mortem was done thereafter. Deaths were due to injuries caused by fire-arms. The criminal antecedent of the three slain criminals, so far ascertained, relate to heinous crimes, such as murder, loot, kidnapping etc. extending to the districts of Patna and Nalanda While Vikky Sharma had been responsible for at least 19 cases (5 of Nalanda and 14 of Patna), Rajiv Kumar was responsible for 5 cases (3 of Patna and 2 of Nalanda) and Karu Shah was wanted in 4 cases of Nalanda. From the sections of all these cases, it would appear that they were mastering the act of kidnapping for ransom, a so-called flourishing business in the State. Their elimination has brought some relief and solace to the people. The criminals 5 appear to have fired about 30-32 rounds, whose pellets hit 4 police personnel and grazed past the leader and other members of the team; who had providential escape. Arms/ammunitions, etc., recovered and seized from the 3 slain criminals at the spot include 3 pistols/revolver, 1 misfired and 2 live cartridges, 12 fired cartridges, 2 mobile phones and a Maruti Van. The police party (11) in all opened 17 rounds' of fire, of which Inspector Pramod Kumar contributed 6 rounds from his service revolver, Inspector Ajoy Kumar Singh 4 rounds from his service pistol and const. Md. Ghulam Mustafa opened 7 rounds from his service pistol. It may be mentioned again that the area of confrontation is densely populated being a residential colony and the encounter took place in broad day light. It goes further to the credit of the raiding party and its leader here that no civilian fell victim to firing from either side. The following arms /ammn. were recovered from them:-

1. One 7.65 mm pistol with magazine and 1 loaded live cartridge.
2. One .38 revolver with 1 loaded live ammunition.
3. One Country-made .315 pistol with one misfired cartridge inside.
4. 12 fired cartridges, 2 mobile phones & one Maruti Car.

In this encounter S/Shri Shashi Bhushan Sharma, Deputy Superintendent of Police, Rajendra Singh, Inspector, Ajoy Kumar Singh, Inspector, Sanjay Kumar, Sub Inspector, Ram Badan Paswan, Havildar and Md. Ghulam Mustafa, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of 1st Bar to Police Medal/Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 06.10.2004.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 136–Pres/2010- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Chhattisgarh Police.

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Lakhan Lal Markam (Posthumously)
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On 20.01.2007, a police party under leadership of S.I. Pramod Khes from PS Bheji, Konta Sub Division, district Dantewada was on searching operation in Regarkatta area. On the way he was informed about training camp of naxalites and presence of around 150 uniformed naxalites in the camp by an informer. The naxalites were planning to organize meeting of villagers also. Despite the fact that the police party was small in number, they decided to challenge the naxalites. Immediately police party marched in proper formation and advanced towards naxalites. As they were getting close towards the spot, naxalites saw police party and started firing over them with automatic and semi-automatic weapons. Police party duly warned them disclosing their identity but naxalites did not pay any heed to this and they continued firing. Then police party fired in self defence. But naxalites were large in number and life of whole police party fell in danger. Sensing this constable Lakhan Lal Markam advanced bravely not caring for his personal safety and fired rapidly on naxalites from one side. Ct. Lakhan Lal Markam's act of courage inspired whole police party and they befittingly replied naxalite's fire with courage and valour. Rapid-fire from police party unnerved naxalites and they started running towards dense forest. Police party started to chase them and Ct. Lakhan Lal Markam was ahead of the party. Suddenly he was hit in his left eye and head through the right temple and succumbed on the spot. Police party continued to chase naxalites but they ran away taking cover of dense forest. A thorough searching of the spot was done, police recovered dead bodies of two hardcore uniformed naxalites. This sterling success against the naxalites was made possible only because of the rare act of exemplary courage, valour and unflinching devotion to duty by Constable Late Shri Lakhan Lal Markam. He acted with conspicuous gallantry and beyond the call of his normal duty. He did not care for his life and gave his supreme sacrifice in the service of the nation. His gallant action inspired the whole police party to take on the naxalites and despite being small in number they fought bravely with naxalites.

In this encounter (Late) Shri Lakhan Lal Markam, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 20.01.2007.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 137–Pres/2010- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Haryana Police.

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Rajesh Duggal,**
   Assistant Commissioner of Police
2. **Jitender Kumar,**
   Sub Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded.

In the morning on 18.12.2008, Shri Ajit Singh S/o Bhagwan Singh r/o Bhimgarh Khari (Gurgaon) was going in his Indigo Car to Hauz Khas, New Delhi to deliver Rs.1, 00,000/- to his aunt (Bhua). When he reached near Vatika Garden on Sector 17-18 road Gurgaon, one Maruti Car No. HR-12D 9266 overtook and intercepted his Car. On this, he stopped his Car. One youth got down from the said car and closed on him. The youth took out a pistol and while hurling it, asked him to open the window pane of the car. He got frightened and opened the window pane. The, youth took out his bag containing Rs.1,00,000/- and fled away. The victim, Shri Ajit Singh informed about the incident to Police Control Room, Gurgaon. He also gave the description of the criminal. The control room acted quickly and put all Police Stations/Police Posts/Nakas/PCR Vans and Riders on alert to conduct nakabandi immediately in order to nab the criminals. In this regard a case FIR No.175 dated 18.12.2008 U/s 392 IPC and 25/54/59 Arms Act was registered at PS, Sector-18, Gurgaon.

Shri Rajesh Duggal, ACP/Udyog Vihar, Gurgaon alongwith his staff comprising his Reader E/ASI Bir Singh, Gunmen Constable Gulab Singh and Constable Krishan Kumar, Asstt. Reader Constable Amit Kumar and Asstt. Reader Constable Vinod Kumar was ready to leave for handling law and order situation in village Bandhwani which arose due to setting up of Dumping Station. On receipt of this information, he responded immediately and along with his above named staff set off for checking of nakabandi in his staff vehicle driven by Constable Krishan Kumar conducted for apprehending the criminal. When he reached near the temple

in village Daultabad in the area of PS Rajendra Park, he found SI Jitender Kumar, SHO PS Rajendra Park, Gurgaon alongwith his staff viz EHC Krishan Kumar and driver Constable Manoj Kumar conducting nakabandi there. Shri Rajesh Duggal, ACP Udyog Vihar, directed the SHO to conduct nakabandi effectively so that the criminal may not find a chance to escape. In the meantime, a Maruti car was sighted coming from Village Daultabad side. On the orders of ACP/Udyog Vihar, SI Jitender Kumar, SHO PS Rajendra Park, Gurgaon signaled the driver to stop the car. Without caring for the signal of the SHO, the driver tried to accelerate the car. The police party, however, managed to note down that this was the same Maruti car which was involved in the robbery. On this, Shri Rajesh Duggal, ACP and SHO, PS Rajendra Park, SI Jitendra Kumar alongwith their staff chased the Maruti car in their respective vehicle.On finding himself being chased by the police, the criminal turned his car towards Daultabad Power House. However, the Shri Rajesh Duggal, ACP and SHO, PS Rajendra Park, closed on him after a chase of 2-2 ½ Km. On this, the criminal tried to steer the car on to Kherki Road. However, he lost his balance and the car slipped off the road and was thrust into the roadside mustard field. The criminal got down from the car and tried to flee away. The police parties cornered him and Shri Rajesh Duggal, ACP asked him to surrender. The criminal did not care for the police warning and started firing targeting Shri Rajesh Duggal, ACP. However, he missed the target and the shot hit the front window pane of his Tata Suma. The Criminal again fired, which hit the right side of his vehicle just above the front wheel mudguard. Shri Rajesh Duggal returned the fire from his service revolver of special .38 bore in self-defense, which hit the criminal and injured him. SI Jitender Kumar, SHO Rajendra Park also rose to the occasion at once and fired two rounds at the criminal from his service revolver of 9mm bore. Resultantly, the criminal got injured seriously and his pistol fell down from his hand. In the meantime, the other policemen also took positions and surrounded the criminal and overpowered him. On search of his person, one country-made pistol alongwith three live cartridges with 7.65 KF inscriptions on their bottom and the robbed amount of Rs.1,00,000/- were recovered from his possession. Apart from this, two empty cartridges fired by the criminal were also recovered from the spot.

Shri Rajesh Duggal, ACP/Udyog Vihar, rushed the criminal to the General Hospital, Gurgaon, in the Government vehicle of SHO, PS Rajendra Park for treatment, while leaving SHO, PS Rajendra Park to preserve the spot. However, the doctors at the General Hospital, Gurgaon, declared him brought dead. In this regard, a case FIR No.254 dated 18.12.2008 U/s 332/353/186/307 IPC and 25/54/59 Arms Act was registered at PS, Rajendra Park, Gurgaon. The post-mortem examination of the criminal was conducted at General Hospital, Gurgaon. The criminal was later on identified as Rajiv @ Pochu s/o Kanwar Pal r/o 154/18, Suraj Vihar, Dadri, Gautam Budh Nagar(UP) by his father and brother. They stated that he was then residing in Kailash Colony, PS Civil Lines, Rohtak. Rajiv @ Pochu was a dreaded criminal and involved in the following heinous cases of murder, attempt to murder, threatening to kill etc of district Rohtak:-

S.N	FIR No	Date	Under Section	Police Station
1.	503	28.11.1993	435/308 IPC	Civil Lines, Rohtak
2.	24	25.01.1994	379 IPC	Civil Lines, Rohtak.
3.	84	06.03.1994	379/IPC	Civil Lines ,Rohtak.
4.	296	26.05.1998	302/34 IPC	Civil Lines, Rohtak.
5.	351	07.07.1998	25/54/59 Arms Act	Civil Lines, Rohtak.
6.	518	08.09.2000	323/307/224/34 IPC	Civil Lines, Rohtak
7.	206	18.04.2001	302/449/307/34 IPC	Civil Lines, Rohtak.
8.	280	31.05.2001	506/387/120-B IPC	Civil Lines, Rohtak.
9.	383	19.06.2001	302/307/34 IPC & 25/54/59 Arms Act	City Rohtak

Not only this, he was a proclaimed offender in many cases mentioned above and IGP/Rohtak Range, Rohtak had declared a cash reward of Rs.10,000/- for providing useful information leading to his arrest.

In this encounter S/Shri Rajesh Duggal, Assistant Commissioner of Police and Jitender Kumar, Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 18.12.2008.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 138–Pres/2010- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Jammu & Kashmir Police.

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Mehboob Hussain,
Selection Grade Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On 06.10.2008, following a specific information provided by Police Kupwara regarding presence of some terrorists in the area of Demnari Anderbugh (District Kupwara) J&K, a joint operation was planned by Police Kupwara and 28 RR. As per the informer, terrorists were hiding in the dense forest area of above mentioned place which is at least five Kms away from Police Station Lalpora. The Police and RR moved towards the location on foot because of no road communication. After

covering the required distance, the darkness engulfed the area and under the moonlight a cordon was laid. Some suspicious movement of terrorists was noticed on which they were asked to stop but they started firing indiscriminately. Sg. Const. Mehboob Hussain displayed presence of mind and opened retaliatory fire and chased the terrorists. After covering some distance, he positioned himself and engaged the terrorists in fire fight. The terrorists tried their best to target him but due to his extraordinary alacrity and exhibition of high camaraderie, the terrorists could not succeed in targeting him. Finally, in the exchange of fire a dreaded terrorist identified as Thaikandi (Mohd Fayaz) S/o T K Safia R/o Thaikandi House, Thayil, District Kanur, State Kerala of LeT outfit was killed in the operation and following arms and ammunition was recovered from the encounter site:-

1. Rifle AK-47	01
2. Mg. AK 47	04
3. Amn. A.K. 47	79 Rds
4. Pouch	01

In this regard, case FIR No.34/2008 U/s 307 RPC, 7/27 A. Act stands registered in Police Station Lalpora.

In this encounter Shri Mehboob Hussain, Selection Grade Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 07.10.2008

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 139–Pres/2010- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Jammu & Kashmir Police.

NAME & RANK OF THE OFFICERS
S/Shri

1. **Ali Mohammad,**
   Senior Superintendent of Police
2. **Hilal Ahmad,**
   Constable
3. **Shabir Ahmad,**
   Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On 04.07.2008, a specific information regarding presence of a terrorist of JeM outfit in the orchards between village Barpora and Takia Wagam, a police team led by SI Mohd Saleem of Police Camp Pulwama and troops of 182 Bn CRPF rushed immediately and cordoned off the area where the terrorist was hiding. Sensing the movement of the operational parties, the terrorist held some inhabitants of village, working in orchards as hostage and opened fire to breakdown the cordon and to manage his escape. However, Shri Ali Mohd, IPS, SSP Pulwama, considering the sensitivity of the situation and having experience of such operations also rushed on spot and led a police team comprising of Constable Hilal Ahmed and Constable Shabir Ahmed to ensure the safe evacuation of civilians. They proceeded towards the target and engaged the terrorist in fire fight and facilitated the civilians to move towards safer places.

After rescuing the civilians, Shri Ali Mohd alongwith his team again swung into action against the hiding terrorist from forefront, while as, members of other teams gave cover fire and blocked all escape routes. The terrorist after noticing the movement of the operation team, fired indiscriminately but the team kept their nerves and retaliated with bravery without caring for their lives, which resulted in the elimination of the terrorist, who was later on identified as Shabir Ahmed Lone @ Arsalan S/o Mohd Akbar R/o Aglar Kandi of JeM outfit. Arms/Ammunition was also recovered from the site of encounter. With their tremendous dedication and effective action, the recommendees not only managed to rescue the civilians but also killed the terrorist who was involved a number of murder cases.The elimination of the said terrorist without any loss of life and property was in fact a big blow to JeM outfit. In this regard case FIR No.215/08 U/s 307 RPC, 7/27 I.A. Act stands registered at Police Station, Pulwama.

In this encounter S/Shri Ali Mohammad, Senior Superintendent of Police, Hilal Ahmad, Constable and Shabir Ahmad, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 04.07.2008.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 140–Pres/2010- The President is pleased to award the 1st Bar to Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Jammu & Kashmir Police.

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Bashir Ahmad Khan,
Superintendent of Police

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 29.09.2008 a joint cordon and search operation under the supervision of Shri B A Khan, Supdt. of Police Awantipora, was launched by Police Awantipora, troops of 42 RR and 180 Bn CRPF in Pathkharpur village. During the search operation, the suspicion of presence of terrorist arose with some specific clue of terrorist in the residential house of Gh. Hassan Bhat S/O Ab.Rehman R/O Pathkharpur (Shahabad). The search of the house was intensified but nothing visible struck out. However, the ceilings of the house were put to search and while doing so, a volley of fire came from the roof of the house. The terrorist was asked to surrender but instead he started lobbing of grenades resulting in injuries to the security personnel. The party took position and the fire was retaliated in a required manner. During this fierce gun battle, the house in which the terrorist was hiding crumbled and came down partially. Shri B A Khan SP Awantipora alongwith his QRT started searching the terrorist in cavities/corners of the crumbled house. The dreaded terrorist was hiding in one of the corners of the damaged portion of the house. During search a heavy fire followed by grenades came on the party with the result three escort personnel of SP Awantipora got injured badly. However, the terrorist was not allowed to move out which could have resulted in loss of more men and injuries, above all the terrorist would have given a slip to the cordon party. SP Awantipora opened heavy fire on the hiding terrorist due to which he got badly injured and was killed on spot. The dreaded terrorist was identified as Abu Sherjil R/O Gujrawala, Pakistan, the self styled Divisional Commander/operational chief of Jaish-e-Mohammed outfit.

The terrorist had sneaked into the valley in 1994 and was operating in Kupwara area and there after he came to Srinagar and remained as associate of Gazi Baba who got killed in August, 2003. The terrorist remained in Srinagar till 2005 and due to pressure of security forces shifted to Noorpora.Tral where he was raided

by Special Cell of Delhi Police lead by Shri Mahesh Sharma Inspector (who got martyred in Jamia Nagar encounter in 2008).However, the terrorist gave a slip to the raiding party. Thereafter he shifted to the upper reaches of Tral area. The terrorist established his hideout in Pathkharpur (Shahabad) in 2007.and was since then hiding in the second floor of the house of Gh.Hassan Bhat S/O Ab.Rehman where the terrorist finally met his destiny. The terrorist was a hi-tech and used his communication on his laptop where from he used to send and receive mails etc. The terrorist was also directly linked to founder of Jesh, Moulana Azher through satellite phones.

A large quantity of arms/ammunition and other incriminating material was recovered from the site of encounter. In this episode 07 Army and three police personnel also sustained injuries. Case FIR No.141/2008 U/S 307 RPC, 7/27 I.A. Act stands registered to Police Station Awantipora. It os pertinent to be mention that h was a 'A' Category terrorist. During this encounter, Shri Bashir Ahmad Khan (SP Awantipora) played a pivotal role and exemplary performance in eliminating the above said dreaded terrorist who had remained active since last five years in the jurisdiction.

The following recoveries were made at the site of gallant action:-

AK-74-02, AK-74 Mag-03, AK Rds-122, Pistol with Mag-02, Pistol Rds-19, Wireless Set-01, Belt Khaki-01, Money purse-01, Digital Dairy-01. Transistor-01, Video Game-01, Mobile Charger-03, I/Card-02, Pouch-01, Pen Stamp-01, Hand Grenade Pin-04, Matrix-02, Cash Indian Currency-Rs.1000, Photograph-04, Electronic Volt Meter-01, Laptop-01, Mouse-01, Satellite Phone-01, Head Phone-05, Lap Top Bag-01, Lap top charger-01, Mobile Phone-07, Satellite telephone charger-01, Laptop charger battery -01.

In this encounter Shri Basir Ahmad Khan, Superintendent of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of 1st Bar to Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 29.09.2008.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 141–Pres/2010- The President is pleased to award the 1st Bar to Police Medal for Gallantry/Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Jammu & Kashmir Police.

NAME & RANK OF THE OFFICERS
S/Shri

1.	**Ghulam Jeelani Wani, Deputy Superintendent of Police**	**(1st Bar to PMG)**
2.	**Rajesh Kumar, Sub Inspector**	**(PMG)**
3.	**Vinay Kumar Sub Inspector**	**(PMG)**
4.	**Tufail Ahmad, Constable**	**(PMG)**
5.	**Ishtiaq Ahmad, Constable**	**(PMG)**

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On a specific information regarding a plan of terrorist to attack Security Forces Convoy at Ziyarat-i-Sharief, Sangram Sahab-Chottipora on June 01/02, 2008, an operation was planned and executed by Police Handwara/Srinagar with the assistance troops of 30th RR. Dy.SP Gh. Jeelani Wani who was leading the operation from J&K Police, was accompanied by SI Rajesh Kumar, SI Vinay Kumar, Const. Tufail and Const. Ishtiyaq Ahmad. As soon as the operation party reached the spot, they started laying the cordon. As the cordon was being laid and search conducted, presence of terrorists was established in the shrine. The terrorists after seeing the joint operation party of Police/Army, lobbed grenades and volley of fire towards. Dy.SP Gh. Jeelani Wani, and his Police party who were on the forefront. The fire was not retaliated due to the presence of a number of Civilians in their houses falling adjacent to the place where the terrorists were hiding. After seeing the ground situation, the police party started the rescue process of Civilians. As the process of rescue was under way, the terrorists opened indiscriminate fire on them. The fire was retaliated in self defense triggering in a fierce firefight. It was a Herculean task to evacuate the civilians from the nearby houses of the encounter site and particularly to track down the trapped terrorists without any kind of damage

to the Shrine. The Police personnel despite heavy firing risked their lives and managed to rescue all the people safely from the surrounding houses. The encounter lasted for about 8 hours in which a volley of long range tear gas shells was fired into the Shrine, which ultimately forced the hiding terrorists to come out and two top commanders of LeT outfit identified as Usman Bhai R/O Pakistan of LeT outfit and Abu Waheed of Pakistan got neutralized.

The following arms/ammunitions were recovered from the site of incident:-

(a)	Rifle AK-47	-	02 Nos.
(b)	AK-Magazines	-	12 Nos.
(c)	AK Ammunition	-	305 Rds.
(d)	Hand Grenades	-	08 Nos (Destroyed in situ)
(e)	RPG	-	01 No. (Destroyed in situ)

In this encounter S/Shri Ghulam Jeelani Wani, Deputy Superintendent of Police, Rajesh Kumar, Sub Inspector, Vinay Kumar, Sub Inspector, Tufail Ahmad, Constable and Ishtiaq Ahmad, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of 1st Bar to Police Medal/Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 02.06.2008

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 142–Pres/2010- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Jammu & Kashmir Police.

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Farooq Ahmad,
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On 11th October, 2008, following a specific information regarding presence of some terrorists in Bedibera Surigam Lolab area (District Kupwara), an operation was planned and executed by J&K Police (SOG Kupwara) with the assistance of 28 RR/18 RR and 9 PARA. Acting on the input, Police personnel of SOG Kupwara along with the Army personnel rushed to the spot and started cordon and search operation of the area. Constable Farooq Ahmad alongwith few associates who were a part of J&K Police team, came under the attack of terrorists. The terrorists lobbed

a number grenades and opened volley of fire of on the police party conducting the search operation. Constable Farooq Ahmad, who was leading from front, took position and swiftly retaliated the fire. This followed retaliation by other member of the team. During fierce firefight, Constable Farooq Ahmad utilized his past experience in counter insurgency operations and managed to get covered the remaining portion of the area which was left without cordon and from where terrorists could flee the encounter site. After ensuring that the cordon has been perfectly laid and area is completely sealed, the Constable and his associates together with the personnel of Army units launched a massive offensive on the terrorists resulting in intensive gun battle, which continued for a long time. After sensing that the fire fight could prolong beyond day hours which would favour the terrorists, the Constable and a few other personnel volunteered themselves and started approaching the target site in the direction from where the terrorists were firing. Constable Farooq Ahmad by creeping and crawling and in a fire retaliatory exercise managed to reach in the proximity of the terrorists and launched an assault on them. The assault launched by the party was so fierce that all the three terrorists lost their nerve and got killed. They were later identified as Ab.Rahim S/O Koyassan Kanakath Saido R/O Chettipadi Malapuram Kerala. Abu Hafiz R/O PoK and Mohammad Faiz S/O Ab.Rahim R/O Muzhuthadam Kannur Kerala. Arms and ammunition recovered from the encounter site included 01 AK-Rifle, 04 AK-Magazines, 40 AK rounds and 01 Hand Grenades. For the incident, case FIR No.46/2008 U/S 307 RPC 7/27 A. Act stands registered in Police Station Sogam.

In this encounter Shri Farooq Ahmad, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 11.10.2008 .

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 143–Pres/2010- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Jammu & Kashmir Police.

NAME & RANK OF THE OFFICERS
S/Shri

1. **Rajesh Kumar,**
   Deputy Inspector General
2. **Gulzar Ahmed**
   Sub Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On 30.03.2009, on receipt of specific information about presence of terrorists of JeM outfit in a house at village Mashwara Shopian, a joint operation was launched by Police Pulwama/Shopian with the assistance of 44 RR and 18 CRPF. The Police Party alongwith 44 RR and 18 CRPF cordoned off the house. The terrorists were asked to surrender but instead of surrendering, they started lobbing grenades and also resorted to indiscriminate firing on the search party with sophisticated weapons, in order to flee from the spot. The team which includes SI Gulzar Ahmed under the overall leadership of Shri Rajesh Kumar, IPS, DIG, SKR, Anantanag, acted swiftly and did not provide any opportunity to the terrorists to flee from the spot. Shri Rajesh Kumar, IPS and SI Gulzar Ahmed in a very professional manner led the team on front and succeeded in reaching to the close proximity of the house where the terrorists were hiding. Sensing the movement of the operational party, the terrorist fired volley of bullets upon them in which Shri Rajesh Kumar, DIG and SI Gulzar Ahmed, who were leading from front, had a narrow escape. Both the officers displayed great presence of mind in retaliating the fire swiftly and gave no chance to terrorists to flee from the spot and to cause any casualty to the operational party. Shri Rajesh Kumar continued to exhibit his leadership qualities in the operation as he and SI Gulzar Ahmed after reaching in the close proximity of the house, lobbed grenade and tear smoke shells with the result terrorists lost their confidence and came out of the house during which they fired indiscriminately upon the operational party. The Officers, however, kept their nerves, exhibited great alacrity and in a fierce gun battle, which lasted for four hours, two terrorists identified as Abu Hamza and Abdullah Pathan @ Abu Talha of JeM outfit both residents of Multan Pakistan were eliminated.

The following recoveries were made from site of encounter:-

(a)	Rifle AK-47	-	02 Nos.
(b)	AK Magazines	-	02 Nos.
(c)	AK-47 rounds	-	42 Rounds.
(d)	Pouch	-	02 Nos.

In this encounter S/Shri Rajesh Kumar, Deputy Inspector General and Gulzar Ahmed, Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 30.03.2009

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 144–Pres/2010- The President is pleased to award the 1st Bar to Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Jammu & Kashmir Police.

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Mohan Lal,
Superintendent of Police

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On 07.11.2008, immediately on receipt of information regarding presence of four dreaded terrorists in Darman Forest under the jurisdiction of Police Station Dessa. Doda Police alongwith 10 RR and 76 Bn CRPF launched a joint operation under the command of Shri. Mohan Lal, Supdt. of Police(Ops) Doda. In the wee hours of 08.11.2008 the hide out of terrorists was cordoned off Shri Mohan Lal, SP(Ops) Doda challenged the hiding terrorists to surrender before the Police, upon this, the terrorist opened indiscriminate firing on the operation party and in self defense the operation party retaliated and a fierce gun battle started. During the encounter one of the terrorists came out of the hide out and tried to run away while spraying the bullets towards the operation party. Shri Mohan Lal, SP(Ops) chased the fleeing terrorist amid heavy firing and gunned down the said terrorist. The slain terrorist was later on identified as Mohd Shafi @ Hashim Khan S/o Abdul Salam Kumhar R/o Kottal Sazan an 'A' grade terrorist involved in a number of killings and attack on Police/Security Forces in the area. Encounter continued un-abated and in the encounter other three terrorists identified as (i) Muzaffar Hussain @ Dawood S/o Gh. Mohd R/o Kotal Sazan (ii) Fida Hussain @ Jahangir S/o Tariq Saleem R/o Dharosh District Doda and (iii) Mushtaq Ahmed S/o Abdul Gani Raher R/o Manjmi Dessa also got killed.

The following arms/ammunitions were recovered from the slain:-

(a)	Rifle AK-47	-	02 Nos.
(b)	Rifle AK-56	-	01 No.
(c)	Chinese Pistol	-	01 No.
(d)	Magazine AK	-	06 Nos.
(e)	Magazine Pistol	-	01 No.
(f)	Wireless set	-	01 Set.
(g)	Damaged mobile set	-	01 No.

(h)	Diary	-	01 No.
(i)	Antenna	-	02 Nos.

Shri Mohan Lal, SO(Ops) exhibited outstanding operational expertise as well as ultimate sense of devotion and dedication to duties, besides leadership quality of the highest order with the result the dreaded terrorists namely Mohd Shafi @ Hashim Khan S/o Abdul Salam Kumhar R/o Kottal Sazan 'A' grade terrorist, who was active in the area for almost a decade and half was killed. The Officer led the Police Party from the front, in the face of indiscriminate firing by the terrorists, risking his life to neutralize the terrorist.

In this encounter Shri Mohan Lal, Superintendent of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of 1st Bar to Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 08.11.2008.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 145–Pres/2010- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Jammu & Kashmir Police.

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Sukhvir Singh,
Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On 22.04.2008, a source information was received by Dy.SP (Ops) regarding the presence of local/foreign terrorists of HM outfit equipped with Arms/Ammunition under the command of most dreaded/wanted terrorist commander Abdul Haq @ Jahangir an operational chief of HM outfit in general area of village Challad-Kalliyan under the jurisdiction of the police post Arnas for large scale sabotage.

On this information, an operation was launched by State Police camp Arnas headed by Shri Tahair Asraf, Dy. Supdt. of Police (Ops) Arnas and Inspector Sukhvir Singh incharge State Police Arnas in the above said area. At about 2300 hrs. when the operational party reached the village Kalliyan (Challad), Shri Tahair Ashraf, Dy. Supdt of Police(Ops) Arnas and Inspector Sukhvir Singh Incharge State Police Arnas divided the operational party into two groups.

Both the groups cordoned off the area and started the search of area. At about 1130 hrs, the Ist group noticed some movement in the nearby jungle and the incharge looked through the night vision device and noticed three blanket clad persons who were moving towards the hill. Dy.SP (Ops), Arnas alongwith follower Mohd Rafiq and SPO Mohd Rafiq led the group towards jungle and chased the terrorists. The group took position cautiously and commanded the terrorists to stop and show their identity but the terrorists abruptly opened indiscriminate firing and threw grenade to escape from the spot. The operational parties retaliated tactically. The second group headed by Inspr. Sukhvir Singh advanced towards the terrorists who had taken position behind huge stones and trees and retaliated the fire. Inspr. Sukhvir Singh, zeroed on the terrorists strategically and in ensuing encounter one terrorist got killed who was lateron identified as Abdul Haq @ Jahanjir S/o Salam

Din R/o Lasooli Tehsil Mahore District Reasi of HM outfit. However, other terrorists managed to escape taking advantage of darkness and dense forest. The slain terrorist was a POK trained terrorist and was active since 1993 in the jurisdiction of District Reasi. He was responsible for massacre /killing of more than hundred people of different categories. He was also responsible for Prankote/Baryana massacres in District Reasi in which 27+11(38) members of minority community were killed during the year 1998/1999. He was the chief coordinator of all terrorist outfits, financial Chief, distributor of Arms and ammunition in whole of District Reasi, Battalion Commander of HM outfit and also IED Expert. Being senior most among the HM Cadre, he was familiar with the whole area and was used to mountainous terrain and was a popular and famous figure in ISI agency of POK. His killing is a big loss to the HM cadre and a great relief to the local populace.

The following recoveries were made from the site of encounter:-

(a)	Rifle AK-47	-	01 No.
(b)	Magazine AK-Series	-	01 No.
(c)	Binocular	-	01 No.
(d)	Pouch	-	01 No.
(e)	Diary	-	01 No.
(f)	Ammunition AK Series	-	11 Rds.

In this encounter Shri Sukhvir Singh, Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 22.04.2008

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 146–Pres/2010- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Jammu & Kashmir Police.

NAME & RANK OF THE OFFICERS
S/Shri

1. **Sanjay Kumar Sharma,**
   Deputy Superintendent of Police
2. **Javed Akhter Malik,**
   Sub Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 02/10/2008, a reliable information was received by SSP Udhampur, Shri Surinder Gupta, IPS regarding movement of terrorists in the general area of Badole in Tehsil Ramnagar. SSP shared the same with SDPO Ramnagar and he was directed to organize a search operation in the area. Shri Sanjay Sharma, Dy.SP, SDPO Ramnagar alongwith nafri of P/S Ramnagar started search operation in the area which continued upto 03.10.2008 evening but no fruitful result was achieved. SSP Udhampur further mobilized his resources and after developing information he directed SDPO/SHO Ramnagar to continue operation in the area with the district police as well as the Army personnel of 158 TA Bn. But again no contact was established with them till 04th October evening. On 05.10.2008, SSP alongwith police escort reached the spot and developed specific information that the terrorists are hiding in the house of one local person namely Boob-ul-Din in village Khail Ser Manjala. On this information, SSP Udhampur meticulously planned the operation and cordoned off the house where the terrorist were holed up. The operational parties led by SSP Udhampur, SDPO/SHO Ramnagar laid the inner cordon and the fourth party of army was led by Lt. Col H SS Sidhu maintained the outer cordon to prevent escape of terrorists towards forest area. All the three police parties deployed in the inner cordon advanced towards the hideout. On seeing the police parties advancing, the terrorist hiding inside the house started indiscriminate firing which was retaliated and the encounter ensued. Shri Surinder Gupta, IPS, SSP Udhampur, SDPO Ramanagar and SHO P/S Ramnagar who were leading the men from the front without caring for their personal safety and facing the onslaught of a volley of bullets by exhibiting valour, bravery and raw courage of rarest kind, safely evacuated the inmates of the house. Not caring for their personal safety, the officers

went on the roof top of the house and made holes in the ceiling in the face of heavy column of fire from the terrorists. Through the holes, the officers fired on the terrorist and killed them without allowing collateral damage to the men and property. Thereafter, search of the house was conducted and the two dreaded killed in the encounter were identified as Rizwan code Abu Tallah R/o Pakistan (Category-A) and Mohd. Sabbar @ Abu Hamza code Ayub Ansari S/o Abdul Aziz Bakerwal R/o Tanda, TehsilRamnagar District Udhampur (Category-B) of LeT outfit. This operation culminated successfully on the 6th of October.

The following recoveries were made from site of encounter:-

(a)	Rifle AK-56	-	01 No.	(Burnt)
(b)	Rifle .303 without butt	-	01 No.	(Burnt)
(c)	Magazine .303	-	01 No.	(Damaged)
(d)	Magazine AK-56	-	03 Nos.	(Damaged)
(e)	Wireless set	-	01 Set	(Burnt)
(f)	Antina Wireless Set	-	01 Set	(Burnt)
(g)	Round .303 (Live)	-	13 rds.	
(h)	Round AK-56(Live)	-	19 rds.	
(i)	Mobile Set (Nokia)	-	02 Nos.	(Burnt)
(j)	Wrist Watch	-	02 Nos.	(Burnt)
(k)	Purse	-	02 Nos	(Burnt)
(l)	Aircel Cards	-	03 Nos.	
(m)	Cash Indian Currency	-	Rs.1,705/-	(Burnt)
(n)	Pouches	-	02 Nos.	(Burnt)
(o)	Mobile Charger lead	-	01 No.	(Burnt)
(p)	Pencil Cell	-	10 Nos.	
(q)	Khali Khoka AK-56	-	31 Nos.	
(r)	Khali Khoka .303	-	13 Nos	
(s)	Pulthrow	-	01 No.	(Burnt)
(t)	Knife	-	01 No.	
(u)	Shaving Machine	-	01 No.	
(v)	News Paper cutting	-	02	
(x)	Battery Mobile Set	-	02 Nos.	(Burnt)

In this encounter S/Shri Sanjay Kumar Sharma, Deputy Superintendent of Police and Javed Akhter Malik, Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 06.10.2008

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 147–Pres/2010- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Jammu & Kashmir Police.

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Mohd. Rafiq
Assistant Sub Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 08.03.2009, ASI Mohd Rafiq of STF Gool received an information regarding movement of terrorists in general area of Bhatas Bhimdassa in Gool. He immediately launched a cordon and search operation in the high altitude terrain of the area. At about 0230 hours, some unknown terrorists opened indiscriminate firing upon the operation party and the fire was retaliated. ASI Mohd Rafiq who was leading the operation positioned the search party in such a way to prevent the escape of terrorists hiding in thick bushes. ASI Mohd Rafiq and his men showing tactical acumen and exceptional courage, after crawling a distance, reached close to the target place and fired upon the holed up terrorists and in a face to face encounter one terrorist was killed by the ASI by hitting him in his chest. The other terrorist was killed by the operation party next day in the early hours on 09.03.2009.

The following arms/ammunitions were recovered from site of encounter:-

(a)	Sniper Rifle	-	01 No.
(b)	Magazine Sniper	-	01 No.
(c)	Rounds Sniper	-	05 Rds.
(d)	Rifle .303	-	01 No.
(e)	Magazine .303	-	01 No.
(f)	Rounds .303	-	02 Rds

In this encounter Shri Mohd. Rafiq, Assistant Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 08.03.2009

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 148–Pres/2010- The President is pleased to award the 1st Bar to Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Jammu & Kashmir Police.

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Mubassir Latifi,
Superintendent of Police

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 11.05.2008, an information was received at about 0600 hrs that two terrorists have entered into the house of one Hoshiar Singh at Village Rakh Ambtali, Samba and opened indiscriminate fire on the inmates of the house as a result of which Hoshiar Singh and his wife Shashi Bala died on the spot leaving his daughter and her mother –in-law seriously injured. After committing this gruesome terrorist act they had proceeded towards Kailli Mandi, District- Samba and taken shelter in the house of one Suresh Singh and made all the five inmates including women and children hostage.

SP Operations Jammu, Shri Mubassir Latifi, who was holding the charge of District Samba rushed to the spot alongwith his Special Operations Group and laid a cordon of the house from where the terrorists were firing indiscriminately. Since the security and safety of the hostage was of prime concern, all out efforts were made to save these precious lives while smoking out the terrorists. A party of SOG who were given cover fire, rescued the civilian hostages from back window amidst intense firing by the terrorists. After rescuing the hostages, a massive assault was launched by SP Mubassir Latiffi alongwith his select group on which the holed up terrorists opened indiscriminate firing from their automatic weapons and lobbed a volley of rifle grenades. Undeterred by their counter attack, Shri Mubassir Latifi, SP exhibited great presence of mind and continued to fight the terrorists and inched towards the target house and gunned down one terrorist. Second terrorist who was still inside the house continued firing and throwing rifle grenades as a result of which SP Mubassir Latifi received multiple splinter injuries on his face and left hand. Although bleeding profusely, the SP didn't loose his nerves and exhorted his

men to fight against the terrorists and in the ensuing fierce and close quarter gun battle succeeded in eliminating the second terrorist also. Huge arms and ammunition were recovered from the spot. Shri Mubassir Latifi, SP Operations, Jammu thus exhibited great leadership qualities during the execution of the operation and volunteered himself to lead the operation from the front without caring for his personal safety.

The following recoveries were made from the site of action:-

(a)	AK-47 Rifle	-	02 Nos.
(b)	Magazine AK	-	10 Nos.
(c)	AK Rounds	-	250 rds.
(d)	UBGL	-	01 No.
(e)	Hand Grenade	-	03 Nos.
(f)	Night Vision Goggle	-	01 No.
(g)	Other Misc. items	-	14 Nos.

In this encounter Shri Mubassir Latifi, Superintendent of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of 1st Bar to Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 11.05.2008

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 149–Pres/2010- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Jammu & Kashmir Police.

NAME & RANK OF THE OFFICERS
S/Shri

1. **Shahnawaz Ahmed,**
   SG Constable
2. **Prethvi Raj,**
   SG Constable
3. **Deepak Bhat,**
   Constable
4. **Azad Ahmad Naik,**
   Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded.

Acting on an interception, regarding presence of two 'A' categorized terrorist namely Rayees Ahmad Dar @ Rayees Kachroo S/O Gh. Hussan Bhat R/O Ranzgam Pulwama (2) Abdul Rashid Bhat @ Ishfaq S/o Mohd Abdullah Bhat R/o Wachi Pulwama Divisional Commander and District Commander of HM outfit respectively, in village Koka Mohalla Malhora falling in P/S Zainpora Shopian, a Police party rushed towards the said village and cordoned off the area in the early hours of 17.12.2008.

SG. Const. Shahnawaz Ahmad, Const Deepak Bhat, Const.Azad Ahmad Naik and SG.Const Prethvi Raj proceeded towards suspected hideout and tactically positioned the police party around the said house. While they tried to move towards the target house, terrorists hiding inside lobbed grenades and started indiscriminate firing on police party. On retaliation by the police party, the terrorists returned back to the hide out. Meanwhile the troops of 55 RR also arrived and laid an outer cordon.

Displaying extra ordinary presence of mind and courage, the Police personnel without caring for their lives, took cover at a very close proximity of the location of terrorists and engaged them in a fire fight. Terrorists while trying to escape from the said house came out lobbing grenades and heavy volley of fire on the Police Party, but due to timely retaliation, both the terrorists were gunned down. The killed terrorists were active since 1996 and involved in number of heinous crimes including killing of civilians, security force personnel in Shopian and Pulwama. By eliminating the said terrorists, the HM outfit suffered a major set back. In this connection, case FIR No.98/2008 U/s 307 RPC, 7/27 A. Act stands registered in Police Station Zainpora, Shopion.

The following recoveries were made from site of encounter:-

(a)	Rifle AK-47	-	01 No.
(b)	Rifle AK-56	-	01 No.
(c)	AK Magazine	-	03 Nos(02-Damaged)
(d)	AK Rounds	-	10 Rds.
(e)	Pouch	-	02 Nos.
(f)	Mobile	-	01 No.

In this encounter S/Shri Shahnawaz Ahmed, SG. Constable, Prethvi Raj, SG. Constable, Deepak Bhat, Constable and Azad Ahmad Naik, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 17.12.2008

BARUN MITRA
Joint.Secy.

No. 150–Pres/2010- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Jammu & Kashmir Police.

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Abdul Khalid,
Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On 02nd June, 2008, on a specific information about the presence of terrorist in the house of one Mohammad Subhan Dar S/O Gh. Mohammad r/o Vijhara Bandipora, Police party under the command of Inspector Abdul Khalid, SHO P/S Bandipora rushed to village Vijhara Bandipora and cordoned the suspected house. As the house was being cordoned on all sides, Inspector Abdul Khalid SHO P/S Bandipora and his team started moving towards the target site. On approaching the site, terrorists lobbed grenades and opened a volley of fire on the Police Party, However, before retaliating the fire, Inspector Abdul Khalid and his team got themselves actively engaged in the Herculean task of rescuing the civilians from the encounter site. It was due to their great professionalism and presence of mind that the team managed to successfully rescue all the civilians. Thereafter the terrorists were engaged in a fierce firefight and Inspector Abdul Khalid with his excellent leadership qualities led his men to the house and took position behind the wall and launched a massive offensive on the holed up terrorists. During the encounter the

Inspector without caring for his personal safety took brunt and neutralized the terrorist inside the room where they were hiding. It was because of courage and bravery shown by Inspector Abdul Khalid, that despite being in a very vulnerable position at the encounter site, both the terrorists were neutralized by him without suffering any causality. The slain terrorists were identified as Rahimullah R/O Pakistan, a self styled District Commander of HuM terrorist outfit and Mohammad Sajad @ Chota Sajad R/O Pakistan self-styled Bn Commander of HuM terrorist outfit. Arms and ammunition recovered in the operation included two AK-47 Rifles, 01-AK 56 Rifle, five AK Magazines, three hand grenade, 02 pouches and 02 Mobile phones. A case FIR No.107/08 U/S 307 RPC. 7/27. A. Act stands registered in Police Station Bandipora regarding this incident. The killing of both these terrorists, who were active in the Bandipora area since a long time and were involved in various heinous crimes viz attacks on Security forces and killing of civilians, was indeed a big achievement for the Police and a jolt to the terrorist outfit.

In this encounter Shri Abdul Khalid, Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 02.06.2008.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 151–Pres/2010- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Jammu & Kashmir Police.

NAME & RANK OF THE OFFICERS
S/Shri

1. **Sanjay Kumar Parihar,**
   Deputy Superintendent of Police
2. **Darshan Singh,**
   Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On 10.02.2008, on a specific information received by SOG Pattan about the presence of terrorists in the house of one Abdul Khaliq Bhat S/o Samad Bhat R/o Tantraypora Palhalla, a search operation was launched by police Pattan under the command of Shri Sanjay Kumar Parihar, Dy.SP(Operational) Pattan with the assistance of security forces in the said village. On seeing the Police party, the terrorists lobbed grenades and volley of fire on the Dy.SP and Constable Darshan Kumar who was on the forefront. Exhibiting a remarkable presence of mind and leadership qualities, the officer along with Constable Darshan Singh moved swiftly towards the house and took position behind the wall and engaged the terrorists in a fierce firefight. During the course of encounter Shri Sanjay Kumar Parihar, Dy.SP(Ops) Pattan and Constable Darshan Singh exhibited presence of mind and launched a massive attack which lead to the neutralization of both the terrorists inside the room from where they were targeting the police party.

While combating with the terrorists, both the police personnel exhibited great degree of camaraderie and alacrity by attacking the hideout which led to the neutralization of these terrorists. The degree of courage, valour and vigour exhibited by the Dy.SP and his Constable despite being in a vulnerable position at the encounter site and the leadership ability of the officer to keep the morale of the men accompanying him high, was instrumental for the elimination of both terrorists identified as Zahoor Ahmad Ganai@ Firdous S/O Gh.Hassan Ganai R/O Chanderhama Pattan and Nazir Ahmad Parray @ Pathan S/O Gh.Rasool Parray R/O Goshbug, of HM terrorist outfit. Arms and ammunition recovered from the site of encounter included two AK-47 Rifles, 07 AK Magazines, seventy five rounds of AK ammunition, three UBGL Shells, two pouches and one mobile charger. For the said incident, case FIR No.14/28 U/S 307 RPC, 7/27 A. Act stands registered in Police Station Pattan. It is also pertinent to mention that one of the slain terrorists namely Zahoor Ahmad Ganai

was the self-styled Commander of Hizb-ul-Majahideen outfit and was active in the area since long time. He was involved in various crimes which includes attacks on Security forces and civilian killings.

In this encounter S/Shri Sanjay Kumar Parihar, Deputy Superintendent of Police and Darshan Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 10.02.2008.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 152–Pres/2010- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Jammu & Kashmir Police.

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Reyaz Ahmad,
Head Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On 17.10.2008, on a specific information regarding presence of a terrorist in the area of Shamriyal District Kupwara (J&K), a joint operation was planned and executed by J&K Police (Special Operation Group, Kupwara) and 47 RR. HC Reyaz Ahmad alongwith a few police personnel rushed to the place where the terrorist was hiding. He was joined by the personnel of 47 RR and a joint operation of cordon and search of the area was launched. In this process, HC Reyaz Ahmad and his men, were attacked by the terrorist who lobbed grenades and volley of fire on HC Reyaz Ahmad and his party. However, the HC took advantage of his skilled battle tactics and exhibited stupendous leadership qualities while guiding his personnel for counter act in a fierce fight. As the hiding place was quite advantageous for the terrorist to cause damage to the operation team and to flee from the spot, HC Reyaz Ahmad positioned his men, in such a manner to ensure tight cordon around the terrorist and swiftly retaliated the fire. On seeing the terrorists action and his planning to flee from the spot, HC Reyaz Ahmad displayed presence of mind and moved towards the target site in a fire retaliatory exercise. The terrorist tried to target the HC by lobbing grenades and volley of fire on him but he managed to reach in the close proximity of the terrorist by his presence of mind and tactical acumen. During this exercise, he was supported by his men who provided protection against the terrorist fire. In an effort to position himself at a

place which would provide protection against terrorist's fire, HC Reyaz Ahmad took position at a place opposite to the terrorist. It was only with great valour of the HC that he neutralized a hardcore terrorist who was identified as, Abu Hamza of JeM outfit, among one of the most wanted terrorists, actively operating in various areas of North Kashmir. Arms and ammunition recovered during the operation included one AK-47 rifle, two AK Magazines, fifty one AK rounds and one Pouch.

In this encounter Shri Reyaz Ahmad, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 17.10.2008

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 153–Pres/2010- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Jharkhand Police.

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Anand Joseph Tigga,**
   Deputy Superintendent of Police
2. **Jagdish Prasad,**
   Inspector
3. **Sudhir Kumar,**
   Sub Inspector
4. **Ganesh Chandra Pan,**
   Constable
5. **Prem Prakash,**
   Constable
6. **Laxman Purty,**
   Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

In a major operation led by SP Jamshedpur, raiding parties reached Bhitaramda village on having received specific information that two naxalites were killed by the villagers. There was ample apprehension that the rest of the squad members would come back and take revenge.

A meticulous plan was chalked out and two raiding parties were formed, first led by the SP himself, the second police party was led by Dy.SP Anand Joseph Tigga. After moving uphill in the search of the squad for the whole night, the first

raiding party made contact with the enemy at 0700 hrs on 14/02/2008 in which the Maoists were forced to flee deeper into the jungle. The second raiding party on hearing the gun shots and ascertaining the general direction of the fleeing naxals, moved ahead to take on the squad by the horn. Just around 0800 hrs the party led by Dy.SP Anand Joseph Tigga was face to face with the fleeing naxal squad and a fierce exchange of fire started. When the firing from the opposite side did not stop for an hour, the nominees decided to move ahead giving each other covering fire, without fear for their lives. This assault carried out by the Dy.SP and the nominees exposed the position taken by the naxals which proved decisive and ultimately led to the killing of five naxals and recovering of huge cache of arms and ammunitions alongwith propaganda materials. It may be mentioned here that the Insas rifle recovered in this encounter was the same rifle looted in the M.P. Sunil Mahto murder case. The members of this squad had actively participated in the murder of the late M.P. The following recoveries were made from the site of encounter:-

Arms:-

(i) 5.56 Insas Police Rifle bearing arsenal No.16816258 and butt No. .333/D (JAP) with three (3) magazines.
(ii) .303 Bore Police Rifle Mark 4 bearing No.M.194315972
(iii) .315 Regular Rifle bearing arsenal No.AR02/6745
(iv) Two SBBL Gun
(v) One 9mm Pistol with two magazine.

Ammunition:-

(i) 5.56 bore Insas- 45 (forty five)
(ii) .303 Bore- 40 (forty)
(iii) .315 Bore-39 (thirty nine)
(iv) 12 Bore- 21 (twenty one)

Empty Cartridge:-

(i) AK-47 – 24
(ii) 5.56 Insas- 17 (seventeen)

Explosive:-

(i) Detonator- 7 pieces
(ii) Electric wire- One coil 20 meter.

In this encounter S/Shri Anand Joseph Tigga, Deputy Superintendent of Police, Jagdish Prasad, Inspector, Sudhir Kumar, Sub Inspector, Ganesh Chandra Pan, Constable, Prem Prakash, Constable and Laxman Purty, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 14.02.2008.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 154–Pres/2010- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Jharkhand Police.

NAME & RANK OF THE OFFICERS
S/Shri

1. **Satyendra Singh,**
   Sub Divisional Police Officer
2. **Manish Chandra Lal,**
   Sub Inspector
3. **Amarnath,**
   Sub Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 31.03.2008 at about 0630 in the evening operation 'Thunder' was launched under the command of Satyendra Singh, SDPO Garhwa and Assistant Commandant Pashupati Nath Tiwari alongwith Manish Chandra Lal, O/C Ranka, Amarnath, O/C Bhandariya and CRPF D/13 and force of JAP-7. In Belwandamar, police came to know that many dastas of naxalites are assembling in Makhatu village. The police decided to move cautiously towards Makhatu. While moving towards Makhatu village, the police party saw a vehicle coming from Bandu. When the vehicle, which was a tractor, reached near the police party SDPO Garhwa and Assistant Commandant of CRPF signaled through torch light to stop the vehicle. As soon as the torch light fell on the Tractor 15-20 naxalites sitting on the tractor, some in civies and some in uniform, started jumping from the tractor and took the position. The police party under the leadership of SDPO Garhwa, AC Pashupati Nath Tiwari, SI Amarnath and SI Manish Chandra Lal told the force to take the position quickly. The naxals seeing that started firing heavily and indiscriminately towards police. The Police asked the naxals to stop firing and surrender. But there was no impact of that and the firing continued. Left with no option, SDPO Garhwa ordered the force to go for controlled firing. AC P.N.Tiwari ordered Havildar Pradeep Kumar Pandey to fire from his AK 47 and Constable Sunil Kumar from Mortar. Constable Sharad Kumar gave covering fire. In the meantime, Havaldar

P.K. Pandey gave the information to headquarter which later on helped in timely arrival of reinforcement. Inspector Vijay Pal who had taken position in the right flank along also led from the front and ordered Constable Brajesh Kumar to give cover fire which helped firing of mortar by Constable Ramnayah. SDPO Garhwa, SI Manish Chandra Lal and SI Amarnath also took position and continued firing. The police party waited for daylight and reinforcement to start search after the firing stopped. On search, 8 dead bodies of naxalites, one SLR, three 315 rifles, five 303 rifles, one carbine, one DBBL and one country made pistol alongwith heavy quantity of ammunition and explosive and daily usage articles were recovered.

In this encounter S/Shri Satyendra Singh, Sub Divisional Police Officer, Manish Chandra Lal, Sub Inspector and Amarnath, Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 01.04.2008

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 155–Pres/2010- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Jharkhand Police.

NAME & RANK OF THE OFFICERS

Shri Niraj Kumar Singh,
Sub inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded

On the night of 19/20.04.08 at the risk of his life the nominee encountered bravely and successfully near village Budgadda under Nawadih Police Station Distt Bokaro which resulted in the death of a dreaded nexalite Sewa Ram Manjhi wanted and charge sheeted in almost a dozen cases under various Police Stations of the State. This refers to Nawadih P.S. case No.- 31/08 dated 20.04.08 u/s 147/148/149/353/307 I.P.C.; 27 arms act, 3/v Expl. Suns. Act 10/13 U.A.P. Act.

On receipt of a confidential information on 19.04.08. that about 20-25 armed Maoists comprising hardcore naxals like Sewa Ram Manjhi, Chandru Manjhi, Abhisek ji and others under the leadership of Navin Manjhi, a member of Jharkhand - Bihar Special Area Committee (SAC) have taken shelter in the jungle of Budgadda of Nawadih P.S. and are planning to fulfill their nefarious aims of looting the arms of Bokaro Thermal Police Station. On the tip Shri Niraj Kumar Singh consulted the SDPO Bermo Sri A V Minz IPS and on his direction a raiding team was organized comprising S.I. Bhola Singh O/C Bishnugadh P.S, S.I. Ajay Kumar O/C. I.E.L P.S, Armed forces of 12/A CRPF & STF under the leadership of the nominee S.I Niraj Kumar Singh. Before departing to raid the raiding party was divided into three parties. One party comprising of one platoon of armed forces was put under the leadership of the nominee, was to hit the target i.e. the hideout in the jungles of Budgadda, while the other two were to cordon off the area and to support the main raiding party. This entire operation was to be made under the cover of the darkness of night.

The raiding party headed by Shri Niraj Kumar Singh swung into action and departed for their mission by 21.00 hrs followed by the rest two teams. Departing from I.E.L: P.S and crossing over the Konar river, the raiding party under the control and the command of Shri Niraj Kumar Singh, reached near the forest of

Budgadda around 01:00 o'clock morning covering almost 10 km on feet. As soon as they reached the said jungle the armed extremists guarding the hideout sensed the danger and started indiscriminate firing at the raiding Police party lead by SI Niraj Kr. Singh. Shri Niraj Kumar Singh did not loose his patience. Finding himself in a critical situation with no alternative of self defence so as to save the life of forces and safeguard of weapons, Shri Niraj Kumar Singh along with force took position and opened fire in return which resulted into injury of three extremists. One of them who was seriously injured took shelter in a under construction house of Tulsi Thakur of Budgudda village. He was later identified as Sewa Ram Manjhi of Persabera and died during treatment. However Navin Manjhi a SAC member and Chandru Manjhi Sub zonal Commander and Abhishek ji Area Commander and others managed to escape. On search sophisticated arms and ammunitions like hand grenade, detonator, fuse wire, and cartridges were recovered in huge amount.

Most importantly after encounter the nominee not only recovered the injured Sewa Ram Manjhi but also tried his best to save his life by sending him to the nearest S.V.C Hospital, which reflects his bravery blended with service to mankind i.e. to save the life of man, whether he is a friend or foe. Unfortunately Sewa Ram died during treatment ending an era of naxalism and hatred in the "Uparghat Area" of Nawadih P.S. the most Naxal affected Police Station of Bokaro distt where Naxalites have trapped several police personal in landmines and have also looted arms and ammunitions. In this encounter about 200 rounds were fired from the side of extremists where as only the police used 60 rounds cartridges and two para bombs. And in spite of this fierce encounter no injury was caused to the police. Thus in face of danger to life S.I. Niraj kumar Singh displayed outstanding valour, exceptional courage coupled with an unfettered sense of devotion to duty and sincerity.

In this encounter Shri Niraj Kumar Singh, Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 20.04.2008

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 156–Pres/2010- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Karnataka Police.

NAME & RANK OF THE OFFICERS

Shri M.N. Guruprasad, (Posthumously)
Police Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 18/11/2008 when the ANF Headquarters, Karkala received information that a group of four armed naxals are moving in the Mavinahole Forest near Horanadu, Mudigere Taluk, Chickmagalur District, he along with a team of 12 others lead by Sri Ravinarayan, Dy. SP rushed to the area and laid an ambush.

On the intervening night of 18/19/11/2008 at around 1.30 A.M. when the four armed naxalites were spotted, the ANF Team warned them to surrender. But the armed naxalites attacked the police by hurling grenades and opening fire. In self-defence the ANF team had to open fire. In this operation, Shri M.N. Guruprasad exhibited his bravery, great courage and commendable skill. He risked his life and fired at the naxals. In the encounter three naxals were killed, but unfortunately Shri M.N. Guruprasad was hit on the head by a bullet fired by the naxalites. He died instantaneously. The three persons who died were identified as Shri Manohar (36), Sri Naveen (40) and Shri Venkatesh (24), all hardcore naxalites inciting local villagers to rise against the Government and carry on an armed struggle against the State. One Sten Gun, One Country made Pistol, Two hand grenades and cartridges were seized. Several Criminal Cases have also been registered in the past against these naxalites.

In this encounter Shri (Late) M.N. Guruprasad, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 19.11.2008.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 157–Pres/2010- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Madhya Pradesh Police.

NAME & RANK OF THE OFFICERS
S/Shri

1. **Santosh Kumar Singh,**
   Superintendent of Police
2. **Amrat Meena,**
   Superintendent of Police

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On 15th Sep, 2008 SP Morena Shri Santosh Kumar Singh received credible information that dreaded dacoit Vakila Gurjar along with his gang members from Dholpur (Rajasthan) side will move towards Chhinwara ravines. The input from informer was that this gang was crossing into M.P from Rajasthan for kidnapping of canal contractor. On receiving this information SP Shri Santosh Kumar Singh instructed SHO PS Sarai Chhola Shri Hitendra Rathore to reach PS-Devgarh with Force. SP Morena also reached PS-Devgarh along with CSP Morena Shri Amrat Meena and Force. Shri Santosh Kumar Singh who before coming to this district was posted in naxal infested district of Balaghat, used his knowledge and experience in field craft and tactics and tactical movement in night in briefing the Force thoroughly. Officers and men were briefed about the information received and the planning of encircling and arresting the dacoits.

Then the entire Force was divided into three parties. Party No.1 was led by SP Morena Shri Santosh Kumar Singh himself, Party No.2 was led by C S P Shri Amrat Meena and Party No.3 had been made as a cut off party. In the leadership of SP Shri Santosh Kumar Singh, the entire Force reached Chhinwara village and again after briefing the parties took position for ambush.

At about 1.00 AM some voices were heard coming from Chambal river side. SP Shri Santosh Kumar Singh saw by night vision that seven persons with guns were coming from chambal river side, SP Shri Santosh Kumar Singh asked his team member to throw search light on them and asked them who are you? Identify yourself. As soon as the search light was thrown on their faces, they started abusing and shouting that Police, Police.....fire, and kill them.

They started firing rapidly towards Party No.1 that was led by Shri Santosh Kumar Singh. Shri Santosh Kumar Singh warned repeatedly the dacoits to stop firing and surrender. Totally undeterred by Police warnings and taking advantage of terrain they took position and started firing heavily over police parties.

Then Shri Santosh Kumar Singh, firing in self defense, crawled towards the dacotis location alongwith his party and directed the other party to advance from other direction. In response, the dacoits kept firing heavily over police party. In this critical situation with volley of bullets coming towards him, showing utter disregard for his life Shri Santosh Kumar Singh kept crawling towards dacoits. While doing this bullet directed at him passed over his head brushing his hairs, his life was saved by stroke of luck. During this period SI Hitendra Rathore raised his head from lying position and tried to look towards dacoits location by Night Vision Device, in the nick of time he was pulled sideways by Shri Santosh Kumar Singh. A bullet went pass touching the neck of SI Hitendra Rathore causing injury to him. SI Hitendra Rathore's life was saved due to timely action of Shri Santosh Kumar Singh. At this movement Shri Santosh Kumar Singh exhibiting rare courage and exemplary leadership briefed his men who were beside him in lying position and also passed brief instruction for final assault and charge over the rampaging dacoits. Both the parties moved forward, Shri Santosh Kumar Singh crawled forward and fired few rounds from kneeling position. Other police party led by CSP Shri Amrat Meena also fired and moved forward. During this final charge and firing by Police a shrill cry was heard. Immediately after this firing from dacoits side stopped.

During the search a dacoit's body was found in the direction of fire of party No.1 later it was identified as that of Vakila Gurjar. He was the leader of his own gang, which was listed as T-21 in Gwalior Chambal division. Dacoit Vakila Gurjar carried a reward of Rs.1,00,000/- (One Lakh) by Government of Madhya Pradesh and Rs.2,000/- (Two Thousand) from SP Dholpur(Rajasthan). A lethal arsenal along with a large quantity of live and empty cartridges were recovered from the spot.

The following recoveries were made from site of encounter:-

(a) One 315 Bore Rifle.
(b) One country made pistol and two rounds.
(c) One 315 bore single shot country made Rifle
(d) 15 Live rounds and 53 blank cartridges of 315 bore Rifle.
(e) 12 Blank Cartridges of 12 bore Rifle.
(f) Two dairies and materials of daily need.

In this encounter S/Shri Santosh Kumar Singh, Superintendent of Police and Amrat Meena, Superintendent of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 16.09.2008.

BARUN MITRA
Joint Secy.

52—351 GI/2010

No. 158–Pres/2010- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Madhya Pradesh Police.

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Rajesh Kumar Singh,
Additional Superintendent of Police

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 2nd May 2008 at about 1 O'clock in night a very reliable informer, informed S P Panna, Shri Abhay Singh that the rewarded and absconding decoit Dhirendra Singh is staying in the house of his maternal aunt Gundaraja in village Gopalpura, Distt Chhatarpur. Without loosing a single minute this information was discussed with Addl S P Panna Shri Rajesh Kumar Singh and in his overall leadership police force was directed to confirm the information and take necessary action against dacoit. On demand for local police force by Panna police team SP Chhatarpur arranged a police team in the leadership of Addl S P Anil Mishra to help Panna Police team.

Panna police was operating the Anti-dacoity operations against Dhirendra Singh for the last some months, was aware of the house of Gundaraja in Gopalpura. When both police parties were fencing in the house of Gundaraja in Gopalpura together, they saw a man running with firearm in his hand from within the house. He was recognized as Dhirendra Singh by const Sundar Singh. On seeing him running away, police parties chased him. Addl S P Panna Rajesh Kumar Singh,. warned him many time but of no use.He opened fire on police parties, while running away.

After running about 1 Km he hid himself in Kisvawara hillocks. The land, there was uneven and rocky. As Dhirendra choose that place for his safety, he had better conditions to attack and save himself. The police force was tactically at a gross disadvantage as they (police) were on the slope of the hillock, because dacoit was on the top portion of the hillock, was strategically & tactically in a better position. Moreover, the police parties reached there after spending a whole sleepless night.

Panna police party started coming the hillock from north in the leadership of Addl. S P Rajesh Kumar Singh and Chhatarpur police party started searching from south in the leadership of Anil Mishra (Addl S P Chhatarpur). Both police parties started encircling the dacoit. About 5:35 am Addl S P Panna Rajesh Kumar Singh spotted the dacoit Dhirendra Singh and challenged him to surrender. On this dacoit Dhirendra Singh abused the policemen and said, "you policemen are dogs, get lost from here otherwise your dead bodies will be found scattered here". At this point of time the police party was exposed to a great amount of danger as the dacoit had taken safe position where as the police party could not.

In spite of many warnings he didn't surrender and to escape from being arrested he aimed at Addl S P Panna Rajesh Kumar Singh and fired to shoot him dead. Addl S P Panna was alert for such type of attack he hid himself at once under a rock, the bullet struck the rock near his head and a piece of rock injured his head. It was a narrow escape for him. Addl S P Rajesh Kumar Singh exhibited the quality of leadership here and asked his party to take position immediately. Considering the situation police force immediately took the position. Dacoit Dheerendra Singh continued the firing on the police party. Apprehending imminent grave threat to the police party,Addl S P Rajesh Kumar Singh and Police party without caring for their lives exhibited extreme courage and in view of self defense also opened the fire. Not withstanding being injured Mr. Singh coordinating & controlling the operation kept on motivating his men. Showing utter disregard to his life, Addl S P Singh rallied his men against the dacoit. This dauntless action on his part ensured that the police force unfazed by the hail of bullets, held their ground.

After the continuous firing for about 15 to 20 minutes, when the fire from the side of dacoit stopped, taking due precautions, the operation area was thoroughly searched in a tactical way. Dead body of bandit was recovered along with a Katta (country made firearm) of 315 bore and some dead and alive cartridges.

In this encounter Shri Rajesh Kumar Singh, Additional Superintendent of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 02.05.2008.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 159–Pres/2010- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Manipur Police.

NAME & RANK OF THE OFFICERS
S/Shri

1. **Ksh. Prakash Singh,**
   Jemadar
2. **Huidrom Sakthi Singh,**
   Constable
3. **Maisnam Brojen Singh,**
   Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On 03/01/09 at about 10.30 a.m., based on a specific information from own sources regarding movement of some armed underground cadres of People's Liberation Army (PLA) in the general area of Andro Khunou and Sanapat with an intention to attack/ambush security forces, a combined team of Thoubal District police commandos (CDO) under Jemadar Ksh.Prakash and troops of 21 Para planned to carry out a counter insurgency operation in the said area. At about 12.30 p.m., while Jemadar Ksh.Prakash Singh along with his team of CDO/ Thoubal and troops of 21 Para were moving in six vehicles from Andro Khunou towards Sanapat, the combined teams were fired upon heavily by well armed militants using sophisticated weapons as well as lathod bombs from different locations on the adjoining ridges at Haraorou Iroi lok. The combined team immediately jumped down from the vehicle and retaliated the firing after taking position alongside the road. The hilly terrain and thick undergrowth all around caused extreme difficulty for the combined force to locate the exact position from where the militants were firing. Despite the adverse situation, Jemadar Prakash along with Constable H.Sakthi Singh and Constable M.Brojen Singh of CDO/Thoubal managed to advance forward by crawling and tactically charged towards the militants at one of the locations on a hill slope where incessant firing was coming, while the remaining commando personnel in the rear as well as the 21 Para personnel gave supporting fire so that they could advance. Thus, one armed underground cadre was eliminated

at the slope of the Haraorou Iroi lok and the other militants, unable to withstand the aggressive drive of the combined force, started retreating firing indiscriminately with sophisticated weapons as well as lathod bombs and fled towards the higher ridge of the Haraorou hill side. However, the combined force continued to advance forward and fired towards the fleeing militants, the militants managed to escape taking cover of the hilly terrain and thick undergrowth. After the encounter which lasted for about 10/15 minutes, a thorough search of the area was carried out and following were recovered.

1. One AK 56 rifle bearing no. 56-I 29010121.
2. One magazine with seven live rounds of AK rifle amn.
3. Eleven fired cases of AK rifle
4. One miss fired shell of lathod bomb
5. One fired case of lathod bomb

Later on, the deceased was identified as Sagolsem Ibohanbi Singh Kadambu (26) S/o S.Khohi Singh of Uchiwa Wangma Mayai Leikai, a self styled Corporal of the banned People's Liberation Army (PLA). Police record revealed that he was involved in the ambush and killing of Insp. N. Lokhon Singh, former Officer-in-charge of CDO/Thoubal and two other commando personnel at Thoubal Bazar on 20th February 2006, it refers to FIR No. 24(2)06 TBL P.S. U/s 302/307/326/395/34 IPC, 3/5 Expl. Subs.Act 25(1-C) A. Act & 16(1) (b)/20 UA(P) A.Act'04 and in the snatching of arms from the escort personnel of Officer-in- charge of Wangoi Police station under Imphal West district on 5th October 2005 under FIR no. 54(10)05 WGIPS U/s 364/384/34 IPC, 16/20UA (P) A.Act'04 & 25(1-B) A.Act. It refers to case FIR No. 01(01)09 YPK P.S. U/s 307/34 IPC, 25(1-c) A. Act, 3/4 Expl.Subs.Act and 16 (1) (b)/20 UA (P) A.Act'04.

In this encounter S/Shri Ksh. Prakash Singh, Jemadar, Huidrom Sakthi Singh, Constable and Maisnam Brojen Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 03.01.2009.

BARUN MITRA
Joint Secy.

53—351 GI/2010

No. 160–Pres/2010- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Manipur Police.

NAME & RANK OF THE OFFICERS

1. **Dr. Akoijam Jhalajit Singh,**
   Sub Divisional Police Officer
2. **Shri Athokpam Langamba Singh**
   Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 2 February, 09, at around 2300 hours, a credible information was received through source about the movement of heavily armed cadres of the banned underground outfit 'Peoples Revolutionary Party of Kangleipak' (PREPAK in short) in the general area of Kangchup Makhom village under Senapati District, planning to lay ambush/attack on Security Forces/Police Commandos at an opportune moment.

Acting on this information, a combined team comprising Police Commandos of Imphal West District and troops of 16th Assam Rifles rushed to the said area for counterinsurgency operation in the wee hours of 3/2/2009 at around 0030 hrs. Dr. A.K. Jhalajit Singh, Sub-Divisional Police Officer, Imphal West District, G.O. in charge, CDO, Imphal West unit arranged strategic planning for deployment of force to make effective and optimum coverage of the said area of the hilly terrain at the same time.

After a long march and climb in the hilly terrain, the combined team laid cut-off points around the suspected village as full cordon was not possible due to the hilly terrain. Some personnel of 16th Assam Rifles along with selected police commando personnel were deployed along the hill-stretch covering about 50 metres on the western stretch of the village. Dr. AK. Jhalajit Singh and Constable A. Langamba Singh took position at one strategic point along the same stretch, a bit away on the right side. Thus, after cordoning the suspected area/village, at about 0530 hours, a commando team led by Sub-Inspector K. Bobby stealthily moved towards the village. As the team of S.I. K. Bobby was approaching the village, dogs started barking. Suddenly, heavily armed militants in camouflage uniform numbering about 10/12 ran out of the village in different directions with indiscriminate firing, with least concern for the safety of the villagers. Sub-Inspector K. Bobby and his party immediately took cover and engaged in the gun-fight with the attacking militants. The team showed great restraint by not firing randomly to avoid any collateral damage to the villagers.

Within a few minutes, amidst the firing, Dr. AK. Jhalajit Singh spotted 4(four) militants running towards the location where he and Constable Langamba were taking position. Perceiving presence of the police personnel, the militants bifurcated into two and fired in the direction of the above two policemen with Lethod bombs and AK-Assault Rifles. Dr. Ak. Jhalajit Singh and Constable Langamba were in great risk as they were fired upon from two sides using Lethod grenade Launcher and AK-assault rifles. However, undeterred with the adverse situation, both of them maintained their composure and engaged themselves in the fierce and direct fight with the militants using AK-47 Assault Rifles only.

Suddenly, when one of the militants holding Lethod grenade Launcher (M-79) was trying to cross over a small gorge covered with thick bushes, Dr. AK Jhalajit Singh, sensing that the militant might escape, advanced forward without much care for his life and safety, charged against the militant with incessant firing. On seeing the bold and daring move by the officer, Constable A. Langamba Singh crawled close to the right side of Dr. Ak. Jhalajit Singh and jointly charged against the militant who was firing with a Lethod grenade Launcher besides the other militant providing fire cover to him. Ultimately, both of them succeeded in shooting down the militant with the Lethod grenade Launcher. The dead militant was later on identified as Pvt. Brahmacharimayum Sanjit @ Amumacha Sharma (20 yrs) S/o (L) B. Amuba Sharma of Wangling Lamding Mayai Lei kai P/S Thoubal a fighting cadre of the banned PREPAK On the other hand, the Assam Rifles personnel who were about 50 metres away on the left side engaged themselves in the gun-fight, thereby killing another militant who was firing with AK-56 rifles. The slain militant with AK-56 rifle was later on identified as Pvt. Leishangbam Beishor Manaoton Kishan (l6yrs) S/o L. Joychandra Singh of Moidangpok Mayaileikai P/S Patsoi, a fighting cadre of the banned PREPAK. The rest escaped.

The following arms and ammunitions and assorted items were recovered from their possession.

(1) One Lethod grenade launcher (M-79);
(2) 16 live Lethod bombs;
(3) One AK-56 Assault Rifle;
(4) One AK-56 magazine;
(5) Six live rounds of AK-56;
(6) 31 empty caches of AK- ammn;
(7) One empty cache of Lethod grenade/bomb;
(8) One Lethod grenade/bomb pouch

In this encounter Dr. Akoijam Jhalajit Singh, Sub Divisional Police Officer and Shri Athokpam Langamba Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 03.02.2009.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 161–Pres/2010- The President is pleased to award the 1st Bar to Police Medal for Gallantry/ Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Manipur Police.

NAME & RANK OF THE OFFICERS
S/Shri

1.	**Pebam John Singh** **Inspector**	**(1st Bar to PMG)**
2.	**Th. Phulchandra Singh** **Sub Inspector**	**(1st Bar to PMG)**
3.	**N. Nungshibabu Singh** **Rifleman**	**(PMG)**
4.	**N. Ojen Singh** **Rifleman**	**(PMG)**
5.	**Y. Sukumar Singh** **Rifleman**	**(PMG)**

Statement of service for which the decoration has been awarded.

In the last part of October i.e., on 21.10.2008, the State of Manipur has had a bitter experience of bomb blast in the crowded area of Imphal town, at the main gate of Ragailong near AR Transit Camp, when innocent people mostly youths were merry-making on the festive occasion of Diwali, thereby killing 17 people and injuring 35 people. Right- minded people of every walks of life including NGOs of womenfolk and other voluntary organizations squarely condemned such inhuman terrorist act. Soon after the incident, one of the UG outfits operating in the State claimed itself responsible for the terrorist act. The State Police geared up its counter-insurgency operations in and around Imphal town area and other vulnerable outskirts of the city as part of its proactive actions against UG outfits by activating its source/intelligence network in full swing. On 23-10-2008, at about 5.30 p.m a reliable information was received that some well-armed underground elements were camping in and around the hilly area of Heingang Heibimakhong hill. The area is not so far away from Imphal town area, hardly 10 kms, but the said hill range stretches a bit long and as such the available strength of State commando force may find it difficult to cover up the entire area. On receipt of this reliable and hard intelligence input, a combined team of Commando, Imphal East District and

39-Assam Rifles was organized and it rushed to the suspected area in the evening. By that time, it was almost dark. To cover the area as also to stop possible escape route of the militants strategically, the combined team bifurcated and approached towards the suspected area from two directions. Insp. P. John Singh and his team proceeded from western side i.e., from Khabam Lamkhai (road-crossing along NH-39) and crossing Achanbigei bridge touched Heingang Awang Leikai; then advanced towards the hilly area. On the other hand, the commando team led by Sub-Inspector Th. Phulchandra Singh followed by the Assam Rifles personnel proceeded from the eastern side i.e., from Pangei side along the newly widened kutcha road crossing over a hillock. These are the only two inter-village foothill roads leading to the suspected hilly area which are surrounded by hill range on the northern side and stretch of paddy field on the southern side. At about 7.10 pm, while the team led by Insp. P. John Singh was approaching at a largely curbed area along the foothill, he noticed some youths numbering about 15 through his vehicle light in the hilly region in a very suspicious manner. By that time, the commando team led by Sub-Inspector Th. Phulchandra Singh was also approaching towards the area at a distance of about 200 metres by crossing the construction site of Sericulture Department. The Assam Rifles personnel were by then just crossing the hillock (about 200 metres distance behind the team of Sub-Inspector Th. Phulchandra Singh) as they were keeping strategical distance while moving along the foothill road.

Thus, while the commando teams were getting close towards them from two different directions, Insp. P. John Singh shouted at them to stop for verification of their identity. Suddenly, the militants ran upside the hill and started firing towards the commandos. The commandos retaliated by jumping out of their vehicles and taking position wherever they were. Bushes surrounded the foothill area, with uneven surface, providing advantageous position for physical coverage of the militants. On the other hand, initially the commandos could hardly find tangible object on the road for their physical coverage. Despite the adverse situation faced, the commandos under the effective command of SI Th. Phulchandra Singh and Inspector P. John Singh ducked on the ground and retaliated with incessant firing to counter the well-equipped militants. At an opportune moment Riflemen N. Ojen Singh rushed towards the southern low-lying area of paddy field and ducking inside the nullah, he resorted to fire towards the hillside where the militants were firing from. Inspector P. John Singh having the advantage of this covering fire advanced forward upside the hill to get closer to one of the pine trees, However, due to heavy firing from the hill-side, he could hardly get closer to the trees, Riflemen N. Ojen Singh came out from the nullah and he also ran up crossing the road. Then, both Inspector P. John Singh and Riflemen N. Ojen Singh with crawling advanced forward and by taking position behind the pine trees resorted to effective firing against the militants.

On the other hand, SI Th. Phulchandra Singh and his party also were getting close to the encounter site by-passing through the paddy field. Ridges covered with fully grown-up paddy plants provided their physical coverage. However, they could not move fast in the ankle-deep muddy field. The gun-shots of the militants from upside the hill showered upon the team of SI Th. Phulchandra Singh, in the face of which SI Th. Phulchandra Singh closely followed by Rifleman N. Nungshibabu Singh and Rifleman Y. Sukumar Singh managed to advance forward and by ducking inside the nullah of the foothill charged against the militants who were running away from the western side where Inspector P. John Singh and his party were resorting to gun-fight.

During the lively encounter, Inspector P. John Singh was pursuing one of the militants holding M-16 assault rifle. Momentarily, the militant stopped firing in his abortive attempt to escape by climbing a steep slope of the hillside. However, he slipped down and again started running along the foothill drain. Taking advantage of this critical moment, Inspector P. John Singh made a hot pursuit and gunned down the militant (later on identified as Md. Yahia Khan @ John (26 yrs) S/O Md. Abdul Hafiz of Sora Awang Leikai, Thoubal District, S/S Secretary Organisation, (PULF). Another militant who happened to be near the area, say at about 20/30 feet, was also trying to flee away. Rifleman N. Ojen Singh shot down the youth who was holding one 9mm pistol (later on identified as Salam Rajesh @ Rony (25 yrs) S/o S. Chaoba Singh of Moirang Khunou Chandapur, Bishunupur District, S/s Corporal KCP (MC).

Perceiving that some of the remaining militants were running out from the western side towards the huts of the Sericulture Department scattered in the eastern side because of the forceful drive of Inspector P. John Singh and his party, SI Th. Phulchandra Singh and his party made a hot pursuit of the fleeing youths with incessant firing. One of the militant holding M-16 Rifle who was lagging behind resorted to indiscriminate firing presumably to provide coverage to his comrades. SI Th. Phulchandra Singh advanced forward in crawling position and pinned down the militant (later on identified as Laishram Tompok Singh @ Lamyan (24 yrs) S/O L. Angou Singh of Sekmaijing Bazar, Imphal West District S/s Corporal KCP (MC).

Rifleman N. Nungshibabu Singh and Rifleman Y. Sukumar Singh were running ahead towards the eastern side in pursuit of the fleeing militants. Adverse circumstances like darkness, thick bushes, uneven, ground and heavy gun shots from different directions-hill-top and foothill sides- did not deter them from making further pursuit. Impelled with high sense of duty and dogged determination, both of them made a forceful drive and charged against the militants. Ultimately, both of them succeeded in shooting down one of the militants holding SMC Carbine (later on identified as Thokchom Sashikanta © Malangba @ AK Zahir (26 yrs) S/o (L)

Th. Singhajit Singh of Nongpok Lourembam, Thoubal District, S/s Asst. Finance Secretary (PULF) and another militant holding 12 bore single barrel gun and a high explosive Hand Grenade (later on identified as Laishram Premananda Meitei @ Prem (18 yrs) S/O L. Angou Singh of Sugnu Wapokpi, Thoubal District S/s Pvt. KCP (MC).

Thus, in the encounter the following 5(five) militants belonging to the two valley-based underground outfits of Kangleipak Communist Party (MC) and Peoples United Liberation Front were killed:-

(1) Md. Yahia Khan @ John (26 yrs) S/O Md. Abdul Hafiz of Sora Awang Leikai, Thoubal District S/S Secretary Organisation, PULF.
(2) Salam Rajesh @ Rony (25 yrs) S/o S. Chaoba Singh of Moirang Khunou Chandapur, Bishunupur District, S/s Corporal KCP (MC).

(3) Laishram Tompok Singh @ Lamyan (24 yrs) S/o L. Angou Singh of Sekmaijing Bazar, Imphal West District S/s Corporal KCP (MC).
(4) Thokchom Sashikanta @ Malangba @ AK Zahir (26 yrs) S/o (L) Th. Singhajit Singh of Nongpok Lourembam, Thoubal District, S/s Asst. Finance Secretary PULF.
(5) Laishram Premananda Meitei Prem (18 yrs) S/o L. Angou Singh of Sugnu Wapokpi, Thoubal District S/s Pvt. KCP (MC).

Even after the actual encounter as cited above, the combined team continued to conduct search operation in the hilly region. However, the remaining militants managed to escape taking privilege of darkness and thick bushes. During search, following arms and ammunition were recovered from the slain militants:-

(i) One M-16 Assault marked as "COLT. ARIS PROPERTY OF US GOVT. XM16E1 CAL5.56MM, SERIAL 633563 COLT. PATENTS FIRE ARMS HARTFORD. CONN. USA.
(ii) One Magazine, 8 live rounds of 5.56 mm and one empty case.
(iii) One M-16 Assault Rifle marked as HYDRA-MATIC DIV GM. CORP USA PROPERTY OF US GOVT. M-16 A1 CAL 5.56MM 3360621.
(iv) One magazine, 12 live rounds of 5.56mm.
(v) One Carbine marked as SMC CARBINE No.17437.
(vi) One magazine, 4 live rds. of 9mm caliber, 4 empty cases of 9mm caliber.
(vii) One 9mm pistol marked as MADE IN USA-CAL-9MM AUTO PISTOL 9 ROUNDS ONLY 100971.
(viii) One magazine, 4 live rds. of 9mm caliber, 2 empty cases.
(ix) One 12 bore single barrel gun.
(x) One High Explosive Hand Grenade.
(xi) One 40mm High Explosive Shell of M-79 Lethod Launcher.

(xii) One SLR magazine filled with 18 live rds. of 7.62mm.
(xiii) Nine empty cases of AK-47 Rifle.
(xiv) One bag olive in colour containing the following articles:-
  (a) 2.5 Kg of PEK (high explosive).
  (b) Nine detonator
  (c) A bundle of wire
  (d) Six Nos. of battery.
  (e) One battery Charger.
  (f) Four antennas.
(xv) Two Extortion note of banned organization KCP(MC)
(xvi) One Extortion note of banned organization PULF.
(xvii) Two hand written chit of banned organization PULF showing names and ranks along with contact nos.

In this encounter S/Shri Pebam John Singh, Inspector, Th. Phulchandra Singh, Sub Inspector, N. Nungshibabu Singh, Rifleman, N.Ojen Singh, Rifleman and Y. Sukumar Singh, Rifleman displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of 1st Bar to Police Medal/ Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 23.10.2008.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 162–Pres/2010- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Manipur Police.

NAME & RANK OF THE OFFICERS
S/Shri

1. **S. Guikan Thangal,**
   Sub Inspector
2. **L. Khogen Singh,**
   Constable
3. **Md. Serakhan Shah,**
   Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On 29th April, 2009 at about 3 p.m, a reliable and specific information was received that armed cadres of a valley-based underground outfit were loitering in the general area of Hiyangthang Tarahei Awang Leikai.

Immediately on receipt of the said intelligence input, a combined team of Commando of Imphal West District and a column of Army belonging to 12-Maratha Light Infantry was organized and rushed to the aforesaid area. The commando force comprised of two teams- one led by Sub-Inspector Ch.Anand Kumar and another by Sub-Inspector S Guikan Thangal. For the purpose of proper area-coverage, the combined team on reaching Langthabal bifurcated the Army personnel further proceeded along Imphal-Mayang Imphal road upto Hiyangthan bridge to cordon the southern side of Tarachei village while the two teams of commando approached towards the suspected location from Langthabal side taking the inter-village road running on the eastern side of Imphal river. There lies hill range known as Heibokching on the eastern side of the suspected area, featured with Imphal river on the western side of the village.

When the Commandos reached Hiyangthan Tarahei Konjil Awang Leikai, they were fired upon heavily from an abandoned/deserted house situated on the eastern side of the inter-village road. The team of SI Anand Kumar was on the from vehicle followed by that of SI Guikan keeping strategic distance. The commandos retaliated and there ensued an encounter.

The commandos in the team of SI Anand Kumar were momentarily meddled due to the sudden ambush. SI Anand Kumar who had enough experience in such encounter controlled the situation and took the things in order. Himself crawling on the ground, SI Anand Kumar continued to advance forward leading his men with incessant firing. Constable L.Khogen managed to get close to SI Anand Kumar assisting him in the close gun-fight. Ultimately, both of them happened to face one of the militant who was firing with automatic rifle. In utter disregard of their personal safety, both SI Anand Kumar and Constable L Khogen made a forceful drive against the militants. In the fierce gunfight the militants unable to face the commandos retreated and with confuse state of mind, the militants tried to run towards the hill side through the open field, whereby he was physically exposed. The commandos mainly with SI Anand Kumar and Constable Khogen in the forefront, chased the fleeing youth and pinned down him on the foothill. The militant was later on identified as Ksh. Surjit Meetei, S/o Ksh. Jiten Meetei of Kakwa Naorem Leikai, hard core activist of the UG outfit PREPAK. One AK-56 Rifle was recovered from near the dead body.

On the other hand, the commandos in the group of SI Guikan continued to advance forward towards the southern side where SI Anand Kumar and his group were engaged. SI Guikan, young and energetic officer with renewed zeal and determined efforts continued to make a forceful drive against the militants. In a very difficult and tough situation where SI Guikan tried to cross over a drain on the foothill side, one of the militant who was hiding inside the drain raised his head all of a sudden and fired upon SI Gulkan from a very close range. Luckily, the first

round of bullets missed its target. Constable Md. Serakhan Shah facing the situation boldly fired and the pounced upon the militants and succeeded and killing the militants. One M-20 Pistol was recovered from near the dead body. The slain militant was later on identified as Sagolsem Anand Meetei, S/o S Manjor Meetei of Mayang Imphal Maibam Konjil, hard core activist of the UG outfit PREPAK. At this critical juncture, another militant who was also taking position near the slain militant Sagolsem Anand meetei made an abortive attempt to hurl hand grenade towards the commandos as he was very much in a helpless/deplorable condition due to the killing of his comrade. Within a fraction of second, SI Gulkan Swiftly reacted and shot dead the militant before he resorted to hurl the hand grenade. Had the militants succeeded in lobbing the hand grenade, it might have caused serious casualty on the part of the commandos. The slain militant was later on identified as Lourembam Yaiphaba @ Sakhiton Singh S/o L Tomba Singh of Liwa Road Oinam Leikai, hard core activist of the UG outfit PREPAK. Two hand grenades were recovered from near the dead body.

After the encounter, the commandos conducted search and recovered the following arms and ammunition from the encounter site where three of the hard core militants belonging to the underground outfit People's Revolutionary Party of Kangleipak (PREPAK) were killed.

(a) One AK-56 Rifle with magazine and 12 live rounds.
(b) One M-20 Pistol with magazine and 03 live rounds
(c) Two Chinese Hand Grenade
(d) One driving licence in the name of Ksh. Sanjit and one Wallet containing a sum of Rs.1,665

In this encounter S/Shri S. Guikan Thangal, Sub Inspector, L. Khogen Singh, Constable and Md. Serakhan Shah, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 29.04.2009

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 163–Pres/2010- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Manipur Police.

NAME & RANK OF THE OFFICERS
S/Shri

1. **L. Bedajit,**
   Sub Inspector
2. **L. Chaoba Singh,**
   Assistant Sub Inspector
3. **Seikhohao Khongsai,**
   Constable
4. **P. Mocha Singh,**
   Rifleman

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 10.03.2009 at about 0730 hours, SI L Bedajit received a reliable information about the presence of banned organization namely, United National Liberation Front (in short UNLF) armed cadres in and around Tera Kachin which is very close to the Loktak Lake and the surrounding area covered by thick bushes, to lay ambush to security personnel. Immediately on receipt of the information, SI Bedajit along with ASI L Chaoba Singh with their teams along with a column of 12th Maratha Light Infantry, led by Lt. Vikram, chalked out an operation plan and rushed to the area for conducting an operation at about 0815 hours.

The team arrived at Tera Kachin locality at about 0830 hours and cordoned off the main roads/lane leading to the village. ASI L Chaoba Singh and his team cut-off the escaped route leading to the western side of the village and the 12th MLI personnel under Lt. Vikram entered the village from the south SI, L Bedajit with his team approached the village from the main road. The team led by SI L Bedajit was fired upon from sophisticated weapons on reaching first house of the village. The party all jumped out from the vehicle and took position on the roadside nullah and immediately retaliated towards the source of firing. After about 15 minutes, 2/3 armed militants were seen running out of a house and charging towards the police party with firing. SI L Bedajit immediately shouted and asked them to stop firing

and surrender. However, instead of stopping and surrendering the armed militants turn back and attempted to break through the cordon laid by ASI L Chaoba and his party by firing. But again they were repulsed by ASI L Chaoba and PC S Khongsai both holding an AK Rifle with them. In the exchange of fire one militant was shot dead. The remaining militants being cornered from all side still refused to gave up instead attempted to sneak alternative. SI Bedajit and Rfn. Mocha both holding an AK Rifles each retaliated simultaneously and shot dead one militant. The rest escaped.

After the encounter, the area was thoroughly searched and found two dead bodies. From near one of the dead bodies one country made 9 mm Carbine with magazine loaded with 3 live rounds and one hand grenade (Chinese made) was recovered. From near the second dead body one automatic 9 mm Pistol loaded with 2 (two) live rounds in a magazine and 1 (One) live round in the chamber was recovered. 7(Seven) empty cases of 9 mm ammunitions were also recovered from the area. The recovered items were formally seized. The slain militants were later on identified as (i) Haorokcham Bobu @ Sanamahi (25) S/o H KumarSingh of Awang Khunou Mamang Leikai & (ii) Athokpam Nan Singh (20) S/o A Ibocha Singh of Ithai Khunou Mayai Leikai, both active members of UNLF.

It refers to FIR No. 17(3)09 Mayang Imphal PS u/s 307/34 IPC, 20 UA(P) Ammdt. Act, 25(I-C) Arms act read with 5 Explosive Substances Act.

In this encounter S/Shri L. Bedajit, Sub Inspector, L. Chaoba Singh, Assistant Sub Inspector, Seikhohao Khongsai, Constable and P. Mocha Singh, Rifleman displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 10.03.2009.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 164–Pres/2010- The President is pleased to award the 2nd Bar to Police Medal for Gallantry/ Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Manipur Police.

NAME & RANK OF THE OFFICERS
S/Shri

1.	**P. Sanjoy Singh, Sub Inspector**	**(2nd Bar to PMG)**
2.	**Th. Dhamen Singh, Constable**	**(PMG)**
3.	**Vunglian Mang, Constable**	**(PMG)**
4.	**N. Mangi Meitei, Rifleman**	**(PMG)**

Statement of service for which the decoration has been awarded

On receipt of a reliable information from source on 19.07.2009 at about 1.10 p.m. that heavily armed underground elements numbering about 10-15 were taking shelter at different huts located on the top of Chiningkhul hill range within Bishnupur District at a distance of about 03 Kms North-West from DHQ, Bishnupur, SI P Sanjoy Singh of Commando Bishnupur District established contact with 4/8 G.R of Army with whom he was always operating and associating and chalked out plan for organizing a deliberate and well planned operation. The plan made by SI P Sanjoy Singh was such that his team would tactically moved forward camouflaging themselves as cultivators consealing their arms and wireless sets in local chadar posing themselves as farmers in such a way that underground elements taking shelter on the top of the hill could not suspect them as security personnel. The second tactical plan was that the columns of 4/8 G.R. of Army would act as the reinforcing and supporting force concealing their identities inside the village near the foot hill. The 4/8 G.R Army personnel would immediately react as and when they were informed over the wireless set by SI P Sanjoy Singh.

At around 1.50 pm. As planned, the team of SI P Sanjoy Singh led by him climbed up the Chiningkhul hill cautiously sometimes concealing themselves in the jungle and bushes and not adopting the main route used by the villagers. Three teams were divided out of which one team was to take care of the northern side, the 2nd team was to cover the southern side, and 3rd team led by SI P Sanjoy Singh assisted by Th. Dhamen Singh was covering the middle portion of the area. When the mobile party was about to reach the huts, one of the underground elements who was purportedly on sentry duty shouted and opened fire towards the Commando. SI P Sanjoy Singh and Th. Dhamen Singh in utter disregard of their personal safety

and with belligerent posture immediately took position and opened fire towards the sentry on duty to silence him. At the same time Constable Vunglian Mang and Rifleman N Mangi Meitei who were on the northern side of the team immediately advanced further by crawling taking cover through the bushes through the volley of fire from the extremists and retaliated with iron nerve by taking extreme risk of their lives and continue to open fire towards the underground elements. The party led by SI P Sanjoy Singh assisted by Constable Th. Dhamen Singh accounted for the sentry on duty, as a result of which, no damage could be caused to the Commando party although the underground elements were opening fire towards the Commando party. The encounter continued for about 10-20 minutes. Of course, the south-western side of the hut could not be covered as the mobile team was not having enough strength to make the cut stop on the hill top.

During the encounter, SI P Sanjoy Singh assisted by the following Constables/Rifleman namely, (i) Constable Th. Dhamen Singh (ii) Constable Vunglian Mang and (iii) Rifleman N Mangi Meitei with iron nerve and dogged determination advanced by crawling with continuous firing towards the Kheti hut as a result of which the underground elements could not resist the firing from the Police Commando and came out of the hut to assault the Commando Party. Had SI P Sanjoy Singh assisted by (i) Constable Th. Dhamen Singh (ii) Constable Vunglian Mang and (iii) Rifleman N Mangi Meitei not acted with firm determination and without caring for their personal safety, the underground elements would not only have killed the advancing Commando team, but would also have taken away the arms held by them.

After the encounter was over, a search was carried out and the following arms and ammunition and other articles were recovered from them :-

(a) One double barrel shot gun bearing No.IN-11507-D/4-05 manufactured by Green & Co. alongwith two empty cartridges loaded in the chamber.

(b) One 9 mm Pistol bearing No.7722 with two live rounds of 9mm Caliber.

(c) One 9mm Pistol marked as "Service Arm of the USA Government" with three live rounds of 9mm caliber.

(d) One Nokia handset Model No.1200 blue and grey in colour.

(e) One Nokia hand set model No.1600 black in colour.

(f) One blue colour money bag containing two cards issued in the name of one Ningthoujam Chandra Singh, S/o N Ibomcha of Keibul by H Sobha Singh, Member, Keibul Makha Leikai Ward No. 8/5/10 and countersigned by M Rajen Singh, Pradhan, Moirang Khumou G P Dated 11.10.08 and ECI identity card in the name of Chandra, S/o

Ibomcha of Keibual (A) dated 05.02.2009 (laminated)

(g) One black and grey colour wallet containing two cards issued in the name of one Salam Hemanta Singh, S/o S Tomba of Keibul Makha Leikai Ward No.8/5/10 and countersigned by Kh. Mema Devi, Upa Pradhan, Meirang Khumou G.P. dated 16.07.2008 and one ECI identity card in the name of Hemanta S/o Tomba of Keibul (A) issued by ERO for 28-Thanga Assembly Constituency dated 05.02.2009.

This refers to FIR case No.83(7)/2009 Bishnupur P/S U/s 307/34-IPC, 20/16(1-B) UA(P)A,Act & 25(1-C) Arms Act.

The three slain militants were later on identified as :-

(a) Salam Hemanta Singh (25 years) S/o S Tomba Singh of Keibul Makha Leikai, Bishnupur District, S/S Corporal of KCP(MC)

(b) Wangkhem Premjit @ Koiron Singh(28 Yrs) S/o W Heramot Singh of Naranseina Maning Leikai, Bishnupur District S/S Lance Corporal of KCP (MC)

(c) Ningthoujam Chandra @ Lukok Singh (43 yrs) S/o N Ibomcha Singh ofKeibul Mamang Bishnupur District, S/S Sergeant of KCP(MC)

During the investigation of the above mentioned FIR case, it is also established that the DBBI, gun which was recovered from near the deceased, S Hemanta Singh was the one which was snatched from Oinam after eliminating one driver namely Yumnam Manichandra Singh (48) S/o Y Modhuchandra Singh of Khurai Nandeibam Leikai of Imphal East by KCP cadres in an attempt to kidnap the Executive Engineer namely Oinam Ibopishak Singh of Loktak Development Authority. This referes to FIR case No.52(7)09 Nbl. PS U/s 307/326/382/34 IPC, 25(1-c)A. Act and 16 UA(P) A. Act. This factum of recovery of the DBBL gun has clearly established that the deceased S Hemanta Singh is the one who was responsible for killing the driver namely Yummam Manichandra Singh in attempting to kidnap the Executive Engineer namely Oinam Ibopishak Singh of Loktak Development Authority on 15.07.2009.

In this encounter S/Shri P. Sanjoy Singh, Sub Inspector, Th. Dhamen Singh, Constable, Vunglian Mang, Constable and N. Mangi Meitei, Rifleman displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of 2nd Bar to Police Medal/ Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 19.07.2009.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 165–Pres/2010- The President is pleased to award the 1st Bar to Police Medal for Gallantry/2nd Bar to Police Medal for Gallantry/ Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Manipur Police.

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1.	**L. Kailun, Senior Superintendent of Police**	**(1st Bar to PMG)**
2.	**M. James Thangal, Sub Inspector**	**(1st Bar to PMG)**
3.	**K. Bobby Singh , Sub Inspector**	**(2nd Bar to PMG)**
4.	**A Bishwanath Singh, Havildar**	**(PMG)**
5.	**L. Chingkheihunba Meitei, Constable**	**(PMG)**
6.	**Kh. Johnson Singh, Rifleman**	**(PMG)**
7.	**T. Anou Meitei, Constable**	**(PMG)**
8.	**Doumang Khongsai, Constable**	**(PMG)**

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 15th May, 2009 at about 0030 hours, a specific information was received that the banned outfit KYKL (Kanglei Yawol Kanna Lup) numbering about 6 cadres, earlier involved in threatening to the Christian members of Phumlou and Phayeng Makha Leikai and burning their churches building on 10th and 11th May, 2009 respectively and killing of two persons at Senjam Chirang (PS Lamsang) village on 14th May, 2009 night, were camping at Koutruk hilltop. The information further states that they planning to attack/ambush the security personnel operating in Koutruk area. The hillock is located at a distance of about 10 kms, North-West from lamsang police station. Based on this information, Imphal West Police Commandos under the command of Shri L.Kailun IPS, Sr. Superintendent of Police, Imphal West, with a column each of 12th Maratha Light Infantry (MLI) and

39th Assam Rifles, was organized and pressed into service at Koutruk area at about 0230 hours.

On reaching the general area of Koutruk village, the team divided into two. One group under SI K Bobby Singh assisted by Hav A. Bishwanath Singh and L. Chingkheihunba Meitei, along with personnel of 39th Assam Rifles were deployed on the south-western side of Koutruk hillock. Another group led by SI James Thangal and his party namely, Rfn Kh Johnson Singh, T. Anou Meitei and Doumang Khongsai along with personnel of 12th MLI were deployed at the north-eastern side of the hillock. Shri L. Kailun, Sr SP/Imphal West moved in from the south-eastern foothill of the hillock, and supervised the whole operation and also cut-off any escape route on the south western side.

The night was dark and visibility was poor, except for the moon lit. The teams moved tactically and approached the hilltop. By about 0445 hours, the group led by SI K Bobby saw movement of some peoples at the hilltop from a distance of about 25-30 meters. SI K. Bobby and his party moved in further to have a better cover and enquire. But suddenly, the militants opened burst fire from their sophisticated weapons. The police party also instantaneously dove for cover and retaliated swiftly and a fierce encounter ensued. The militants were taking position on the dominating hilltop, properly entrenched by a high feature continued to fire heavily to all sides. SI K. Bobby, Hav Bishwanath Singh and Const. Chingkheihunba Meitei, who were at a very vulnerable and risky spot having no cover retaliated fiercely with their AK rifles and reported that 2 or 3 militants are down but the rest continues to fight. Shri L. Kailun immediately instructed the group led by SI James Thangal to be alert. Instinctively, SI James Thangal, Rfn. Johnson Singh, Const. Anou Meitei and Const. Khongsai who were also at vulnerable position without any cover on the north eastern side of the hillock, except the leaves of the tree, dove for cover and retaliated fiercely from their AK assault rifles, he also reported that 1 or 2 are down.

At the same time, Shri L. Kailun IPS, Sr. SP/Imphal West with his team, who also close in towards the hilltop, suddenly came face to face with one militant armed with an AK assault rifle., Shri L. Kailun, immediately shouted at him to stop, but instead of stopping the militant opened burst fire with his AK assault rifles towards the police party, which missed the police officer and his men by inches. Immediately Shri L. Kailun, with long years of experience in counter-insurgency operation in the state and his party dove to the ground and instantaneously retaliated fiercely resulting in the killing of the armed militant at the spot.

After the encounter was over, the site was thoroughly searched by the security personnel and six unknown armed militants were found dead in and around the hilltop with bullet injuries on various parts of their bodies and recovered the following arms and ammunitions, assorted articles near their bodies and the sheltered side:-

i) 5 (five) nos of AK-56 assault rifles with one magazine each loaded with 77 live rounds altogether.
ii) 01 auto pistol loaded with 03 live rounds
iii) 02 Chinese made hand grenades.
iv) 54 assorted rounds of AK amns were found near the dead bodies.

The deceased persons were later on identified as hard core banned armed cadres of Kanglei Yaol Kanna Lup (in short KYKL) operating in the area for the last 2/3 days. They are;

i) Keisham Sanatomba Singh (31) s/o (l) K. Tomba Singh of Heibongpokpi Mayai Leikai(s/s Sgt. Major).
ii) Mayengbam Chaothoi Singh (23) s/o (L) M. Ibobi Singh of Lamjao Part-II, Tejpur Awang Lleikai.(s/s Lt.)
iii) Angom Guni Singh (21) s/o A. Langbanjao of Phayengching Khunou (s/s Lt.)
iv) Leishangthem Simon Singh (19) s/o L. Budha Singh of Koutruk Ching. (s/s pvt.)
v) Angom Priyojit @ Ngongo Singh (17) s/o A. Subhash Singh of Phayeng Awang Leikai. (s/s pvt.).
vi) A. Amuthi Singh (24) s/o Nilamani of Phayengching Khunou s/s/ 2nd Lt.)

It refers to case FIR No. 25(5)09 Lamsang PS u/s 307/34/IPC, 20UA(P) Amndt. Act, 25(1-C) Arms Act, 5 Expl. Subs. Act. It corresponds to FIR No. 21(5)09 of Saitu Gamphazol police station under the same section of laws.

In this encounter S/Shri L. Kailun, Senior Superintendent of Police, M. James Thangal, Sub Inspector, K. Bobby Singh,Sub Inspector, A Bishwanath Singh, Havildar, L. Chingkheihunba Meitei, Constable, Kh. Johnson Singh, Rifleman, T. Anou Meitei, Constable and Doumang Khongsai, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of 1st Bar to Police Medal/ 2nd Bar to Police Medal/ Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 15.05.2009.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 166–Pres/2010- The President is pleased to award the 6th Bar to Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Delhi Police.

NAME & RANK OF THE OFFICERS

Shri Sanjeev Kumar Yadav,
Assistant Commissioner of Police

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 06/03/06, on the basis of a secret information regarding Hemant @ Sonu, team of Special Cell conducted a raid at Flat No.505, 5th Floor, Sagar Apptt., Sushant Lok-II, Gurgaon, Haryana at about 1.30 A.M. When the inmates didn't open the door, the police team made their entry by forcibly breaking open the door. Sanjay Singh S/o Bhopal Singh was overpowered, who revealed that one gangster (later identified as Jaiprakash @ JP R/o Najafgarh, Delhi) had skipped through the shaft from the rear balcony of the flat.

On search Jaiprakash, a close associate of Hemant @ Sonu, was traced in rear side shaft, who was asked to surrender before the police. Instead, he opened fire upon the police party and took out a grenade and threatened to kill the members of police party and residents by exploding the grenade. In order to apprehend the criminal and in self defence, police party also returned fire. The gangster managed to hide himself under the cover of darkness. Police restrained firing keeping in view the security of public. Keeping in view the gravity of the situation additional force was sought from Special Cell and Haryana police. Meanwhile, on enquiry Sanjay Singh above revealed that Hemant @ Sonu along with his associate Jaswant @ Sonu is hiding in a flat No.9-1101, Valley View Estate, Gwalpahadi, Gurgaon on Faridabad Road. Accordingly, a team headed by Sh. Sanjeev Yadav, ACP, consisting of Insp. Lalit Mohan, Inspr. Hridaya Bhushan, SI Girish Kumar, and other left for Valley View Apartment, whereas other team members were left at the spot to work upon the situation to apprehend Jaiprakash @ JP.

At around 5.30 A.M., the team reached Flat No.9-1101, Valley View Estate, Gurgaon and conducted raid. The inmates were directed to open the door and surrender before the police. When inmates didn't open the door despite warning,

police made entry by forcibly breaking open the door. Hemant @ Sonu immediately opened fire upon the police party. Police party returned the fire. Jaswant @ Sonu was seen climbing down to the tenth floor balcony from the rear side. Door of the tenth floor flat was also forcibly broke opened. The gangster later identified as Jaswant @ Sonu S/o Jagdish Prasad R/o RZ-421, Gopal Nagar, Najafgarh, Delhi, also fired upon the police party. In the ensuing encounter Hemant @ Sonu and Jaswant @ Sonu got killed. One 9 mm pistol and 455 bore revolver used by Hemant @ Sonu and one .38 bore used by Jaswant @ Sonu and live cartridges were recovered from them.

INDIVIDUAL ROLE OF THE OFFICER

ACP Sanjeev Yadav: During the encounter with the interstate gangsters, ACP Sanjeev Yadav bravely led the team. When the team reached at Flat No.9-1101, Valley view Apartment, where the gangsters were hiding, he asked them to open the door and surrender. When the gangsters didn't open the door, the same was broke opened. As he entered the flat and challenged the gangsters, the dreaded duo took out their weapons and opened fire upon the police party. Hemant @ Sonu took position inside the kitchen situated on left side of the entrance, whereas, Jaswant @ Sonu ran towards the rear side balcony, simultaneously firing upon the police party. In self defence and in order to apprehend the gangster, police party returned the fire. ACP Yadav, while leading the team, bravely confronted Hemant @ Sonu. While returning fire, ACP was in the direct firing line of the gangster and had no cover for his safety. He advanced his way near the gangster without caring for his life even when one bullet fired by the gangster hit him. However, he was narrowly saved due to the bullet-proof jacket worn by him. Undeterred and unfazed, the die-hard officer fired 3 rounds from his service pistol and played a vital role in the eliminating the gangster.

In this encounter Shri Sanjeev Kumar Yadav, Assistant Commissioner of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of 6th Bar to Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 07.03.2006

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 167–Pres/2010- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Rajasthan Police.

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Vimal Kumar Parashar (Posthumously)
Assistant Sub Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 06.05.2008 at 1.00 PM, Shri Dinesh Vashishta Inspector of Police, SHO PS-Badi received reliable information from a trusted informer that dreaded dacoit Gyani with his gang members and arms & ammunition would be coming to village Bidarpur. Shri Dinesh Vashishta, SHO PS-Badi conveyed this information to the then SP Dholpur by phone.

SP Dholpur immediately dispatched an ADF team comprising of Shri Vimal Kumar Parashar, ASI with 38 bore revolver, Mahavir Prasad, ASI Balvindra, HCwith AK-47 Rifle, Lakhan Singh, HC, Rohitash, Constable, Dharmendra, Constable, Sonvir, Constable and Laxman Singh, Constable with one SLR each and sufficient amount of ammunition. The ADF team reached PS-Badi at 3.00 PM.

The same day at 4.30 PM, shri Dinesh Vashistha SHO Badi with one revolver 38 bore, Shri Ajay Singh, HC, Jaidev, Constable, Than Singh, Rajesh, Constable, Suresh, Constable, Krishna Murari, Constable and driver Ram Nath along with ADF team reached village Bidarpur fully prepared to confront the dacoit gang. Meanwhile the informer gave additional information that Dacoit Gyani and his gang would be coming by road in a private jeep armed with fire arms which may be used against the police party.

On receipt of this vital information, Shri Dinesh Vashishth, SHO Badi blocked the road near devthan Bidarpur by placing stone boulders and divided the police force in two parties. Shri Vimal Kumar Parashar, ASI was in-charge of first party, other members being Mahavir ASI Balvindra, HC, Lakhan HC, Dharmendra, Constable and Sonvir, Constable, Dinesh Vashishta, CI with thana Staff was in-charge of second party and this party took safe position at some distance. Both parties waited to intercept and apprehend the dacoit gang.

At 5.30 PM, a jeep carrying the dacoits came towards Dompura side at high speed and stopped near the blocked road. Some dacoits came out from the jeep and started removing the stones for clearing the road. Suddenly one dacoit managed to see Shri Dinesh Vashishta CI in his uniform. The dacoit was carrying a 306 bore rifle and other gang members also had fire-arms. Shri Dinesh Vashishta SHO Badi

commanded the dacoits to surrender and declared that police parties had surrounded them. Dacoit Gyani and his gang members instead of surrendering responded by opening fire on police parties with intention of killing them. In defense the police party also opened fire. Dinesh Vashishta SHO Badi repeatedly warned the dacoits to stop fire and surrender but the dacoit gang continued to fire on the police party.

Shri Vimal Kumar Parashar, ASI who was pursuing one dacoit was fired upon from behind by Gyani dacoit and the bullet struck him in his back. Despite being badly injured, Vimal Kumar Parashar, ASI did not retreat and bravely fought the dacoits till other party members reached the spot and rounded up all five dacoits namely :-

(a) Gyani alias Lara S/o Babu Lal Meena R/o Sunipur PS Bari with one rifle 306 bore and one patta having 28 live cartridges and one bag containing 80 live cartridges.
(b) Shri Bhagwan S/o Babu Lal Meena R/o Sunipur PS Bari with one rifle 12 bore DBBL and one patta having 20 live cartridges.
(c) Mahesh S/o Sirdar Gurjar R/o Rambux Ka Pura PS-Sarmathura with one rifle 306 bore and 20 live cartridges.
(d) Ramlakhan alias Lakhan S/o Shyam Lal Meena R/o Umreh PS-Bari with one illegal katta 315 bore, one cartridge in chamber and 3 live cartridges.
(e) Ramveer S/o Shyam Lal Meena R/o Umreh PS-Bari with one illegal rifle 315 bore, two cartridges in magazine and 1 live cartridge.

FIR No.124/2008 U/s 147,148,149, 332,353, 307, 302 IPC was registered at PS Sarmathura on 05.06.2008 in connection with this incident.

After the encounter Shri Vimal Kumar Parashar, ASI was immediately brought to Hospital Badi for initial treatment and latter referred to General Hospital at Dholpur. In Dholpur all efforts were made to save his life but Shri Vimal Kumar Parashar, ASI succumbed to fatal injuries received in the encounter.

In this encounter (Late) Shri Vimal Kumar Parashar, Assistant Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 06.05.2008.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 168–Pres/2010- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Tripura Police.

NAME & RANK OF THE OFFICERS
S/Shri

1. **Lalhminga Darlong,**
   Commandant
2. **Binoy Kishore Debbarma,**
   Assistant Commandant
3. **Badal Debbarma,**
   Assistant Commandant
4. **Samar Debnath ,**
   Havildar
5. **Rabindra Kalai,**
   Rifleman

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 26-04-2008 at about 1115 hrs Shri Debabrata Das, Section Engineer of NF Railway went to 56100 chainage, Tuikarma under Mungikami Police Station of Tripura West District to supervise progress of Railway works where 60/70 laborers were engaged every day. He went up to Mungiakami by vehicle and from Mungiakami to work-site on foot.

At about 1215 hrs, all of a sudden, a heavily armed group of NLFT(BM) exts (7/8) led by Karna Debbarma @Kwaplai and Latia Debbarma stormed the work-site. The extrimist group caught hold of Er. Das instantly and then dragged him towards the jungles. At that time, one Dhirendra Debnath, mason of Teliamura resisted and obstructed the extremist group from taking away Er. Das. But he was shot at and died on the spot. Thus, Er Das was abducted. Severe panic gripped thereafter and all the labourers fled away from the Rly work-site out of fear.

During post-incident enquiry, it has come to light that SS Lieutenant of NLFT (BM) Karna Debbarma @ Kwaplai had engaged one person namely Dinesh Debbarma, one of the labourers at Tuikarma for passing information about movement of SF and Er. Das to extrimist group. Dinesh did not commit mistake in passing information to extrimist group. He passed information at the right and appropriate time. The leakage of information led to Er. Debabrata Das victim of circumstances and was abducted.

Initially, Er. Das was taken to Kamala Bagan (ridge of Atharamura hills) and then to the different inaccessible locations under Petramura range. At first, the

extrimists group demanded Rs 50 lakhs ransom for release of the Engineer. Later on, the extrimist enhanced the ransom amount to Rs. One crore. At one point of time, Koplai received SMS from his HQs, saying, "Kill him". But minute later, another message came saying, "Don't kill him". Er. Das felt sigh of relief with the second message.

Under these circumstances, to rescue Er Das unhurt from the clutch of militants' outfit had left a big challenge to the security Forces.

The Security Forces, thereafter, had organized series of sustained operations intermittently with the duration of 3 to 6 days in each operation in the general areas of Tuibaklai and Petramura. But, there was no break through nor was there any clue about the presence of extremist group. But, the Security Forces did never give up the challenge. Rather were optimistic to over-come the crisis.

Finally on 03-06-2008, a 72-hr rescue operations ie 'Encirclement, Raid and search Operation' was organized on the basis of some clues given by two militants. This was the turning point. Commandant Darlong personally led the operations. In this operation one coy of TSR along with 3 Gazetted officers was pressed into service.

In the first three days, operations were conducted in the general areas of Tuibaklai, Tripuri Basti and Kamlabagan etc of Atharamura Hills range. The surrendered militants showed different places where the extremists had stayed earlier. When operations were underway, there was inclement weather with incessant rain. The contingents despite facing heavy showers, mosquito bites, leaches' bites in the hostile jungles busted all the deep and hostile jungles from one point to another as shown by the surrendered militants. In the process, the contingent could engage the militant in a gun battle on the second night in the jungles at Kamala Bagan but there was no casualty on either side. However, the security forces could recover polythene, utensils etc used by the militant group. Though the Security Force could not get tangible result, but they could at least confirm the presence of extremists in the areas. On the 3rd day, when the operation was about to call off, Commandant Darlong took extra initiative and decided to extend the duration of the said 72 hrs' ops to conduct combing operation in the blue hill areas situated in the eastern side about 7/8 KM from the terminating point. The name of the place was locally known Chibukhar (means dens of snakes). The hill was full of hostile and undulating terrains covered by thick vegetations. The area was unreached place. There was no human habitation within the radius of 12 KM.
The commandant and his officers, and men without paying any heed to hardship and difficulty they would likely face, proceeded towards the hostile hills. On reaching the place, the ops parties could see that there was neither road nor foot track to enter into the targeted areas. The only way in was along stream and again the stream was full of slippery and fungous rocks. The stream was with many

subordinate streams. The ops parties instantly decided to organize "Small group concept" operations. Thus the ops parties formed into several small groups in order to cover all streams. The chheras/streams are the deep gorge-tunnel like places where no sunlight can reach to the ground due to obstruction of thick vegetation. Under such circumstances, the small contingents, risking their lives, proceeded towards the deep valley where there are poisonous snakes/insects, mosquitoes and leaches.

On 5-6-08 at about 1420 hrs, while the ops parties were advancing towards deep gorge along the streams, one of the ops parties led by Commandant was fired upon by a group of heavy armed militants. The ops party also retaliated and when heavy exchange of fire was going on, Shri Darlong alongwith AC. Binoy Kishore Debbarma, AC. Badal Debbarma, Hav(GD) Samar Debnath and Rfn(GD) Rabindra Kalai advanced in extended formation in a most daring manner by scaling the extremely difficult, slippery, sharp slope of hill thickly covered by bushes towards the armed extremists and directly charged the extremists and heavy exchange of fire continued for about 15 minutes. The armed NLFT(BM) militants then stopped firing and tried to retreat taking cover of gigantic stones. Then screaming sound from the deep gorge was heard. Then the armed militants again fired 2/3 burst. Then the Commandant along with AC. Binoy Kishore Debbarma, AC. Badal Debbarma, Hav (GD) Samar Debnath and Rfn(GD) Rabindra Kalai who were advancing in extended line formation towards the extremists once again stormed with heavy automatic fire on armed militants who were also taking their position under the cover of big stones. During exchange of fire Shri Darlong fired 17 rds, AC. Binoy Kishore Debbarma fired 09 rds, AC. Badal Debbarma fired 09 rds, Hav(GD) Samar Debnath fired 77 rds and Rfn (GD) Rabindra Kalai fired 09 rds & one hand grenade and compelled the extremists to stop fire and there was total silence. The Commandant and four others held on to their position firmly taking the cover of big stones and were waiting for slightest chance. But this time they could hear screaming sound saying, "I am Debabrata Engineer, I am here, please save me, please save me etc" The sound was coming from the cave and ditch. By that time extremists had fled away under the cover of big stones, thick vegetation and undulating terrains. Then Shri Darlong along with four others proceeded towards the point of screaming and finally, could trace Er Das from the cave of gigantic stones.

In this operation S/Shri Lalhminga Darlong,Commandant, Binoy Kishore Debbarma, Assistant Commandant, Badal Debbarma, Assistant Commandant, Samar Debnath , Havildar and Rabindra Kalai, Rifleman displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 05.06.2008.

BARUN MITRA
Joint Secy.

59—351 GI/2010

No. 169–Pres/2010- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry/1st Bar to Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Uttar Pradesh Police.

NAME & RANK OF THE OFFICERS
S/Shri

1.	**Dr. Arvind Chaturvedi, Deputy Superintendent of Police**	**(PMG)**
2.	**Pradeep Kumar Mishra, Inspector**	**(1st Bar to PMG)**
3.	**Tej Bahadur Singh, Sub Inspector**	**(PMG)**

Statement of service for which the decoration has been awarded

Kripa Shankar Chaudhry was a hardened criminal on whom the Government of UP had declared a reward of Rupees fifty thousand. He was involved in more than a dozen cases of murder and other heinous crimes. Electronic surveillance and human intelligence revealed that he was then staying in Mumbai with a fake name of Manish Jaiswal. On receipt of this information a team of officers from STF under the leadership of Dy SP Arvind Chaturvedi, consisting of Inspector PK Mishra, SI TB Singh and seven other police personnel was formed to apprehend him. After reaching Mumbai, this team of officers met their counterparts of the Crime branch of Mumbai police in order to coordinate efforts to arrest this notorious criminal.

In the morning of 30/7/06, this team of officers and men learnt that Kripa Shankar alias Manish Jaiswal would be reaching the BEST bus stop on the Juhu Versova road. On this the officers and men from the STF UP and crime branch of Mumbai police reached the spot. After reaching the spot and conducting a reconnaissance of the area, they divided themselves into three groups. Team 'A' was led by Dy SP Sh Chaturvedi of STF UP Police, Team 'B' by Inspector Pradip Sharma and Team 'C' by Assistant Inspector Dilip Palande both from Crime branch of Mumbai police. The teams after studying the area positioned themselves tactically and waited for Kripa Shanker to arrive.

As expected Kripa Shanker came to the BEST bus stop at around 1650 hours in an auto rickshaw. On identifying him, Inspector Pradip Sharma moved forward to apprehend him. On this Kripa Shanker pulled out his revolver and pointed it towards Inspector Sharma. Dy SP Sh Chaturvedi also asked Kripa Shanker to surrender. Suddenly Kripa Shanker fired towards Dy SP Sh Chaturvedi missing him narrowly. Left with no other alternative, Sh Chaturvedi also fired back in self defense. His shot injured Kripa Shanker on the thigh. On seeing this SI TB Singh also moved forward. Kripa Shanker on seeing him fired at TB Singh also. Fortunately the bullet missed SI TB Singh who fired back. This exchange of fire continued. Despite the grave danger to their lives Dy SP Arvind Chaturvedi, Inspector Pradip Kumar Mishra and SI TB Singh closed in firing back as they had no other alternative. The members of the police team had to fire very carefully in order to avoid casualties to members of the public. As a result of injuries sustained in this firing the criminal Kripa Shanker was fatally injured.

The following recoveries made by the Police:-

1- One Pistol 7.65 bore.
2- One live cartridge and 5 empty shells of 7.65 bore.
3- One mobile phone.

In this encounter S/Shri Dr. Arvind Chaturvedi, Deputy Superintendent of Police, Pradeep Kumar Mishra, Inspector and Tej Bahadur Singh, Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of 1st Bar to Police Medal/Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 30.07.2006.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 170–Pres/2010- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Uttar Pradesh Police.

NAME & RANK OF THE OFFICERS
S/Shri

1. **Satyendra Kumar Singh,**
   Additional Superintendent of Police
2. **Santosh Kumar Singh,**
   Sub Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded

Shri Satyendra Kumar Singh, Addl. SP STF alongwith Sub-Inspector Santosh Kumar Singh and others were camping at Rampura, PS Rampura, district Jalaun to arrest the notorious and Rs.20,000/- rewarded criminal Budh Singh Parihar @ Lalla. On 17.04.2009 an information about the presence of the gang alongwith 30-35 members with sophisticated weapons was received by the police. The team immediately rushed to the location and with the help of informer reached very close to the gang. The team was placed near the well in the jungle of village Billaur. Sensing the presence of the gang, police asked the gang to surrender before the police. The gang started abusing and heavy firing on police. The gang located in a tactically advantageous site, fired heavily on STF team. Under grave danger to their lives, Shri Satyendra Kumar Singh, Addl. SP and Shri Santosh Kumar Singh SI moved ahead towards the gang. They fired effectively on the gang in self defence. As a result the gang fled using the cover of darkness and in undulating difficult terrain. On careful search of the site the dead body of notorious criminal Budh Singh @ Lalla was found by the police party. The following arms/ammunitions were recovered from the operation site:-

1. One SBBGun 12 bore Factory made, 15 live cartridges and 10 empty shells.
2. Three SBBGun 12 bore country made.
3. Hand Grenade with detonator
4. 04 empty shells of AK-47 rifle, 04 empty shells of 315 bore, 22 empty shells of .30 spring field rifle and 05 empty shells of .303 bore with charger.

In this encounter S/Shri Satyendra Kumar Singh, Additional Superintendent of Police and Santosh Kumar Singh, Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 18.04.2009.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 171–Pres/2010- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry/2nd Bar to Police Medal for Gallantry/1st Bar to Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Uttar Pradesh Police.

NAME & RANK OF THE OFFICERS
S/Shri

1.	**Ashok Kumar Raghav, Additional Superintendent of Police**	**(PMG)**
2.	**Ram Badan Singh, Deputy Superintendent of Police**	**(2nd Bar to PMG)**
3.	**Brij Mohan Pal Sub Inspector**	**(1st Bar to PMG)**
4.	**Dharmendra Singh Yadav, Sub Inspector**	**(1st Bar to PMG)**
5.	**Avadh Narayan Chaudhary Head Constable**	**(1st Bar to PMG)**
6.	**Rajendra Singh Constable**	**(PMG)**
7.	**Sarvesh Kumar Pal Constable**	**(PMG)**

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 15.11.2007, a crucial information was received regarding infiltration of Fidayeen terrorists in India and their plan to reach Lucknow in a Santro car. To foil the designs of terrorists, Shri Raghav with his team immediately left for Lucknow on 16.11.2007. Shri Raghav received a further tip off whereupon he promptly organized the available police force in four different teams and rushed to the flyover on the Lucknow-Sitapur National Highway. He strategically deployed the police teams at Tedi-Pulia crossing accompanying police teams eagerly started waiting for the arrival of suspected terrorists in Santro Car.

The suspected Santro Car was seen approaching from Sitapur side at about 0445 hrs, towards the fly-over. The teams headed by Shri Raghav and Shri Ram Badan Singh, Dy.SP chased the car. When Shri Raghav's team strategically overtook the Santro Car, its driver abruptly took turn on a nearby under construction road where it knocked the brick-heap and stopped. Suddenly three terrorists alighted from the car and took position on bumpy road and opened incessant firing upon the police party. Under the command of Shri Raghav the police party swiftly got down and took position. Shri Ram Badan Singh and his party gave cover to the party of Shri Raghav while the other two parties cordoned the area to prevent the possible escape of suspected terrorists.

Shri Raghav challenged the suspected terrorists to surrender, but the terrorists-trio screaming "Jaish-e-Mohammad Zindabad"dared to continue heavy firing offensively wherein police personnel escaped. Amidst vigorous firing by Fidayeen terrorists with sophisticated weapons with a definite intention to kill STF, team. Shri Raghav and Ram Badan Singh vigilantly moved from their respective positions, encouraged their team mates, crawled ahead and fired in self defense to restrict the terrorists. Suddenly Shri Raghav saw one of the terrorist moving from his position and taking out a grenade to lob it on the police party. Sensing a do or die, situation he maintained his endurance and presence of mind undeterred of their profuse firing. Shri Raghav reacted instantly and he along with SI Brij Mohan Pal and Constable Sarvesh Pal without caring for the safety and security of their own lives, moved to arrest the terrorists alive gallantly jumped and pounced upon him and thereby successfully seized and immobilized that terrorists. The grenade was snatched from him.

Shri Ram Badan Singh who was strategically covering the police party of Addl. SP saw the other two terrorists also taking out the grenades.He alongwith SI Dharmendra Singh Yadav, Head Constable Avadh Narayan Chaudhry, Const. Rajendra Singh without caring for the safety and security of their lives, gallantly jumped and pounced upon and controlled the two terrorists who were firing indiscriminately.

The following recoveries were made from the site of encounter:-

(a) Rifle AK-47	:	02 Nos.
(b) Magazine	:	04 Nos.
(c) Cartridges	:	120 Nos.
(d) Pistols(Made in China)	:	03 Nos.
(e) Cartridges	:	101Nos.
(f) Empty Shells of 30 Bore	:	15 Nos.
(g) RDX	:	04 Kgs.
(h) Live Detonators	:	05 Nos.
(i) Live Hand Grenades	:	16 Nos.

In this encounter S/Shri Ashok Kumar Raghav, Additional Superintendent of Police, Ram Badan Singh, Deputy Superintendent of Police, Brij Mohan Pal, Sub Inspector, Dharmendra Singh Yadav, Sub Inspector, Avadh Narayan Chaudhary, Head Constable, Rajendra Singh, Constable and Sarvesh Kumar Pal Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal/1st Bar to Police Medal/2nd Bar to Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 16.11.2007.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 172–Pres/2010- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Uttrakhand Police.

NAME & RANK OF THE OFFICERS
S/Shri

1. **Ajai Singh,**
   Deputy Superintendent of Police
2. **Bhaskar Lal Sah,**
   Sub Inspector
3. **Harimohan,**
   Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

On October 28th, 2009, at around 8.30 pm a person named Shri Rishi Tripathi informed the Police Control Room that he had heard a gun shot in the area behind the LIC building in Nehru Colony, Dehradun.

On this information, a police party headed by Deputy Superintendent of Police Ajai Singh immediately reached the spot and entered the house, with Ct Sudhir Kesla standing out to keep a watch. Inside they saw Mrs Vimla Bhatt wife of Mr P.D Bhatt was lying wounded on a chair with her hands tied and mouth covered with a cloth. Mr P D Bhatt was lying on the floor and his body was all covered with blood. A man was standing in the hall with a country made pistol in his hand and two others were busy fiddling with the things in the room adjacent to the hall. Shri Ajai Singh alongwith SO Nehru Colony Shri Bhaskar Lal Sah and Ct Harinohan risking their lives moved ahead and challenged the criminals. The warning had no effect and the criminal in the hall opened fire on the policeparty but fortunately party led by Shri Ajay Singh had a narrow escape.

Shri Ajai Singh showed exemplary courage and with quick reaction, without caring for his life, caught hold of the criminal who was holding the weapon in his hand. His exemplary courage and leadership enthused his team to charge. In the mean time as the two criminals in the adjoining room came in the hall, one of them tried to fire on the charging team did not succeed. Under the able command of Shri

Ajay Singh, S.O Nehru colony Shri Bhaskar Lal Sah also responded quickly and snatched the country made pistol from the second criminal and with the help of SI Nathilal Uniyal caught the second criminal. Meanwhile Ct CP Harimohan without fear to his personal safety showing exemplary courage charged on the third criminal but he attacked the charging Ct. Harimohan on head with a country made knife (Khukri) and then ran away. Ct Harimohan was seriously injured and was rushed to the hospital. The third criminal was later arrested by the Police on the same night and the entire looted property was recovered.

The following recoveries were made from the site of encounter:-

1. Country made pistol 315 Bore - 02
2. Used cartridges - 02
3. Live Cartridges 315 Bore - 02
4. Country made Knife (Khukri), -01 & Recovered looted Jewellery etc worth Rupee 3.25 lakhs.

In this encounter S/Shri Ajai Singh, Deputy Superintendent of Police, Bhaskar Lal Sah, Sub Inspector and Harimohan, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 28.10.2009.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 173–Pres/2010- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Assam Rifles.

NAME & RANK OF THE OFFICERS
S/Shri

1. **Aheibam Somorjit Singh,**
   Rifleman
2. **Nemi Chand,**
   Rifleman

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 02 February 2009, at 2300 hours specific information was received about presence of heavily armed cadres of the banned underground outfit of People's Revolutionary Party of Kangleipak (PREPAK) planning to lay ambushes / attack on security forces in general area village Kangchup Makhom RM 2593 under Senapati District.

Acting on this information, a search and destroy operation with police commandos was launched on 03 February 2009 at 0030 hours. After a long march and climb in the hilly terrain, the combined team laid ambush to cut off routes around the suspected village as full cordon was not possible due to the hilly terrain. At first light while cordon of village was being readjusted and troops were closing in towards Western side of the village, they came under heavy fire from the undergrounds. Rifleman (General Duty) Aheibam Somorjit Singh and Rifleman (General Duty) Nemi Chand exercising restrain did not open fire and tactically deployed themselves for militants to close in. As soon as, the leading scout of underground column sensed presence of the security forces, the troops came under heavy volume of fire from the undergrounds. The party retaliated immediately and a fierce firefight ensued.

Under heavy volume of underground fire, Rifleman (General Duty) Aheibam Somorjit Singh alongwith his buddy Rifleman (General Duty) Nemi Chand rushed

to cut off the escape route of the fleeing undergrounds. Realising that the undergrounds are escaping, the individuals without caring for their personal safety and taking extreme risk to their own life closed in and shot dead one cadre of PREPAK from close range. On the other hand, police commandos who were on the right side engaged themselves in the gun fight, thereby killing another militant.

The following arms and ammunitions and assorted items were recovered from their possession:-

(i)	Lethod Grenade Launcher (M-79)	-	One
(ii)	Live rounds of Lethod	-	16
(iii)	AK 56 Rifles	-	One
(iv)	Magzine of AK 47	-	One
(v)	Live rounds of AK 56	-	Six
(vi)	Fire Cases of AK ammunition	-	31
(vii)	Fire Case of Lethod bomb	-	One
(viii)	Lethod bomb pouch	-	One

In this encounter S/Shri Aheibam Somorjit Singh, Rifleman and Nemi Chand, Rifleman displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 03.02.2009.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 174–Pres/2010- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Assam Rifles.

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Sodhi Singh.
Havildar

Statement of service for which the decoration has been awarded.

Based on specific information regarding movement of 4 to 5 heavily armed underground cadres of the proscribed Kanglei Yawol Kanna Lup in general area Hiyanglam Tera Pishak RM-3958, a combined team consisting of one officer, one Junior Commissioned officer and 12 other ranks of Waikhong Company Operating Base was launched into an operation with effect from 1205 hours on 30th November'2008.

The team was divided into two groups to approach from two different directions to the suspected area. At about 1300 hours, while the team was approaching the suspected area along the Canal near Nate Khong RM 3958 towards the suspected house, a group of 4 suspicious looking persons were seen moving through the fields towards the marshy area by Havildar General Duty Sodhi Singh, immediately, he signaled the team Commander In charge Major Vijay Singh Balhara who instructed him to take suitable position and to challenge the persons. On being challenged, the terrorists started firing indiscriminately and kept running towards the marshy area. Havildar General Duty Sodhi Singh who had tactically placed himself towards the bund of a paddy field retaliated with aimed and accurate firing along with the team and killed two hard core Kanglei Yawol Kanna Lup terrorists on the spot. The two other terrorists escaped from the site taking advantage of thick foliage undergrowth. A thorough search of the encounter area was carried out and the following was recovered:-

i) One 9 mm Pistol with Magazine
ii) One 9 mm carbine with Magazine
iii) 4 Live rounds of 9 mm ammunition
iv) 2 Fired cartridge cases of 9 mm ammunition

In this encounter Shri Sodhi Singh, Havildar displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 30.11.2008.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 175–Pres/2010- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Assam Rifles.

NAME & RANK OF THE OFFICERS
S/Shri

1. **Chander Mohan Singh,**
   Naib Subedar
2. **Mangla Ram,**
   Havildar

Statement of service for which the decoration has been awarded

Based on the specific intelligence columns of Ghatak led by Maj K U Karumbiah SM laid a well organized ambush at general area Bongli. The ambush stayed in location for 24 hours. Next day deliberate move out before last light was shown by the officer to carry out deception. The position was reoccupied before first light. At 0445 hours the ambush personnel noticed movement of two person on the track. Maj KU Karumbiah, SM spotted a weapon on one of them. He waited for them to come to the designated killing area and sprung the ambush, injuring one of them.

Havildar Mangla Ram showed raw daring by exposing himself and fired effectively on the militants. His accurate fire, fixed one of the militants. The Militant fired heavily on the Havildar but showing conspicuous gallantry, Havildar held his position. In a short swift and decisive fire fight, he shot dead the militant in face of mortal danger.

Meanwhile the other militant unnerved by the accurate and heavy firing, tried to break contact. Naib Subedar Chander Mohan Singh showing extreme daring and cold courage chased him through thick foliage/ Accurate Mortar fire cut off the escaping route of the militant and he took cover behind a tree. Showing inspirational leadership and conspicuous bravery Naib Subedar chander Mohan Singh created diversionary fire, charged at the militant and shot him dead.

The following recoveries were made :-

(a)	AK-47	-	01
(b)	Mag. AK-47	-	01
(c)	Live rds. AK-47	-	04
(d)	FCC AK-47	-	05
(e)	Pistol	-	01
(f)	Mag. Pistol	-	01
(g)	Chinese Grenade	-	04
(h)	IEDs.	-	02

In this encounter S/Shri Chander Mohan Singh, Naib Subedar and Mangla Ram, Havildar displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 13.06.2009.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 176–Pres/2010- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Assam Rifles.

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Kamal Dev, (Posthumously)
Havildar

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 12th May 2009, multiple patrols were launched for area domination and prevention of possible ethnic strife between Naga Zeme and Dimasas. A Column consisting of 01 Junior Commissioned Officer and 15 other ranks was launched to relieve a column already operating in general area Longren.

At about 2220 hours, own column was ambushed by the Black Widow group. The column was pinned down by heavy volume of fire from the militants. Hav/GD Kamal Dev who was the column 2IC, immediately made a mental appreciation of the situation and gave quick orders for counter ambush to his men and to retaliate the fire of the militants. He personally led the assault and stood in full face of enemy fire without caring for his personal safety. Hav/GD Kamal Dev was leading the charge when he got hit on his leg by a bullet, but this did not deter him from moving ahead and keep firing thus he alongwith his party were successful in breaking the ambush. While doing so a stray bullet from the militants hit him on the head and he succumbed to the injury later.

As it was a dark night, the search was conducted on first light the next day and following items were recovered: Presumably Hav/GD Kamal Dev had killed four militants whose weapons the militants could not take away.

(a)	Rifle AK-56	-	01
(b)	Rifle AK-47	-	02
(c)	Rifle M-16	-	01
(d)	Magazine AK-47/56	-	03
(e)	Magazine M-16	-	01
(f)	Ammunition AK-47/56	-	48 rounds
(g)	Ammunition M-16	-	12 rounds

In this encounter (Late) Shri Kamal Dev, Havildar displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 12.05.2009

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 177–Pres/2010- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Border Security Force.

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Virendra,
Deputy Inspector General

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On 17.11.2004 around 1300 hrs, prior to the visit of Hon'ble Prime Minister was to address a Public Meeting at Sher-e-Kashmir Cricket Stadium, Srinagar, Shri Virendra IPS, DIG, CI-OPS-II, Srinagar chalked out a comprehensive domination plan to make the areas of responsibility safe and briefed the troops and their Commanders to remain vigilant. Keeping in view the sensitivity of the area. Shri M S Rathore, Commandant, 43 Bn BSF was directed to mobilize his Quick Reaction Team.

Everything was normal at the venue of the meeting and the security agencies were busy with their assigned tasks. Unexpectedly, the entire peaceful atmosphere of the area turned into panic when the militants who had already taken defensive position on the Hill features above the Jan Bakers near Suleman Complex over looking the Sher-e-Kashmir Stadium resorted to unprovoked firing towards the Police Party at about 0815 hrs. On receipt of the information regarding militants fire, Shri Virendra, IPS along with his guard reached the area and was apprised about the situation by M S Rathore, Commandant. Immediately, a comprehensive operational plan was worked out by Shri Virendra, DIG to neutralize the militants well before the arrival of Hon'ble Prime Minister so that the scheduled rally of the PM could be held peacefully.

On seeing the movement of troops and vehicles, the militants opened heavy volume of fire which was effectively retaliated by own party. In the sudden cross fire two innocent civilians were caught in between Head Constable/RO Hardesh Kumar without caring for his own life and displaying rare courage dashed towards the civilians and brought them out safely but in this gallant action, he came in direct line of fire of the militants and sustained bullet injury on his right hand.

As per Strategy planned by Shri Virendra, DIG, it was decided to cordon the militants from two flanks by BSF troops. Accordingly, the BSF troops were divided into two groups. One Party under command of Shri M S Rathore, Comdt. 43 Bn BSF proceeded from the Graveyard side as Assault party and the second party under Command of Shri S R Panda, DC was tasked as Stop Party towards Chest and Disease Hospital. Party which had gone to lay stop at Chest Disease Hospital side was being guided on radio set by DIG CI-OPS II and the party led by Comdt. 43 Bn. BSF, which was climbing from Graveyard side was being guided and personally accompanied by Shri Virendra, IPS DIG CI OPS-II. The climb was difficult from Chest and disease Hospital due to sleep gradient. From Graveyard side, through the gradient was not so steep, but it was under direct and effective fire of militants, but this party without caring for their personal safety kept on moving ahead by running, crawling, taking cover of grave stones or hiding themselves under the shrubs, having only one mission in the mind to finish the job well before1300 hrs, the schedule time for Public Meeting of Prime Minister.

By 1030 hrs, the party led by Commandant 43 Bn.BSF under close supervision of DIG BSG CI OPS-II could close-up to 50-60 meters of target i.e. abandoned house from where the militants were effectively firing towards the advancing troops. Since the militants were firing from the top of the house, it almost stalled the move of troops from Graveyard side as the gap between the Assault party and the target was almost plain. Further strategy was planned by Shri Virendra, IPS, DIG, CI OPS-II and the Police Party was requested to fire Tear Smoke & Stun Grenade on the target house and provide covering fire from their BP Plate shields. Assault party under covering fire with continued inspiring presence of Shri Virendra IPS, DIG BSF CI OPS-II started moving towards the target area under heavy volume of fire, throwing of Grenades & Anti Tank Grenade/Shells by Militants. The utmost professionalism and determination of the party commander and under the continuous direction .guidance by Shri Virendra IPS DIG BSF having grave danger to the life under direct and effective of fire/grenades throwing/Anti-Tank Grenade firing could not deter these brave troops from moving ahead. As a result of this coordinated effort and firing, the Assault party/stop party were able to eliminate the militants in a fierce encounter in which two BSF personnel sustained bullet injuries.

The elimination of the militants could be possible due to exemplary leadership quality, meticulous planning, professionalism and high level of determination and devotion exhibited by Shri Virendra IPS DI BSF, CI OPS-II. In this encounter 02 hardcore militants of LeT outfit, identified as Ab Rahman Lakvi and Ab Asam Pathan, both Pakistan nationals, were neutralized by BSF personnel and recovery of 02 Nos. AK-47 Rifles with 07 Magazines, 160 Live Rounds of AK-47. Hand Grenades, Jumping Grenade and Anti Tank Rifle Shells was made.

In this encounter Shri Virendra, Deputy Inspector General displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 17.11.2004.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 178–Pres/2010- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Central Reserve Police Force.

NAME & RANK OF THE OFFICERS
S/Shri

1. **Vinod Chandra Pant, Inspector**
2. **Abhishek Singh, Constable**
3. **Arun Kumar Nayak Constable**

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 13.02.2008 two platoons of E/132 under command of Inspr/GD V C Pant were stationed for raid and search operations at Bakulchanda under police station Dumaria. On getting the information from the SP Jamshedpur around 1800 hrs, that two naxalites namely Bikas and Bodo Melgendi have been killed by Villagers of Bhithar Amda, under Police Station Dumaria, two platoons under command of Inspr. V C Pant along with civil police Dy.SP Anand Joseph Tigga and Inspr Jagdish Prasad moved from base Camp Bakulchanda to Bhithat Amda at 2100 hrs. After due appreciation of the situation, plan was made to lay ambush to trap the naxalites. Two platoons led by Inspr V C Pant secured the area of Bhithar Amda Village for whole night. When no movement noticed from the naxalites, they decided to move further and confront the naxalites in their base. Therefore, at about 0700 hrs on 14.02.2008 CRPF troops and civil Police party reached tactically near the hilly and densly forested area of Karunnum Jharna, a probable escape route of naxalites, and laid the ambush. At about 0800 hrs five naxalites got trapped in the ambush. CRPF troops challenged and told them to surrender. In reply, the naxalites opened fire indiscriminately on CRPF troops. Since CRPF troops had taken advantageous position, they could not be harmed. Inspr/GD V C Pant immediately ordered CRPF troops to retaliate the fire and kill the visible targets. Gun battle continued for an hour. When the firing from the naxalites was stopped. CRPF troops led by Inspr V C Pant along with Civil Police advanced towards the spot and searched the area. During search dead bodies of five naxalites (Three male and two female) and arms/ammunition/equipments in huge quantity were recovered. All naxalites were affiliated to MCC group.

This was a joint operation by CRPF and PS-Dumaria, Distt-East Singhbhum (Jharkhand). In this operation the Civil Police components and CRPF troops led by Inspr/GD V C Pant, Const/GD Ahishek Singh and Const/GD Arun Kumar Nayak of 132 Bn. had participated. Success in this operation was possible because of excellent coordination between CRPF and Civil Police as well as sharing of intelligence inputs and other material resources.

In the operation, Inspr/GD V C Pant of 132 Bn exhibited outstanding leadership quality and led the troops from the front and led the troops with grit during this well planned ambush/operation, which resulted into killing of naxalites and recovery of Arms and Ammunition. In this operation during exchange of fire Inspr/GD V C Pant fired 08 rounds by his AK-47 Rifle. Besides, Inspr/GD V C Pant. Const/GD Abhishek Singh and Const/GD Arun Kumar Nayak have also exhibited conspicuous bravery and courage. They brought effective fire on the naxalites, without caring for their personal safety and life. Const/GD Abhishek Singh fired 17 rounds with his SLR and lobbed grenade on the extremists and Const/GD Arun Kumar Nayak fired 20 rounds with his Insas Rifle. This resulted in the killing of all the five naxalites. Thus, they had not only dented the morale of naxalites but also brought laurels to the Force.

The following recoveries were made from the site of encounter:-

(a) Rifle AK-47	-	01 No.(With three Magazines)
(b) Rifle 5.56 Insas	-	01 No.(With one Magazine)
(c) 9 mm Pistol	-	02 Nos. (With one Magazine)
(d) .303 Rifle	-	02 Nos.
(e) 315 Bore	-	01 No.
(f) SBBL Gun	-	02 Nos.
(g) Live rounds	-	315rds.
(h) Camera flash	-	01 No.
(i) Wire Bundle	-	01 Bundle and Heaver sacks

In this encounter S/Shri Vinod Chandra Pant, Inspector, Abhishek Singh, Constable and Arun Kumar Nayak, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 14.02.2008.

BARUN MITRA
Joint Secy.

63—351 GI/2010

No. 179–Pres/2010- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Central Reserve Police Force.

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Ashok Kumar,
Sub Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 08.11.2008 based on a specific information developed by District Police Doda(J&K) regarding the presence of terrorists in Darman forest Dahrosh area of Doda –Distt, a joint operation was launched by 76 Bn CRPF and Police party of District Doda headed by SP(OPS) Doda in Darman forest, Dahrosh area under the jurisdiction of police station Dessa, Doda(J&K). The hideout was conrdoned off and presence of four terrorists was confirmed in the hideout. During search, Militants hiding in the area opened indiscriminate fire on the operation party. SP Ops Doda, Shri Mohan Lal challenged the hiding terrorists who were equipped with sophisticated and automatic weapons to surrender before the police. The militants instead of surrendering themselves, continued indiscriminately firing on the operation party. While the encounter was in progress, troops of 10 RR also joined the operation. One section of 76 Bn CRPF under command of SI/GD Ashok Kumar was in the inner cordon on the right side of the hide out and remaining personnel of the civil police were deployed in outer cordon. The joint operation party retaliated in self defense and a fierce encounter ensued.

This encounter continued intermittently from morning to the evening of 08.11.2008. At about 1630 hours, two militants suddenly came out from the hide out and tried to flee from the spot to the left side of the hide out. First militant covered a distance of 800 meters and second up to 200 meters and both were shot dead by the civil police/10 RR party jointly. There after two more militants came out from their hide out firing indiscriminately and tried to flee to right side of the position in inner cordon. SI/GD Ashok Kumar of 76 Bn who had taken position in inner cordon. Retaliated the fire without the fear of his life like a true soldier. The

said SO advanced tactically, crawled towards the hide out exposing himself to heavy firing of terrorist and on reaching at an advantageous position fired on militants thereby neutralizing 02 out of four militants. In this incident, SI/GD Ashok Kumar of 76 Bn CRPF executed the operation very professionally showing great devotion and dedication to the duty. He displayed exemplary courage and bravery of highest order, Slain terrorists were later identified as 1. Md.Shafi code Hushim Khan, Dy. Divisional Comdr(HM) 2. Fida Hussain, Code Jahangir 3. Muzzafar Husaain, code Dawood 4. Mushtaq Ahmed, Code Jafar.Recovered automatic weapons AK47-02, AK-56-01, Chinese Pistol-01 Magazine AK-06, Magazine Pistol-01, Wireless Set-01, Antenna-02, Damaged Mobile Set-01, Diary-01 and Matrix-01.

In this encounter Shri Ashok Kumar, Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 08.11.2008.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 180–Pres/2010- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Central Reserve Police Force.

NAME & RANK OF THE OFFICERS
S/Shri

1. **Harish Chandra,**
   Assistant Commandant
2. **Manoj Kumar,**
   Constable
3. **Rajender Singh,**
   Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On 16/12/2008 at about 2300 hrs reliable Intellignce Input was shared by SP(Ops) Srinagar, with OC F/117 Sh. Harish Chandra, Asst.Comdt, regarding presence of two dreaded militants of H.M. in village Malhora under P.S. Zainapura ,Dist: Shopian (J&K). Based on this input, a strong platoon of F/117 consisting of 19 personnel under command Sh Harish Chandra, A/C along with a party of SOG Srinagar under command SP(Ops) Srinagar, after proper briefing of troops about the conduct of special ops, moved jointly and reached village Malhora at about 0130 hrs and started laying cordon of suspected target houses. In order to avoid civilian casualties, civilians of adjoining houses were moved out. The inner cordon was jointly laid by SOG / CRPF and was completed by 0200 hrs. The outer cordon was laid by personnel of Ist RR & 55 RR who had joined the operation once the party of F/117 and SOG Srinagar had reached village Malhora.

Once both inner and outer cordon were completed, a search party consisting of five personnel of F/117 under command Sh Harish Chandra Asst. Comdt. and five personnel of SOG Srinagar under command SP(Ops) was formed to search the suspected houses. The search was started at first light. The search of first two houses did not yield any result. While the search of third house was being carried out two militants emerged near the toilet area of the house by breaking a mud brick wall and started firing indiscriminately on the search party. Sh Harish Chandra, Asst.Comdt. and two Constable of search party namely CT/GD Rajender Singh and CT/GD Manoj Kumar who were under direct fire of militants immediately took position and retaliated the fire. During this initial exchange of fire both the militants received multiple bullet injuries. Great calm and composure was exercised by Sh. Harish Chandra, Asst.Comdt. who ensured that even in such adverse condition his command was intact and fire control was exercised by men under his control so

that bare minimum collateral damage was caused. Both the militants continued to fire on CRPF search party led by Sh. Harish Chandra, Asst. Comdt from close quarter. But since Sh Harish Chandra, Asst. Comdt. along with Ct. Rajender Singh and Ct. Manoj Kumar had taken position in such a way that they could use available cover to the best of their advantage, the militants were coming under their effective fire. Militants who were both injured, sensing the inevitable, rushed out of the house firing heavily and throwing grenades indiscriminately. While the militants were rushing out of house they were chased by Sh Harish Chandra, Asst.Comdt, Ct. Rajender Singh and Ct. Manoj Kumar and these personnel managed to kill both the slain militants from close quarter without caring for their own life .

The slain militants were identified as 1) Rayeesh Ahmad Dar @ Rayees Kachroo, (Divisional Comdr.of HM.) S/O Gulam Ashan Dar R/O Panchgoan who was IED expert and had escaped from the police custody recently was instrumental in killing more than 40 Police /SF/Army personnel in past and (2)Rashid Ganai @ Ishfaq (Dist Comdr.of HM) S/O Abdullah Ganai R/O Wachhi. A meticulously planned operation resulted in killing of Rayees Kachroo Div.Comdr of HM.

The operation was handled in a professional manner and it took place in inclement weather conditions. The success of the operation was possible due to the exemplary bravery, fortitude and exceptional presence of mind exhibited by Sh. Harish Chandra Asst.Comdt, Ct. Rajender Singh and Ct. Manoj Kumar, who took great personal risk above and beyond the call of duty & neutralized the two dreaded militants of HM. The following recoveries were made from the site of encounter:-

1.	A.K. 47 Rifle	-	01 No.
2.	A.K.-56 Rifle	-	01 No.
3.	A.K. Magazine	-	03 Nos (All destroyed)
4.	A.K. Rounds (Live)	-	10 Nos.
5.	Pouch	-	02 Nos (Destroyed)
6.	Mobile	-	01 No. (unserviceable)
7.	English version Paper	-	01 No.

In this encounter S/Shri Harish Chandra, Assistant Commandant, Manoj Kumar, Constable and Rajender Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 17.12.2008.

BARUN MITRA
Joint Secy.

64—351 GI/2010

No. 181–Pres/2010- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Central Reserve Police Force.

NAME & RANK OF THE OFFICERS
S/Shri

1. **Pashupati Nath Tiwari,**
   Assistant Commandant
2. **Vijaypal Singh,**
   Inspector
3. **Brajesh Kumar,**
   Constable
4. **Ram Nayan,**
   Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 31.03.2008 evening, specific intelligence about movement of a Sub Zonal team of CPI(Maoists) in the area West of Garhwa-Bhandaria axis, was received by Shri Saket Kumar, SP Garhwa. This Tip-off was immediately verified and shared with Shri B K Sharma, Commandant 13 Bn. CRPF. Accordingly, a joint operation namely 'Thunder Bolt' was planned to drive away the Naxal cadres from the area. After due deliberation and comprehensive planning it was decided to launch an operation on the night of 31.03.2008. As per the operation planning two platoons of D/132 under command Shri P N Tiwari, AC and District Police led by Shri Satendra Kumar, SDPO Garhwa, left for the area of operation in two mine protected vehicles at about 2145 hrs. The party reached village Makhatu at about 2330 hrs which is 55 Kms away from Garhwa Distt. A naka was laid after selecting tactically favorable terrain in the jungle area of village Makhatu. At about 0045 hrs while the party was looking for any passing vehicle, one tractor was noticed moving towards them. As soon as the tractor with trolley came near the CRPF naka party it was challenged by CRPF troops and asked to stop. On being challenged the extremists who were travelling in the tractor opened heavy firing on CRPF troops. Some of the extremists jumped from the tractor and took position behind the trees opposite to the position of CRPF troops. Shri P N Tiwari, AC who was leading the troops from the front without caring for the heavy firing, odd dark hour and hostile terrain immediately retaliated the fire and simultaneously passed order to troops for counter attack. Bravery and leadership skill of Shri P N Tiwari, Asstt. Comdt. Boosted the morale of the troops and the troops counter attacked the firing extremists. In the meanwhile Inspr/GD Vijay Pal Singh leading the rear section moved circuitous to surround the extremists. Inspr/GD Vijay Pal Singh, Const/GD Brajesh Kumar and Const/GD Ram Nayan of rear section showed grit and tactical acumen by using the terrain and ground features brilliantly and opened surprise fire

with their personal weapon and 51 MM Mortor. Meanwhile Shri Satendra Singh, SDPO, SI Manish Chanda Lal and SI Amarnath also took position and started counter firing. Gun battle continued for two and half hours. CRPF troops chased the extremists tactically with grit and determination despite odds like planning of mines by extremists and putting themselves to grave risk neutralized group of naxalites with their fire. Due to brave action of our daredevils the Maoists had to flee helter-skelter leaving behind many dead bodies of their comrades and huge quantity of Arms/Ammunition. During search in the wee hours on 01.04.2008 our troops recovered eight dead bodies of naxalites and huge cache of arms and ammunition. As a result of the outstanding ops planning and highly appreciable ops acumen, courage and determination, our party without suffering damage of any sort was able to neutralize 08 hardcore naxalites including 01 mahila and recovered following huge quantity of sophisticated arms/ammunition from the site of incident:-

(a)	SLR	-	01 No.
(b)	Carbine	-	01 No.
(c)	.303 Police Rifle	-	04 Nos.
(d)	.315 Bore Rifle	-	04 Nos.
(e)	DBBL Gun	-	01 No.
(f)	C/Made Katta	-	01 No.
(g)	9 mm live Rds.	-	31 Nos.
(h)	315 Live Rds	-	107 Nos.
(i)	.303 Live Rds	-	121 Nos.
(k)	Explosive (Gelatin Sticks)	-	200 Kgs.
(l)	Empty case of 9mm Rds	-	01 No.
(m)	Empty case of 315 Bore Rds	-	07 Nos
(n)	Empty case of .303 Bore Rds.	-	06 Nos.
(o)	Empty case of 7.62 mm Rds.	-	03 Nos.
(p)	.303 Charger Clib	-	23 Nos.
(q)	Damaged Tractor with trolly, Naxal Uniform, Pithus, Naxal Documents & daily use articles		

That was one of the major operational successes in the history of the State of Jharkhand. The alertness, operational acumen, courageous and gallant action shown by the personnel without caring for their lives, is an outstanding act in which the naxalites suffered heavy loss of lives. The morale of the naxalites has been dented badly, which has de-capacitated the whole CPI(Maoist) organization. The exemplary show of courage and timely action exhibited by Shri P N Tiwari, Asstt. Comdt, Inspr/GD Vijay Pal, Const/GD Brajesh Kumar and Const/GD Ram has galvanized the Force.

In this encounter S/Shri Pashupati Nath Tiwari, Assistant Commandant, Vijaypal Singh, Inspector, Brajesh Kumar, Constable and Ram Nayan Constable

displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 01.04.2008

BARUN MITRA
Joint Secy.

MINISTRY OF STEEL

New Delhi, the 26th October 2010

RESOLUTION

Subject: Constitution of Steel Consumers' Council --- regarding.

No.5 (3)/2009-D-I(.) In continuation of Ministry of Steel Resolutions of even number dated 25.02.2010, 15.4.2010, 17.5.2010, 26.5.2010, 17.6.2010, 17.8.2010 and 11.10.2010, the following persons are hereby nominated as Members to the Steel Consumers' Council of Ministry of Steel to represent the States / UTs under which their names have been mentioned, under Para. 4(i) of this Ministry's Resolution dated 25.2.2010, with immediate effect:-

Andhra Pradesh	
Shri Varasala Satyanarayana, Challapalli (P.O), Uppalaguptam (Mandal), Amalapuram (Taluka), East Godavari Distt Andhra Pradesh	Shri Nagamalla Suresh, Besides Post Office, Gandhinagar, Hasanparthy -506 371 (Warangal District) Andhra Pradesh
Himachal Pradesh	
Shri Mukesh Jaswal Village & PO – Ispur Tehsil- Una, Distt. Una (HP)	Shri Sandeep Agnihotri Village & PO – Palak wah Tehsil – Haroli, Distt. Una (HP)
Jharkhand	
Shri Mannan Mallick 13, MIG Housing Colony, Dhanbad -826001 (Jharkhand)	
Karnataka	
Shri M. Srinivas, No. 1154, 1st Cross, 1st Main, HAL 3rd Stage, Near Shishugraha School, New Thippasandra Bangalore – 560 075 (Karnataka)	Shri K.K. Sreenivasa Guptha, 4/1, Oshaughnesseys Road, Langford Town, Bangalore – 560 025 (Karnataka)
Madhya Pradesh	
Shri Maohar Bothra, HIG 2, Kamayani Parishar, Behind Chitransh College, E-7, Arera Colony, Bhopal – 462016 (MP)	
Orissa	
Shri Manoj Kumar Das, F-2, Amrita Residency, Jaydev Vihar, Bhubaneswar- 751023 (Orissa)	
Uttar Pradesh	
Shri Madan Singh Village –Dhoabha, Tehsil- Dumaria, Sidharthnagar (UP)	Shri Narbedshevar Mani Tripathi Near Hanuman Mandir Dewaria, (UP)
Shri Basant Chaudhary, Sree Krishana Charitable Trust Village – Dohrika Road, Bade Ban Basti, Distt. Basti (UP)	

ORDER

Ordered that a copy of the above Resolution be communicated to all the State Governments, Union Territory Administrations, all the Ministries and the Departments of the Government of India including the Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Parliament Secretariat, Planning Commission and the Comptroller and Auditor General of India and all the members of the Steel Consumers' Council.

2. Ordered also that it be published in the Gazette of India for general information.

U. P. SINGH
Jt. Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi-110115, the 9th November 2010

Subject :— Proposal regarding conversion of Rajiv Gandhi National Institute for Youth Development at Sriperumbudur (Tamil Nadu) into Rajiv Gandhi Central University/National Institute of Youth and Sports

No. F. 12-17/2010-U-3(A)—A proposal was received from Ministry of Youth Affairs & Sports to convert Rajiv Gandhi National Institute for Youth Development, an institution deemed to be university, at Sriperumbudur into Rajiv Gandhi Central University/National Institute of Youth and Sports. In order to examine the proposal and to make suitable recommendations, the Government hereby constitutes a Committee consisting of the following persons :—

i)	Prof. Ved Prakash, Vice Chairman, University Grants Commission	Chairman
ii)	Prof. D.T. Khathing, Vice Chancellor, Central University of Jharkhand	Member
iii)	Shri L.S. Ranawat, Director, Netaji Subhas National Institute of Sports, Patiala	Member *ex officio*
iv)	Joint Secretary, Department of Youth Affairs, Ministry of Youth Affairs & Sports, Government of India	Member *ex officio*
v)	Joint Secretary, Department of Sports, Ministry of Youth Affairs & Sports, Government of India	Member *ex officio*
vi)	Dr. Boria Majumdar, Adjunct Professor, University of South Australia	Member
vii)	Dr. Jaspal S. Sandhu, Dean, Faculty of Sports Medicine, Guru Nanak Dev University, Amritsar	Member
viii)	Ms. Ashwini Nachappa, Distinguished sportsperson & Arjun Awardee	Member

2. The Terms of Reference of the Committee shall be as under:

(i) To examine the feasibility of converting the existing institution deemed to be university to Central University/National Institute of Youth and Sports.

(ii) To make recommendation on the appropriateness of broadening the mandate of the institution to include sporting activities which are an important aspect of the development of youth, particularly focussing on both practice and research in the fields of youth development and sports.

(iii) To make recommendations on the financial requirements of such conversion of the institute to Central University/National Institute of Youth and Sports.

(iv) To suggest the template of the Governing Structure, in particular, whether the structure should remain as it is for Central Universities generally or any innovative modifications are called for.

(v) To suggest the objects and powers of such a University/National Institute of Youth and Sports.

3. The Committee may lay down its own procedure, and shall submit its report to the Government within two months time from the date of this notification.

4. The University Grants Commission (UGC) shall provide all secretarial assistance and logistics support to the Committee. The expenditure on travel and accommodation of the Committee Members, in keeping with individual status, on their domestic visits, if any, shall also be borne by the UGC from its own budget.

5. This Order issues with the approval of the Competent Authority.

SUNIL KUMAR
Additonal Secy.

MINISTRY OF COMMUNIATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY
(DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY)

New Delhi-110003, the 12th November 2010

Standards for Face Image, Fingerprint Image and Minutiae

No. 2(32)/2009-EG-II. WHEREAS, Department of Information Technology (DIT), Ministry of Communications and Information Technology, Government of India (GoI) is driving the National e-Governance Plan (NeGP), which seeks to create the right Governance and institutional mechanism; implement a number of Mission Mode Projects at the Centre & State government and also promote the usage of Open Standards to avoid any technology lock-ins

AND WHEREAS, Standards in e-Governance is considered priority activity, which will help ensure sharing of information and seamless interoperability of data across e-Governance applications and also creation of an Institutional Mechanism under NeGP to evolve/adopt Standards for e-Governance

AND WHEREAS, immediate need has been felt to have Standards for identification and authorization of an individual based on his biometrics data like Face image, Fingerprint image and Minutiae

AND WHEREAS, the Competent Authority on Standards has approved the Biometrics Standards for Face image, Fingerprint image and Minutiae based on the ISO 19794 part 5 (Face Image), part 4(Fingerprint Image) and part 2 (Minutiae) standards

NOW, this Department hereby notifies Face image, Fingerprint image and Minutiae Standards for e-Governance Applications w.e.f the date of notification. The Standards can be downloaded from http://egovstandards.gov.in.

S. S. RAWAT
Jt. Dir.

Policy on Open Standards

No. 2(32)/2009/EG-II WHEREAS, Department of Information Technology (DIT), Ministry of Communications and Information Technology, Government of India (GoI) is driving the National e-Governance Plan (NeGP), which seeks to create the right Governance and institutional mechanism, implement a number of Mission Mode Projects at the Center & State government

AND WHEREAS, Standards in e-Governance is considered priority activity, which will help ensure sharing of information and seamless interoperability of data across e-Governance applications and also creation of Institutional Mechanism under NeGP to evolve/adopt Standards for e-Governance

AND WHEREAS under NeGP, GoI is promoting the usage of Open Standards to avoid any technology lock-in

AND WHEREAS a well laid Policy on Open Standards would play a critical role in adopting / evolving the Standards for the rapid, effective and efficient growth of e-Governance in India

AND WHEREAS the Competent Authority on Standards has approved the Policy on Open Standards

NOW, this Department hereby notifies the use of **Policy on Open Standards** published on http://egovstandards.gov.in for the selection of Single and Royalty-Free (RF) Open Standard for a specific purpose with in a domain for e-Governance w.e.f the date of notification.

S. S. RAWAT
Jt. Dir.

MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY

New Delhi-110001, the 26th October 2010

RESOLUTION

No. 11015(2)/2008-Hindi. In supersession of the Ministry of New and Renewable Energy Resolution No.11015(2)/2004-Hindi, dated 12th April, 2005, as amended from time to time, the Govt. of India have decided to reconstitute the Hindi Salahkar Samiti for the Ministry of New and Renewable Energy as follows :-

1. Composition

Minister of New and Renewable Energy	Chairman

Non-Official Members

MPs nominated by Ministry of Parliamentary Affairs

1.	Shri Datta Meghe, M.P.	Lok Sabha	Member
2.	Dr. Ram Chandra Dom, M.P.	-do-	-do-
3.	Shri Praveen Chandra Rashtrapal, M.P.	Rajya Sabha	-do-
4.	Shri Brij bhushan Tiwari , M.P.	-do-	-do-

Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad Representative

5. Shri Pankaj Diwan — Member
   3/10, West Patel Nagar,
   New Delhi - 110 008

Akhil Bharatia Hindi Sanstha Sangh Representative

6. Smt. B.S. Shantabai — Member
   Secretary, Karnatak Mahila Hindi Seva Samiti,
   Fourth Main Road,
   178, Chamrajpet, Banglore- 560018 (karnatak)

Members nominated by concerned Ministry

7. Sh. P.L. Kothari, Journalist — Member
   353, Street No. 1, Veerchandra singh marg,
   Dharmpur, Dehradun (Uttrakhand)

8. Dr. Yogesh Dube, — Member
   Kavita, Karter Road No-9,
   Borivali (East) Mumbai- 4000066.

9. Sh. Krishan Kumar Grover, Member
Former Secretary, Committee of Parliament on Official Language,
F/B-16, Tagore Garden,
New Delhi- 110027.

10. Prof. Satish Raina, Member
D-53, Freedom Fighter Enclave,
Neb Sarai, New Delhi- 110068.

Members nominated by Deptt. of Official Language, Ministry of Home Affairs

11. Sh. Sanjay Ghaloth, Member
1837/50, Nai Wala,
Karol Bagh, New Delhi- 110005.

12. Sh. Shiv Kumar Dixit
4A, Bhagwati Vihar, Binda Pur,
Matiyala Road, Uttam Nagar,
New Delhi- 110059.

13. Sh. Brij Lal Rakheja
B- 102 & 104, B.K. Dutt Colony, (Karbala)
Opposite Safdarjang Airport, Near Jorbagh,
Lodhi Road, New Delhi- 110003.

MPs nominated by Committee of Parliament on Official Language,

14. Shri Gajanan D. Babar, M.P (Lok Sabha) Member

15. Shri Prabhat Jha, M.P. (Rajya Sabha) Member

Official Members

1. Secretary, Ministry of New and Renewable Energy Member
2. Secretary, Department of Official Language -do-
3. Joint Secretary, Ministry of New and Renewable Energy Member- Secretary
4. Joint Secretary, Department of Official Language Member
5. Adviser, Solar Energy Centre -do-
6. Managing Director, Indian Renewable Energy Development Agency Ltd. -do-
7. Executive Director, C-Wet. -do-
8. Director, SSS-NIRE -do-

66-3516 GI/10

2. Functions of the Samiti :

The Samiti shall advise the Ministry of New and Renewable Energy on matters relating to the progressive use of Hindi for official purposes.

3. Tenure of the Samiti :

The term of the Samiti will be three years from the date of its formation, provided that :

(a) A Member of Parliament nominated to the Samiti shall cease to be a member of the Samiti as soon as he/she ceases to be a Member of Parliament;
(b) Ex-officio members of the Samiti shall continue as members so long as they hold the office by virtue of which they are members of the Samiti; and
(c) Members appointed against mid-term vacancies shall hold office only for the residual period of the three year's tenure.

4. General

The Headquarter of the Samiti shall be at New Delhi but it may hold its meetings at any other station also, if necessary.

5. T.A. and Other Allowances :

The Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India, vide their Office Memorandum II/20034/04/2005-OL (Policy-2) dated 3rd February, 2006 has stated that as the 15 non-official members include 6 Members of Parliament, nominated in the Hindi Salahakar Samitis constituted by Central Ministries/Departments, so the provision regarding travelling/daily allowances is made more elaborate in the following manner :-

(a) The Members of Parliament nominated in the Samiti will be paid Travelling Allowance and Daily Allowance as per the provisions in the "Member of Parliament (Salary, Allowance and Pension) Act, 1954", amendments issued from time to time and rules made thereunder.
(b) Travelling Allowance and Daily Allowance to other non-official members of the Samiti will be paid as per the guidelines contained in the Department of Official language O.M.No. II/22034/04/86-OL (A-2) dated 22nd January, 1987 and in accordance with the prescribed rates and rules as amended from time to time by the Government of India.

6. Order

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all the members of the Committee, all State Governments and U.T. Administrations, President's Secretariat, Vice- President Secretariat's, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat., Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, Comptroller and Auditor General of India, Accountant General, Central Revenue, Election Commission, Union Public Service Commission and all Ministries and Departments of the Govt. of India.

It is also Ordered that a copy of this Resolution be published in the Gazette of India for general information.

GAURI SINGH
Jt. Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2010
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2010.